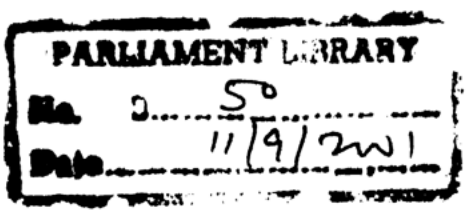
# लोक सभा वाद - विवाद

## ( हिन्दी संस्करण )

चौथा सत्र

( तेरहवीं लोक सभा )






( खण्ड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं )

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

**सम्पादक मण्डल**

**गुरदीप चन्द मलहोत्रा**
महासचिव
लोक सभा

**डा॰ अशोक कुमार पांडेय**
अपर सचिव

**हरनाम सिंह**
संयुक्त सचिव

**प्रकाश चन्द्र भट्ट**
प्रधान मुख्य सम्पादक

**जे॰ एस॰ वत्स**
सम्पादक

**पीयूष चन्द्र दत्त**
सम्पादक

**उर्वशी वर्मा**
सहायक सम्पादक

**गोपाल सिंह चौहान**
सहायक सम्पादक

---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

# विषय-सूची

*त्रयोदश माला, खंड–8 चौथा, सत्र, 2000/1922 (शक)*

**[अंक 10, शुक्रवार, 4 अगस्त, 2000/13 श्रावण, 1922 (शक)]**


| *विषय* | | *कॉलम* |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या | 181 से 182 ... | 1-28 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | | |
| तारांकित प्रश्न संख्या | 183 से 200 ... ... | 28-61 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | 1963 से 2192 ... | 61-345 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | ... ... ... ... | 345-351 |
| **सभा का कार्य** | ... | 351-356 |
| **प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य** | ... | 356-357 |
| जम्मू–कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर हाल में हुए नरसंहार और पहलगाम में तीर्थयात्रियों के नरसंहार से उत्पन्न स्थिति | | |
| श्री अटल बिहारी वाजपेयी | | |
| **राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक** | | 377-396 |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | | |
| श्री अनादि साहू | ... ... ... | 377-383 |
| श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर | ... | 383-386 |
| श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति | ... ... ... | 386-389 |
| डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह | | 389-392 |
| श्री नवल किशोर राय | | 392-393 |
| श्री हन्नान मोल्लाह | ... ... ... ... ... | 393-396 |


* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

**गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में ग्राम सभाओं की भागीदारी के बारे में संकल्प ... ... 396-442**

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह ... ... ... ... 396-406

श्री प्रभुनाथ सिंह ... 406-411

प्रो. रासासिंह रावत ... 411-416

श्री रामजीलाल सुमन ... 416-418

श्री खारबेल स्वाइं ... ... 418-421

श्री सुकदेव पासवान ... 421-423

डॉ. वी. सरोजा ... ... ... 423-427

श्री अनादि साहू ... ... ... ... ... 427-434

श्री नवल किशोर राय ... ... ... ... 434-438

डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय ... ... ... ... ... 439-442

## लोक सभा

शुक्रवार, 4 अगस्त, 2000/13 श्रावण, 1922 (शक)

*लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।*

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

*[अनुवाद]*

**श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी)** : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहती हूं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल के साथ कल मैं पहलगांव गई थी। वहां यह स्पष्ट हो गया कि सरकार द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा में काफी कमी हुई है। अन्य कई प्रश्नों का भी जवाब दिया जाना है। जो कुछ वहां हो रहा है वह अक्षम्य है। वहां होने वाली त्रुटियों के लिए माफ नहीं किया जा सकता। इसलिए हम प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि इस संबंध में एक वक्तव्य दें और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस संबंध में वक्तव्य कब दिया जाएगा।

**संसदीय कार्य मंत्री और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : महोदय, जैसा कि विपक्ष की माननीय नेता की इच्छा है, प्रधान मंत्री प्रश्न काल के बाद वक्तव्य देंगे।

**पूर्वाह्न 11.01 बजे**

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*[अनुवाद]*

### देश में परिस्थितिकीय-पर्यटन

*181. **श्री राशिद अलवी** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिस्थितिकीय–पर्यटन संबंधी कोई मार्गनिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार परिस्थितिकीय–पर्यटन के अंतर्गत कार्यक्रमों के प्रभावी ढंग से कियान्वयन हेतु कोई कृतिक–दल गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार)** : (क) से (घ) एक विवरण–पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है

**विवरण**

(क) जी, हां।

(ख) पारिस्थितिकी–पर्यटन नीति के दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–

1. पारिस्थितिकी–पर्यटन की परिभाषा;
2. भारत में पारिस्थितिकी–पर्यटन के संसाधन;
3. नीति के उद्देश्य;
4. निम्नलिखित के लिए प्रचालनात्मक दिशा–निर्देश:–
   - सरकार ;
   - विकासकर्ता, प्रचालक तथा सप्लायर्स ;
   - आगन्तुक;
   - गन्तव्य–स्थल की जनसंख्या/मेजबान समाज;
   - गैर–सरकारी संगठन/वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थान।

देश में निरन्तर पर्यटन विकास प्राप्त करने के लिए, इस कियाकलाप में शामिल सभी पणधारियों (स्टेट होल्डर्स) के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए नीति तथा दिशा–निर्देश तैयार किए जाते हैं।

(ग) और (घ) पारिस्थितिकी–पर्यटन के अधीन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु कार्य–बल गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**श्री राशिद अलवी** : स्पीकर साहब, हमारा देश पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और टूरिज्म का हमारे देश में बेइन्तहा स्कोप है। मुगलों के जमाने के मॉन्यूमेन्ट्स यहां हैं This is the land of Buddha. पुरानी मस्जिदें, पुराने मन्दिर, ताजमहल जैसी इमारतें, नाइस बीचेज़ इतना सब कुछ हमारे देश में टूरिज्म के लिए है। ....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : आज मैं सामने बैठे सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं। मैं केवल पीछे बैठे लोगों को ही बोलने का

मौका देना चाहूंगा। बहस में भी, केवल वरिष्ठ लोग ही भाग ले रहे हैं। प्रश्न काल और नियम 377 के अधीन मामलों में भी वे ही भाग ले रहे हैं।

.....*(व्यवधान)*

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** : महोदय, जो सदस्य पर्यटन केन्द्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है।.....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ अपवाद भी हैं।

**श्री संतोष मोहन देव** : महोदय, मैं आगे बैठे हुए सदस्यों की ओर ही आ रहा हूं। परन्तु मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगा।. ....*(व्यवधान)*

**श्री एस. जयपाल रेड्डी** : ऐसी स्थिति में आगे बैठे लोग सभा से बाहर चले जाएंगे।.....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री राशिद अलवी** : हमारे देश के अंदर फॉरेन ट्रैवर्ल्स करीब 2.5 मिलियन प्रतिवर्ष आते हैं। हमारे अपने जो टूरिस्ट हैं, उनकी सरकार के पास कोई फिगर नहीं होगी, लेकिन करीब–करीब 150 मिलियन हमारे अपने टूरिस्ट हैं और टूरिज्म से लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेन्ज पहले या दूसरे नंबर पर करीब 12 हजार करोड़ रुपये हम कमाते हैं। ट्रैवल और टैक्सीज से हम करीब 750 करोड़ रुपये कमाते हैं। 124 लाख लोग इसके अंदर इंप्लाइड हैं और 1980 के अंदर पूरी दुनिया में टूरिज्म में हमारा नंबर 19वां था और चीन का नंबर 34 था। मेरे पास लेटेस्ट रेकार्ड नहीं है लेकिन 1995 के अंदर हमारा नंबर घटाकर 34 पर चला गया है और चीन नौवें नंबर पर आ गया है। पूरी दुनिया के टूरिज्म के अंदर हमारा शेयर सिर्फ प्वाइंट चार परसेंट है लेकिन जो पैसा हमारे पास आ रहा है उससे न तो हम टूरिज्म को एनकरेज कर रहे हैं और न ही दूसरी तरफ हम टूरिज्म से जो पैसा कमा रहे है, उसका सही इस्तेमाल कर रहे है। हमारे बीचेस बहुत खूबसूरत हैं लेकिन इंतहाई गंदे बीचेस हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन बीचेस को खूबसूरत बनाने के लिए और जो गारबेज समुन्द्र में फेंका जाता है, उसको साफ करने के लिए सरकार क्या कर रही है? अभी स्पीकर साहब मारीशस गये थे। हम भी उस डेलीगेशन के अंदर थे। वहां के बीचेस इतने खूबसूरत हैं कि अगर समुन्द्र में ऊपर से सिक्का फेंक दो तो वह नीचे तक नजर आता है। जबकि हमारे बीचेस की हालत यह है कि यूनाइटेड स्टेट, डिपार्टमैंट ऑफ नेवी अपने शिप्स को तोड़ने के लिए, स्क्रेप के लिए गुजरात के अंदर भेजती है। वहां पर शिप्स तोड़े जाते हैं और बीचेस को गंदा किया जाता है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इकोलॉजी को सुरक्षित करने के लिए, इन्वायरमैंट को साफ करने के लिए सरकार की क्या गाइडलाइन्स हैं क्योंकि जो गाइडलाइन्स मैंने पढ़ी है, उसमें जो तीन–चार जुमले लिखें हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए सरकार इसकी डिटेल देने की कोशिश करे।

**श्री अनंत कुमार** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद का जो कन्सर्न है, मैं उसको शेयर करता हूं मगर इको टूरिज्म और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में थोड़ा फर्क है।

*[अनुवाद]*

पर्यावरण संरक्षण का काम सीधे पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पर्यावरण–पर्यटन तथा पर्यावरण संरक्षण संबंधी पूरी जागृति काफी बाद में ही पैदा हुई। भारत सरकार ने कई बोर्ड बनाए हैं– (1) एच आई एम टी ए बी, द हिमालयन टूरिज्म एडवाइजरी बोर्ड; (2) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के लिए द्वीप विकास प्राधिकरण और (3) पर्यटन उद्योग की मदद से हमने उत्पाद विकास और पर्यावरण संबंधी कार्य बल का गठन किया था। यू. एन. डी. पी. और डब्ल्यू. टी. ओ. ने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों की प्रचालन क्षमता के संबंध में एक अध्ययन भी किया था। अब, जागृति बढ़ रही है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यह उतना अच्छा नहीं हे जितने कि विश्व में विभिन्न अन्य स्थल हैं।

यह सच है कि हमारा स्थान विश्व के आंकड़ों की तुलना में विदेशी पर्यटक आगमन के संदर्भ में 46 वां है तथा विदेशी मुद्रा आय के संदर्भ में 34 वां। यह भी सच है कि 25 वर्ष पहले, चीन और भारत में अन्य देशों से लगभग पांच लाख विदेशी पर्यटक आते थे। अब भारत में 2.5 मिलियन पर्यटक ही आ रहे हैं और चीन में 25 मिलियन पर्यटक ही आ रहे हैं। इसलिए इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

माननीय वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं उनका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं विदेशी मुद्रा आय की बात करना चाहूंगा। पर्यटन उद्योग को मिलने वाले मामूली सी राशि से–न केवल केन्द्र में बल्कि राज्यों में भी–अच्छा काम हो रहा है। एक दिन, उड़ीसा के पर्यटन मंत्री भी कह रहे थे कि उनका योजना बजट केवल 2.3 करोड़ रुपये है। अगर उड़ीसा का योजना बजट केवल 2.3 करोड़ रुपये है या इसी तरह किसी अन्य राज्य का भी मामूली सा ही है तो हम क्या कर सकते हैं? देश प्रतिवर्ष पर्यटन पर लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है....*(व्यवधान)*

**श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति** : ऐसा केवल विभिन्न कर्मचारियों को वेतन देने के लिए ही किया गया है। वह राशि वेतन के लिए ही दी जा रही है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नहीं दी जा रही है।

**श्री अनंत कुमार** : *मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। यह* वेतन से संबंधित नहीं है। आप संसद के एक माननीय सदस्य हैं। यह योजना खाते के अंतर्गत आता है न कि गैर योजना खाते में। योजना खाते के अंतर्गत, देश 300 करोड़ रूपये खर्च कर रहा है। इसलिए, यह निश्चय ही वेतन से संबंधित नहीं है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने और आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए है। परन्तु सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं: (1) वस्त्र 44,000 करोड़ रुपये (2) सूचना प्रौद्योगिकी 22,500 करोड़ रुपये; और (3) पर्यटन 12,500 करोड़ रुपये। हमें इस संबंध में समर्थन चाहिए। इसलिए पूरी सभा का समर्थन चाहिए और हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि पर्यटन को अधिक आबंटन मिले। ....*(व्यवधान)*

**श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति** : हम सभी आपसे सहमत हैं।.... *(व्यवधान)*

**वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा)** : आप मेरे विरोध में संकल्प पारित करवाइए। ....*(व्यवधान)*

**श्री अनंत कुमार** : मैंने माननीय वित्त मंत्री के समर्थन में संकल्प पारित किया है कि हमें और राशि का आबंटन किया जाए।

मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता पर विचार करूंगा। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह पूरी तरह से पर्यटन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मैं केवल पर्यावरणीय पर्यटन का विकास के लिए आधारभूत संरचना जुटा सकता हूं। परन्तु समुद्र तटों, जंगलों, रेत के टीलों इत्यादि के रखरखाव के संबंध में मैं पर्यावरण मंत्रालय के साथ बातचीत करने वाला हूं।

**श्री राशिद अलवी (अमरोहा)** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब साफ नहीं है क्योंकि सरकार की यह आदत हो गई है कि एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय पर जिम्मेदारी डाल देता है और मामलात इसी तरह चले जाते हैं। राजस्थान सरकार ने अभी टूरिज्म गाइड सर्विस शुरू की है। जो टूरिस्ट्स आते हैं वे उन्हें समझाते हैं कि कैसे, कहां जाना है, मौनूमैंट्स देखने हैं तो किस तरह से देखने हैं, किस जगह जाना है तो वहां किस तरह बिहेव करना है। क्या सैंट्रल गवर्नमैंट ने इस तरह की कोई सर्विस शुरू करने का प्रोग्राम किया है या नही? मंत्री जी ने अभी यह कहा है कि कोई भी टास्क फोर्स उन्होंने शुरू किया है लेकिन आपने जो लिखित जवाब दिया है, उसमें लिखा है कि पर्यावरणीय पर्यटन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कार्य बल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई प्लानिंग है कि आप पार्लियामैन्टेरियन्स की कोई कमेटी बनाएं जो इस सवाल में जाए या किसी और तरीके की कमेटी बनाएं। जो टूरिस्ट्स स्पॉट्स हैं, वहां *पर गाइडलाइन्स लटकाएं कि ये--ये गाइडलाइन्स हैं और टूरिस्ट्स* को वहां पर इस तरह से बिहेव करना चाहिए? *सरकार की पॉलिसी* यह रही है कि जो टूरिस्ट्स बाहर से आते हैं, वे ज्यादातर फाइव स्टार कल्चर के होते हैं। आप टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं। उस पैसे का कोई इस्तेमाल टूरिज्म को डेवलप करने के लिए नहीं कर रहे हैं। मारीशस और दूसरी कंट्रीज जैसे थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स में मिडिल क्लास के लोगों को ऐनकरेज किया जाता है कि वे ज्यादा से ज्यादा तादाद में आएं। मारिशस के टोटल बजट का 6 प्रतिशत टूरिज्म से आता है। क्या इस तरह की कोई पॉलिसी है कि हमारे देश में मिडिल क्लास के लोग ज्यादा से ज्यादा आएं और टूरिज्म में ज्यादा से ज्यादा पार्टीसिपेट कर सकें?

*[अनुवाद]*

**श्री अनंत कुमार** : मूलतः पर्यटन राज्य का मामला है। इसलिए, यह राज्य का विषय है। ....*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राशिद अलवी** : सरकार जवाब देने से ऐवॉयड करती है।

*[अनुवाद]*

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, मुझे अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।....*(व्यवधान)*

**श्री अजय चक्रवर्ती** : आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।... .*(व्यवधान)* आप अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल रहे हैं।

**श्री अनंत कुमार** : मैं जिम्मेदारी को राज्य सरकार पर नहीं डाल रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय, आप यह कहना चाहते हैं कि आप इस संबंध में गंभीरता से सोच रहे हैं।

**श्री अनंत कुमार** : इसलिए हमारी भूमिका मूल रूप से परामर्शदात्री है। इतना ही नहीं, हम अपने राज्यों से अपने योजना बजट से आधारभूत संरचना विकास के लिए विभिन्न राज्यों को निधियां आबंटित कर रहे हैं। यह पहली बात है।

दूसरी बात यह है कि कई राज्य सरकारों ने पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई स्वागत योग्य उपाय किए हैं। वास्तव में, केरल राज्य ने पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान देने हेतु पर्यावरणीय पर्यटन के निदेशक के पद का गठन किया है।

तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में वन्यजंतु विकास के लिए वन्यजंतु सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। आंध्र प्रदेश सरकार

ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के पांच संरक्षित क्षेत्रों में विभिन्न पर्यावरणीय पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृति भी दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग पहाड़ियों और पुरूलिया जिले की पश्चिमी वन पट्टियों में डुआर्स और अन्य स्थानों में क्षेत्रों की पहचान की है। इसलिए यह सच नहीं है कि हम पर्यावरणीय पर्यटन के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे।

महोदय, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2.5 मिलियन विदेशी पर्यटक आते हैं। जब यहां के 80 से 85 मिलियन लोग स्पेन या फ्रांस जाते हैं तो वे वहां जाकर केवल एक ही रात रुकते हैं जबकि विदेशी पर्यटक भारत आकर कम से कम एक पखवाड़े तक रुकते हैं। इसका अर्थ है वे लोग औसतन कम से कम 15 दिन रुकते हैं।

दूसरी बात यह है, माननीय सदस्य ने कहा है कि उनके पास ये आंकड़े नहीं है कि कितने घरेलू पर्यटक हमारे ही देश में भ्रमण करते हैं। मैं यह सूचना देना चाहूंगा कि 175 मिलियन पर्यटकों ने इस वर्ष देश भर में भ्रमण किया। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 168 मिलियन था और इस वर्ष यह बढ़कर 175 मिलियन हो गया है।

**श्री राशिद अलवी** : महोदय, मंत्री मेरे दूसरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। वे मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, हमारे देश में पर्यटन का विकास हो रहा है और हम इसकी ओर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री राशिद अलवी** : यह तो जवाब ये पहले सवाल के जवाब में दे चुके हैं।

*[अनुवाद]*

**श्री अनंत कुमार** : पर्यटन संबंधी एक परामर्श समिति है जो मुझे सलाह दे रही है।

*[हिन्दी]*

**श्री राशिद अलवी** : यह तो ये पहले सवाल के जवाब में बता चुके हैं। ये कुछ बताने को तैयार नहीं हैं कि आइदां क्या करने वाले हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कई अन्य सदस्य भी हैं जो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। वे आपके संदेह दूर कर सकते हैं।

**श्री के. ए. सांगतम** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया। आज, इस आधुनिक युग में कई पश्चिमी देशों के पर्यटक पूर्वोत्तर क्षेत्र में आना चाहते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र का पूरी तरह लाभ नहीं उठाया गया है जबकि वहां पर्यावरणीय–पर्यटन के लिए काफी संभावनाएं हैं, जैसा कि उन्होंने बताया है।

महोदय, पर्यावरणीय पर्यटन ऐसा विषय है जिस पर हमने बहुत कम चर्चा की है। इस संदर्भ में, मैं इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और उस क्षेत्र के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरणीय पर्यटन के विकास की काफी संभावनाएं हैं। भारत सरकार ने नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में विदेशों से आने वाले पर्यटकों पर काफी प्रतिबंध लगाए हैं। यद्यपि उन्होंने कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए पर्यटकों को अनुमति दे दी है फिर भी कुछ स्थानों में जाने पर प्रतिबंध है तथा पर्यटकों को मिलजुल कर समूह के रूप में जाना होता है। यदि कोई व्यक्ति पर्यटक के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जाना चाहता है, तो उसे अन्य लोगों के साथ मिलकर एक समूह के रूप में ही जाना होगा। भारत सरकार का यह कदम पूरी तरह से अनपेक्षित है। हो सकता है वहां हो रहे विप्लव के वजह से ऐसा किया गया हो। परन्तु भारत में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्य भी हैं जहां नक्सलवादी मौजूद हैं, परन्तु इन राज्यों में जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि केवल नागालैंड और कुछ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है।

महोदय, चूंकि मंत्री जी संस्कृति मंत्रालय का भार भी संभाल रहे हैं, इसलिए मैं एक और मुद्दा यहां रखूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

**श्री के. ए. सांगतम** : महोदय, मैं दो प्रश्नों को एक साथ एक पूरक प्रश्न में रख रहा हूं। मैं अब अपने पूरक प्रश्न का दूसरा भाग पूछूंगा।

महोदय, कोहिमा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध स्मारक है, जहां जापानियों को, जब वे हमारे देश पर आक्रमण करना चाहते थे, रोक दिया गया था। इस संबंध में भारत सरकार को एक परियोजना सौंपी जा चुकी थी और मैंने सरकार को कई पत्र लिखे हैं, परन्तु उस पर ध्यान नहीं दिया गया। यदि द्वितीय विश्व युद्ध के इस स्मारक का निर्माण किया जाता है अथवा एक संग्रहालय का निर्माण किया जाता है तो बहुत सारे पर्यटक वहां जा सकते हैं और इन स्थानों को देख सकते हैं। इसलिए, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इस परियोजना के लिए यथाशीघ्र धन मंजूर करने का अनुरोध करना चाहूंगा जिससे कि हम इन स्थानों पर आने के लिए पर्यटकों को आकर्षित कर सकें।

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहूंगा कि दोनों पूरक प्रश्नों का तात्पर्य मुख्य प्रश्न से नहीं है। महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में व्याप्त विशेष परिस्थितियों के कारण, संघ सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा तीन प्रकार के अनुज्ञा–पत्र जारी किए जाते हैं। जिनमें से पहला इनर–लाइन अनुज्ञा पत्र है, दूसरा संरक्षित क्षेत्र अनुज्ञा पत्र है, और तीसरा प्रतिबंधित क्षेत्र अनुज्ञा पत्र है। यहां व्याप्त विशेष परिस्थितियों के कारण ये तीन अनुज्ञा पत्र प्रचालन में हैं।

**श्री के. ए. सांगतम** : उड़ीसा और बिहार के नक्सलवाद से ग्रसित क्षेत्रों के बारे में क्या है? मध्य प्रदेश के बारे में क्या है? ... *(व्यवधान)*

**श्री अनंत कुमार** : ऐसा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विधि–व्यवस्था की विशेष स्थिति के कारण है।

दूसरे, कोहिमा में युद्ध स्मारक बनाए जाने के संबंध में यदि माननीय मंत्री महोदय प्रस्ताव को सामने लाते हैं तो इस पर पूरी तरह से विचार किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में पूरी दुनिया से ज्यादा पर्यटन का क्षेत्र है। इसको जिस तरह से विकसित करना चाहिए, उतना नहीं हुआ है। यह एक चिंता का विषय है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उसका निजीकरण करने का विचार रखती है और साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि छोटे–छोटे क्षेत्रों को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए क्या एम. पी. लैड से पैसा देकर विकास कर सकते हैं या नहीं?

*[अनुवाद]*

**श्री अनंत कुमार** : पर्यटन मूलतः एक निजी उद्योग है।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदय परोक्ष रूप से आपके हाथों को मजबूत कर रहे हैं।

**श्री अनंत कुमार** : धन्यवाद। मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं।

**श्री सुरेश कुरूप** : महोदय, यह अच्छी बात है कि सरकार पारिस्थितिकीय–पर्यटन पर एक नीति तैयार कर रही है। अब, हो यह रहा है कि सरकार के प्रतिष्ठित अधिकारीगण स्वयं ही महत्वपूर्ण पयर्टन स्थानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाल में, उड़ीसा सरकार के उच्च अधिकारी सभी प्रतिमानों और नियमों का उल्लंघन करते हुए चांडिगा राष्ट्रीय प्राणी अभ्यारण्य गए और मध्याह्न भोजन का आयोजन किया। ....*(व्यवधान)*

मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है। क्या मंत्रालय उड़ीसा सरकार को इस तरह की चीजों को भविष्य में न दोहराए जाने की सलाह देगी?

**श्री अनंत कुमार** : मूलतः, यह राज्य सरकार से संबंधित है क्योंकि वह अभ्यारण्य राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है।...*(व्यवधान)*

दूसरे, हमने भी पूरे देश में अभ्यारण्यों के रख–रखाव के संबंध में दिशा–निर्देश भी जारी किया है जिससे प्रकृति, वन्य जीवन इन अभ्यारण्यों की अनुकूलतम वहन क्षमता को बनाए रखा जाता है।

**डॉ. मन्दा जगन्नाथ** : महोदय, नागार्जुन सागर स्थित नागार्जुन कोंडा जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध केन्द्र, और आंध्र प्रदेश के नलकोंडा जिले में कोलनू पक जैन तीर्थस्थल में भी दूरभाष सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। दक्षिणी किनारे से नागार्जुन कोंड तक पहुंचने के लिए हमें नौका में जाना पड़ता है। नागार्जुन कोंड लगभग 12–14 किलोमीटर दूर है। राज्य सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। इसके बावजूद, दूरभाष और रात्रि विश्राम की सुविधा न होने के कारण यह अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार द्वारा कोई विशेष पैकेज प्रस्तावित है जिससे कि इन केन्द्रों के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय पयर्टक आकर्षित हो सकें।

**श्री अनंत कुमार** : मैं आपका ध्यान इस प्रश्न पर विशेषकर 'पारिस्थितिकीय पर्यटन' की ओर एक बार फिर आकृष्ट करना चाहूंगा पारिस्थितिकीय पर्यटन समवर्ती सूची का विषय है। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान पारिस्थितिकीय पर्यटन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में हम पर्यटन क्षेत्र में ढ़ांचागत विकास के लिए धन उपलब्ध कराते है बशर्ते कि राज्य सरकारें इन परियोजनाओं को प्राथमिकता दे। अतएव वे अपने उच्च कार्यालयों का उपयोग कर सकते हैं तथा न केवल नलगोंडा में अपितु नागार्जुनकोंडा में भी 'यात्री निवास' एवं 'यात्री निकेतन' की परियोजनाओं को प्राथमिकता दे सकते हैं जिस पर सक्रियता से विचार किया जाएगा।

**श्री शिवराज पाटिल** : यह अत्यंत दुख की बात है कि एक तरफ तो हम दूसरे देशों से आने वाले व्यक्तियों को पर्यटक मानकर उन्हें सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी ओर

केरल से उत्तर प्रदेश या उड़ीसा या तमिलनाडु की यात्रा करने वाले लोगों को पर्यटक ही नहीं मानते हैं और उन पर ध्यान भी नहीं देते। बल्कि उनके साथ तीर्थयात्रियों जैसा व्यवहार करते हैं। जब हम अत्यधिक ऐसे स्थानों का पता लगाने का प्रयास करते हैं जहां बेहतर पारिस्थितिकीय स्थिति उपलब्ध हो, तो उनमें वैष्णों देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ, पुरी इत्यादि स्थानों को शामिल कर सकते हैं। इन स्थानों में निश्चित रूप से पारिस्थितिकी–तंत्र प्रदूषित हो रहा है। यही वे स्थान हैं जहां हमें पारिस्थितिकी तंत्र वनों, महासागर, रेगिस्तान को बचाने के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए। हम इस संबंध में कुछ नहीं कर रहे हैं।

अब, दुर्भाग्यवश, हम सोचते हैं कि यदि हम इसे निजी क्षेत्र को सौंप देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। परन्तु मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि भारत में होने वाले समस्त पर्यटन क्रियाकलाप निजी क्षेत्र में होते हैं। यह भारत सरकार और राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह योजना तैयार करे और यह देखने के लिए कि इन प्रयोजनों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, कुछ धन उपलब्ध कराए। दुर्भाग्यवश, हम पाते हैं कि जब कभी ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, जिनमें सरकार के लिए काफी राजस्व अर्जित करने की संभावना है, ऐसे मामलों में जवाबदेही केन्द्र सरकार से राज्य सरकार और राज्य सरकार से केन्द्र सरकार की ओर टाला जाता रहता है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने इन महत्वपूर्ण स्थानों की पारिस्थितिकी–तंत्र के बचाव की समस्या का 'पर्यटकों अथवा तीर्थयात्रियों, के दृष्टिकोण से अध्ययन किया है और यह देखने के लिए कि न केवल उनका संरक्षण किया जाए बल्कि उन्हें और संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाए ताकि कुछ और कार्य इस दिशा में हो। क्या इस दिशा में प्रभावी कदम उठाया गया है।

यदि मैं गलत नहीं हूं तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि 300 करोड़ रुपए का योजना राशि उपलब्ध था। परन्तु इस योजना राशि का 70 प्रतिशत धन मीडिया पर विज्ञापन के लिए किया गया और 20 प्रतिशत धन भी विकासात्मक कियाकलापों में खर्च नहीं किया गया। यदि पर्यटन संबंधी कियाकलापों में वृद्धि करने में इस तरह का रवैया अपनाया जाता है तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्या सरकार के पास पर्यटन को बढ़ावा देने और तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के दृष्टिकोण से पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए कोई समग्र योजना है?

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, हमने चार अध्ययन किया है और पर्यावरण संबंधी बातों की देखभाल चार अभिकरणों द्वारा की जा रही है। नौंवी योजना में, भारत सरकार ने 31.46 करोड़ रुपए की लागत से 122 परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। भारत सरकार के मन में सभी पर्यटकों, चाहे वो विदेशी पर्यटक हों या भारतीय तीर्थयात्री, के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अगर हम अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को किसी तरह से पूरा कर रहे हैं तो मूलतः यह पर्यटकों को बड़े स्तर पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए है।

मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि लगभग 300 करोड़ रुपए का योजना आबंटन किया गया है। उसमें, केन्द्र सरकार का हिस्सा केवल 135 करोड़ रुपए का है और शेष राज्य सरकारों का हिस्सा है। इस 135 करोड़ में से लगभग 70 करोड़ रुपए अवसंरचरनात्मक विकास के लिए है और विज्ञापन के लिए 40 करोड़ है। मैं यह जवाब इस गरिमापूर्ण सभा में दे रहा हूं और मैं जानता हूं कि मैं यह उत्तर अनुभवी सांसद और भूतपूर्व अध्यक्ष को दे रहा हूं और इस लिए मैं पूरी जवाबदेही के साथ यह उत्तर दे रहा हूं। यह सही नहीं है कि हम ढ़ांचागत विकास पर मात्र 25 प्रतिशत और प्रोत्साहन कियाकलापों पर 75 प्रतिशत खर्च कर रहे हैं, बल्कि ढांचागत विकास पर 60 प्रतिशत से ज्यादा खर्च किया जाता है। यदि फिर भी पूरे देश में यात्री निवास और विभिन्न सुख सुविधा उपलब्ध है तो ऐसा मुख्यतः संघ सरकार के पहल के कारण ही है।

*[हिन्दी]*

**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब कोई भी विदेशी पर्यटक यहां आते हैं तो उनको पूछा जाता है कि आपका दौरा कहां–कहां है और उनके दौरे दिल्ली, आगरा, जयपुर, मुम्बई यहां तक ही होते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी का जन्मस्थल गुजरात में पोरबंदर है। उनका प्रथम आश्रम साबरमती आश्रम है। उसके साथ जो विविध मूर्ति है जिसका नाम हुआ है वह प्रमुख स्वामी महाराज का नाम हुआ है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर वहां बने हैं। इनका प्रथम मंदिर गजना में बना है और जैनों का तीर्थस्थल पलिताना है। इसी तरह से शेर के लिए प्रख्यात जेनबाड़ की झाड़ी है जहां शेर ज्यादा होते हैं। उसी तरह द्वीप के अंदर बीच, जो मुम्बई की तरह अच्छा बीच है। इसके अलावा द्वारिका में भगवान श्रीकृष्ण हैं। इतनी सारी सुविधाएं गुजरात में होते हुए भी पर्यटन विभाग की ओर से गुजरात के विकास के लिए जो सहायता देनी चाहिए, वह नहीं दी गई है। इसलिए गुजरात इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी इस सहायता राशि से वंचित रहा है। क्या सरकार इस नई पंचवर्षीय योजना के अंदर गुजरात को कुछ धनराशि पर्यटन के विकास की दृष्टि से देने के लिए विचार कर रही है?

**श्री अनंत कुमार** : यह सही नहीं है कि गुजरात ट्यूरिजम डैवलपमेंट फंड से वंचित है।

*[अनुवाद]*

दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य पारिस्थितिकीय पर्यटन से नीतिपरक पर्यटन तक की बात कह गए हैं। इसे भी उचित प्राथमिकता दी जाएगी।

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय** : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दार्जलिंग का जिक किया है, कश्मीर का भ्रमण करने वाले पर्यटक अब पूरी तरह सहमे हुए हैं, दार्जलिंग को पहाड़ों की रानी के रूप में जाना जाता है और अब वहां पूरी तरह अमन–चैन है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न प्रकृति–सुभेल पर्यटन से संबंधित है,

**श्री सुदीप बंद्योपाध्याय** : महोदय, मुझे मालूम है, माननीय मंत्री जी ने दार्जलिंग का जिक किया है और वह इस पर प्रकृति सुभेल पर्यटक स्थल के रूप में विचार कर रहे हैं, विश्व–पर्यटन मानचित्र में दार्जलिंग को शामिल नहीं किया गया है। वहां पर्यटन स्थिर है, यदि इसे विश्व पर्यटन मानचित्र में शामिल किया जाता तो पर्यटकों को पता चलता कि पहाड़ों की रानी के रूप में जाना जाने वाला दार्जलिंग भी एक पर्यटन स्थल है।

वहां सुन्दरवन हैं, जहां प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते है, अफ्रीका में लॉयनस सफारी है, महोदय सुन्दरवन के रॉयल बंगाल टाइगर्स विश्व प्रसिद्ध वन्य जीव हैं। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि टाइगर्स सफारी के अतिरिक्त वहां भी प्रकृति सुभेल पर्यटन के अनुसार लॉयन सफारी क्यों नहीं स्थापित की जा सकती है।

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, सर्वप्रथम, दार्जलिंग में तो पहले से ही पर्यटक घूमने जाते है, जो कोई भी भारत आता है और वह किसी सुन्दर पहाड़ी स्थान में जाना चाहता है तो वह या तो कुल्लू मनाली, दार्जलिंग जाएगा या तो ऊटी, दूसरा यह है कि सुन्दरवन को टाइगर्स सफारी के रूप में विकसित किया जा रहा है और हम इस बारे में अध्ययन करेगें कि वहां लायन सफारी भी हो।

*[हिन्दी]*

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, एक तो दुर्भाग्य यह है कि इको–ट्यूरिजम और सामान्य ट्यूरिजम के बीच हम कम अंतर कर पा रहे है, दूसरा दुर्भाग्य यह है ....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, इसमें किसी भी तरह की गलत–फहमी नहीं होनी चाहिए, प्रकृति सुभेल–पर्यटन ईश्वर द्वारा या प्रकृति निर्मित गंतव्य स्थान और अन्य पर्यटक स्थल मानव निर्मित स्थल है जो कि पुरातत्व विज्ञानों आदि से संबंधित है, यह स्पष्ट अन्तर इनमें है।

*[हिन्दी]*

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** : मैं यह कहने जा रहा था कि दूसरा दुर्भाग्य यह है कि पर्यटन विभाग से जब हम अपेक्षा करते हैं कि ट्यूरिजम चाहे इको ट्यूरिजम हो या सामान्य ट्यूरिजम हो, इसे विकसित करें। दरअसल ट्यूरिजम विभाग के पास एपरेटस ही नहीं है, उसे विभिन्न विभागों से समन्वय बनाना पड़ता है तब जाकर इन योजनाओं को गति दी जा सकती है। इको–ट्यूरिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण कम्पोनेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। इस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत सारे नेशनल पार्क पूरे देश में हैं। दुर्भाग्य से हम लोग आज भी पुरानी सोच पर जा रहे हैं। सोच यह है कि हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं। कंजर्वेशन में मॉडर्न कंसैप्ट बदल चुका है। अब कंजर्वेशन यह हो गया है कि किस इको सिस्टम के अंदर किस वर्ग के वन्य प्राणी हरबीवोरस कितने होने चाहिए, कार्निवोरस कितने होने चाहिए ताकि वे एक दूसरे को सस्टेन कर सकें, प्रकृति उनको सस्टेन कर सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि टूरिज्म विभाग ने, फारैस्ट विभाग सीधे तौर पर इसको देखता है, क्या इस संबंध में जो मार्डन कान्सैप्ट अफ्रीका या अन्य देशों में लागू किया गया है, उसके बारे में कोई कोआर्डिनेशन किया है, कोई नीति विकसित की है या उनसे बातचीत करके प्राथमिकतायें निर्धारित की हैं, या कोई दिशा व कार्यक्रम बनाया है?

*[अनुवाद]*

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, मैं इस बारे में माननीय सदस्य की चिंता को समझता हूं, प्रकृति–सुभेल पर्यटन के बारे में केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के साथ–साथ संबंधित राज्य सरकारों के पर्यटन मंत्रालयों और पर्यावरण मंत्रालय के बीच सक्रिय वार्ता हुई है। चूंकि प्रकृति सुभेल–पर्यटन अन्य पर्यटनों के समान नहीं है, इसलिए हमें पारिस्थितिक सन्तुलन और पारिस्थितिक समृद्धि को संरक्षित, परिरक्षित और समृद्ध करना है, इसलिए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ–साथ पर्यावरण विभाग की सहायता से सभी राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों–कारबेट से लेकर रणथम्बोर, भरतपुर से सरिसका तथा गिर– का अध्ययन किया है कि किसी अभयारण्य की दर्शक क्षमता कितनी है तथा उस गंतव्य स्थल की दर्शक क्षमता कितनी होनी चाहिए क्योंकि इन स्थलों को लाखों पर्यटकों के लिए खोलकर हम इनमें और उनके पारिस्थितिक–चक्र में असन्तुलन पैदा नहीं कर सकते, इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, वास्तव में पिछले एक दशक में प्रकृति सुभेल पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ रही है और इस पर अध्ययन किए जा रहे हैं, प्रत्येक गंतव्य स्थल की दर्शक क्षमता पर विचार करने के उपरान्त ही हम इष्टतम संख्या में पर्यटकों को वहां जाने की अनुमति दे रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी** : महोदय, इस बारे में अलग से पत्र लिखूंगा, आप इसकी जांच करवायें।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी, चूंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए अध्यक्षपीठ को भी कुछ कहना है।

पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए हमारे देश में अत्याधिक क्षमता है, इस बारे में सामान्य धारणा है कि इस सम्भाव्यता के दोहन के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में रोजगार की भी भारी सम्भावनाएं हैं। यद्यपि केन्द्र और राज्य सरकारें कार्रवाई योजना बनाती रही हैं लेकिन आशातीत परिणाम अभी मिलने बाकी है, मुझे आशा है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें, दोनों ही इस क्षेत्र को गम्भीरता से लेंगी, अन्यथा गंवाए गए अवसरों की कड़ी में यह भी जुड़ जाएगा।

**श्री अनंत कुमार** : महोदय, मैं आपसे सहमत हूं।

*[हिन्दी]*

**गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां**

+

*182. **श्री सुकदेव पासवान :**

**श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के पास बैंक-वार कुल कितनी धनराशि की गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां थीं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन बैंकों द्वारा बैंकवार कितनी धनराशि की गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों की वसूली की गई या उन्हें बट्टे खाते में डाला गया;

(ग) क्या सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को बड़े चूककर्ताओं के विरुद्ध बकाया देनदारियों को सितम्बर, 2000 तक निपटाने अथवा उनके विरूद्ध मुकदमा दायर करने के लिए कोई निदेश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार बैंक ऋण चूककर्ताओं की सम्पत्तियों को जब्त करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अशोध्य ऋणों की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य-योजना तैयार की गई है?

*[अनुवाद]*

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील)** : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**विवरण**

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बैंक-वार सकल और निवल अनुपयोज्य आस्तियों को दर्शाने वाला ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर गत तीन वर्षों 1996-97, 1997-98 और 1998-99 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान वसूली गई और समझौता/बट्टे खाते डाली गई राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के बीच पूर्व में और 13 जून, 2000 को हुई चर्चाओं के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 जुलाई, 2000 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों से संबंधित देयराशियों की वसूली के लिए मार्गनिर्देश जारी किए है। मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था है कि उन मामलों में जिनमें बकाया राशि 5 करोड़ से अधिक की है और जहां पुनर्संरचना सम्भव नहीं है अथवा चूककर्ता ने एकबारगी समझौते के लिए सम्पर्क नहीं किया है, 31 अक्तूबर, 2000 तक मुकदमे दायर हो जाने चाहिए। मार्गनिर्देशों में सभी क्षेत्रों से संबंधित अनुपयोज्य आस्तियां कवर होती हैं परन्तु उनमें जानबूझकर चूक, धोखाधड़ी और दुष्करण के मामले छोड़ दिए गए हैं।

अपनी देयराशियों की वसूली के लिए बैंक विद्यमान नीति एवं दिनांक 27.7.2000 को जारी किए गए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) निर्णय से पहले चूककर्ता की सम्पत्ति/परिसम्पत्तियों की कुर्की, वसूली प्रमाण पत्र के मंजूर करने से पहले या बाद में चूककर्ताओं को किसी सम्पत्ति के लिए रिसीवर की नियुक्ति करने और वसूली को सुकर बनाने हेतु प्रतिवादी की आस्तियों की बिक्री द्वारा बैंक की देयराशियों की वसूली के लिए हाल ही में संशोधित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 में प्रावधान किए गए हैं।

**अनुबंध-I**

*सरकारी क्षेत्र के बैंक*

*31.03.2000 (अनंतिम) की स्थिति के अनुसार अग्रिमों की तुलना में एन पी ए और प्रतिशत*

(करोड़ रुपए)

| बैंकों का नाम | सकल एनपीए | कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए का प्रतिशत | निवल एन पी ए | निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एन पी ए का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 15246.29 | 14.25 | 6283.99 | 6.41 |
| स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर | 773.47 | 16.15 | 453.33 | 9.62 |
| स्टेट बैंक आफ हैदराबाद | 935.72 | 14.18 | 444.2 | 7.3 |
| स्टेट बैंक आफ इन्दौर | 318.01 | 10.8 | 214.64 | 7.55 |
| स्टेट बैंक आफ मैसूर | 549.81 | 13.89 | 301.48 | 8.12 |
| स्टेट बैंक आफ पटियाला | 669.53 | 10.99 | 351.8 | 6.09 |
| स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र | 469.39 | 13.71 | 251.45 | 6.77 |
| स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर | 811.08 | 14.43 | 451.66 | 8.58 |
| स्टेट बैंक समूह का कुल जोड़ | 19773.3 | 14.08 | 8752.55 | 7.69 |
| इलाहाबाद बैंक | 1694.16 | 19.14 | 1002.78 | 12.24 |
| आन्ध्रा बैंक | 456.78 | 7.83 | 193.6 | 3.47 |
| बैंक आफ बड़ौदा | 3897.22 | 14.73 | 1663.00 | 6.98 |
| बैंक आफ इंडिया | 3462.88 | 12.9 | 2202.49 | 8,61 |
| बैंक आफ महाराष्ट्र | 716.79 | 12.65 | 370.48 | 6.97 |
| केनरा बैंक * | 2596.08 | 10.42 | 1243.76 | 5.26 |
| सेंट्रल बैंक आफ इंडिया | 2842.67 | 16.63 | 1555.45 | 9.84 |
| कार्पोरेशन बैंक | 433.03 | 5.39 | 148.80 | 1.92 |
| देना बैंक | 1399.6 | 18.15 | 963.11 | 13.48 |
| इंडियन बैंक | 3355.00 | 32.77 | 1327.00 | 16.18 |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 1622.79 | 13.18 | 885.37 | 7.85 |
| ओरियंटल बैंक आफ कामॅर्स | 527.51 | 5.5 | 336.42 | 3.61 |
| पंजाब एंड सिंध बैंक (&) | 729.88 | 14.38 | 416.17 | 8.74 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 3126.77 | 13.19 | 1916.95 | 8.52 |
| सिंडिकेट बैंक | 992.15 | 7.74 | 386.72 | 3.17 |
| यूको बैंक | 1651.41 | 18.79 | 683.88 | 8,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| यूनियन बैंक आफ इंडिया | 1001.20 | 12.27 | 1164.28 | 7.97 |
| यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया | 1520.00 | 27.60 | 578.00 | 12.7 |
| विजया बैंक | 567.19 | 11.52 | 309.97 | 6.64 |
| कुल राष्ट्रीयकृत बैंक | 33473.11 | 13.97 | 17368.23 | 7.75 |
| कुल सरकारी क्षेत्र के बैंक | 53246.41 | 14.01 | 26120.78 | 7.39 |

(*) केनरा बैंक ने सूचित किया है कि 31-3-2000 की स्थिति के अनुसार सकल एनपीए, प्रधान कार्यालय में तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई राशि का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि से कम कर दी गई है। 3-3-99 की स्थिति के अनुसार सकल एनपीए 4072.66 करोड़ रुपए है।

& वर्ष के दौरान सकल एनपीए में ब्याज, उचंत खाते के पलटकर सकल एनपीए में कमी आई।

(%) निवल एनपीए और अग्रिमों के आंकड़े उपलब्धता के अनुसार हैं और अंतिम नहीं हैं।

**अनुबंध-II**

*वर्ष 1997–98 और 1998–99 के लिए समझौता/बट्टे खाते डाली गई और वसूली के माध्यम से एन पी ए में कमी*

| बैंक का नाम | 1996–97 | | 1997–98 | | 1998–99 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | समझौता/ बट्टे–खाते | वसूली | समझौता/ बट्टे–खाते | वसूली | समझौता/ बट्टे–खाते | वसूली |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| भारतीय स्टेट बैंक | 246.00 | 929.00 | 667.00 | 1153.00 | 426.51 | 902.33 |
| स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर | 26.45 | 54.98 | 59.66 | 62.55 | 29.06 | 53.69 |
| स्टेट बैंक आफ हैदराबाद | 170.71 | 158.44 | 117.52 | 155.00 | 177.59 | 169.19 |
| स्टेट बैंक आफ इन्दौर | 26.02 | 31.64 | 24.52 | 42.20 | 39.12 | 36.03 |
| स्टेट बैंक आफ मैसूर | 22.80 | 47.82 | 26.15 | 39.63 | 37.64 | 42.44 |
| स्टेट बैंक आफ पटियाला | 19.62 | 39.76 | 91.78 | 13.90 | 10.63 | 31.31 |
| स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र | 7.04 | 31.05 | 18.69 | 35.06 | 20.46 | 40.48 |
| स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर | 41.61 | 54.03 | 39.13 | 60.28 | 116.41 | 49.43 |
| स्टेट बैंक समूह का कुल जोड़ | 560.25 | 1346.72 | 1044.45 | 1561.62 | 857.42 | 1324.90 |
| इलाहाबाद बैंक | 43.00 | 69.00 | 115.78 | 62.48 | 129.86 | 80.68 |
| आन्ध्रा बैंक | 33.46 | 10.68 | 81.44 | 28.20 | 25.33 | 21.16 |
| बैंक आफ बड़ौदा | 207.51 | 353.55 | 419.00 | 416.00 | 22.00 | 456.00 |
| बैंक आफ इंडिया | 258.00 | 344.00 | 310.00 | 388.00 | 299.00 | 261.00 |
| बैंक आफ महाराष्ट्र | 48.73 | 71.99 | 128.37 | 68.70 | 124.45 | 73.63 |
| केनरा बैंक | 51.18 | 369.00 | 156.00 | 426.00 | 202.96 | 383.66 |
| सेंट्रल बैंक आफ इंडिया | 157.00 | 220.00 | 147.00 | 162.00 | 244.80 | 234.48 |
| कार्पोरेशन बैंक | 7.89 | 21.81 | 21.56 | 38.69 | 3.99 | 33.63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| देना बैंक | 59.08 | 86.49 | 67.00 | 85.00 | 74.41 | 104.51 |
| इंडियन बैंक | 41.00 | 362.00 | 23.37 | 159.04 | 69.19 | 62.23 |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 416.00 | 381.00 | 268.00 | 160.00 | 74.00 | 108.00 |
| ओरियंटल बैंक आफ कामर्स | 16.29 | 83.30 | 61.08 | 64.90 | 80.39 | 71.87 |
| पंजाब एंड सिंध बैंक | 22.91 | 76.92 | 97.28 | 63.90 | 122.09 | 64.95 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 158.82 | 303.51 | 386.00 | 226.00 | 237.09 | 245.19 |
| सिंडिकेट बैंक | 58.79 | 191.68 | 102.24 | 161.44 | 75.73 | 135.87 |
| यूको बैंक | 214.35 | 123.48 | 176.33 | 180.66 | 163.85 | 149.44 |
| यूनियन बैंक आफ इंडिया | 30.01 | 231.85 | 16.47 | 167.49 | 63.63 | 204.05 |
| यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया | 54.00 | 76.00 | 12.00 | 75.00 | 7.96 | 84.17 |
| विजया बैंक | 20.02 | 80.02 | 28.17 | 60.45 | 65.53 | 50.60 |
| कुल राष्ट्रीयकृत बैंक | 1904.04 | 3456.28 | 2617.09 | 2993.95 | 2086.26 | 2825.12 |
| कुल सरकारी क्षेत्र के बैंक | 2464.29 | 4803.00 | 3661.54 | 4555.57 | 2943.68 | 4150.02 |

*[हिन्दी]*

**श्री सुकदेव पासवान** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब सभा पटल पर रखा है, उसमें मेरे प्रश्न का जवाब आना चाहिए, लेकिन उसमें जवाब नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक करोड़ से 249 करोड़ रुपए में एनपीए की संख्या कितनी है और पब्लिक सैक्टर में जो ऋण दिया हुआ है, उसमें जो डिफाल्टर हैं, उनके बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

**श्री यशवंत सिन्हा** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर यथाशक्ति मैंने देने का प्रयास किया है। प्रश्न के उत्तर में दो एनैक्शर लगे हुए हैं, जिसमें जानकारी दी गई है कि प्रत्येक बैंक का कितना एनपीए है। जहां तक आपने पूछा है कि पब्लिक सैक्टर में कितना है और अन्य का कितना है, मैं इस संबंध में दो आंकड़े रखना चाहता हूं। एमाउन्टवाइज एनपीए कितना है और उनका प्रतिशत पूरे का कितना है। 25 हजार तक एनपीए 9.95 प्रतिशत है और 25 हजार से दस लाख तक एनपीए 20.54 प्रतिशत है। दस लाख से 50 लाख का एनपीए 10.06 प्रतिशत, 50 से एक करोड़ तक का 6.84 प्रतिशत, एक करोड़ से दस करोड़ का 27.10 प्रतिशत, दस करोड़ से 50 करोड़ तक का 19.37 प्रतिशत, 50 करोड़ से सौ करोड़ तक का 3.44 प्रतिशत और सौ करोड़ से ऊपर का 2.71 प्रतिशत है, यह 31 मार्च, 1999 तक के कुल गैर–निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों से संबंधित है, और इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र का भाग लगभग 1495 करोड़ रुपये होगा, जो कि कुल गैर–निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों का 2.89 प्रतिशत है।

**श्री सुकदेव पासवान** : अध्यक्ष महोदय, पांच करोड़ तक का जो एनपीए है, उनको कर्ज मुक्त करने की आपकी जो नीति है, इससे आप क्या संकेत देना चाहते हैं। जो भी पूंजीपति है, वित्तीय संस्था द्वारा ऋण लेकर जो एनपीए बनाया है और जैसा कि आपने बताया है, उससे देश में या पब्लिक में ऐसे संकेत जा रहे हैं कि एनपीए बना कर अरबों–अरब रुपया देश का बर्बाद हो रहा है। इसके लिए सरकार ऐसी कौन सी कार्यवाही कर रही है, जो अरबों–अरब रुपया बैंक का लॉस हो रहा है। उसे लेने में आपको क्या कठिनाई हो रही है। दूसरा मेरा कहना यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं चल रही है, उनमें कितनी राशि एनपीए की है और देश के बड़े–बड़े उद्योगपतियों के पास एनपीए की कितनी राशि है, यह बताने का कष्ट करें?

**श्री यशवंत सिन्हा** : महोदय, अभी मैंने जो आंकड़े सदन के समक्ष रखे हैं, उसका उद्देश्य यही था कि विभिन्न राशियों के तहत सारा एनपीए किस प्रकार बंटा हुआ है। मैं अगर बहुत मोटे–मोटे ढंग से इस सदन में रखूं तो पांच करोड़ तक के एनपीए करीब–करीब 63 प्रतिशत हैं और पांच करोड़ से ऊपर तक के करीब 37 प्रतिशत है। हम जो संदेश एकाउंट होल्डर्स और देश की जनता को देना चाहते हैं, वह स्पष्ट संदेश यह है कि जो छोटे–छोटे ऋण लेने वाले लोग हैं, बिलकुल डिफाल्टर और फ्रॉड को छोड़कर, उनके साथ हम

सेटलमेंट करने को तैयार हैं, जिसके बारे में रिजर्व बैंक ने 27 जुलाई को एक नया मार्गदर्शक आदेश सारे बैंकों को दिया है। उसके ऊपर जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने बड़ी राशि ले ली है और वे उसे वापस नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे हम बहुत मजबूती के साथ लगेंगे तथा कानून के तहत जितनी कार्यवाही करनी होगी वह करेगें ताकि बैंकों के पैसे वापस आ सकें। .....*(व्यवधान)*

**श्री सुखदेव पासवान (अररिया)** : आपको डिफाल्टर की सूची जारी करने में क्या कठिनाई है?

**श्री यशवंत सिन्हा** : हमारी कठिनाई यही है, हमने बार-बार सदन में कहा है। पिछली बार भी जब बजट पर चर्चा हो रही थी तो मैंने बताया था कि एक करोड़ से ऊपर की जो राशि होती है, जिसके बारे में बैंकों ने डीआरटी में केस किया हुआ है, उसकी सारी सूचना हर 31 मार्च को बैंकों द्वारा पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रख दी जाती है। इस देश में जो बैंकिग कानून है उसके तहत हमारे ऊपर बंदिश है, हम सारे लोगों का नाम उस समय तक डिसक्लोज नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनके ऊपर केस न हो जाए। अब हमने जो रिजर्व बैंक में आदेश दिया है उसके तहत हर केस में हर एकाउंटर के ऊपर केस होगा और वे सारी सूचना देश की जनता के सामने आएगी।

*[अनुवाद]*

**श्री. एम. वी. वी. एस मूर्ति** : देश की सम्पत्ति से जुड़ा यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, ये गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है और बैंक फिर ऋण का सहारा लेते जा रहे हैं; भारतीय स्टेट बैंक 1500 करोड़ रुपयों के उन गौण ऋणों से बाजार में उतरना चाहता है जिनके बारे में वह समाश्वस्त नहीं है, क्योंकि मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार यदि गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों की वसूली हो रही हो तो बैंकों को दुबारा गौण ऋणों को देने की आवश्यकता नहीं है।

पिछले, 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के वर्षों में वसूली-प्रणाली के तहत लगभग 13,500 करोड़ रुपये वसूल किए गए और लगभग 8000 करोड़ रुपये की राशि बट्टे खाते में डाली गई। इसका तात्पर्य हुआ कि 35 प्रतिशत बट्टे खाते में और लगभग 65 प्रतिशत की वसूली हुई।

नए मार्गदर्शी सिद्धांत वर्ष 1997 मार्च तक की वसूली के लिए जारी किए गए हैं उसके उपरान्त के ऋणों के लिए नहीं। इसलिए इसका अर्थ हुआ कि जो मार्गदर्शी सिद्धांत भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किए हैं वे 31 मार्च, 1997 तक के ऋणों की वसूली के लिए ही जारी किए गए हैं और ये सिद्धांत वर्ष 1997 से 2000 तक के बाद वाले ऋणों पर लागू नहीं होंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया, अब अनुपूरक प्रश्न पर आएं।

**श्री एम. वी. वी. एस मूर्ति** : मैं इसी पर आ रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

इसलिए, आज जो कुछ भी गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां हमारे पास हैं वे लगभग 53246 करोड़ के बराबर हैं और ये आंकड़े भी 1997 तक के नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार इन्हीं मार्गदर्शी सिद्धांतों को 31 मार्च 2000 तक के 5 करोड़ ऋण सीमा के इन सभी ऋणों पर लागू करेगी, यदि हां तो अगले छः माह में कितनी वसूली होने की आशा है, इसमें से दो तिहाई लगभग 38,000 करोड़ रुपया हो सकता है। यदि ऐसा हुआ तो बैंक का वित्तीयन सुधरेगा। क्या मंत्रालय ऐसा करने के लिए कदम उठा रहा है?

**श्री यशवंत सिन्हा** : इसमें कोई संदेह नहीं है कि बैंकों के लाभांजन पर गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। हम इस समस्या से पूरी तरह अवगत हैं और यही कारण है कि गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों को कम करने के लिए हमने निश्चित कदम उठाने का निर्णय किया है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस देश में पहली बार 1992 में गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों की पहचान करने और उनके निपटान के प्रश्न को उठाया गया। हमारे पास 1993 से आंकड़े है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ये आंकड़े बताते हैं कि प्रतिशत मियाद के रूप में वृद्धि और शुद्ध गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां दोनों ही गिर रही हैं जबकि निरपेक्ष मियाद में गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसलिए यह समस्या पूरी तरह से नियंत्रण में है, यह बढ़ने वाली समस्या नहीं है, यह तो एक बात हुई।

इसलिए यह बात ठीक है कि गैर-निष्पादनकारी सम्पत्तियां बढ़ रही हैं लेकिन यह वृद्धि मात्रा में है और यदि मैं अन्य आंकड़ों का यहां उल्लेख करूं तो पिछले छः वर्षों में बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम राशि में 92.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि गैर-निष्पादनकारी सम्पत्तियों में यह वृद्धि मात्र 31.74 प्रतिशत रही है।

माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया अन्य मामला भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 27 जुलाई 2000 को जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के संबंध में है। जहां तक इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का संबंध है उनमें स्पष्ट उल्लेख है कि 31 मार्च, 1997 तक की गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों को जहां हैं जैसी हैं के आधार पर जो कुछ भी देय है उसे निपटाया जाएगा। यदि कोई वह राशि देने के लिए तैयार है तो उसका मामला निपटाया जाएगा।

लेकिन जहां तक 31.3.1997 के बाद की गैर निष्पादनकारी

परिसम्पत्तियों का संबंध है तो इस बारे में इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि इस तिथि के बाद उप मानक की परिसम्पत्तियां संदेहास्पद या हानिकारक परिसम्पत्तियों में परिणित हो जाती हैं तो उन्हें भी निपटाया जाएगा। इसमें केवल अंतर है कि 31 मार्च, 1997 के बाद के मामलों में बैंक उनके पी.एल.आर पर ब्याज दर लगाएंगे और अब उनका भी निपटारा कर सकेंगे। लेकिन यहां मैं इस बात पर जोर देकर बताना चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक को ये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने की क्यों जरूरी थी, यह इसलिए आवश्यक था क्योंकि हमने देखा कि बैंकरों में निपटान के प्रश्न में भय के कारण भटकाव की स्थिति बनी हुई थी, यह स्थिति इसलिए थी कि यदि बैंक इसका निपटान कर लेते हैं तो प्रश्न उठता है कि यह निपटान ठीक तरीके से किया भी गया है या नहीं। अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे अनुपालनीय और समतामूलक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है और ये सिद्धान्त बैंकों को जितना भी वे निपटान कर सकें, उन्हें ऐसे करने में सक्षम बनाएगें।

इंडियन बैंकर्स, एसोशिएसन ने 13 जून को सभी बैंकों के अध्यक्षों की बैठक आयोजित की जिसमें मैं भी शामिल हुआ। मैंने उस बैठक में कहा था कि 5 करोड़ रुपए से अधिक राशि के सभी ऋणों की वसूली के संबंध में की गई कार्रवाई के पर्यवेक्षण के लिए मैं प्रत्येक बैंक के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराऊंगा। हमने उन्हें 30 सितम्बर 2000 तक का समय दिया है और इसके बाद मैं एक बैठक बुलाऊंगा जिसमें इस संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। लेकिन गैर–निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों के प्रत्येक मामले में लेखों का जोर शोर से अवलोकन किया जा रहा है क्योंकि बैंकों की गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों की समस्या का समाधान मैं हमेशा के लिए एक ही बार में करना चाहता हूं।.... *(व्यवधान)*

**श्री एम.वी.वी.एस मूर्ति**: बैंकों द्वारा किए जाने वाले गौण ऋणों के बारे में आपका क्या विचार है ? ....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मूर्ति, उन्होंने विस्तृत ब्यौरा पेश कर दिया है।

....*(व्यवधान)*

**श्री श्रीपाद येस्सो नाईक (पणजी)** : अध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन्स के मुताबिक एन. पी. ए. एकाउन्ट का परसैंटेज बैंकों को दिया है। मेरे ख्याल से वह 15 परसैंट है। हमारे गोवा में कई बैंकों का 30 परसैंट से ऊपर एन.पी.ए. एकाउन्ट है। जिन बैंकों ने 15 परसैंट क्रॉस किया है, आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया?

**श्री यशवंत सिन्हा** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो उत्तर दिया, वह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बारे में है। यही आप एनैक्सचर 1 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देखें तो किसी का 30 परसैंट नहीं है। यदि माननीय सदस्य की मंशा या इशारा कोआपरेटिव बैंक के बारे में है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में अलग से समिति बनी थी। उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है। उस पर अलग से विचार होगा।

*[अनुवाद]*

**श्री पवन कुमार बंसल** : महोदय, गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों का यह शब्द वास्तव में अशोध्य ऋणों का ही दूसरा नाम है जिसके पीछे कई कारण विद्यमान हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं इनमें से कुछ कारण वास्तविक हैं। लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं उल्लेख किया है उसके अलावा भी जानबूझ कर की गई चूक धोखाधड़ी और बदनियती से उत्पन्न अन्य कारण भी इससे जुड़े हैं। राशियों के भुगतान में वास्तविक विलम्ब के कारण जिसमें व्यवसाय की असफलता भी शामिल है, के मामलों में लेखों के निपटान के लिए उठाए जा रहे कदमों का हम सभी स्वागत करते हैं लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन मामलों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिनका कारण विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों की दुष्प्रेरणा रही है और जिनमें त्रुटि, लाभदायक त्रुटि तथा बदनियती आदि शामिल है, और इन मामलों में क्या कार्रवाई की गई है?

**श्री यशवंत सिन्हा** : मैं मानता हूं कि इलाज से परहेज भला। अतः साख मूल्यांकन के संबंध में, अनुवर्तन के संबंध में, समय पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने कई निदेश जारी किए हैं ताकि स्थिति ठीक–ठाक चलती रहे।

मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है उस पर बैंक प्रबंधन की निरन्तर बारीकी से जांच कर रही है। जहां भी हमें पता चलता है कि बैंक कर्मचारी झूठे मामले में लिप्त है या अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर ऋण स्वीकार कर रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन, जैसा कि मैंने अभी–अभी कहा कि हमें सन्तुलन बनाए रखने की आवश्यकता है और हमें भूसे में से अनाज अलग करने की आवश्यकता है और हमें, बैंकों को उनके कार्यों के प्रति प्रोत्साहित भी करना है। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक आगे बढ़कर केवल अपराधियों का पता लगाकर उन्हें ही सजा देनी होगी, यह प्रयास निरन्तर रूप से सभी बैंकों में चल रहा है।

**श्री सुनील खां** : महोदय, जिस तरह से सरकार ने विनिवेश के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है उस बारे में एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं माननीय मंत्री जी से

जानना चाहता हूं कि वर्ष 2000–2001 में गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों की वसूली के लिए उन्होंने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? यह मेरे प्रश्न का भाग (क) भाग है मेरे प्रश्न का भाग (ख) है कि यदि भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों से विभिन्न बैंकों के देय 31 अक्तूबर, 2000 तक वसूल नहीं हो पाते तो क्या सरकार इन बड़े व्यावसायिक घरानों के विरुद्ध मुकदमें दायर करने का साहस कर सकेगी? मेरे प्रश्न के ये ही दो विशिष्ट भाग हैं।

**श्री यशवंत सिन्हा** : महोदय, इस तरह का कोई भी लक्ष्य इसलिए निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि मैंने अभी–अभी सभा को बताया था कि सरकार का इरादा और प्रयास पूरी गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों की वसूली करना और उनका निपटारा करना है। प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में मेरा कहना है कि बैंकों में फिक्की बार, सी. सी. आई. बार या एसोचेम बार अलग–अलग खाते नहीं रखे जाते हैं। लेकिन मैं आश्वस्त होकर कहना चाहता हूं और मैं इस बात को यहां दोहराना भी चाहूंगा कि चाहे कोई कितना भी ऊंचा और शक्तिशाली क्यों न हो सरकार इस पूरे प्रकरण का निपटारा निष्ठा से करेगी। हमारी नजर हर एक पर है और किसी को भी इस बारे में सन्देह नहीं होना चाहिए कि ऊंची पहुंचवाले और शक्तिशाली लोग भी कानून की कार्रवाई से बच सकते हैं। हम सभी दोषियों के प्रति जो भी कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो करेगें विशेष रूप से जानबूझ कर दोषी बनने वालों के खिलाफ और सुनिश्चित करेगें कि उनसे वसूली हो सके।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु, आपका अनुपूरक प्रश्न एकदम स्पष्ट होना चाहिए अन्यथा आपको उत्तर नहीं मिल पाएगा।

*.....(व्यवधान)*

**प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : अध्यक्ष महोदय, महोदय कृषि क्षेत्र में गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों का अलग मुद्दा है। औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में कृषि क्षेत्र में यह अत्यन्त कम है। जहां तक ओ. टी. एस का संबंध है तो यह कृषि क्षेत्र में उचित रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। चूंकि समय कम है इसलिए मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या बैंक कृषि क्षेत्र में गैर–निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों को भी गम्भीरता पूर्वक लेने जा रहे हैं और क्या बैंक उन गैर–निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों को माफ करने के लिए कोई सूत्र अपना रहे हैं जो कि प्राकृतिक विपदाओं के चलते लगातार तीन वर्षों से चल रहे हैं? क्योंकि जो लोग कृषि क्षेत्र में है उनकी ऋण लेने की क्षमता निरन्तर घटती जा रही है इसलिए उन मामलों में जहां गलती जानबूझकर नहीं की जा रही है उन में बैंक इन गैर–निष्पादन कृषि परिसम्पत्तियों को उसी तरह से माफ करेगें जैसे कि वे औद्योगिक क्षेत्र में कर रहे हैं।

**मध्याह्न 12.00 बजे**

**श्री यशवंत सिन्हा** : महोदय, जैसा कि मैंने कहा है, कि इन परिसम्पत्तियों के आंकड़े प्राथमिकता क्षेत्रवार, गैर–प्राथमिकता क्षेत्रवार, तथा सार्वजनिक क्षेत्र वार तैयार किए जाते हैं। जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है, मैं इस सभा को विश्वास में लेकर कहना चाहता हूं कि 10 लाख तक के ऋणों के निपटान करने के लिए लोक अदालतों के गठन के लिए मैं अलग से मुख्य न्यायाधीश के सम्पर्क में हूं, ये अदालतें सामान्यतः सभी प्रकार के कृषि ऋणों के मामलों को देखेंगी और हम इन मामलों को लोक अदालत के माध्यम से ही निपटान करने की कोशिश करेगें।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

*[हिन्दी]*

### त्वरित कार्रवाई प्रकोष्ठ

*183. **डा. अशोक पटेल :**

**श्री रामपाल सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहित प्रमुख महानगरों में आयकर दाताओं को आयकर के रूप में उनके द्वारा देय राशि से अधिक दी गई धनराशि का वापसी भुगतान करने और उनकी समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए 'त्वरित कार्रवाई प्रकोष्ठ' स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यह प्रकोष्ठ किन–किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार)** : (क) से (ग) आयकर विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए नीति के एक भाग के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि व्यष्टि एवं निगमित करदाताओं की अत्यावश्यक एवं गम्भीर समस्याओं को विभाग की जानकारी में लाने के लिए केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्य करने हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया जाए। दिनांक 1.8.2000 से दिल्ली में इस योजना को पहले ही लागू कर दिया गया है और इस योजना को अन्य क्षेत्रों में यथा समय पर लागू किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ को 'हैल्पलाइन–आयकर' के रूप में नामोदिद्ष्ट किया गया है और यह प्रकोष्ठ आयकर आयुक्त के पर्यवेक्षणाधीन होगा। यह धावापतियों जिसके निपटान के लिए पहले से ही उपाय मौजूद हैं, सहित दैनिक मामलों के निपटान के लिए नहीं है।

*[अनुवाद]*

**परियोजनाओं को आई. डी. एफ. सी. सहायता**

*184. **श्री रतन लाल कटारिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई. डी. एफ. सी. द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितनी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता हेतु अनुमोदित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए दी गई वित्तीय सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये परियोजनाएं अपने पूरे किये जाने के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) आई डी एफ सी ने 31 मार्च, 2000 तक अब तक 34 परियोजनाएं मंजूर की हैं और इन परियोजनाओं के लिए 3843 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता अनुमोदित की है। मंजूर की गई परियोजनाओं तथा अनुमोदित वित्तीय सहायता से संबंधित वर्षवार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

| वर्ष | मंजूर की गई परियोजनाएं | स्वीकृत राशियां (करोड़ रु.) |
|---|---|---|
| 1997–98 | 2 | 295 |
| 1998–99 | 12 | 1682 |
| 1999–2000 | 20 | 1866 |
| कुल | 34 | 3843 |

(ग) से (ङ) आई डी एफ सी द्वारा मंजूर की गई 34 परियोजनाओं में से 24 परिचालन में हैं या कियान्वयनाधीन हैं। कुछ परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे नहीं बढ़ रही हैं जिनके कारण, अन्य बातों के साथ–साथ ये हैं; (i) इक्विटी की व्यवस्था करने सहित वित्त पोषण के साधनों में तालमेल बिठाने में कंपनियों की असमर्थता के कारण वित्तीय समापन प्राप्त नहीं किया जा सका है, (ii) प्रलेखीकरण और संवितरण के लिए अनिवार्य अपेक्षित शर्तों के अनुपालन में असफलता (iii) क्षेत्र की अपेक्षाओं के अनुसार परियोजना का वित्तपोषण करने के लिए अपेक्षित प्रतिभूति की व्यवस्था कर पाने में असमर्थता, और (iv) कंपनियों द्वारा न्यूनतम ब्याज दर के बारे में बातचीत का प्रयास करना।

आई डी एफ सी वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम आधार पर आधारभूत परियोजनाओं के गैर–सरकारी पूंजी प्रवाह की वृद्धि को बढ़ावा देता है। ये परियोजनाएं गैर सरकारी परियोजनाएं है और किसी खास आर्थिक कियाकलाप के वित्त पोषण या किसी परियोजना को ऋण की मंजूरी के बारे में निर्णय वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने वाणिज्यिक निर्णय तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों तथा एक्सपोजर मानदंडों के ढांचे के भीतर संबंधित बोर्डों द्वारा निर्धारित ऋण नीति के आधार पर लिया जाता है। सरकार आधारभूत ढांचे में गैर सरकारी पूंजी प्रवाह की वृद्धि के अनुकूल वातावरण तैयार किए जाने को सुकर बनाने वाले के रूप में कार्य करती है। परियोजनाओं के समय से कार्यान्वयन को सुकर बनाने और आधारभूत क्षेत्र में निजी पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के लिए किए गए कुछ उपाय ये हैं:

(क) सभी आधारभूत परियोजनाओं के लिए पन्द्रह वर्षों का एक समान कर–मुक्त, (ख) परियोजना आयात के लिए आयात शुल्क ढांचे का युक्तिकरण, (ग) बिजली मंत्री की अध्यक्षता में बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए संकट समाधान समूह गठित किया गया हैं, (घ) मसौदा बिजली बिल तैयार किया गया है और उसे राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है, (ङ) राजपथ परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण स्वीकार किए गए हैं, (च) छोटी सड़क परियोजनाओं के लिए मॉडल छूट समझौता स्वीकार किया गया है, (छ) अधिकांश मूलभूत क्षेत्रों में स्वतंत्र विनियामक ढांचा स्थापित किया गया है और इन क्षेत्रों में विद्यमान सार्वजनिक सत्ता को अधिक परिचालनगत और वाणिज्यिक स्वायत्तता मंजूर की गई है; और (ज) दूरसंचार, पत्तन और विमानपत्तनों के क्षेत्रों में सावर्जनिक क्षेत्र सेवा उपलब्ध कराने वालों के निगमीकरण के लिए कार्यक्रम।

**केन्द्र और राज्यों का राजकोषीय घाटा**

*185. **श्री माधवराव सिंधिया** :

**श्रीमती रेणुका चौधरी** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्यों दोनों का संयुक्त राजकोषीय घाटा इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी. पी.) के 10 प्रतिशत से अधिक की चिन्ताजनक स्थिति में पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के संगत आंकड़ों की दृष्टि से इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ग) राजसहायता वापस लेकर इस राजकोषीय घाटे को किस सीमा तक कम किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) कितनी राजसहायता वास्तव में उन लोगों तक पहुंचती है जिनके लिए इसे दिया जाता है और प्रत्येक मामले में मदवार कितनी राजसहायता कर तथा लेवी चुकाने, प्रतिधारण प्रभार आदि जैसे मध्यवर्ती स्तरों पर खर्च हो जाती है;

(ङ) क्या जून, 2000 में इस संबंध में प्रधान मंत्री के साथ कुछ मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी; और

(च) यदि हां, तो घाटे को कम करने के किन–किन तौर–तरीकों पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया?

**वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा)** : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केन्द्र और राज्यों का संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा 1997–98 में 7.3 प्रतिशत, 1998–99 में 9.0 प्रतिशत और 1999–2000 (संशोधित अनुमान) में 9.1 प्रतिशत है।

(ग) वर्ष 2000–01 के बजट में सब्सिडियों के लिए 22,800 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो 1999–2000 (बजट अनुमान) के लिए 23,838 करोड़ रुपए की तुलना में 4.4 प्रतिशत कम है। सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के रूप में, केन्द्र की सब्सिडियां 1999–2000 (बजट अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 प्रतिशत की तुलना में 2000–01 में 1.0 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(घ) सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहा है कि सब्सिडियां अधिकतम सीमा तक लक्षित आबादी तक पहुंचें। तथापि आर्थिक लागत, जिसके आधार पर सब्सिडियों का निर्धारिण होता है, में अन्य बातों के साथ–साथ, अधिप्राप्ति या उत्पादन की लागत, सांविधिक प्रभार (उदाहरणार्थ मंडी प्रभार, क्रय कर, आधारभूत ढांचा प्रभार, टाट शुल्क और जहां कहीं लागू हों अन्य कर) गैर–सांविधिक प्रभार (उदाहरणार्थ श्रम और परिवहन प्रभार), भंडारण और ब्याज प्रभार, वितरण लागत आदि शामिल हैं। सरकार ने व्यय सुधार आयोग से भी सब्सिडियों के बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए आगे उपाय सुझाने के लिए कहा है।

(ङ) और (च) जी, हां। विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों ने उनके राज्यों के समक्ष आ रही राजकोषीय समस्याओं पर चर्चा करने के लिए 21 जून, 2000 को प्रधान मंत्री के साथ भेंट की। प्रधानमंत्री ने यह मत व्यक्त किया कि केन्द्र और राज्य दोनों को राजकोषीय स्थिति को दुरस्त करने के लिए साहसिक कदम उठाने हेतु संयुक्त रूप से एक आम सहमति कायम करनी होगी।

**सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन**

*186. **श्री अजय चक्रवर्ती :**

**श्री राम मोहन गाड्डे :**

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन से सम्बन्धित सरकार की नीति क्या है;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के किन–किन उपक्रमों में जनवरी, 1997 से तथा इसके पूर्व से वेतन में संशोधन किया जाना लम्बित है;

(ग) क्या आर्थिक मामलों सम्बन्धी मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूर संघों को वेतन संशोधन के मामले में निश्चित अवधि का विकल्प दिए जाने के बारे में हाल ही में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मजदूर–संघों की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में न्यायमूर्ति मोहन समिति की रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है;

(छ) यदि हां, तो न्यायमूर्ति मोहन समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ज) सरकार द्वारा इनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार की गई हैं; और

(झ) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को बेहतर वेतनमान देने हेतु आगे और क्या कदम उठाए गए हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी)** : (क) और (ख) सरकार ने 14 जनवरी, 1999 के एक कार्यालय ज्ञापन में यह उल्लेख किया है कि सरकारी उद्यमों के प्रबन्धन मंजूरी संरचना के बारे में श्रमिक संघों से निम्नलिखित शर्तों पर वार्ता कर सकते हैं:–

(1) सम्बन्धित उद्यम के लाभ अर्जन एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए तथा उनके अनुसार।

(2) मंजूरी वृद्धि के लिए सरकार कोई बजटीय सहायता नहीं देगी।

(3) सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम एकाधिकारी या लगभग एकाधिकारी प्रकार के हैं या जिनका प्रचालन नियंत्रित मूल्य संरचना में किया जा रहा है, उनमें मजूरी वार्ता के परिणामस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

(4) उत्पाद की प्रति भौतिक इकाई की श्रम लागत में कोई वृद्धि नहीं होगी।

मजूरी संशोधन सम्बन्धी वार्ता करने के लिए सरकारी उद्यमों को स्वतंत्र कर दिया गया है और यह एक सतत् प्रकिया है। मजूरी वार्ताओं एवं लागू किए गए संशोधनों के विवरण का परिवीक्षण एक स्थान पर नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) अगली कार्रवाई के रूप में सरकार ने दिनांक 26 जुलाई, 2000 को दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके द्वारा औद्योगिक मंहगाई भत्ता पैटर्न द्वारा शासित सरकारी उपकमों के संघबद्ध कर्मचारियों को दो में से किसी एक विकल्प का चयन करने के लिए कहा गया है:–

(1) दिनांक 14.1.1999 को जारी दिशानिर्देशों में किए गए उल्लेख के अनुसार मजूरी संशोधन की आवधिकता 10 वर्ष तथा उसके साथ मंहगाई भत्ते का 100 प्रतिशत निष्प्रभावन अथवा

(2) ग्रेडबद्ध निष्प्रभावन के आधार पर आवधिकता 5 वर्ष, जैसाकि पहले 1.1.1992 से 31.12.1996 तक मौजूद था।

सरकारी क्षेत्र के श्रमिक संघों की समिति ने दिनांक 5.7.2000 को एक अभ्यावेदन दिया था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ मंहगाई भत्ते के पूर्ण निष्प्रभावन सहित मजूरी समझौते की अवधि पांच वर्ष रखने की मांग की गई थी।

(च) से (झ) न्यायमूर्ति मोहन समिति के विचारार्थ विषय एवं अनुशंसाएं सरकारी उपकमों के निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यकलापों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों से सम्बन्धित हैं और वे कामगारों से सम्बन्धित नहीं हैं। समिति की मुख्य अनुशंसाओं का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है। सरकार ने न्यायमूर्ति मोहन समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है और 25 जून, 1999 को आदेश जारी कर दिया गया था।

**विवरण**

समिति की मुख्य–मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:–

– प्रस्तावित वेतनमान 1.1.1997 से प्रभावी होंगे।

– कार्यपालकों के लिए अनुशंसित वेतनमान अनुसूची 'क' पदों पर 27,750–31,500 रुपए, अनुसूची 'ख' पदों पर 25,750–30,950 रुपए, अनुसूची 'ग' पदों पर 22,500–27,300 रुपए तथा अनुसूची 'घ' पदों पर 20,500–25,000 रुपए है।

– इस समिति के विचारार्थ विषयों में शामिल किए गए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए जीवनयापन लागत का 100 प्रतिशत निष्प्रभावन।

– सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए आगामी वेतन संशोधन 10 वर्ष की अवधि के पश्चात् तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन के समयानुसार होना चाहिए।

– 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पुनवर्गीकृत नगरों की सूची पर आधारित मकान किराया भत्ता।

– वेतन के अलावा कार्यपालकों को भुगतान का बढ़ता अनुपात कार्यनिष्पादन से संबंधित होना चाहिए, इस प्रकार इसमें प्रोत्साहन/हतोत्साहन भुगतान भी शामिल है। अनुलाभ तथा भत्ते मूल वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक न हों। 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक भुगतान पूरी तरह कार्यनिष्पादन से संबंधित भुगतान के रूप में होना चाहिए।

– औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंपे गए उद्यमों सहित रुग्ण उद्यमों के संबंध में वेतनमानों में संशोधन की अनुमति तभी दी जानी चाहिए यदि उपयुक्त राशि सहित नवीकरण के लिए पुनर्गठन की रणनीति योजना लागू कर दी गई है। सरकार ने जिन उद्यमों को बंद करने का निर्णय लिया है, उनके संबंध में एक उदार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की जानी चाहिए।

**औद्योगिक विकास**

***187. श्री सुशील कुमार शिंदे :**

**श्रीमती श्यामा सिंह :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 2000 के दि स्टेट्समेन में 'इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लम्प्स टू 5.5 प्रतिशत फ्रॉम 12.2 प्रतिशत' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आज तक पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में माह–वार और क्षेत्र–वार कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) क्या देश में औद्योगिक विकास दर में भारी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी भारी गिरावट के लिए उत्तरदायी कारण कौन–कौन से हैं;

(ङ) औद्योगिक विकास दर में गिरावट आने से हमारी आर्थिक स्थिति कहां तक प्रभावित हुई है;

(च) सरकार द्वारा देश की औद्योगिक विकास दर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) चालू वर्ष के दौरान, क्षेत्र–वार, क्या विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) जी हां।

(ख) औद्योगिक विकास संबंधी नवीनतम सरकारी आंकड़े मई, 2000 तक की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। 12 जुलाई, 2000 को केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी. एस. ओ.) द्वारा जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार : 1993–94=100) के फौरी अनुमानों के अनुसार, समग्र संचयी विकास दर अप्रैल–मई, 1999–2000 में 6.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल–मई, 2000–01 की अवधि के दौरान 5.6 प्रतिशत दर्ज की गई थी। क्षेत्रवार निष्पादन निम्नानुसार है:–

**औद्योगिक उत्पादन सूचकांक**

**क्षेत्रीय विकास दर**

**(पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में प्रतिशतता में परिवर्तन)**

**आधार (1993-94=100)**

| अवधि | खनन तथा उत्खनन | | विनिर्माण | | विद्युत | | समग्र | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1999–00 | 2000–01 | 1999–00 | 2000–01 | 1999–00 | 2000–01 | 1999–00 | 2000–01 |
| अप्रैल | –2.0 | 5.1 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 3.7 | 4.7 | 5.7 |
| मई | 0.3 | 2.3 | 8.9 | 5.8 | 3.3 | 5.4 | 7.6 | 5.5 |
| अप्रैल–मई | –0.9 | 3.6 | 7.1 | 5.9 | 4.7 | 4.5 | 6.2 | 5.6 |

(ग) से (च) उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अप्रैल–मई 1999–2000 में 6.2 प्रतिशत से केवल सीमांतिक रूप में गिरावट आ कर चालू वर्ष में 5.6 प्रतिशत हो गया है। समग्र विकास दर में चालू वित्तीय वर्ष के पहले 2 महीनों में औद्योगिक विकास दर में परिवर्तन के प्रभावों का अनुमान लगाया जाना बहुत जल्दबाजी की कार्रवाई होगी। सरकार द्वारा उचित समय पर आवश्यक उपाय करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र के कार्यनिष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

(छ) औद्योगिकी विकास दर के लिए योजना आयोग द्वारा नौवीं योजना में वार्षिक लक्ष्य 8.2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र का 8.2 प्रतिशत, विद्युत जनित्रण का 9.3 प्रतिशत और खनन का 7.2 प्रतिशत लक्ष्य सम्मिलित है।

**ढुलाई के दौरान खाद्यान्नों की क्षति**

*188. **श्री रघुनाथ झा** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की भंडारण गोदामों तक ढुलाई करने पर भारी व्यय होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ढुलाई के दौरान खाद्यान्नों की क्षति होती है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की क्षति होने की जानकारी सरकार के ध्यान में लाई गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस अपव्यय और खाद्यान्नों की क्षति को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार)** : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम रेल द्वारा ढुलाई करने पर औसतन प्रत्येक वर्ष लगभग 1100 करोड़ रुपये का खर्च वहन करता है। तथापि लगभग 93 प्रतिशत स्टाक का संचलन केवल रेल द्वारा किया जाता है।

(ग) जी, हां, मामूली रूप से। उपभोक्ता और भण्डारण क्षेत्रों को ढुलाई करने में, कभी-कभी ट्रांसशिपमेंट और लम्बी दूरी की ढुलाई में खाद्यान्नों की हानि हो जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल द्वारा ढुलाई करने में हानि हुए खाद्यान्नों की मात्रा निम्नानुसार है:-

(मात्रा लाख टन में)

| वर्ष | हानि हुई मात्रा | संचलन की गई मात्रा | संचलन की गई मात्रा के संबंध में प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 1996-97 | 3.47 | 265.03 | 1.31 |
| 1997-98 | 2.78 | 234.18 | 1.18 |
| 1998-99 | 2.66 | 227.27 | 1.17 |

(ङ) भारतीय खाद्य निगम ने ढुलाई में होने वाली हानियों को रोकने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) चरणबद्ध ढंग से 50 किलोग्राम की पैकिंग अपनाना।

(ii) तौल सेतु लगाना।

(iii) डिपुओं की सुरक्षा कड़ी करने, लदान/उतरान केन्द्रों पर अचानक जांच में तेजी लाने, स्टाक का नियमित सत्यापन सुनिश्चित करने आदि जैसे प्रशासनिक उपाय।

(iv) बोरियों की मशीन से सिलाई की विशेष रूप से दोहरी सिलाई को, प्रोत्साहित करना।

(v) चोरी और उठाईगिरि रोकने के लिए संवेदनशील डिपुओं पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल लगाना।

(vi) चुनिंदा रेल शीर्षों, ट्रांसशिपमेंटों और गंतव्य केन्द्रों पर विशेष स्कवाड द्वारा जांच किया जाना।

(vii) संवेदनशील केन्द्रों की पहचान करना।

(viii) बट्टे खाते डालने के मामलों में तेजी लाना और जहां कहीं जरूरत है वहां जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(ix) उन अधिकारियों को गोदामों का प्रभार न देना जिसके पूर्ववृत सन्देहास्पद है।

(x) वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक/जिला प्रबंधकों द्वारा डिपुओं और रिकार्ड की जांच किया जाना।

(xi) संयुक्त प्रबंधक (यांत्रिक) और जिला प्रबंधक द्वारा तौल-सेतुओं का निरीक्षण किया जाना।

(xii) खुले वैगनों में किए जाने वाले संचलन में यथा-संभव सीमा तक कमी लाना।

(xiii) बोरियों के आकार और गुणवत्ता में सुधार करना।

**वी-चैनल पर आपत्तिजनक कार्यक्रम का प्रसारण**

*189. **श्री पवन कुमार बंसल :**

**डॉ. जसवंत सिंह यादव :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'वी-चैनल' पर हाल ही में एक आपत्तिजनक कार्यक्रम (एपिसोड) प्रसारित किया गया था जिसके विरुद्ध देशभर में दर्शकों तथा आलोचकों द्वारा विरोध प्रकट किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)** : (क) से (ग) सरकार को इस आशय की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें 4 जून, 2000 को चैनल 'वी' नामक एक निजी टी.वी. चैनल पर सार्वजनिक स्थान पर अश्लील-व्यवहार प्रदर्शित करने का आरोप लगाया गया था। इस बारे में कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित खबरों की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाया गया था। यह मामला पुलिस आयुक्त, मुम्बई को भेजा गया। मुम्बई पुलिस ने सूचित किया है कि उन्होंने अभद्रता, अश्लीलता तथा महिलाओं के अशोभनीय निरूपण के संबंध में 'वी' चैनल के एक निर्माण दल के सदस्यों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, महिलाओं का अशोभनीय निरूपण अधिनियम तथा मुम्बई पुलिस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के

अंतर्गत एक मामला दर्ज किया है। मुम्बई पुलिस से उनकी जांच की प्रगति और परिणाम के बारे में सरकार को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। ऐसे मामलों में देश के संगत कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी और स्थानीय कानून लागू करने वाली एजेंसियां तद्नुसार कार्रवाई करेंगी।

सरकार के ध्यान में यह बात भी लाई गई है कि चैनल–वी ने समाचारपत्रों में प्रकाशित एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से उन सभी के प्रति क्षमायाचना अभिव्यक्त की है जिन्हें उक्त कार्यक्रम से ठेस पहुंची है और सूचित किया है कि उन्होंने संबंधित कार्यक्रम हटा दिया है तथा उक्त ठेस पहुंचाने वाले प्रकरण के निर्माण एवं प्रसारण हेतु जिम्मेवार सभी कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई है।

**एन. एफ. डी. सी. का बंद किया जाना**

*190. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और फिल्म समारोह निदेशालय को बंद किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गैर–वाणिज्यिक प्रकृति के समानांतर फिल्म आंदोलन को प्रोत्साहन दिए जाने को जारी रखने संबंधी वैकल्पिक योजना का ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों का आबंटन**

*191. **श्री जी. जे. जावीया** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबंटित खाद्यान्नों की बहुत बड़ी मात्रा उठाने में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों, विशेषकर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, असम और बिहार वर्ष 1997–98 के दौरान और उसके बाद खाद्यान्न का अपना आबंटित कोटा उठाने में किस सीमा तक विफल रहे हैं;

(ग) खाद्यान्नों की आबंटित मात्रा न उठाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ मामलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल वस्तुओं के मूल्य बाजार मूल्य से अधिक हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार)** : (क) जी, हां।

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित चावल और गेहूं की मात्राएं, उठान की गई मात्राएं और वित्तीय वर्ष 1997–98, 1998–99, 1999–2000 और 2000–2001 (अप्रैल–जून–2000) के दौरान उनके द्वारा उठान न की गई शेष मात्राएं बताने वाले विवरण I–IV संलग्न हैं।

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटित खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का उठान विभिन्न घटकों अर्थात खुले बाजार में उपलब्धता, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार के मूल्यों के बीच समानता और उपभोक्ताओं की क्रय क्षमता आदि पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किए जा रहे खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य हाल में 1.4.2000 को बढ़ाए गए थे लेकिन विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के संदर्भ में ये मूल्य अभी भी खुले बाजार के मूल्यों से कम है तथापि, अब राजसहायता को गरीबी रेखा से नीचे की आबादी की ओर लक्षित किया गया है।

(च) सरकार स्थिति पर निरन्तर निगाह रखती है। गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणियों के लिए चावल और गेहूं दोनों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य 25.7.2000 से कम किए गए हैं।

**विवरण-I**

*अप्रैल, 1997 से मार्च, 1998 तक के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की आबंटित, उठाई गई और नहीं उठाए गए शेष बचे चावल और गेहूं की राज्य वार मात्राएं (अनंतिम) बताने वाला विवरण*

हजार टन में

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | चावल | | | गेहूं | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटित | उठाई गई | न उठाई गई | आबंटित | उठाई गई | न उठाई गई |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2309.00 | 2000.07 | 308.930 | 183.00 | 125.29 | 57.710 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 107.86 | 89.31 | 18.550 | 7.11 | 5.76 | 1.350 |
| 3. | असम | 590.85 | 438.31 | 152.540 | 323.08 | 193.94 | 129.140 |
| 4. | बिहार | 489.80 | 156.31 | 333.490 | 788.40 | 513.74 | 274.660 |
| 5. | दिल्ली | 174.30 | 100.34 | 73.960 | 661.47 | 532.02 | 129.450 |
| 6. | गोवा | 76.80 | 51.95 | 24.850 | 32.30 | 27.10 | 5.200 |
| 7. | गुजरात | 308.00 | 178.75 | 129.250 | 741.65 | 519.31 | 222.340 |
| 8. | हरियाणा | 5.00 | 4.10 | 0.900 | 178.55 | 98.44 | 80.110 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 134.99 | 90.07 | 44.920 | 131.02 | 115.66 | 15.360 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 430.76 | 296.56 | 134.200 | 290.59 | 167.74 | 122.850 |
| 11. | कर्नाटक | 1024.52 | 833.94 | 190.580 | 260.00 | 248.84 | 11.160 |
| 12. | केरल | 1827.36 | 1607.38 | 219.980 | 389.04 | 370.93 | 18.110 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 463.50 | 297.27 | 166.230 | 584.90 | 308.91 | 275.990 |
| 14. | महाराष्ट्र | 678.40 | 562.37 | 116.030 | 1251.80 | 987.43 | 264.370 |
| 15. | मणिपुर | 101.40 | 45.19 | 56.210 | 25.66 | 27.61 | –1.950 |
| 16. | मेघालय | 199.28 | 152.89 | 46.390 | 26.54 | 28.70 | –2.160 |
| 17. | मिजोरम | 106.21 | 95.05 | 11.160 | 16.94 | 17.70 | –0.760 |
| 18. | नागालैंड | 108.97 | 92.22 | 16.750 | 28.73 | 29.24 | –0.510 |
| 19. | उड़ीसा | 715.40 | 550.84 | 164.560 | 299.00 | 207.19 | 91.810 |
| 20. | पंजाब | 12.60 | 1.82 | 10.780 | 91.30 | 14.18 | 77.120 |
| 21. | राजस्थान | 56.86 | 4.17 | 52.690 | 901.30 | 451.44 | 449.860 |
| 22. | सिक्किम | 77.38 | 52.05 | 25.330 | 5.68 | 5.32 | 0.360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | तमिलनाडु | 1359.71 | 1261.92 | 97.790 | 244.60 | 124.48 | 120.120 |
| 24. | त्रिपुरा | 167.33 | 153.49 | 13.840 | 17.96 | 14.49 | 3.470 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 521.59 | 320.98 | 200.610 | 1214.82 | 867.20 | 347.620 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 536.90 | 315.98 | 220.920 | 1193.20 | 927.66 | 265.540 |
| 27. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 30.00 | 0.20 | 29.800 | 9.00 | 0.10 | 8.900 |
| 28. | चंडीगढ़ | 2.94 | 2.08 | 0.860 | 17.58 | 5.27 | 12.310 |
| 29. | दादरा और नगर हवेली | 4.95 | 2.78 | 2.170 | 1.98 | 1.32 | 0.660 |
| 30. | दमन और दीव | 4.38 | 3.34 | 1.040 | 1.50 | 0.69 | 0.810 |
| 31. | लक्षद्वीप | 8.70 | 3.11 | 5.590 | 0.50 | 0.89 | –0.390 |
| 32. | पांडिचेरी | 20.14 | 0.00 | 20.140 | 4.82 | 0.00 | 4.820 |
| | जोड़ | 12655.88 | 9764.84 | 2891.040 | 9924.02 | 6938.59 | 2985.430 |

**विवरण-II**

*अप्रैल, 1998 से मार्च, 1999 तक के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की आबंटित, उठाई गई और नहीं उठाए गए शेष बचे चावल और गेहूं की राज्य वार मात्राएं (अनंतिम) बताने वाला विवरण*

हजार टन में

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | चावल | | | गेहूं | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटित | उठाई गई | न उठाई गई | आबंटित | उठाई गई | न उठाई गई |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2350.40 | 2116.28 | 234.122 | 137.00 | 123.83 | 13.168 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 109.20 | 94.19 | 15.007 | 7.20 | 5.75 | 1.450 |
| 3. | असम | 620.00 | 555.05 | 64.950 | 363.60 | 311.87 | 51.733 |
| 4. | बिहार | 507.36 | 235.78 | 271.582 | 831.04 | 714.31 | 116.727 |
| 5. | दिल्ली | 164.68 | 112.68 | 52.000 | 694.80 | 560.15 | 134.649 |
| 6. | गोवा | 75.96 | 59.97 | 15.993 | 33.72 | 31.14 | 2.584 |
| 7. | गुजरात | 356.00 | 251.36 | 104.638 | 494.00 | 403.54 | 90.457 |
| 8. | हरियाणा | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 156.60 | 75.37 | 81.233 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 144.87 | 93.98 | 50.887 | 139.70 | 126.55 | 13.144 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 386.53 | 318.27 | 68.262 | 364.55 | 138.20 | 226.344 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | कर्नाटक | 940.00 | 888.06 | 51.942 | 300.00 | 279.76 | 20.242 |
| 12. | केरल | 1788.84 | 1625.88 | 162.964 | 452.64 | 433.03 | 19.614 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 417.20 | 305.97 | 111.226 | 503.88 | 319.82 | 184.065 |
| 14. | महाराष्ट्र | 722.48 | 666.08 | 56.397 | 1178.16 | 1093.65 | 84.514 |
| 15. | मणिपुर | 122.52 | 42.96 | 79.565 | 32.60 | 30.98 | 1.618 |
| 16. | मेघालय | 209.58 | 182.36 | 27.212 | 29.52 | 29.58 | –0.058 |
| 17. | मिजोरम | 125.08 | 123.15 | 1.927 | 24.06 | 23.73 | 0.327 |
| 18. | नागालैंड | 125.80 | 114.79 | 11.010 | 38.06 | 37.65 | 0.414 |
| 19. | उड़ीसा | 656.98 | 575.79 | 81.187 | 435.00 | 401.86 | 33.137 |
| 20. | पंजाब | 11.52 | 0.78 | 10.740 | 61.56 | 8.34 | 53.224 |
| 21. | राजस्थान | 47.47 | 5.43 | 42.039 | 839.56 | 449.09 | 390.468 |
| 22. | सिक्किम | 87.72 | 63.02 | 24.705 | 10.68 | 8.49 | 2.195 |
| 23. | तमिलनाडु | 1310.76 | 1282.72 | 28.037 | 360.00 | 228.85 | 131.151 |
| 24. | त्रिपुरा | 200.00 | 182.90 | 17.098 | 21.60 | 17.58 | 4.018 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 632.40 | 462.50 | 169.904 | 1319.04 | 1002.94 | 316.099 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 567.25 | 249.71 | 317.540 | 1047.35 | 959.64 | 87.714 |
| 27. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 30.00 | 0.00 | 30.000 | 7.50 | 0.02 | 7.477 |
| 28. | चंडीगढ़ | 3.60 | 1.73 | 1.874 | 21.60 | 4.64 | 16.963 |
| 29. | दादरा और नगर हवेली | 6.60 | 3.76 | 2.842 | 3.00 | 2.01 | 0.990 |
| 30. | दमन और दीव | 7.20 | 1.45 | 5.747 | 2.40 | 0.74 | 1.657 |
| 31. | लक्षद्वीप | 3.15 | 2.62 | 0.530 | 0.25 | 0.27 | –0.019 |
| 32. | पांडिचेरी | 26.00 | 1.65 | 24.353 | 9.00 | 0.15 | 8.854 |
| | जोड़ | 12757.14 | 10620.86 | 2136.280 | 9919.67 | 7823.51 | 2096.153 |

**विवरण-III**

*अप्रैल, 1999 से मार्च, 2000 तक के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की आबंटित, उठाई गई और नहीं उठाए गए शेष बचे चावल और गेहूं की राज्य वार मात्राएं (अनंतिम) बताने वाला विवरण*

हजार टन में

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | चावल | | | गेहूं | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटित | उठाई गई | न उठाई गई | आबंटित | उठाई गई | न उठाई गई |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आध्र प्रदेश | 2300.400 | 2282.454 | 17.946 | 141.000 | 99.208 | 41.792 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 109.200 | 101.442 | 7.758 | 7.800 | 5.331 | 2.469 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | असम | 670.000 | 529.183 | 140.817 | 213.900 | 219.155 | –5.255 |
| 4. | बिहार | 507.360 | 236.540 | 270.820 | 861.040 | 679.827 | 181.213 |
| 5. | दिल्ली | 154.680 | 75.462 | 79.218 | 724.800 | 53.849 | 670.951 |
| 6. | गोवा | 75.960 | 45.308 | 30.652 | 33.720 | 11.775 | 21.945 |
| 7. | गुजरात | 292.500 | 165.578 | 126.922 | 739.500 | 292.506 | 446.994 |
| 8. | हरियाणा | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 156.600 | 53.298 | 103.302 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 146.760 | 64.694 | 82.066 | 142.440 | 54.949 | 87.491 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 433.266 | 332.380 | 100.886 | 364.548 | 45.166 | 319.382 |
| 11. | कर्नाटक | 900.000 | 793.896 | 106.104 | 420.000 | 229.929 | 190.071 |
| 12. | केरल | 1743.840 | 1265.904 | 477.936 | 452.640 | 235.909 | 216.731 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 412.200 | 315.728 | 96.472 | 503.880 | 70.678 | 433.202 |
| 14. | महाराष्ट्र | 762.480 | 675.568 | 86.912 | 1208.160 | 1074.253 | 133.907 |
| 15. | मणिपुर | 125.000 | 46.226 | 78.774 | 23.220 | 1.414 | 21.806 |
| 16. | मेघालय | 207.576 | 192.096 | 15.480 | 14.460 | 15.124 | –0.664 |
| 17. | मिजोरम | 125.076 | 88.511 | 36.565 | 14.080 | 14.797 | –0.717 |
| 18. | नागालैंड | 125.100 | 113.559 | 11.541 | 23.490 | 19.457 | 4.033 |
| 19. | उड़ीसा | 1169.855 | 856.824 | 313.031 | 420.000 | 168.180 | 251.820 |
| 20. | पंजाब | 11.520 | 1.981 | 9.539 | 61.560 | 5.644 | 55.916 |
| 21. | राजस्थान | 15.860 | 2.704 | 13.156 | 633.220 | 241.010 | 392.210 |
| 22. | सिक्किम | 87.720 | 70.013 | 17.707 | 2.090 | 1.398 | 0.692 |
| 23. | तमिलनाडु | 1814.760 | 1804.269 | 10.491 | 360.000 | 164.387 | 195.613 |
| 24. | त्रिपुरा | 197.500 | 150.484 | 47.016 | 17.160 | 7.421 | 9.739 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 739.700 | 363.715 | 375.985 | 1529.440 | 336.353 | 1192.987 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 518.600 | 199.501 | 319.099 | 1061.100 | 744.277 | 316.823 |
| 27. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 30.000 | 25.957 | 4.043 | 9.000 | 7.485 | 1.515 |
| 28. | चंडीगढ़ | 3.600 | 0.026 | 3.574 | 21.600 | 0.000 | 21.600 |
| 29. | दादरा और नगर हवेली | 6.600 | 1.376 | 5.224 | 3.000 | 0.357 | 2.643 |
| 30. | दमन और दीव | 7.200 | 0.790 | 6.410 | 2.400 | 0.029 | 2.371 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | लक्षद्वीप | 6.300 | 7.298 | –0.998 | 0.504 | 0.202 | 0.302 |
| 32. | पांडिचेरी | 24.000 | 10.043 | 13.957 | 9.000 | 1.750 | 7.250 |
| | जोड़ | 13724.613 | 10819.510 | 2905.103 | 10175.352 | 4855.218 | 5320.134 |

**विवरण-IV**

*अप्रैल, 2000 से जून, 2000 तक के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की आबंटित, उठाई गई और नहीं उठाए गए शेष बचे चावल और गेहूं की राज्य वार मात्राएं (अनंतिम) बताने वाला विवरण*

हजार टन में

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | चावल | | | गेहूं | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटित | उठाई गई | न उठाई गई | आबंटित | उठाई गई | न उठाई गई |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1088.040 | 438.056 | 649.984 | 24.000 | 2.809 | 21.191 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 21.780 | 12.096 | 9.684 | 2.010 | 0.259 | 1.751 |
| 3. | असम | 212.180 | 96.682 | 115.498 | 30.900 | 0.390 | 30.510 |
| 4. | बिहार | 299.920 | 48.543 | 181.377 | 344.880 | 108.051 | 236.829 |
| 5. | दिल्ली | 40.830 | 0.926 | 39.904 | 127.920 | 0.083 | 127.837 |
| 6. | गोवा | 12.270 | 7.381 | 4.889 | 5.790 | 1.272 | 4.518 |
| 7. | गुजरात | 229.682 | 31.891 | 197.791 | 352.023 | 87.256 | 264.767 |
| 8. | हरियाणा | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46.140 | 1.767 | 34.373 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 15.690 | 0.238 | 15.452 | 35.160 | 4.173 | 30.987 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 65.730 | 12.595 | 53.135 | 30.960 | 10.047 | 20.913 |
| 11. | कर्नाटक | 335.000 | 231.521 | 103.479 | 82.250 | 58.856 | 23.394 |
| 12. | केरल | 435.960 | 137.740 | 298.220 | 113.160 | 12.546 | 100.614 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 175.050 | 109.527 | 65.523 | 213.990 | 27.894 | 186.096 |
| 14. | महाराष्ट्र | 194.100 | 84.966 | 109.134 | 359.940 | 132.740 | 227.200 |
| 15. | मणिपुर | 16.380 | 6.711 | 9.669 | 5.130 | 0.000 | 5.130 |
| 16. | मेघालय | 56.184 | 9.015 | 47.169 | 3.000 | 0.094 | 2.906 |
| 17. | मिजोरम | 23.610 | 23.244 | 0.366 | 3.030 | 0.896 | 2.134 |
| 18. | नागालैंड | 30.510 | 4.331 | 26.179 | 5.760 | 1.121 | 4.639 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | उड़ीसा | 331.062 | 180.923 | 150.139 | 90.000 | 22.681 | 67.319 |
| 20. | पंजाब | 4.920 | 0.028 | 4.892 | 26.250 | 0.655 | 25.595 |
| 21. | राजस्थान | 21.413 | 0.241 | 21.172 | 560.629 | 77.937 | 482.692 |
| 22. | सिक्किम | 22.950 | 2.559 | 20.391 | 0.300 | 0.350 | –0.050 |
| 23. | तमिलनाडु | 390.060 | 319.999 | 70.061 | 0.000 | 0.759 | –0.759 |
| 24. | त्रिपुरा | 41.220 | 18.147 | 23.073 | 3.840 | 0.000 | 3.840 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 222.60 | 0.00 | 222.60 | 450.510 | 0.050 | 450.460 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 164.610 | 18.110 | 146.500 | 336.000 | 109.328 | 226.672 |
| 27. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 7.950 | 0.693 | 7.257 | 2.460 | 1.147 | 1.313 |
| 28. | चंडीगढ़ | 0.630 | 0.000 | 0.630 | 3.870 | 0.000 | 3.870 |
| 29. | दादरा और नगर हवेली | 1.260 | 0.719 | 0.514 | 0.330 | 0.120 | 0.210 |
| 30. | दमन और दीव | 0.450 | 0.090 | 0.360 | 0.180 | 0.006 | 0.174 |
| 31. | लक्षद्वीप | 1.635 | 0.000 | 1.635 | 0.126 | 0.006 | 0.120 |
| 32. | पांडिचेरी | 7.770 | 2.105 | 5.665 | 1.560 | 0.717 | 0.843 |
| | जोड़ | 4401.446 | 1799.077 | 2602.369 | 3262.098 | 674.010 | 2588.088 |

**एच. एम. टी. का पुनर्गठन**

*192. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

**श्री टी. एम. सेल्वागनपति :**

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुग्ण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड (एच. एम. टी.) के लिए पुनरुद्धार पैकेज की पुष्टि करने से मना कर दिया है और उसे मंत्रियों के एक दल को विचारार्थ भेजने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मंत्रियों के दल द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजी क्षेत्र की कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एच. एम. टी. के साथ संयुक्त उद्यम लगाने में रुचि दिखाई है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार ने एच. एम. टी. की ऐसी पांच इकाइयों की पहचान कर ली है जिन्हें बंद किया जाना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी)** : (क) से (ग) सरकार ने निम्नलिखित घटकों से एचएमटी की पुनर्गठन योजना को अनुमोदित कर दिया है :

(i) 39.70 करोड़ रुपये के भारत सरकार के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना और उस पर बने 12.74 करोड़ रुपये के ब्याज को बट्टे खाते में डालना।

(ii) 250 करोड़ रुपये की नई इक्विटी का निवेश करना।

(iii) पांच अजैव्य इकाइयों को बंद किया जाना और 454 कर्मचारियों को वीआरएस देना।

(iv) 2 वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त हो रहे 6493 कर्मचारियों के लिए वीआरएस के लिए निधियां जुटाने के लिए 469 करोड़ रुपये उगाहने हेतु एचएमटी द्वारा बांड जारी करने पर सरकार द्वारा गांरटी दिया जाना और गांरटी शुल्क की छूट देने के साथ–साथ ब्याज सब्सिडी 50 परसेंट देना।

(v) दि मशीन टूल एंड वांच ग्रुप को दिनांक 31.12. 2000 तक सहायिकाओं में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इन सहायिकाओं में 74 परसेंट तक विनिवेश किया जाएगा। ट्रैक्टर डिवीजन के सहायिकीकरण और उसमें विनिवेश संबंधी कार्य को समयबद्ध आधार पर शुरू किया जाएगा;

(vi) वॉच फैक्टरी, श्रीनगर को सहायक कंपनी के रूप में गठित किया जाएगा और श्रीनगर में तैनात कर्मचारियों के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार वास्तविक मजदूरी और वेतन व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में वार्षिक बजटीय सहायता तीन वर्षों की अवधि के लिए मुहैया कराई जाएगी।

(vii) कंपनी को बैंकों से वॉच सब्सिडियरी के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण का लाभ उठाने हेतु सरकार दो वर्षों की अवधि के लिए 40.43 करोड़ रुपये की गांरटी देगी;

(viii) वर्ष 2000–2001 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए इक्विटी हेतु 15.10 करोड़ रुपये दिए जायेंगे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) बारहमासी हानियां उठा रहीं 5 अजैव्य इकाइयां नामतः सेंट्रल मेटल फॉर्मिंग इंस्टीट्यूट, वाच केस यूनिट, लैम्प फैक्टरी, फूड प्रोसेसिंग मशीनरी प्लांट और मिनिएचर बैटरी यूनिट को बंद करने के लिए पहचान कर ली गई हैं। दिनांक 31.3.99 तक इन पांच इकाइयों ने 222.15 करोड़ रुपये की हानि उठायी है।

*[हिन्दी]*

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन**

*193. **श्री राजो सिंह** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका पुनर्गठन किए जाने के पश्चात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल की गई उपभोक्ता मदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने भी इस संबंध में सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार)** : (क) से (ङ) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्संरचित करने के लिए उपाय किए गए हैं। सरकार ने खाद्यान्न प्रबंधन और सार्वजनिक वितरण संबंधी परामर्शदात्री परिषद के तत्वावधान में राज्य सरकारों के साथ चर्चा शुरू की थी जिसमें बेहतर रूप से लक्षित करने, मूल्यों को युक्ति–युक्त बनाने, प्रभावी निगरानी प्रणाली के साथ–साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अन्य मुद्दों पर विस्तार से विचार–विमर्श हुआ। बैठक में हुए विचार–विमर्श और राज्य सरकारों तथा विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कई उपाय किए गए हैं।

(i) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करने के प्रति खाद्य राजसहायता को बेहतर रूप से लक्षित करने के लिए पहली अप्रैल, 2000 से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के खाद्यान्नों के आबंटन को आर्थिक लागत के 50 परसैंट पर 10 किलोग्राम से 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दुगुना कर दिया गया है और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए यह आबंटन आर्थिक लागत पर किए गए हैं।

(ii) गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों के लिए आबंटनों को उसी स्तर पर बनाये रखा गया है जिस स्तर पर ये जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करते समय थे।

(iii) यदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सामान्य मासिक आबंटन से अधिक गेंहू और चावल की अतिरिक्त मात्रा की मांग की जाती है तो उस पर उपलब्धता और आर्थिक लागत की शर्त के अधीन विचार किया जाता है।

1.3.2000 से सरकार 1.3.1999 को स्थिति के अनुसार अनुमानित जनसंख्या के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आबंटन कर रही है। तदनुसार लेवी चीनी के

आबंटन में वृद्धि की गई है। उत्तर–पूर्व और पहाड़ी राज्यों के मामले में भी लेवी चीनी की पात्रता को भी 425 ग्राम से बढ़ाकर 700 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह किया गया है। जुलाई, 2000 और इसके बाद से आयकर निर्धारितियों और उनके परिवार के सदस्यों को लेवी चीनी आबंटनों के संबंध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से दूर रखा गया है।

फरवरी, 2000 से आयातित आर. बी. डी. पामोलीन का मासिक आबंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित मांग के अनुसार किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से लाभभोगियों का आबंटन राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है।

मिट्टी के तेल का आबंटन ऐतिहासिक आधार अर्थात् विगत वर्षों में की गई आपूर्ति जमा राष्ट्रीय स्तर पर की गई वृद्धि में से अतिरिक्त आबंटन के आधार पर किया जाता है। उस फार्मूले के तहत संभावित वृद्धि देश स्तर पर अतिरिक्त उपलब्धता में से की जाती है जिसके अंतर्गत अतिरिक्त मात्रा में से अधिक आबंटन प्रति व्यक्ति कम उपलब्धता वाले राज्यों को किया जाता है ताकि काफी लम्बे समय से चली आ रही अन्तर–राज्य असमानता को कम किया जा सके। राज्य के अंदर मिट्टी के तेल का वितरण और इसकी निगरानी रखना संबंधित राज्य सरकार का दायित्व होता है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों पर जोर दिया है कि वे एल. पी. जी. कनेक्शन रखने वाले राशन कार्ड धारकों की पहचान करें ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उन्हें मिट्टी के तेल की आपूर्ति बंद की जा सके।

सरकार ने लाभ–हानि रहित आधार पर 'सर्वप्रिय' योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य उचित मूल्यों पर अच्छी किस्म की उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने के साथ–साथ उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता में भी सुधार करना है। इस योजना के अधीन केन्द्रीकृत वसूली, ग्रेडिंग और पैकिंग के बाद राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य क्षेत्रों में मांग पर राज्य एजेंसियों को ग्यारह उपभोक्ता वस्तुओं नामतः अरहर दाल, चना दाल, मसूर दाल, साबुत उड़द, नमक, चाय, नहाने का साबुन, डिटर्जेंट टिकिया, अभ्यास पुस्तिकाओं, खाद्य तेल और टूथ पेस्ट की आपूर्ति करेगा। ये मदें ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के गरीब लोगों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों, नागरिक आपूर्ति निगम की खुदरा यूनिटों तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों को वितरित की जाएंगी। राज्य सरकारों के लिए यह एक वैकल्पिक स्वैच्छिक योजना है।

**मुख्यमंत्रियों की बैठक**

***194. श्री रामदास आठवले :**

**श्री विलास मुत्तेमवार :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा बुलाई गई सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक में उनसे घाटे को कम करने, कठोर निर्णयों को लेने और केन्द्रीय बिक्री की वसूली में हो रही लगातार गिरावट के समाधान के लिए कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने केन्द्र द्वारा सुझाए गए कदम उठाए हैं;

(ग) इससे घाटे को कम करने और अर्थ–व्यवस्था को वापिस पटरी पर लाने में कितनी मदद मिली है; और

(घ) इस निर्णय के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र इन राज्यों को क्या–क्या सहायता और सहयोग देने पर सहमत हुआ है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार)** : (क) स्वदेशी व्यापार कर सुधारों तथा मूल्यवर्धित कर से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 22.6.2000 को मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। केन्द्रीय बिक्री कर के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि "भारत में अन्तरराज्य कर सुधार" संबंधी विषय पर राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श के लिए सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के वित्त सचिवों की एक बैठक आयोजित की जाये। अन्य बातों के साथ–साथ घाटे को कम करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गयी थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि घाटे को कम करने अथवा केन्द्रीय बिक्री कर में धीरे–धीरे कमी करने के बारे में कोई निर्णय नहीं था।

*[अनुवाद]*

**अमरीका और अन्य विकसित देशों द्वारा भारतीय निर्यात पर रोक**

***195. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने आयात पर नॉन–टैरिफ बैरियर के रूप में जटिल तकनीकी विशिष्टताओं का उपयोग करने वाले कुछ भारतीय उत्पादों को रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या अमरीका और कुछ अन्य विकसित देश सिएटल वार्ता में विफल होने के बावजूद विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से भारत से निर्यात होने वाले उत्पादों के संबंध में सामाजिक और तकनीकी आयात पाबंदियां लगाते आ रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो भारत सरकार ने विकसित देशों द्वारा भारत से किये जाने वाले निर्यात पर लगाई गई ऐसी पांबदियों का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इसके लिए क्या रणनीति अपनाई है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) से (ग) जटिल तकनीकी विनिर्देशनों के आधार पर यूएसए में भारतीय उत्पादों को रोके जाने का कोई मामला भारत सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(घ) यूएसए और अन्य विकसित देश सामाजिक एवं पर्यावरणिक मुद्दों जैसे कुछेक गैर–व्यापारिक मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुद्दों के साथ जोड़ने के पक्ष में हैं।

(ङ) भारत (समान विचारों वाले अन्य विकासशील देशों के साथ) व्यापार को सामाजिक मुद्दों के साथ जोड़े जाने का इस आधार पर विरोध कर रहा है कि इस प्रकार के मुद्दे व्यापार से संबंधित नहीं हैं। हम डब्ल्यू टी ओ में अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारक निकायों द्वारा मानकों के विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालते आ रहे हैं ताकि अपनाए गए मानकों में उन समस्याओं और अड़चनों को ध्यान में रखा जाए जिनका विकासशील देश सामना करते हैं।

**केबल आपरेटरों द्वारा दूरदर्शन के चैनलों का दिखाया जाना**

***196. श्री भर्तृहरि महताब :**

**श्री श्रीपाद येसो नाईक :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केबल आपरेटरों द्वारा दूरदर्शन के कम–से–कम तीन चैनलों को दिखाना कानूनी रूप से अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में केबल आपरेटरों के लिए कोई सामान्य नियम और विनियम हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : (क) मौजूदा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अनुसार केबल आपरेटरों को उनकी पसंद के दूरदर्शन के दो चैनलों को अपने नेटवर्क पर रिले करना आवश्यक है।

(ख) इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि कुछ केबल आपरेटर अपने नेटवर्क पर दूरदर्शन के दो चैनल नहीं दिखा रहे हैं या वे उन्हें इस प्रकार दिखा रहे हैं कि दर्शकों तक अच्छी तरह नहीं पहुंच रहा है।

(ग) सरकार का संसद के वर्तमान सत्र में एक संशोधन विधेयक लाने का प्रस्ताव है जिससे अन्य बातों के साथ–साथ केबल आपरेटरों के लिए दूरदर्शन के दो स्थलीय तथा एक क्षेत्रीय चैनल रिले करना अनिवार्य होगा तथा रिले करने की पद्धति को भी अनिवार्य बना दिया जाएगा। संशोधन विधेयक में और अधिक प्रभावी प्रवर्तन प्रणाली बनाने का विचार है।

(घ) और (ङ) देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के संचालन का नियंत्रण केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाई गई केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994 के द्वारा होता है।

**बीमा क्षेत्र में विदेशी और भारतीय प्राइवेट कंपनियों का प्रवेश**

***197. श्री लक्ष्मण सेठ :**

**श्री माणिकराव होडल्या गावित :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई. आर. डी. ए.) का गठन कर दिया गया है और उसने काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी विदेशी कंपनियों तथा भारतीय प्राइवेट कंपनियों को अपना कारोबार शुरू करने की मंजूरी दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)**: (क) जी हां।

(ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) का गठन 19 अप्रैल, 2000 को किया गया है। अभी तक किसी नई बीमा कम्पनी को व्यवसाय करने के लिए स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ग) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**बीमा पालिसी**

*198. **श्री अशोक ना. मोहोल :**

**श्री रामशेठ ठाकुर :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकांश व्यक्तियों को बीमा पालिसियों की अनेक अर्न्तनिहित शर्तों की कोई जानकारी नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या पालिसी धारियों की अज्ञानता का लाभ उठाते हुए बीमा कंपनियां सेवा में लापरवाही तथा खामियों के उत्तरदायित्व से बच जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में बीमा कंपनियों को कोई दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) बीमा पालिसी से संबंधित दस्तावेज में उन शर्तों, निबंधनों, अपवर्जनों और आश्वासनों को स्पष्ट किया गया है जिसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार की हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बीमाकर्ता द्वारा मुआवजा देय होता है। किसी भी बीमा पालिसी में ऐसी कोई शर्त नहीं होती जिसका बीमा कंपनियों द्वारा अनुचित लाभ उठाया जा सके।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम की प्रीमियम दरें**

*199. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम और साधारण निगम की प्रीमियम दरें विश्व में व्याप्त सर्वाधिक ऊंची दरें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में देशवार कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो देश में प्रीमियम की ऊंची दर रखने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) साधारण बीमा निगम के अनुसार, जहां तक उन्हें जानकारी है, प्रीमियम दरों का देशवार विशेष तुलनात्मक अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के कुछ विदेशी बीमाकर्त्ताओं के साथ "लाभ–रहित सावधि बीमा पालिसी" के अंतर्गत अपनी प्रीमियम दरों की तुलना की है और यह पाया है कि जीवन बीमा निगम की दरें उनमें सबसे कम हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**अतिरिक्त चीनी का निर्यात**

*200. **श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :**

**श्री नवल किशोर राय :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000–2001 के दौरान देश में चीनी का उत्पादन इसकी खपत से अधिक होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान घरेलू खपत के लिए चीनी की कितनी मात्रा की आवश्यकता है तथा कितनी मात्रा में अतिरिक्त चीनी उपलब्ध रहेगी;

(ग) क्या सरकार ने अतिरिक्त चीनी के निर्यात हेतु कोई ठोस नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को 10 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दे दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इसके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में चीनी के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ज) सरकार द्वारा चीनी के मूल्य की बढोत्तरी रोकने हेतु क्या रणनीति तैयार की गई है?

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार)** : (क) और (ख) वर्तमान मौसम 1999–2000 (अक्तूबर–सितम्बर) के दौरान 180 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की

आशा है जबकि पिछले मौसम के दौरान 155.20 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। पिछले मौसम के 67.23 लाख टन के आगे लाए गए स्टाक को हिसाब में लेते हुए वर्तमान मौसम के दौरान चीनी की कुल उपलब्धता 247.23 लाख टन बैठती है जबकि 150. 84 लाख टन चीनी की खपत होने का अनुमान लगाया गया है। अतः मौसम के अन्त में अर्थात् 30 सितम्बर, 2000 को 96.39 लाख टन चीनी का स्टाक होने का अनुमान है।

(ग) से (च) सरकार ने घरेलू उत्पादन की 10 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है। ये निर्यात चीनी मिलों द्वारा सीधे अथवा निर्यातकों के माध्यम से किए जा सकते हैं। चीनी का निर्यात निजी चीनी मिलों तक सीमित नहीं है।

चीनी के निर्यात को व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार ने लेवी देयता की गणना करने के प्रयोजन के लिए निर्यात की गई चीनी की मात्रा को छूट देने का निर्णय लिया है। आरम्भ में यह छूट 1 जून, 2000 से छह महीनों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

(छ) और (ज) घरेलू चीनी का पर्याप्त स्टाक होने तथा खुली बिक्री की चीनी का विवेकपूर्ण निर्मुक्ति के कारण घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रत्याशा नहीं है।

**आंध्र प्रदेश से चावल की खरीद**

**1963. श्री वाई एस विवेकानन्द रेड्डी :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) आंध्र प्रदेश से श्रेणी–I और श्रेणी–II चावल की खरीद पर यथा स्थिति नहीं रख रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के इस निर्णय ने राज्य के कृष्णा, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले के किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के किसानों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम, सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टयों के अनुसार ग्रेड 'ए' और साधारण दोनों प्रकार के चावल की खरीद करता है। 1.4. 2000 से ग्रेड 'ए' चावल के अपमिश्रण के 13 परसैंट से कम होकर 10 परसैंट होने के कारण स्पष्ट रूप से साधारण चावल की वसूली पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा समग्र रूप से निर्धारित लक्ष्य से अधिक मात्रा में लेवी चावल की वसूली की है और इनमें शामिल कुछेक जिले हैं: कृष्णा पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिला। कृष्णा, पश्चिम गोदावरी और पूर्वी गोदावरी जिलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई चावल की वसूली के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

*वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान कृष्णा, पश्चिमी गोदावरी और पूर्वी गोदावरी जिलों में वसूल किए गए चावल की मात्रा दर्शाने वाला विवरण*

वसूली (टन में)

| वर्ष | जिला | आंध्र प्रदेश सरकार का लक्ष्य | ग्रेड 'ए' | साधारण | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998–99 | कृष्णा | 4,11,115 | 4,34,122 | – | 4,34,122 |
| | पश्चिमी गोदावरी | 5,83,230 | 6,52,186 | 166 | 6,52,352 |
| | पूर्वी गोदावरी | 6,95,490 | 9,16,138 | 50 | 9,16,188 |
| 1999–2000 | कृष्णा | 3,82,500 | 3,51,561 | 84,517 | 4,36,168 |
| (1.6.2000 को | पश्चिमी गोदावरी | 5,41,500 | 5,59,278 | 49,539 | 6,08,817 |
| स्थिति के अनुसार) | पूर्वी गोदावरी | 7,10,500 | 7,48,506 | 1,60,799 | 9,09,305 |

**आधारभूत सुविधा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण**

**1964. श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में आधारभूत सुविधा क्षेत्र की परियोजनाओं का वित्त पोषण करना पुनः शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो दिए गए वित्तीय ऋण का ब्यौरा क्या है और वित्तीय सुधार एवं विद्युत क्षेत्र पुनर्गठन कार्यक्रम कौन–कौन से हैं जिन्हें "मानव आवश्यकता" श्रेणी में निर्धारित किया गया है; और

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार को दिए गए ऋण के संबंध में निर्धारित नियम और शर्तों को ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)**: (क) और (ख) 7 मई, 1998 के बाद जी–7 देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप विश्व बैंक ने आरंभ में केवल उन्हीं परियोजनाओं को मंजूरी दी जिन्हें मानव की बुनियादी जरूरतें पूरा करने वाली परियोजनाओं के रूप में देखा जाता है। मई, 1998 से पूर्व वार्ता की गई राजमार्गों और विद्युत क्षेत्र से संबंधित चार परियोजनाओं को विश्व बैंक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इनमें से एक परियोजना (आईआरईडीए–II) को अब जून, 2000 में मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। अन्य तीन परियोजनाओं को मंजूरी नहीं दी गई है। आंध्र प्रदेश विद्युत परियोजना को विश्व बैंक बोर्ड ने फरवरी, 1999 में मंजूरी दी थी। चालू वर्ष 2000–2001 के दौरान जून, 2000 तक निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है :

आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | वित्तीय वर्ष 2000 | |
|---|---|---|---|
| | | आईबीआरडी | आईडीए |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश जिला निर्धनता | | 111 |
| 2. | प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम | | 142.8 |
| 3. | राजस्थान जिला निर्धनता | | 100 |
| 4. | आर्थिक सुधार हेतु, तकनीकी सहायता | | 45 |
| 5. | उत्तर प्रदेश राजकोषीय सुधार | 126.27 | 125 |
| 6. | उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विकास परियोजना | | 110 |
| 7. | उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार | 150 | |
| 8. | दूरसंचार क्षेत्र के लिए तकनीकी सहायता | 62 | |
| 9. | राष्ट्रीय राजमार्ग | 516 | |
| 10. | आईआरईडीए–II | 80 | 50 |
| | योग | 934.27 | 683.6 |
| | | 1617.87 | |

मानव की बुनियादी जरूरतों की कोई औपचारिक परिभाषा नहीं है, जिसे विश्व बैंक द्वारा अपनाया जा रहा है।

(ग) विश्व बैंक के ऋणों पर लागू सामान्य निबंधन तथा शर्तों के अनुसार, भारत सरकार कर्जदार होगी और मानक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की शर्तों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को आगे ऋण प्रदान करेगी।

*[हिन्दी]*

**विश्व व्यापार संगठन के लिए प्रस्ताव**

**1965. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी विश्व व्यापार संगठन के एजेंडे के विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में समूह–15 के देशों के एक संयुक्त प्रस्ताव को अग्रसारित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारत द्वारा कोई ठोस प्रस्ताव को अग्रसारित किया गया है या अग्रसारित किए जाने की संभावना है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर समूह–15 के अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) से (ग) कैरो में दिनांक 15 जून, 2000 को आयोजित जी–15 देशों के व्यापार/आर्थिक मंत्रियों की पांचवीं बैठक में मंत्रियों ने आपस में नियमित विचार–विमर्श के जरिए डब्ल्यू टी ओ से संबंधित मामलों में अपने सहयोग को व्यापक बनाने पर सहमति व्यक्त की। इस बैठक में हुई सहमति के अनुसार मलेशिया जी–15 देशों के व्यापार/आर्थिक मंत्रियों की 1–2 सितम्बर, 2000 को क्वालालम्पुर में एक अनौपचारिक बैठक की मेजबानी करेगा ताकि डब्ल्यू टी ओ से संबंधित विभिन्न मामलों पर संभावित सांझा दृष्टिकोण पर चर्चा हो सके।

**अकाल पीड़ितों की राहत के लिए बैंक ऋण**

**1966. डॉ. जसवंत सिंह यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर ने अकाल पीड़ितों की राहत के लिए सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने लोग सूखे से प्रभावित हुए हैं और बैंक द्वारा उन्हें कितना ऋण मुहैया कराया गया है; और

(घ) सूखा प्रभावित लोगों को इससे कितनी राहत मिली है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) जी हां।

(ख) राजस्थान राज्य में हाल के सूखे की स्थिति के संबंध में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर ने सूचित किया है कि उनके द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्र को दी गई राहत का विवरण निम्नलिखित है :

(i) 20122 लाख रुपये का नया ऋण दिया गया।

(ii) 2585 लाख रुपये के मौजूदा ऋण खातों के बकाया किस्तों की पुनर्व्यवस्था तथा पुनर्निर्धारण।

(iii) मुक्त सहायता जैसे–पोखर के पानी की आपूर्ति, पोखर द्वारा पानी, चारा, अनाज, पीने की पानी की सुविधा के लिए जल मुहैया की स्थापना, पीने के पानी की सुविधा के लिए एक गांव का अभिस्वीकरण तथा राजस्थान में सूखा प्रभावित क्षेत्र के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष तथा मुख्यमंत्री राहत कोष में क्रमशः 21 लाख तथा 11 लाख रुपये का दान।

(ग) और (घ) राजस्थान राज्य में अकाल पीड़ित लोगों की संख्या 261 लाख थी। बैंक द्वारा प्रदत्त नये ऋण का विवरण निम्नलिखित है :

(रुपये लाख में)

| | सं. | राशि |
|---|---|---|
| (1) कृषि क्षेत्र | 30,677 | 15,795 |
| (2) गैर कृषि क्षेत्र | 07,130 | 04,327 |
| कुल | 37,807 | 20,122 |

अकाल प्रभावित क्षेत्र में वर्तमान ऋण की पुनर्व्यवस्था/पुनर्निर्धारण तथा नये ऋण की स्वीकृति के रूप में बैंक द्वारा दी गई कुल सहायता राशि निम्नलिखित है :

| हिताधिकारियों की संख्या | राशि (लाख रुपए में) |
|---|---|
| 99484 | 22707 |

*[अनुवाद]*

**लौह अयस्क का निर्यात**

**1967. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री 2 फरवरी, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 338 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि की शेष अवधि के दौरान लौह अयस्क के निर्यात संबंधी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान कितने टन लौह अयस्क का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) और (ख) लौह अयस्क का निर्यात लक्ष्य घरेलू मांग तथा पिछले वर्ष के निर्यात निष्पादन का मूल्यांकन करने के बाद निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2000–2001 के दौरान लौह अयस्क का निर्यात लक्ष्य 2230 करोड़ रुपये रखा गया है। निर्यात लक्ष्य का निर्धारण सामान्यतया केवल मूल्य के रूप में ही किया जाता है। नौवीं योजना अवधि (1997–98 से 1999–2000 तक) के पहले तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क का निर्यात लगभग 4536 करोड़ रुपये मूल्य का रहा है। (स्रोतः डीजीसी आई एंड एस)

**पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थल**

**1968. श्री टी. गोविन्दन** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले मुख्य स्थलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में और अधिक पर्यटक स्थलों की पहचान करने हेतु कोई गहन अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) से (घ) देश में पर्यटन अवसंरचना में तेजी से वृद्धि लाने की दृष्टि से पर्यटन विभाग ने पर्यटक रुचि के महत्वपूर्ण स्थलों को शामिल करते हुए 21 यात्रा परिपथों, 12 गंतव्य स्थलों, 5 विशेष पर्यटन क्षेत्रों तथा 33 तीर्थ स्थलों को अभिनिर्धारित किया है। इन स्थलों का अभिनिर्धारण राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के परामर्श से किया गया है। विगत 3 वर्षों के दौरान गुजरात राज्य सरकार के साथ परामर्श करके 2 यात्रा परिपथों तथा 2 गंतव्य स्थलों को अभिनिर्धारित किया गया है।

*[हिन्दी]*

**उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986**

**1969. श्री जय प्रकाश :**

**मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को पुनरीक्षित करने के लिए विशेषज्ञ दल की सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) से (घ) जी, हां। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने के बारे में विशेषज्ञ दल की सिफारिशों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सभी सिफारिशों की संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच कर ली गई है, ताकि उक्त अधिनियम को अधिक प्रयोजनमूलक और कारगर बनाया जा सके तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए उपभोक्ता न्यायालयों के कार्यकरण को भी सुप्रवाही बनाया जा सके। संशोधन विधेयक का मसौदा विधि मंत्रालय के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि संशोधन विधेयक को यथाशीघ्र संसद में पुरःस्थापित किया जाए।

**हरियाणा में विदेशी पर्यटकों का आगमन**

**1970. श्री रतन लाल कटारिया** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में विदेशी पर्यटकों सहित कुल कितने पर्यटक आए;

(ख) इन पर्यटकों से सरकार को कितनी आय हुई; और

(ग) वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान हरियाणा में पर्यटन के विकास हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1997, 1998 एवं 1999 के दौरान हरियाणा राज्य में यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों सहित पर्यटकों की अनुमानित संख्या क्रमशः 2,58,979, 2,60,596 तथा 2,44,660 है।

(ख) पर्यटन से होने वाली विदेशी मुद्रा आय के अनुमान राज्य–वार नहीं रखे जाते।

(ग) हरियाणा में पर्यटन के विकास हेतु वर्ष 1999–2000 के दौरान 7 परियोजनाओं के लिए 238.33 लाख रुपयों की राशि केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में स्वीकृत की गई और वर्ष 2000–2001 के दौरान 140.75 लाख रुपयों की राशि की 8 परियोजनाओं को अभिनिर्धारित किया गया।

**सी. डब्ल्यू. सी. में मजदूरों का शोषण**

**1971. श्री रामदास आठवले** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 2000 को जनसत्ता के नई दिल्ली संस्करण में 'केन्द्रीय भंडार निगम में मजदूरों का शोषण' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय भंडार निगम के गाजीपुर डिपो में काम करने वाले मजदूरों का शोषण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है/किए जाने का प्रस्ताव है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण**

**1972. श्री अशोक ना. मोहोल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक गुजरात–महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 पर सूरत–मनोर राजमार्ग परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए लम्बे समय से लम्बित 180 मिलियन डालर के ऋण के प्रस्ताव पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण कब तक प्राप्त हो जाएगा; और

(ग) उक्त ऋण के नियम और शर्तें क्या हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) एशियाई विकास बैंक के निदेशक–मण्डल ने 27 जुलाई, 2000 को सूरत–मनोर टोलवे परियोजना के लिए 180 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता को मंजूरी प्रदान कर दी है।

(ख) यह ऋण, ऋण करार पर हस्ताक्षर किए जाने और उसके प्रभावी घोषित किए जाने के बाद एशियाई विकास बैंक द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों के प्रति दि. 30.9.2004 तक संवितरित किया जाना है।

(ग) इस ऋण की वापसी अदायगी 25 वर्षों में की जानी है जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। ब्याज का निर्धारण एशियाई विकास बैंक की अमरीकी डालर के ऋणों हेतु पूल–आधारित परिवर्तनीय ऋण–दर व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**पर्यटक स्थलों का विकास**

**1973. श्री राजो सिंह** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या राज्यों में पर्यटक स्थलों के विकास करने और** आबंटित धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सभी राज्यों द्वारा आबंटित धनराशि का पूरा–पूरा उपयोग कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आबंटित धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) से (ङ) पर्यटक स्थलों का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक वर्ष संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु परियोजनाओं को अभिनिर्धारित करता है। अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए प्रथम किश्त राज्य सरकार से पूर्ण परियोजना प्रस्ताव की प्राप्ति पर रिलीज की जाती है। अनुवर्ती किश्तें उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा अन्य सुसंगत कागजातों की प्राप्ति पर रिलीज की जाती हैं। स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकों का आयोजन करता है और अपने क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से क्षेत्रीय दौरे भी करता है।

*[अनुवाद]*

**लार्सन और टुब्रो में हेरा-फेरी**

**1974. श्री अशोक अर्गल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सेबी' लार्सन और टुब्रो स्किप्ट में हेरा–फेरी मामले की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान एल. एण्ड. टी. द्वारा 'सेबी' के किन दिशानिर्देशों की अवहेलना की गई है; और

(ग) निवेशकों को गुमराह करने के लिए लार्सन और टूब्रो के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) से (ग) सेबी ने सूचित किया है कि उन्होंने स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के तहत विनिर्दिष्ट किसी दिशा–निर्देश/प्रकटन अपेक्षाओं के उल्लंघन, जिसके परिणामस्वरूप किसी बाजार हेराफेरी की संभावना हो, से संबंधित मामले की जांच की है। दिनांक 4 जुलाई, 2000 को बोर्ड की बैठक में विचार किये जाने वाले एल एण्ड टी सीमेंट प्रभाग के अविलयन के प्रस्ताव के संबंध में समाचार–पत्रों में परस्पर विरोधी रिपोर्टों के बारे में एक प्रारंभिक जांच की गई थी। कंपनी ने स्टाक एक्सचेंजों को स्पष्ट किया कि परामर्शी समूह की सिफारिशों, जिनमें अन्य बातों के अलावा, सीमेंट कारोबार की पुनर्संरचना संबंधी सिफारिश शामिल है, के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में बोर्ड को 4 जुलाई, 2000 की बैठक में अद्यतन जानकारी दी जाएगी। यह स्पष्टीकरण तत्काल स्टाक एक्सचेंजों द्वारा प्रसारित कर दिया गया। तदुपरांत 4 जुलाई, 2000 को अपने बोर्ड की बैठक में कंपनी ने सिद्धान्ततः अपने सीमेंट प्रभाग के अविलयन का निर्णय किया। इस प्रकार, आरंभिक जांच में

सेबी ने निष्कर्ष निकाला है कि निवेशकों को गुमराह करने का कोई मामला नहीं है।

*[हिन्दी]*

**मध्य प्रदेश में दूरदर्शन/आकाशवाणी के केन्द्र**

**1975. श्री विष्णुदेव साय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान मध्य प्रदेश में दूरदर्शन और आकाशवाणी के कितने–कितने केन्द्रों को कहां–कहां स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ख) वर्ष 2000–2001 के दौरान किन–किन स्थानों पर नए केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) राज्य के किन–किन जिला मुख्यालयों में अब तक दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं; और

(घ) उक्त जिन–जिन जिलों में जहां दूरदर्शन/आकाशवाणी के केन्द्र नहीं हैं वहां इन्हें स्थापित करने हेतु कार्यवाही की गई है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्रालय (श्री अरूण जेटली)**: (क) 1998–99 के दौरान, इन्दौर एवं भोपाल स्थित दो आकाशवाणी, एफ. एम. ट्रांसमीटर और बाडामलहेश, भानपुरा, गरोट, पिपरिया, सीतामऊ और सारनगढ़ स्थित छः दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू किए गए थे। वर्ष 1999–2000 के दौरान जबलपुर स्थित एक आकाशवाणी एफ. एम. ट्रांसमीटर तथा रायपुर एवं पेन्ड्रा रोड स्थित दो दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू किए गए थे।

(ख) मध्य प्रदेश में सरापल्ली, राजगढ़ और मण्डला में तीन नए आकाशवाणी केन्द्र को 2000–2001 के दौरान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष के दौरान, शुरू की गई और वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों (1991 की जनगणना के अनुसार) को आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण द्वारा या तो स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र एवं दूरदर्शन ट्रांसमीटर से अथवा समीप के आकाशवाणी केन्द्र/दूरदर्शन, ट्रांसमीटरों से कवर किया जाता है। मध्य प्रदेश के नौ जिला मुख्यालयों नामतः देवास, धार, दुर्ग, होशंगाबाद, मुरैना, रायसेन, राजनांदगांव, सिहौर और विदिशा में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित नहीं हैं। उन जिला मुख्यालयों जहां आकाशवाणी केन्द्र स्थापित नहीं है, की सूची विवरण–II में दी गई है। आकाशवाणी और दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के स्थानों की योजना जिला–वार नहीं बनायी जाती है और इसलिए, प्रत्येक जिला मुख्यालय में दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त, राज्य में आकाशवाणी/दूरदर्शन कवरेज का विस्तार, आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है।

**विवरण-I**

*2000–2001 के दौरान (अब तक) म.प्र. में धालू दूरदर्शन परियोजनाएं*

1. स्टूडियो इन्दौर
2. स्टूडियो ग्वालियर
3. अ.श.ट्रा. मुल्ताई
4. अ.श.ट्रा. कुक्षी
5. अ. श. ट्रा. बड़वानी
6. अ. श. ट्रा. करैरा

**म.प्र. में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं**

क. स्टूडियो जगदलपुर

ख. उच्च शक्ति ट्रां.

1. अम्बिकापुर
2. गुना
3. शहडोल
4. भोपाल (डीडी–2)
5. इन्दौर (डीडी–2)
6. जबलपुर (डीडी–2)

ग. अ. श. ट्रांसमीटर

1. आगरा
2. बरेली
3. चम्पा
4. खरोड़
5. कोंटा
6. लखनदौन
7. पन्डरिया

8. सिंधवा

घ अ. अ. श. ट्रा.

1. पाथलगांव
2. अलोट

**विवरण-II**

1. श्योपुर कलां
2. मुरैना (चम्बल)
3. भिण्ड
4. दतिया
5. टीकमगढ़
6. दमोह
7. पन्ना
8. सतना
9. सिधी
10. उपरिया
11. कोरिया
12. जशपुर
13. कोरबा
14. जंजगीर (चम्पा)
15. महासमुद
16. धमतरी
17. कांकर
18. दांतेवाड़ा
19. दुर्ग
20. राजनंद गांव
21. कवरधा
22. मंडला
23. डिबेरी
24. कटनी
25. नरसिंहपुर
26. स्कोनी
27. होशांगाबाद
28. हर्दा
29. सिहोर
30. रायसैन
31. शाजापुर
32. विदिशा
33. उज्जैन
34. देवास
35. खरगौन
36. बडवानी
37. धार
38. झाबुआ
39. रतलाम
40. मन्दसौर
41. नीमच

*[अनुवाद]*

**गुजरात द्वारा पशु चारे का निर्यात**

**1976. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 मई, 2000 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार गुजरात से संयुक्त अरब अमीरात को ऐसे समय पर 1360 टन पशु चारे का निर्यात किया गया जबकि गुजरात अभाव के दौर में था और अन्य राज्यों से सहायता की गुहार कर रहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह स्थिति अहमदाबाद स्थित संयुक्त डी. जी. एफ. टी. द्वारा मंजूर किए गए निर्यात लाइसेंस के जरिए किया गया;

(ग) इस निर्यात लाइसेंस को जारी करने के क्या कारण थे जबकि इससे हमारे कई मवेशियों को अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)**. : (क) से (ग) लाइसेंसिंग वर्ष 1999–2000 के लिए चारे की अप्रयुक्त उच्चतम सीमा के लिए मार्च, 2000 में चारे के निर्यात हेतु बीस निर्यातकों को निर्यात लाइसेंस जारी किए गए थे जिनकी वैधता अवधि 30.6. 2000 तक थी। इन लाइसेंसों में से केवल 2 लाइसेंस संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, अहमदाबाद द्वारा 1440 टन की कुल मात्रा के लिए जारी किए गए थे। तथापि, सूखे की स्थिति को देखते हुए मई, 2000 के दूसरे सप्ताह में उक्त निर्यात लाइसेंस स्थगित कर दिए थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार, संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, अहमदाबाद द्वारा जारी किए गए दोनों लाइसेंसों पर उक्त लाइसेंस स्थगित करने से पहले 50 टन चारे का निर्यात किया गया था।

(घ) और (ङ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

**उपभोक्ता आन्दोलन हेतु राज्यों को धनराशि**

**1977. श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को कोई धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए 1999–2000 में राज्य–वार जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपभोक्ता आंदोलन को और तेज करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लोगों को अपने उपभोक्ता संबंधी अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने के लिए मीडिया का प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) और (ख) राज्य सरकारों को उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए कोई पृथक निधि उपलब्ध नहीं कराई गई है। तथापि, राज्य सरकारें उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष से वित्तीय सहायता लेने की पात्र हैं। वर्ष 1999–2000 के दौरान मिजोरम सरकार को उपभोक्ता कल्याण कोष से 3,80,700 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

(ग) और (घ) उपभोक्ता आंदोलन एक चालू प्रक्रिया है और देश में इसका प्रसार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संगठनों तथा अन्यों द्वारा अनवरत प्रयास किए जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए उपयुक्त परियोजनाएं शुरू करने हेतु उपभोक्ता कल्याण कोष से पात्र एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ङ) उपभोक्ता के रूप में लोगों को उनके अधिकारों और दायित्वों की जानकारी देने के लिए सरकार देश भर में आउटडोर प्रचार कार्यक्रमों सहित श्रव्य, दृश्य और मुद्रित प्रचार माध्यमों के जरिए प्रचार उपाय करती रही है।

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की कीमत में कमी**

**1978. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिए जाने वाले खाद्यान्नों की कीमत कम की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस आधार पर कीमत कम की गई और ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या आर्थिक लागत कम की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इसकी लागत में और अधिक कमी करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) जी, हां।

(ख) 1.4.2000 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं:–

(रुपये प्रति क्विंटल)

| जिन्स | गरीबी रेखा से नीचे | गरीबी रेखा से उपर |
|---|---|---|
| गेंहू | 450 | 900 |
| चावल | | |
| (1) साधारण | 590 | – |
| (2) ग्रेड 'ए' | 590 | 1180 |

25.7.2000 से केन्द्रीय निर्गम मूल्य में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :–

(रुपये प्रति क्विंटल)

| जिन्स | गरीबी रेखा से नीचे | गरीबी रेखा से ऊपर |
|---|---|---|
| गेंहू | 415 | 830 |
| चावल | | |
| (1) साधारण | 565 | – |
| (2) ग्रेड 'ए' | 565 | 1130 |

(ग) गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के लिए आर्थिक लागत के 50 प्रतिशत पर और गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या के लिए आर्थिक लागत के 100 प्रतिशत पर निर्धारित किए जाते हैं। व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों का अनुमोदन होने पर 25.7.2000 से केन्द्रीय निर्गम मूल्य में संशोधन किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) 25.7.2000 से गेंहू और चावल की आर्थिक लागत गेंहू के लिए 900 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर 830 रुपये प्रति क्विंटल और चावल के लिए 1180 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर 1130 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।

(च) और (छ) वर्तमान में, लागत में और कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मासिक आय योजना**

**1979. श्री किरीट सौमेया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया ने उनके मंत्रालय से अपनी मासिक योजना के अंतर्गत निवेशकों पर कर का बोझ डालने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या 'सेबी' ने इसकी अनुमति देने से इंकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बजट में किए गए नए प्रावधान के परिणामस्वरूप यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया को इस मासिक आय योजना के संबंध में कराधान के रूप में 256 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे;

(ङ) यदि हां, तो क्या लघु निवेशकों और निवेशक संघ ने लघु निवेशकों पर अतिरिक्त 11 प्रतिशत कर भार डालने संबंधी यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के प्रस्ताव का विरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) से (ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने वित्त मंत्रालय से निम्नांकित पर विचार करने को अनुरोध किया था : वित्त विधेयक, 2000 के अंतर्गत नए आय वितरण कर को 30.6.2000 के पश्चात प्रारंभ की गई योजनाओं पर अग्रगामी प्रभाव से लागू करना; 30 जून, 1999 के पूर्व आरम्भ की गई अपनी मासिक आय योजनाओं (एम.आई.पी) के लिए आय वितरण कर खंड से छूट; तथा 30.6.99 के पश्चात एवं 30.6.2000 तक आरंभ की गई सभी योजनाओं पर आय वितरण कर 20 प्रतिशत से घटाकर पूर्ववर्ती वर्ष के 10 प्रतिशत के स्तर पर लाना। सरकार ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के सुझावों को स्वीकार नहीं किया है।

(घ) से (च) वर्ष 2000–2001 के दौरान आय वितरण कर के कारण भारतीय यूनिट ट्रस्ट की आश्वासित मासिक आय योजनाओं पर कुल कर भार लगभग 370.49 करोड़ रुपये है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अनुसार, लघु निवेशक यू टी आई से आश्वासित लाभ पाने की इच्छा रखते हैं।

*[हिन्दी]*

**सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा**

**1980. प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग को विश्व बाजार में स्थापित करने के लिए भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : दि इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (इटपो) विश्व के बाजारो में भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का संवर्धन करने के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों को आयोजित कर रहा है। इटपो द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के ब्यौरे तथा वे कार्यक्रम जिनमें इटपो ने हाल ही में भारत से साफ्टवेयर के निर्यातों का संवर्धन करने हेतु भाग लिया है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

**इटपो द्वारा आयोजित कार्यक्रम**

1. 5–16 मार्च, 2000 में आस्ट्रेलिया में कम्प्यूटर साफ्टवेयर और सेवाएं संबंधी सम्पर्क संवर्धन कार्यक्रम।

2. 26 मार्च से 5 अप्रैल, 2000 तक फ्रांस और नीदरलैंड में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सेवाएं संबंधी उत्पाद संवर्धन कार्यक्रम।

**इटपो ने जिन प्रदर्शनियों/घटनाओं में भाग लिया**

इलैक्ट्रोनिक और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद् ने अपनी सहायक कंपनियों के साथ 3 मेलों/प्रदर्शनियों अर्थात् भारतीय प्रदर्शनी, तेल एविव (इजराइल) में 3–7 मई, 2000 में भाग लिया, 31 मई से 5 जून, 2000 तक टिबको, बूखारेस्ट (रुमानिया) में तथा 20–26 जुलाई, 2000 को एक्सपो–इंडिया सैंटीयागो (चिली) में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, पोर्टेशियल फॉर कोआपरेशन विटवीन इंडिया एंड इजरायल आन हाई टैक सेक्टर्स ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर नामक संगोष्ठी को आयोजन भारतीय प्रदर्शनी, तेल एविव के दौरान इजरायल निर्यात संस्थान तथा भारत के दूतावास द्वारा किया गया। इस संगोष्ठी में 34 महत्वपूर्ण कंपनियों ने भाग लिया। सचिव, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार, जो कि भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे थे, ने भारतीय टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर सेक्टर के बारे में सहभागियों को संक्षेप में संबोधित किया।

इटपो ने पी सी एक्सपो, जापान में 3 भारतीय कंपनियों को (11–15 सितम्बर, 1999) और कम्यूनेट, ओसाका, जापान (14–16 सितम्बर, 1999) में 5 भारतीय कंपनियों को भाग लेने के लिए तैयार किया।

दो प्रमुख कंपनियां अर्थात् टाटा कंसलटैंसी सर्विसिज और स्काई कैपिटल इंटरनेशनल लि. ने 23–27 फरवरी, 2000 तक हांगकांग में इटपो द्वारा आयोजित "इंडिया इन टू दि न्यू मिलेनियम" में भाग लिया।

हाल ही में सम्पन्न हुए, "मैमफिस इन में (एम आई एम) फैस्टीवल" में भारत एक सम्मानित देश था, बांग सेंटर, यूनिवर्सिटी आफ मैमफिस के सहयोग से मिम द्वारा 11.5.2000 को एक प्रमुख संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में टेन्नेसी राज्य (यू एस ए) से महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उपर्युक्त के अलावा, भारत का दौरा करने वाले विदेशी शिष्टमंडलों तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण भारतीय कंपनियों के बीच बैठकें आयोजित की जाती हैं।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किए गए/आयोजित किए जाने वाले विख्यात सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

(i) प्रत्येक वर्ष सितम्बर में आयोजित इंडिया इंटरनेट वर्ल्ड।

(ii) प्रत्येक वर्ष दिसंबर में आई टी वर्ल्ड/कम्डैक्स इंडिया।

(iii) वर्ष 2001 से मार्च में कनवरजैंस इंडिया।

(iv) सन् 2000 तक प्रति वर्ष मार्च में आई टी एशिया।

(v) सितंबर, 2000 में प्रस्तावित सुपरकाम।

*[अनुवाद]*

**प्रसंस्कृत नमक के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध**

**1981. श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तटीय क्षेत्रों विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में प्रसंस्कृत नमक का उत्पादन अगाड़ी समुदाय के लोगों का पारम्परिक व्यवसाय है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस नमक के उत्पादन और विपणन पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि इस आयोडीनयुक्त नमक को मान्य निशान प्राप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या "इंडियन मेडिकल एसोशिएशन" ने प्रमाणित किया है कि इस नमक का प्रयोग मनुष्य के लिए हानिप्रद नहीं है और उसने इस नमक के उत्पादन और विपणन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) प्रतिबंध हटाने के लिए कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण)** : (क) जी, हां।

(ख) से (च) सामान्य नमक के उत्पादन पर कोई रोक नहीं है। किंतु, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीधे मानव उपभोग हेतु आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है जो 27.5.1998 से लागू है। उक्त मंत्रालय ने 10.5.2000 को एक नयी अधिसूचना जारी की है जिसमें सीधे मानव उपभोग के लिए आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने के प्रस्ताव पर जनता से विचार आमंत्रित किये जाते हैं।

सीधे मानव उपभोग हेतु आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर से प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव से संबंधित इस अधिसूचना को जारी करने का निर्णय समाज के कुछ विशेष वर्गों द्वारा बार–बार दिए गए उन अभ्यावेदनों पर आधारित था जिनमें यह कहा गया था कि जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उपायों के संबंध में कोई बाध्यता नहीं

होनी चाहिए और इस मुद्दे को जनता के "जानकारीयुक्त चयन (इनफार्म्ड च्वाइस)" पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

चिकित्सा विशेषज्ञों सहित जनता से आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर से प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव के समर्थन में तथा विरोध में दोनों प्रकार की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में इस मामले पर अंतिम निर्णय लिये जाने से पूर्व सभी प्रकार के विचारों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जायेगा।

**स्टाम्प पेपर की कमी**

**1982. श्री रामजी मांझी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्टाम्प पेपर की कमी हो गई है और उसके फलस्वरूप नकली स्टाम्प पेपर बिक रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो स्टाम्प पेपर की कमी के क्या कारण हैं और नकली स्टाम्प पेपर बेचने के कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(ग) स्टाम्प पेपर की कमी को पूरा करने तथा ग्राहकों को उन्हें आसानी से उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार)** : (क) और (ख) देश में स्टाम्प पेपरों की कोई कमी नहीं है तथा भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के पास इसका पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है मांगकर्ताओं द्वारा परेषण (माल) प्राप्त न किए जाने के कारण कृत्रिम कमी हो सकती है। विगत एक वर्ष के दौरान, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा जांच–पड़ताल करने के पश्चात् 853 स्टाम्प पेपरों को जाली पाया गया था।

(ग) भारत प्रतिभूति मुद्रणालय किसी भी मांग की तुरंत पूर्ति कर पाने की स्थिति में है।

*[हिन्दी]*

**भर्ती संबंधी नई नीति**

**1983. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भर्ती संबंधी नई नीति तैयार करने के लिए केन्द्रीय मंत्रियों के सचिवों की समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में व्याप्त बेरोजगारी से संबंधित समस्याओं और भर्ती संबंधी नीति के तहत् बेरोजगारी से होने वाली समस्याओं के अतिरिक्त बेरोजगार लोगों की बढ़ती संख्या का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

**विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग हेतु कानून**

**1984. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किसी विदेशी कंपनी के सहयोग से होने वाले निवेश को शासित करने वाले वर्तमान कानून क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इन कानूनों के उल्लघंन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले दो वर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण)** : (क) से (घ) देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह विदेशी मुद्रा अनुरक्षण अधिनियम (फैमा) के उपबंधों द्वारा शासित होता है। जिन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लाया जाता हैं, उनके लिए सामान्यतः भारत में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी को निगमित किया जाता है। एक बार निगमित हो जाने पर ऐसी कंपनी को कार्पोरेट हस्ती के लिए तौर पर सभी भारतीय कानूनों का पालन करना पड़ता है। जब भी कोई कंपनी कानूनों का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ देश के कानूनों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। कानूनों के उल्लंघनों से संबंधित सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय स्मारक**

**1985. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किसी स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने के लिए निर्धारित नियम और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में इन नियम और शर्तों के अंतर्गत जिन–जिन स्थलों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो 2000–2001 के दौरान इन स्मारकों पर विकास कार्यों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) कोई ढांचा, स्मारक, कोई गुफा, एकाश्म, कोई स्तूप अथवा दफन करने का स्थान, जो अद्वितीय ऐतिहासिक, पुरातात्विक अथवा कलात्मक रुचि का हो और जो कम से कम सौ वर्ष से अस्तित्व में हो, उसे प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4(1) और उसके अधीन बनाए गए 1959 के नियमों के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किए जाने के लिए विचार किया जा सकता है।

(ख) बुलढाना जिला में राष्ट्रीय महत्व के 17 संरक्षित स्मारक हैं जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ये संरक्षित स्मारक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, अतः इस प्रकार की कोई अलग घोषणा की परिकल्पना नहीं की गई है।

(घ) इन कुछ स्मारकों की छोटी–मोटी मरम्मतें एवं दिन–प्रतिदिन का रखरखाव करने के वास्ते चालू वर्ष 2000–2001 के दौरान 0.9 लाख रुपये की राशि का नियतन किया गया है।

**विवरण**

*बुलढाना जिला, महाराष्ट्र स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची*

| क्रम सं. | स्मारक का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | मोती समाधि | देउलगांव राजा |
| 2. | तीन पुराने मंदिर | धोटरा (नंदई) |
| 3. | मस्जिद | फथेखेड़ा (सखेरखेड़ा) |
| 4. | दो पुराने मंदिर | कोठाली |
| 5. | छत्रा के नाम से प्रसिद्ध धर्मशाला | लोनार |
| 6. | पन्द्रह मंदिर | लोनार |
| 7. | जैमुख मंदिर तथा हौज | लोनार |
| 8. | दैत्य सूदन का जैमुख मंदिर सं. 1 | लोनार |
| 9. | कस्बा के पूर्व में स्थित वर्गाकार कुंड | लोनार |
| 10. | दैत्य सूदन का मंदिर | लोनार |
| 11. | कस्बा के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित धर्मशाला | मेहकर |
| 12. | मस्जिद | रोहिनखेड़ |
| 13. | महादेव मंदिर | सकेगांव |
| 14. | विष्णु मंदिर एवं इसके पूर्व में स्थित पुराने भवन के अवशेष तथा लघु मंदिर के अवशेष | सतगांव |
| 15. | हौज | सिंधुखेड़ राजा |
| 16. | महादेव मंदिर | सिंधुखेड़ राजा |
| 17. | लखुजी जाधवराय की समाधि | सिंधुखेड़ |

**खालसा पंथ का त्रि-शताब्दी समारोह**

**1986. श्री सिमरनजीत सिंह मान** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा खालसा पंथ के त्रि–शताब्दी समारोहों के लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) अब तक कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है और इसमें से राष्ट्रीय सिख संगत को इसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में पंजाब सरकार को भी धनराशि प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) खालसा के त्रि–शताब्दी समारोहों के लिए 64.86 करोड़ रुपये

की राशि संस्वीकृत की गयी। इसमें से अभी तक 59.56 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी है। राष्ट्रीय सिख संगत को कोई राशि नहीं दी गयी है।

(ग) जी, हां।

(घ) खालसा पंथ के त्रिशताब्दी समारोह से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों को संपन्न करने के लिए पंजाब राज्य सरकार को 50.00 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की गयी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**उत्खनन कार्य**

**1987. श्री अनिल बसु :**

**श्री जी. एम. बनातवाला :**

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्वावधान में कितने उत्खनन कार्य चल रहे हैं;

(ख) इन चालू उत्खनन कार्यों की प्रकृति, उद्देश्य और अन्य ब्यौरे सहित इनके स्थान, कार्य आरम्भ की तिथि और पूरा होने की संभावित तिथि का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक उत्खनन में खोजी गई वस्तुओं/साक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और क्या इनका प्रलेखन और मूल्यांकन किया गया है और क्या इनकी रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई हैं;

(घ) अब तक प्राप्त पुरातत्व संबंधी उन वस्तुओं और साक्ष्यों का इनके प्राप्त होने की तिथि सहित ब्यौरा क्या है जिनका मूल्यांकन नहीं किया गया है या जिनके संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है;

(ङ) चालू वर्ष और आगामी वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित उत्खननों का ब्यौरा क्या है; और

(च) झूठे या जाली उत्खननों, प्राप्तियों का साक्ष्यों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चल रहे खुदाई कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उत्खनन की खोजों का मूल्यांकन तथा प्रलेखन कर लिया गया है।

(ङ) चालू उत्खननों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं। भविष्य के उत्खननों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर और सुस्थापित मानदंडों के अनुसार खुदाई कार्य करता है।

**विवरण**

*इस समय चल रहे उत्खननों के स्थलवार ब्यौरे जिनका संचालन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है।*

| राज्य, जिला तथा स्थल का नाम | शुरू करने की तिथि | संपूर्ण होने की तिथि | प्रलेखन का स्वरूप, उद्देश्य स्थिति तथा अन्य ब्यौरे | रिपोर्ट की स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| असम, गोलपाड़ा श्री सूर्य पहाड़ | दिसम्बर, 1992 | कार्य चल रहा है | उत्खनन का स्वरूप तथा उद्देश्य, पूर्व मध्ययुगीन अवधि के एक ईंट के मंदिर के सांस्कृतिक घटनाक्रम का पता लगाना था। यह मंदिर एक बाड़े की दीवार के भीतर बंद था और जिसमें एक मंदिर तथा सामने एक द्वार मंडप बना हुआ था। चबूतरे वाला एक चौकोर मंदिर खोजा गया जिसमें अधिष्ठिता नहीं थी। उत्खनन | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | के दौरान प्राप्त कुछ सजावटी टेराकोटा पट्टियों का मूल्यांकन तथा प्रलेखन कर लिया गया है। | |
| बिहार, पूर्वी चम्पारन केसरिया | जनवरी, 1998 | कार्य चल रहा है | उत्खनन का स्वरूप तथा उद्देश्य एक बौद्ध स्तूप के निर्माण के विभिन्न चरणों का पता लगाना था। गुप्त अवधि के उत्तरवर्ती समय का एक पांच छज्जों वाला गोल ईंट का स्तूप, जो संभवतः शुंग–कुषाण काल के एक पूर्व स्तूप को शामिल कर रहा था, को खोजा गया। प्रत्येक छज्जे में प्रकोष्ठ, बुद्ध की कुछ गच की ढांचे में बनी मूर्तियां हैं। खोजों का मूल्यांकन तथा प्रलेखन कर लिया गया है। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। |
| गोवा, दक्षिण गोवा चंदौर | फरवरी, 2000 | कार्य चल रहा है। | चंदौर में किए गए उत्खनन से सांस्कृतिक गतिविधियों के तीन स्पष्ट चरणों का पता चलता है जिसमें सबसे पहले चरण के रूप में स्वस्तिकाकार जैसी ईंट की सरंचना जिसका आधार खम्भे हैं, जो एक विशाल मंडप तथा गर्भगृह वाले एक ईंट से बने मंदिर से ढका हुआ है। तीसरे चरण से एक चकोर ईंट के भवन का पता चलता है जिसका संबंध–द्वितीय चरण के मंदिर के साथ स्थापित किया जाना है। मंदिर परिसर के पूर्व में उत्खनन से चौड़ी ईंट की शहर की दीवार का भी पता चलता है जो उत्तर–दक्षिण में जा रही है और जिसकी लम्बाई 20 मीटर से अधिक है, जिस की समय–समय पर लगातार मरम्मतें की गई हैं। अन्य खोजों में, सिक्के, तांबे की कीलें, सोने के कर्ण आभूषण, टाइलें और मिट्टी के बर्तन शामिल हैं। सभी साक्ष्यों का मूल्यांकन कर लिया गया है। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| गुजरात, कच्छ धोलावीरा | दिसम्बर, 1991 | कार्य चल रहा है | एक बेजोड़ हड़प्पा शहर (अवधि 3000–1500 ई. पू.) का उत्खनन जनवरी 1990 से नौ क्षेत्रीय मौसमों से किया जा रहा है। इस कार्य से, नगर आयोजना, स्मारकीय तथा साथ ही सुन्दर वास्तुकला, जल संचयन प्रणाली खेल मैदानों का प्रावधान, संगदरेसी प्रौद्योगिकी, अंत्येष्टि वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के प्राप्त होने के साथ–साथ हड़प्पा सभ्यता के उत्थान तथा पतन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अन्य अवशेषों में विशाल जलाशय, एक जलाशय जिसमें क्षतिग्रस्त 30 सीढ़ियों का सोपान है तथा अन्य चट्टान काट कर बनाया गया जलाशय हड़प्पा के परिप्रेक्ष्य में एक असाधारण महत्व रखता है। खोजों का मूल्यांकन तथा प्रलेखन कर लिया गया है। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। |
| हरियाणा, हिसार राखीगढ़ी | नवम्बर, 1987 | कार्य चल रहा है | यह एक हड़प्पा कालीन स्थल है। उत्खनन से सार्वजनिक भवन जल–निकासी के साक्ष्य विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पों तथा लम्बी दूरी के व्यापारों की गतिविधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्थल से मिली शिल्पकृतियों में टेरा कोटा आकृतियां, सोने, चांदी, तांबे, सीप, अर्द्ध–मूल्यवान पत्थरों, सेंलखड़ी, सभी प्रकार की मिट्टी, गृत्तिका, हड्डी आदि से बने आभूषण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर तथा गृत्तिका निर्मित वस्तुएं भी प्राप्त हुई। एक हड़प्पाकालीन कब्रिस्तान की भी पहचान की गई है। प्राप्त वस्तुओं का मूल्यांकन तथा प्रलेखन किया गया है। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| जम्मू और कश्मीर जम्मू, अमाबरन | जनवरी, 2000 | कार्य चल रहा है। | पहले स्थल से अखुनूर की तरह की टेराकोटा आकृतियां प्राप्त हुई थीं जो पूर्व ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। स्थल पर उत्खनन कार्य, संस्कृति का घटनाक्रम तथा अखुनूर की तरह ही टेराकोटा आकृतियों का अध्ययन स्तरित परिप्रेक्ष्य में करने के लिए किया गया। उत्खनन के दौरान प्राप्त शिल्पकृतियां तथा मिट्टी के बर्तनों का मूल्यांकन तथा प्रलेखन किया गया है। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। |
| कर्नाटक, वेल्लारी हम्पी | जनवरी, 1978 | कार्य चल रहा है। | इस स्थल की पहचान विजय नगर के रूप में की गई है, जो विजयनगर राज्य की राजधानी थी और जो चौदहवीं से सोलहवी शताब्दी में फली–फूली। उत्खनन में पुरावशेषों और मुद्राशास्त्रीय आंकड़ों के साथ–साथ विजयनगर महल परिसर के अवशेषों, जल संचयन प्रणाली आदि प्राप्त हुई। प्राप्त वस्तुओं का मूल्यांकन तथा प्रलेखन कर लिया गया है। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। |
| कर्नाटक, गुलबर्ग कंगन हल्ली | मार्च, 1995 | कार्य चल रहा है | सतवाहन काल के स्तूप के अवशेष जो दूसरी शताब्दी ई. पू. से दूसरी तीसरी शताब्दी ईसवी के हैं। बौद्ध, बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियां, बुद्ध के जीवन के घटनाओं को दर्शाने वाली नक्काशी वाली पट्टियां। खोजों का मूल्यांकन तथा प्रलेखन कर लिया है। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। |
| कर्नाटक, उत्तरी कनारा, मीरजान किला | दिसम्बर, 1999 | कार्य चल रहा है | कई लैटराईटिक संरचनाएं, जल जमा करने के लिए जल हौज और आयुधों का भंडारण करने के लिए चूने से पलस्तर किए हुए भूमिगत कक्ष प्रकाश में लाए गए। | चल रहा है उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | महत्वपूर्ण खोजें जैसे 1652 ई. में गोवा में बनाया गया। पुर्तगाली सोने का सिक्का और कैनन वाल एवं चित्रकारी सहित चीन की मुद्रित चीनी मिट्टी का मूल्यांकन तथा प्रलेखन कर लिया गया है। | |
| कर्नाटक, श्रीरंगपट्टनम लाल महल | नवंबर, 1998 | कार्य चल रहा है | उत्खनन कार्य, लाल महल/प्राचीन महल की सरंचनात्मक गतिविधियों की जांच के दृष्टिकोण से शुरू किया गया, महल के मलबे का एक भाग पहले साफ किया गया था। जंगले सहित सीढ़ियों का सोपान टीले के पश्चिमी तरफ प्राप्त हुआ जो पूर्व में चूबतरे तक जाता था। चबूतरे के उत्तर तथा दक्षिण में कई कमरे पाए गए। सभागार के पूर्व में एक खम्भे वाला हॉल स्थित था। प्राप्त वस्तुओं का मूल्यांकन तथा प्रलेखन कर लिया गया था। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। |
| केरल, कासरगोडे बेकल किला | दिसंबर, 1997 | कार्य चल रहा है | किले के भीतर सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बस्तियों के अवशेष हैं और उत्खनन से गली के समानांतर ग्रिड पैटर्न में बने अनेक आवासीय गृहों का पता चला। टीपू सुलतान की एक टकसाल के साथ–साथ अनेक भट्टियों एवं 150 तांबे की तारकोल मिश्रित झिल्लियां भी प्रकाश में आई। पुरावशेषों का मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण किया गया जिनमें 100 सिक्के, क्वाइन डाई, सोने के कर्ण फूल आदि शामिल हैं – यह सभी टीपू सुलतान की अवधि के हैं। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। |
| मध्य प्रदेश, पश्चिमी निमार (खारगांव) | जनवरी, 1999 | कार्य चल रहा है | उत्खनन से 4.5 मीटर गहन जमाव वाले चार परती सांस्कृतिक क्रम का पता चला तो ताम्र–पाषाण काल से लेकर | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| चिचाली | | | आरंभिक ऐतिहासिक काल अर्थात् अहार, मालवा, जोर्वे एवं आरंभिक ऐतिहासिक अवधि के हैं। लगभग सभी स्तरों में विभिन्न प्रकार की गृह योजनाओं के साथ–साथ टेराकोटा, तांबा, प्रस्तर, हड्डी, हाथी दांत एवं लौह वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। प्राप्त वस्तुओं का मूल्यांकन एवं प्रलेखन कर लिया गया है। | |
| मध्य प्रदेश, छतरपुर, वीजामंडल टीला, खजुराहो | मार्च, 1999 | कार्य चल रहा है | उत्खनन से मूर्तियों से युक्त एक बृहद मंदिर परिसर एवं वास्तु शिल्प घटकों का पता चला जो चन्देल काल के हैं। अर्द्धनिर्मित मूर्तियों के अलावा महत्वपूर्ण मूर्तियां, सरस्वती, जैन तीर्थंकरों की हो सकती हैं। प्राप्त वस्तुओं को मूल्यांकन एवं प्रलेखन कर लिया गया है। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। |
| मध्य प्रदेश, सीवा, बारहाट (देवरकोठार) | दिसंबर, 1999 | कार्य चल रहा है | बारहाट (देवरकोठार) स्थित स्तूप सं. 1 एवं 2 का उत्खनन किया गया। तोरण से अलंकृत दोनों स्तूपों की योजना चौकोर है, उन्हें ईंटों के क्षारीय घोल से मेढ़ी तक ढका गया। ये खंडहर मौर्य–शुंग काल के हो सकते हैं। क्योंकि उत्खनन से मौर्य–कालीन 6 लाइनों का ब्राहमी अभिलेख एवं शुग–ब्राहमी गुणों वाले कुछ दान अभिलेख मिले हैं। पुरावशेषों का मूल्यांकन एवं प्रलेखन कर लिया गया है। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। |
| उड़ीसा, जाजपुर, उदयगिरि | दिसंबर, 1997 | कार्य चल रहा है | उत्खनन से ईंटों के बने दो मंजिली मठ मिले हैं। जिनमें मठवासीय कोठरियां, बरामदा, गलियारा बुद्ध प्रतिमा वाला मंदिर शामिल हैं। महत्वपूर्ण प्राप्त वस्तुओं में बौद्ध देवी– | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | देवताओं की मूर्तियां, वास्तुशिल्प टुकड़े, खंडित प्रस्तर अभिलेख, मन्नत स्तूप, टेराकोटा की बनी सीलें एवं मुहरें हैं। बुद्ध एवं बोधिसत्व की दो कास्यं प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। इस स्थल की अवधि लगभग 9वीं शताब्दी ई. 10वीं शताब्दी ई. तक की हैं। पुरावेशेषों का मूल्यांकन एवं प्रलेखन कर लिया गया है। | |
| पंजाब, मनसा, धलेवान | जनवरी, 2000 | कार्य चल रहा है | पूर्व हड़प्पाकालीन से हड़प्पा काल तक के क्रमिक विकास एवं स्थापना पैटर्न का अध्ययन करने के लिए उत्खनन कार्य प्रभावित है। पुरावस्तुओं का मूल्यांकन एवं प्रलेखन कर लिया गया है। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। |
| राजस्थान, भीलवाड़ा, ओजेना | जनवरी, 2000 | कार्य चल रहा है | यह उत्खनन संस्कृति के अनुक्रम एवं इसके अन्य तत्कालीन ताम्र पाषाण–कालीन स्थलों से संबंध को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। उत्खनन से प्राप्त आंकड़ों से अहार संस्कृति के विस्तार एवं इस स्थल की दक्षिण की ताम्र पाषाण संस्कृति के साथ अन्तर्क्रिया को निर्धारित करने में मदद मिली है। लगभग 800 पुरावशेषों का प्रलेखन एवं मूल्यांकन किया गया है। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। |
| तमिलनाडु, कांचीपुरम, समुद्रतटीय मंदिर परिसर | दिसंबर, 1997 | कार्य चल रहा है | उत्खनन से फर्शों, रूमानांतर ईंट की बनी दीवारों एवं प्लेटफार्म के रूप में संरचनात्मक अवशेष प्रकाश में आए जो आरंभिक मध्यकाल के हैं। बाद की खुदाई से प्रस्तर नींव पर बनी ईंट की दो दीवारों, जो समानान्तर रूप में उत्तर–दक्षिण की ओर गई हैं, एवं एक वर्गाकार ईंटों के बने कक्ष का पता चला है। प्राप्त पुरावस्तुओं का मूल्यांकन एवं प्रलेखन कर लिया गया है। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश, आगरा, फतेहपुर सीकरी | फरवरी, 1999 | कार्य चल रहा है | सीकरी गांव में स्थित बीर–छबीली–का टीला के उत्खनन से 34 जैन मूर्तियां मिली जिनमें ऋषभदेव, कुन्दुनाथ एवं सम्भवजी की प्रतिमाएं और सरस्वती एवं अम्बिका की प्रतिमाएं शामिल हैं जो 10वीं से 11वीं शताब्दी ई. की हैं। पुरावशेषों का मूल्यांकन एवं प्रलेखन कर लिया गया है। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर क?दी गई है। |
| उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती, ओराझार | फरवरी, 2000 | कार्य चल रहा है | बौद्ध स्थल के उत्खनन से तीन महत्वपूर्ण संस्कृतियों अर्थात् कुषाण गुप्त एवं मध्यकाल का पता चला। काल–I से कुषाण कालीन एक मठवासीय परिसर मिला। काल–II से गुप्त मंदिर प्रकाश में आया। काल–III–क से संरचना जैसा का वर्गाकार प्लेट फार्म और काल–III–ख से मंदिर का नक्षत्र की आकृति वाला प्लेटफार्म प्रकाश में आया। सभी संरंचनाओं पुरावशेषों का उचित प्रलेखन एवं मूल्यांकन कर लिया गया है। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। |
| पश्चिम बंगाल, कूच बिहार, खालसा में राजपाट | मार्च, 1999 | कार्य चल रहा है | राजपाट टीले की खुदाई से क्रमागत तीन सांस्कृतिक कालों अर्थात् पाल काल, शेन काल और कोच काल और कम से कम सात संरंचनात्मक सोपानों के होने का पता चला है। खुदाई से किले के चारों ओर पाल काल की ईंट से बनी चार दीवारी का पता चला है। विभिन्न कालों के संरंचनात्मक अवशेषों के अलावा, कई मूल्यांकित तथा प्रलेखित पुरावस्तुएं ये हैं : लोहे के फावड़े, तीर–शीर्ष, हंसिया, कीलें, शिंकजे, छेनियां, तांबे की कीलें, एक सल्तनत सिक्का, भारी उभरे टेराकोटा गोले और कई मूर्ति टुकड़े। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल, उत्तरी, 24 परगना चन्द्रकेतुगढ़ | अप्रैल, 2000 | कार्य चल रहा है | इनके उद्देश्य थे–स्थल के सांस्कृतिक अनुक्रम का पता लगाना, परकोटा तथा निवास योग्य क्षेत्र और निर्माण के सोपानों के बीच संबंध स्थापित करना। महत्वपूर्ण पुरावस्तुएं जो मिली वे थीं : बोन पोइण्टस, डाइयां, टेराकोटा और पत्थर की वस्तुएं। टेराकोटा मिथुन फलक का मिलना एक विशेष बात है। पुरावस्तुओं का मूल्यांकन तथा प्रलेखन किया गया। | चल रहा उत्खनन। निर्धारित संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। |

**दिल्ली में विश्व विख्यात धरोहर**

**1988. श्री अनन्त नायक : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थान वार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने विश्व विख्यात धरोहर स्थल हैं;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय संरक्षण उपलब्ध कराने हेतु कुछ धरोहर स्थलों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन धरोहर स्मारकों के संरक्षण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) सोलह केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को विश्व विरासत स्थलों के रूप में घोषित किया गया है। जिनका विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय संरक्षण के लिए स्मारकों का अभिनिर्धारण एक सतत् प्रक्रिया है। चालू वर्ष में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, दिल्ली में विख्यात उर्दू शायर शेख मोहम्मद इब्राहिम जौक की कब्र और कर्नाटक के बेलगांव जिला में स्वर्णेश्वर, रामलिंगेश्वर, भुवराह और कमलेश्वर मन्दिरों के परिरक्षण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। धनराशि का नियतन प्रत्येक स्मारक की आवश्यकता के अनुसार धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

**विवरण**

*भारत में विश्व विरासत स्मारकों की सूची*

| क्रम सं. | स्मारक का नाम | स्थान | राज्य |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अजंता गुफाएं | अजंता | महाराष्ट्र |
| 2. | एलोरा गुफाएं | एलोरा | महाराष्ट्र |
| 3. | एलीफेंटा गुफाएं | एलीफेंटा | महाराष्ट्र |
| 4. | आगरा किला | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| 5. | ताजमहल | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| 6. | फतेहपुर सीकरी स्थित स्मारक समूह | फतेहपुर सीकरी | उत्तर प्रदेश |
| 7. | सूर्य मंदिर | कोणार्क | उड़ीसा |
| 8. | गोवा स्थित गिरजाघर एवं मठ | पुराना गोवा | गोवा |
| 9. | खजुराहो स्थित स्मारक समूह | खजुराहो | मध्य प्रदेश |
| 10. | सांची स्थित बौद्ध स्मारक | सांची | मध्य प्रदेश |
| 11. | हुमायूं का मकबरा | निजामुद्दीन | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
| 12. | कुतुब मीनार एवं इसके स्मारक | महरौली | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
| 13. | हम्पी स्थित स्मारक समूह | हम्पी | कर्नाटक |
| 14. | पट्टडकल स्थित स्मारक समूह | पट्टडकल | कर्नाटक |
| 15. | बृहदीश्वर मंदिर | तंजावुर | तमिलनाडु |
| 16. | महाबलीपुरम स्थित स्मारक समूह | महाबलीपुरम | तमिलनाडु |

*[हिन्दी]*

**भारतीय पर्यटकों द्वारा विदेश यात्राएं**

**1989. श्री तूफानी सरोज** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान विदेशों की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वर्षवार कुल कितने भारतीय पर्यटकों ने किस-किस देश की यात्रा की?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान अन्य देशों की यात्रा करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :-

| वर्ष | अन्य देशों की यात्रा करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की संख्या |
|---|---|
| 1998 | 38,10,908 |
| 1999 | 38,82,876 |

अन्य देशों की यात्रा करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के गंतव्य स्थलवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

*[अनुवाद]*

**बिहार में गोदामों का निर्माण**

**1990. श्री राम प्रसाद सिंह** :

**श्री मोहम्मद अनवारूल हक** :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार से राज्य में गोदामों के निर्माण के लिए 40.29 करोड़ रुपये मंजूर करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंजूरी कब तक मिल जाने की संभावना है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**मूल्य स्थिरता**

**1991. श्री दिन्शा पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजना में एक हद तक मूल्य स्थिरता बहाल रखने की परिकल्पना की गई थी जिसे प्राप्त नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और मूल्य स्थिरता कायम रखने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) नौवीं योजना (1997-2002) का एक विशिष्ट उद्देश्य मूल्य स्थिरता के साथ अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को तेज करना था। सरकार के राजकोषीय घाटे को रोककर तथा सुविधाजनक स्तर तक सरकार के ऋण लेने के कार्यक्रम को नियंत्रित करके यह उद्देश्य प्राप्त किया जाना था।

सरकार अभी तक मुद्रास्फीति को उचित सीमा तक नियंत्रित रखने में सफल रही है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है :

वार्षिक मुद्रा स्फीति दर (प्रतिशत)

आधार 1993-94 = 100

| | बिन्दु-दर-बिन्दु | 52 सप्ताह का औसत |
|---|---|---|
| 1997-98 | 4.5 | 4.4 |
| 1998-99 | 5.3 | 4.9 |
| 1999-00 | 6.5 | 3.3 |
| 2000-01 | 6.1* | 4.3* |

* 15-7-2000 की स्थिति के अनुसार।

(ग) कारगर आपूर्ति प्रबंधन एवं अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों एवं आपूर्ति की गहन मानिटरिंग के द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार सम्मिलित प्रयत्न करती आ रही है। जब कभी आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है ताकि मूल्यों की स्थिरता बनाई रखी जा सके।

नौवीं योजना के दस्तावेज में उल्लिखित सरकार के राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के उद्देश्य का दृढ़-निश्चय के साथ अनुपालन किया जा रहा है। राजकोषीय घाटे के मध्यावधिक प्रबंधन

के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम में निहित एक सुदृढ़ सांस्थानिक कार्य–तंत्र तैयार किया जा रहा है। इस मुददे की जांच करने और उचित सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन कर लिया गया है। व्यय प्रबंधन को सरल एवं कारगर बनाने की दृष्टि से व्यय संबंधी मुद्दों की व्यय सुधार आयोग द्वारा भी संवीक्षा की जा रही है। इन सम्मिलित प्रयासों से सरकार की संपूर्ण लोक–ऋण स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ने की आशा है।

*[हिन्दी]*

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च पदस्थ अधिकारियों के कार्यकलापों का मूल्यांकन**

**1992. डॉ. संजय पासवान** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों के कार्यकलापों पर निगाह रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रधानों के कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित मॉडल सी डी ए नियमावली पर आधारित सरकारी क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों की आचरण, अनुशासन व अपील नियमावली द्वारा शासित किए जाते हैं। एक मॉडल सतर्कता ढांचे का सुझाव भी दिया गया है, जो सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम द्वारा संगठन के आकार, कार्य तथा प्रचालन के अनुरूप अपनाया जा सकता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति मुख्य सतर्कता आयुक्त के परामर्श से की जाती है।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन के शीर्ष पदों के पदासीन अधिकारियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के माध्यम से किया जाता है। इस आकलन में अन्य बातों के साथ–साथ उत्पादन, बिक्री लाभ के संबंध में उद्यमों के लिए निर्धारित लक्ष्य मानव दिवस हानि, यदि कोई हो, में प्रदर्शित सौहार्द पूर्ण औद्योगिक संबंध, इत्यादि तथा कंपनी की संगठनात्मक कारगरता में सुधार करने के लिए प्रस्तावित योजनाएं तथा साथ ही समीक्षा–धीन अवधि के दौरान वास्तविक उपलब्धियां शामिल हैं। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन की निगरानी रखने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवधिक कार्य–निष्पादन समीक्षा संबंधी बैठकें की जाती हैं। तदर्थ कार्यदल द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष के अंत में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कम्पनियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है।

*[अनुवाद]*

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में केरल से ज्ञापन**

**1993. श्री वरकला राधाकृष्णन** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में केरल के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) जी, हां।

(ख) केरल के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय शिष्टमंडल ने ज्ञापन दिया था जिसमें केरल राज्य, जो एक उपभोक्ता राज्य है और खाद्य उत्पादन में कमी वाला राज्य है वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क को बनाए रखने की आवश्यकता है। ज्ञापन में उठाए गए मुख्य मुद्दे चावल के संबंध में गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों को बढ़ाने, मिट्टी के तेल और रसोई गैस के मूल्य बढ़ाने, खाद्यान्नों के संचलन से प्रतिबंध हटाने और भारत सरकार द्वारा चावल के आबंटन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहचान की गई गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या स्वीकार करने के संबंध में थे।

(ग) (i) न्यूनतम समर्थन मूल्य को केन्द्रीय निर्गम मूल्य के साथ जोड़ने और देश में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के प्रति राजसहायता को बेहतर रूप से लक्षित करने के लिए गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य में 1.4.2000 से वृद्धि की गई है। तथापि, गेहूं/चावल के मासिक कोटे को 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह किये जाने के कारण गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को लाभ मिलता रहेगा। इन मूल्यों में 25 जुलाई, 2000 से और संशोधन किया गया है।

(ii) खाद्यान्नों के संचलन पर प्रतिबंध के संबंध में भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया है कि वे खाद्यान्नों के संचलन और स्टाक रखने की सीमा संबंधी प्रतिबंधों को हटा दें।

(iii) गरीबी के अनुपात और संख्या के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल की क्रियाविधि पर योजना आयोग ने केरल के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या और प्रतिशतता को 25.43 परसेंट के रूप में निर्धारित किया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की पहचान करने हेतु भारत सरकार ने इस आधार को स्वीकार कर लिया है और यही आधार बिना किसी अपवाद के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है।

**राष्ट्रीय सहकारी बैंक**

**1994. श्री राम नायडू दग्गुबाटि :**

**श्री के. येरननायडू :**

**श्री जय प्रकाश :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेशनल को-आपरेटिव बैंक आफ इंडिया को लाइसेंस देने के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ताकि यह 'नाबार्ड' की तरह राज्यों को धनराशि उपलब्ध करा सके और भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन कार्य कर सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

*[हिन्दी]*

**बिहार के लिए धनराशि**

**1995. श्री निखिल कुमार चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार को वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए इस राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य ने उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) से (घ) निधियां राज्य सरकारों को सकल ऋण तथा सकल अनुदान के रूप में जारी की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार को जारी की गई निधियां इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रुपये में)

| | सकल ऋण | सकल अनुदान |
|---|---|---|
| 1997-98 | 959.21 | 405.12 |
| 1998-99 | 1383.32 | 569.52 |
| 1999-2000 | 1587.25 | 629.37 |

राज्य योजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजे गये व्यय संबंधी आंकड़ों के आधार पर समायोजन के अधीन होती हैं। तथापि भारत के नियंत्रक एवं महोलखा परीक्षक द्वारा तैयार लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से राज्य सरकारें निधियों के उपयुक्त उपयोग के लिए अपने राज्य विधान मंडलों के प्रति जवाबदेह हैं।

*[अनुवाद]*

**जल के पुनः प्रयोग और संरक्षण को अपनाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन**

**1996. श्री एम चिन्नासामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल के पुनः प्रयोग और संरक्षण कृत्यों को अपनाने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण)** : (क) जी, नहीं। पुनः प्रयोग कृत्यों को अपनाने वाले और गैर-परम्परागत कच्चे माल का इस्तेमाल करने वाली कागज मिलों जैसे कतिपय उद्योगों के लिए प्रोत्साहन पहले ही रियायती उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क के रूप में उपलब्ध हैं। कागज और गत्ता, जिसके निर्माण के लिए 75 परसेंट और इससे अधिक गैर-परम्परागत

कच्चे माल का इस्तेमाल होता है, उसको 3500 मी. टन प्रतिवर्ष की प्रथम निकासी तक उत्पाद–शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। कागज मिलों को रद्दी कागज का 5 परसेंट मूल सीमा शुल्क की रियायती दर पर, आयात करने की अनुमति दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**भारतीय मुद्रा की जब्ती**

**1997. श्री उत्तमराव ढिकले** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू पत्तन (महाराष्ट्र) से दुबई जाने वाले एक कंटेनर से एक करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा; और

(ङ) ऐसी घटनाओं के संबंध में सरकार ने क्या नीति अपनाई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार)** : (क) से (घ) राजस्व आसूचना निदेशालय, मुम्बई ने दिनांक 12.6.2000 और 29.6.2000 को दो अलग–अलग मामलों में, मास्टरबैचिस की उन तीन निर्यात खेपों (रंगने के लिए प्लास्टिक की कच्ची सामग्री) से कुल मिलाकर 66,99,000/- रुपए मूल्य की भारतीय करेंसी जब्त की है, जिनका मैसर्स प्रदीप मास्टरबैचिस प्रा. लि. तलोजा द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन, न्हवा शिवा पर दुबई को निर्यात करने का प्रयास किया जा रहा था। लैमिनेटिड पेपर बैगों में पैक की हुई भारतीय करेंसी को भारत के बाहर तस्करी हेतु निर्यात खेपों के बैगों/पैलट में छिपाया गया था। भारतीय करेंसी सहित तीन निर्यात खेपों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अंतर्गत जब्त कर लिया गया था। 13.6.2000 को कंपनी के निदेशक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे 11.7.2000 तक न्यायिक हिरासत में रखा गया था। उसे अब जमानत पर छोड़ दिया गया है।

(ङ) भारत में और/अथवा भारत से बाहर माल की तस्करी करने का प्रयास करने से उस माल को जब्त किया जा सकता है और इस प्रकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अंतर्गत उसे अभिगृहीत किया जा सकता है। तस्करी के गतिविधि में शामिल पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के साथ–साथ उन पर अर्थदंड लगाने की कार्यवाही भी की जा सकती है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के अनुसार, माल की तस्करी में शामिल/प्रयास करते पाए गए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है।

*[अनुवाद]*

**उड़ीसा के मंदिरों का संरक्षण**

**1998. श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर, पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, के विकास और संरक्षण हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से परामर्श करके, पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2000–2001 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए ग्यारह परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है जिनमें 60.00 लाख रुपये के केन्द्रीय संघटक के साथ अधरनाला में आनंद बाजार और हैरिटेज गेट समेत पुरी मंदिर परिसर के आसपास के क्षेत्र का विकास शामिल है।

**दत्त शुल्क खुदरा बिक्री केन्द्र श्रृंखला**

**1999. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का विचार दत्त शुल्क खुदरा बिक्री केन्द्र श्रृंखला के माध्यम से अपनी गतिविधियों में विविधता लाने और विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने इस दत्त शुल्क खुदरा बिक्री केन्द्र श्रृंखला से अर्जित होने वाले राजस्व का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने सीमा शुल्क मुक्त बिक्री केन्द्रों के माध्यम से किए गए व्यापार का ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) जी, हां। प्रारंभ में, भारत पर्यटन विकास निगम सुगंधित इत्रों चॉकलेटों, खिलौनों, इलैक्ट्रानिक्स, घड़ियों और सहायक सामानों जैसी खुली जनरल लाइसैंस वस्तुओं को बेचने के लिए अशोक होटल, नई दिल्ली में ड्यूटी पेड शॉप खोलने पर विचार कर रहा है।

(ग) और (घ) अशोक होटल नई दिल्ली में ड्यूटी पेड शॉप के प्रचालन के लिए तैयार किए गए वित्तीय अनुमान नीचे दिए हैं:–

| | आय | लाभ |
|---|---|---|
| | (लाख रुपयों में) | |
| प्रथम वर्ष | 159.00 | 32.00 |
| द्वितीय वर्ष | 217.00 | 49.50 |
| तृतीय वर्ष | 277.00 | 76.00 |

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान शुल्क मुक्त दुकानों के व्यवसायिक कारोबार के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

| वर्ष | व्यवसायिक कारोबार (रुपये करोड़ में) |
|---|---|
| 1997–98 | 83.71 |
| 1998–99 | 84.04 |
| 1999–2000 | 83.00 (अनन्तिम) |

**इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर के रिक्त पद**

**2000. श्री ए. नरेन्द्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर के विभिन्न स्तरों के पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(घ) इन पदों को भरने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) से (घ) जी, हां। भारतीय निवेश केन्द्र के रिक्त पदों के श्रेणीवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:–

| श्रेणी | रिक्त पद |
|---|---|
| समूह "क" | 10 |
| समूह "ख" | 08 |
| समूह "ग" | 10 |
| समूह "घ" | 09 |

भारतीय निवेश केन्द्र के कार्याकरण की समीक्षा की प्रक्रिया सरकार द्वारा वर्ष 1992 में आरम्भ की गई थी तथा तब से उत्तरोत्तर रिक्तियां उत्पन्न होती रही हैं। सरकार को भारतीय निवेश केन्द्र जारी रखने के निर्णय एवं संगठन की पुनर्संरचना तथा उसे सुदृढ़ करने के प्रश्न की जानकारी है। संगठन की पुनर्संरचना किए जाने तक कोई सीधी भर्ती नहीं की जा रही है।

**बासमती चावल पर यूरोपीय संघ राजसहायता को स्थगित किया जाना**

**2001. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बासमती चावल पर यूरोपीय संघ राज सहायता स्थगित करने के मामले पर फ्रांस की सरकार के साथ वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर फ्रांस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उनके फ्रांस दौरे के दौरान भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस सरकार के साथ अन्य कौन–कौन से मुद्दों पर चर्चा कर अंतिम रूप प्रदान किया गया?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) और (ख) यूरोपीय संघ के बाजार में भारतीय बासमती चावल द्वारा लिए जा रहे अधिमानी टैरिफ लाभ के बचाव संबंधी मामले को समय–समय पर यूरोपीय संघ और फ्रांस सहित यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ उठाया गया है। ऐसे विचार–विमर्श से यूरोपीय बाजार में बासमती चावल सहित हमारे उत्पादों द्वारा सामना किए जा रहे बाजार पहुंच के मामलों के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण को समझने में मदद मिली है।

(ग) दिनांक 23 मई, 2000 को भारत–फ्रांस संयुक्त समिति की पेरिस में आयोजित पिछली बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कृषि उत्पादों, खाद्य उद्योग, चिकित्सा उपस्कर, रसायन/भेषज, दूर–संचार, ऊर्जा, ऑटो उपस्कर, इलैक्ट्रॉनिक और साफ्टवेयर सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार तकनीकी सहयोग, नीतिगत गठबंधन, संयुक्त उद्यमों इत्यादि के लिए संभावनाओं का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की।

*[हिन्दी]*

**खाद्यान्नों का सड़ना**

**2002. प्रो. दुखा भगत :**

**श्रीमती जयश्री बैनर्जी :**

**श्री जयभान सिंह पवैया :**

**श्री सुन्दर लाल तिवारी :**

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**

**श्रीमती शीला गौतम :**

**श्री रघुनाथ झा :**

**डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल :**

**श्री तरूण गोगोई :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकारी गोदामों में सड़ रहे गेहूं और चावल की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार मात्रा कितनी है;

(ख) इसके क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या इसके उपयोग के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में गेहूं और चावल की खरीद की गई तथा उन्हें गोदामों में रखने के लिए कितनी जगह उपलब्ध है;

(च) खाद्यान्न को गोदामों में रखने की व्यवस्था न होने के कारण वर्षा में भीगे खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) भीगे खाद्यान्नों को गोदामों में रखने के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) सरकारी गोदामों में गेहूं और चावल की कोई मात्रा नहीं सड़ रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए वसूल गेहूं और चावल की मात्रा निम्नानुसार है:–

गेहूं –16.24 मिलियन टन (रबी विपणन मौसम 2000–2001)

चावल– 16.47 मिलियन टन (खरीफ विपणन मौसम 1999–2000)

भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध कुल 27.32 मिलियन टन की भंडारण क्षमता के प्रति 20.15 मिलियन टन खाद्यान्न भंडारण में है। इसके अलावा, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध क्षमता का इस्तेमाल भी खाद्यान्नों के भंडारण के लिए किया जाता है।

(च) और (छ) वर्षा के कारण खाद्यान्नों की कोई मात्रा प्रभावित नहीं हुई है। ढके गोदामों अथवा कैप भंडारण में भंडारित स्टाक को बचाने के लिए सभी सावधानियां बरती जाती हैं।

*[अनुवाद]*

**सी. सी. आई. के कर्मचारियों को वेतन**

**2003. डॉ. बलिराम** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को पिछले 5–6 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी.सी.आई. के कर्मचारी और कर्मचारी संघों के नेता उनसे और वित्तमंत्री से इस संबंध में मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार सी.सी.आई. के कर्मचारियों को कब तक वेतन का भुगतान कर देगी?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) से (घ) सी.सी.आई. नकदी की समस्या का सामना कर रही है जिसके कारण कर्मचारियों को वेतन/मजदूरी के भुगतान में विरामी विलम्ब हुआ। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भुगतान में देरी के संबंध में अपनी शिकायत सरकार के ध्यान में ला दी थी। सरकार वेतन/मजदूरी के भुगतान के लिए कंपनी को यथासंभव गैर योजना सहायता प्रदान कर रही है। कर्मचारियों को अप्रैल, 2000 तक के माह का वेतन/मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। मजदूरी का भुगतान करने की बुनियादी जिम्मेदारी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की है।

**चाय का उत्पादन**

**2004. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन :**

**प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**

**श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पूर्वी, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में 1999 तक कुल कितने हेक्टेयर चाय उत्पादक क्षेत्र था;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में चाय के उत्पादन में बहुत कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्तावधि के दौरान चाय की कीमतों में भी गिरावट आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) विभिन्न क्षेत्रों में चाय–उत्पादन और उसकी कीमतों में गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(छ) चाय–बागानों का क्षेत्र बढ़ाने, उसकी कीमतों को स्थिर करने के लिए उसका उत्पादन बढ़ाने और भारतीय चाय के लिए विदेशी बाजारों में स्थान बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) सन् 1999 तक पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में चाय की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्रमशः 344608, 3393 और 89856 हेक्टेयर था।

(ख) और (ग) चाय के उत्पादन में वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 में 60.37 मि.किग्रा. की वृद्धि दर्ज की गई। तथापि, चाय के उत्पादन में वर्ष 1998 की तुलना में वर्ष 1999 में 64.79 मि.किग्रा. की गिरावट रही थी। यह गिरावट मुख्यतः चाय उत्पादक राज्यों जैसे असम, प. बंगाल, केरल इत्यादि में रही है।

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्ष 1999 के दौरान वार्षिक औसत नीलामी कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई थी। वर्ष 1998 में 76.43 रुपए प्रति किग्रा. की तुलना में वर्ष 1999 में वार्षिक औसत नीलामी कीमत 72.79 रु. प्रति किग्रा. रही थी।

(च) वर्ष 1999 में उत्पादन में गिरावट मुख्यतः कुछ चाय उत्पादक क्षेत्रों में वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान भीषण सूखा पड़ने और तत्पश्चात वर्ष के अंतिम भाग में बाढ़ आने के कारण आई थी। कीमतों में आई गिरावट के कारणों में मुख्यतः सीआईएस देशों द्वारा कम माल उठाया जाना, परम्परागत चाय का कम उत्पादन और चाय की गुणवत्ता में गिरावट, घरेलू बाजार में इसकी कम मांग होना शामिल है।

(छ) चाय बोर्ड ने गैर–परम्परागत चाय उत्पादक क्षेत्रों में नए बागानों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु एक नव क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। चाय बोर्ड ने चाय के उत्पादन और इसकी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कई अन्य विकास योजनाएं भी चलाई हैं, जिनके अंतर्गत रोपण का विस्तार करने, पुनर्रोपण करने, नवीकरण, छंटाई, इनफिलिंग को प्रोत्साहन देने, सिंचाई सुविधाओं और जल निकासी इत्यादि की सुविधाओं का सृजन करने के लिए उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चाय बोर्ड ने गुणवत्ता उन्नयन योजना शुरू की है और वह परम्परागत चाय के उत्पादन को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

विदेशी बाजारों में भारतीय चाय का संवर्धन करने के लिए चाय बोर्ड ने प्रमुख चाय आयातक देशों में टी बोर्ड के लोगों और विशिष्ट चाय लोगों के पंजीकरण की दिशा में कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। चाय बोर्ड जब कभी अलग–अलग बाजारों को किए जाने वाले निर्यातों में कोई बाधा दिखाई देती है तब वह उन्हें समाप्त करने की कार्रवाई भी करता है। भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में शामिल हैं (i) विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, (ii) विशिष्टता वाले भण्डारों और प्रमुख बाजारों में मौके पर जाकर नमूने एकत्र करना; (iii) विशिष्टता वाली भारतीय चाय के प्रति उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने और चाय बोर्ड के विपणन प्रतीक को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया अभियान चलाना; (iv) चाय शिष्टमंडलों को भेजना–बुलाना इत्यादि।

*[हिन्दी]*

**सरकारी उपक्रमों की बिक्री**

**2005. श्री बली राम कश्यप** : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री, विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण**

शौरी) : (क) जैसाकि वर्ष 2000– 2001 के बजट भाषण में कहा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों पर प्रयोज्य सरकार की विनिवेश नीति, सरकारी इक्विटी को सामान्यता मामलों में घटाकर 26 प्रतिशत या उससे कम करने की है। सामरिक विचारणाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मामलों में सरकार अधिकांश धारिता बनाए रखेगी। विनिवेश हेतु निर्णय इस नीति के अनुसार किए जाते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि सामरिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम निम्नलिखित क्षेत्रों में होंगे:

(i) शस्त्र तथा गोला बारूद तथा रक्षा उपकरणों की संबद्ध मदें, रक्षा विमान तथा युद्धपोत।

(ii) परमाणु ऊर्जा (नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन तथा विकिरण तथा रेडियो–आइसोटोप का कृषि, दवा तथा सामरिक–भिन्न उद्योगों में प्रयोग से संबंधित क्षेत्रों के अलावा)

(iii) रेल परिवहन।

(ख) जब किसी कंपनी में विनिवेश संबंधी सरकार के निर्णय मे कंपनी के प्रबन्ध तथा स्वामित्व का अंतरण शामिल होता है, कर्मचारी के कार्यों से संबंधित मामले का बिक्री की शर्तों तथा निबंधनों में उचित रूप से निवारण किया जाता है। इसकी जैसे तथा जब आवश्यक हों, जांच की जाती है। अतः प्रभावित होने वाले कर्मचारियों की संख्या का अग्रिम में हिसाब लगाना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) विनिवेश के अध्यधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों के कर्मचारियों के लिए सरकार एक कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना बना रही है। कामगारों के हित के संरक्षण से संबंधित मुद्दों का विनिवेश के विशिष्ट मामलों में शेयरधारक करार में उचित रूप से निवारण किया गया है। उपर्युक्त बातों अलावा, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों के कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पहले से ही उपलब्ध है। मौजूदा योजना के अन्तर्गत :

(i) वे उद्यम जो वित्तीय रूप से मजबूत तथा अपने संसाधनों से योजना का निधिकरण करने में सक्षम है, मौजूदा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अपने परवर्तियों को कियान्वित कर सकते हैं। तथापि, क्षतिपूर्ति सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 60 दिनों का वेतन अथवा अधिवार्षिता से पूर्व बचे सेवा के महीनों की संख्या के लिए वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(2) उन उद्यमों को जो सीमांत रूप से लाभ अर्जित कर रहे हैं या हानि उठा रहे हैं, को गुजरात में प्रारंभ की गई योजना पर आधारित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का एक संशोधित तथा परिष्कृत पैटर्न अपनाना है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिनों का वेतन तथा अधिवर्षिता तक बचे सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिनों का वेतन दिया जाएगा। तथापि, क्षतिपूर्ति, शेष सेवा की बकाया के अवधि के लिए कर्मचारियों के कुल वेतन से अधिक नहीं होगी।

(3) उन यूनिटों के मामले में जो रुग्ण तथा बंद होने के कगार पर हैं, स्वैच्छिक पृथक्करण की एक योजना (वी. एस. एस) वर्ष 1998–99 के बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है। यह योजना कामगारों को सांविधानिक छंटनी क्षतिपूर्ति से अधिक क्षतिपूर्ति राहत प्रदान करके एक सुरक्षा–कवच प्रदान करती है। यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के निधिपोषण के लिए बैंक कैडिट या अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं, तो बजटीय सहायता की परिकल्पना की गई है।

*[अनुवाद]*

**बकाया उत्पाद शुल्क**

**2006. श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री 17 दिसम्बर, 1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2933 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूची IV में वर्णित 50 बड़ी कथित कम्पनियों पर कितना और कब से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बकाया है;

(क) उनसे बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) बकाया राशि की वसूली हेतु उनकी संपति को कुर्क करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**पुराने बीमा अधिनियमों के स्थान पर नया बीमा अधिनियम**

**2007. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :**

**श्री विलास मुत्तेमवार :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार मौजूदा बीमा अधिनियम, 1938 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 को बदलने के लिए किसी अनुसूची के नए बीमा अधिनियम के मसौदे पर काम कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**राजकोषीय सुधार**

**2008. श्रीमती रानी नरह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोषीय सुधार कार्यक्रमों के क्या उद्देश्य हैं; और

(ख) देश में विशेषतः असम में राजकोषीय सुधारों के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा विकसित और शुरू किए गए मध्यम आवधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रमों का लक्ष्य बढ़े हुए राजस्व गतिशीलन, गैर–योजनागत राजस्व व्यय में कमी, मूल्यों और सब्सिडी (आर्थिक सहायता) में सुधार तथा विनिवेश के माध्यम से राजस्व घाटे में कमी लाना है। तेरह राज्यों ने भारत सरकार के साथ प्रचालन/प्रबोधन योग्य राजकोषीय सुधार कार्यक्रम अपनाने के लिए समझौता किया हुआ है। असम समेत ये राज्य अपने राजकोषीय सुधार कार्यक्रमों को मध्यम आवधिक सुधारों के लिए लचीलेपन के साथ चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित कर रहे हैं।

*[हिन्दी]*

**पंजाब से गेहूं की खरीद**

**2009. श्री जे. एस. बराड़ :**

**डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष पंजाब से गेहूं की अधिकतम खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक पंजाब से गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई;

(ग) क्या राज्य में गेहूं और चावल की इतनी बड़ी मात्रा के भंडारण के लिए कोई सुविधा नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में छत और बिना छत वाले गोदामों की वर्तमान क्षमता का ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभी तक पंजाब से खरीदे गए गेहूं की कुल मात्रा निम्नानुसार है:–

| | आंकड़े लाख टन में |
|---|---|
| 1997–98 | 59.61 |
| 1998–99 | 61.47 |
| 1999–2000 | 78.31 |
| 2000–2001 | 93.82 |

(चालू वर्ष, 31.7.2000 को स्थिति के अनुसार)

(ग) 1.7.2000 को स्थिति के अनुसार पंजाब क्षेत्र में 87.85 लाख टन के कुल स्टाक के प्रति भारतीय खाद्य निगम के पास 89.85 लाख टन की पर्याप्त भंडारण क्षमता (अपनी और किराये की/ढकी हुई और कैप) है। भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता में वसूली/उपभोक्ता राज्यों में खाद्यान्नों की वसूली और उठान/बिक्री की प्रवृत्ति के आधार पर वृद्धि अथवा कमी होती है। भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्य भाण्डागार निगम/राज्य सरकार और निजी पार्टियों जैसी विभिन्न एजेंसियों से भंडारण क्षमता किराये पर लेकर अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन करता है।

(घ) 1.7.2000 की स्थिति के अनुसार पंजाब क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

आंकड़े लाख टन में

| एजेंन्सी | ढकी हुई | कैप | जोड़ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| भारतीय खाद्य निगम | | | |
| अपने | 21.77 | 4.95 | 26.72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| निम्न से किराये पर लिए हुए | | | |
| (क) राज्य सरकार | 7.32 | – | 7.32 |
| (ख) केन्द्रीय भण्डारण निगम | 4.10 | – | 4.10 |
| (ग) राज्य भांडागार निगम | 14.36 | – | 14.36 |
| (घ) निजी पार्टियां | 15.59 | 21.76 | 37.35 |
| जोड़ | 63.14 | 26.71 | 89.85 |

इसके अलावा, राज्य सरकारों और इसकी एजेंसियों के पास भी 31.7.2000 को स्थिति के अनुसार 99.73 लाख टन स्टाक के प्रति 133.43 लाख टन की भंडारण क्षमता उपलब्ध है।

*[अनुवाद]*

**भारतीय खेल प्राधिकरण को मिट्टी का तेल**

**2010. श्री के. पी. सिंह देव** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के अलेप्पी स्थित जल क्रीड़ा केन्द्र को नेशनल रोविंग, कानवे/कायत टीम आदि को प्रशिक्षण देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मिट्टी का तेल मिलता था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खेल प्राधिकरण को तेल की आपूर्ति बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मिट्टी के तेल की आपूर्ति न होने के कारण इन खेलों के राष्ट्रीय प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार खेलों के हित में आपूर्ति को बहाल करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) से (ङ) भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया, वाटर स्पोर्ट्स अलेप्पी को मिट्टी के तेल का आबंटन नहीं करती है।

*[हिन्दी]*

**बिहार में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र/आकाशवाणी केन्द्र**

**2011. श्री अरूण कुमार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में राज्यवार कितने दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र/आकाशवाणी केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा दी जा रही सेवाएं राज्य की आवश्यकतानुसार पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कुछ नए दूरदर्शन केन्द्रों/आकाशवाणी केन्द्रों को स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)** : (क) वर्तमान में बिहार में कार्य कर रहे 10 रेडियो स्टेशनों तथा 55 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का जिले–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) बिहार को क्षेत्र और जनसंख्या के रूप में रेडियो द्वारा पूरी तरह कवर किया जाता है। वर्तमान में राज्य की 94.2 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन करवेज उपलब्ध होने का अनुमान है। दूरदर्शन सेवाओं का और विस्तार करने के लिए बिहार के जनजातीय क्षेत्रों जमशेदपुर तथा रांची में वर्तमान में 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (डीडी–2 सेवा के लिए) लगाए जा रहे हैं। साथ ही अच्छी गुणवत्ता का प्रसारण उपलब्ध कराने के लिए आकाशवाणी जमशेदपुर के 1 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमीटर के स्थान पर 6 कि. वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है।

**विवरण**

| क्र.सं. | जिला | रेडियो स्टेशनों की संख्या | दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अररिया | – | 1 |
| 2. | औरंगाबाद | – | 2 |
| 3. | बेगुसराय | – | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | भागलपुर | 1 | 1 |
| 5. | भोजपुर | – | 1 |
| 6. | दरभंगा | 1 | 1 |
| 7. | देवधर | – | 1 |
| 8. | धनबाद | – | 2 |
| 9. | दुमका | – | 1 |
| 10. | गया | – | 1 |
| 11. | गिरिडीह | – | 1 |
| 12. | गोड्डा | – | 1 |
| 13. | गोपालगंज | – | 1 |
| 14. | गुमला | – | 2 |
| 15. | हजारीबाग | 1 | 3 |
| 16. | कटिहार | – | 1 |
| 17. | खगडिया | – | 1 |
| 18. | लोहारडागा | – | 1 |
| 19. | मधेपुरा | – | 1 |
| 20. | मधुबनी | – | 2 |
| 21. | मुंगेर | – | 5 |
| 22. | मुजफ्फरपुर | – | 1 |
| 23. | नवादा | – | 1 |
| 24. | पलामू | 1 | 2 |
| 25. | पश्चिम चम्पारन | – | 1 |
| 26. | पश्चिम सिंहभूमि | 1 | 3 |
| 27. | पटना | 1 | 2 |
| 28. | पूर्णिया | 1 | – |
| 29. | पूर्वी चम्पारन | – | 2 |
| 30. | पूर्वी सिंहभूमि | 1 | 3 |
| 31. | रांची | 1 | 1 |
| 32. | रोहतास | 1 | 1 |
| 33. | सहरसा | – | 3 |
| 34. | सीतामढ़ी | – | 1 |
| 35. | सिवान | – | 1 |
| 36. | समस्तीपुर | – | 1. |
| 37. | साहिब गंज | – | 1 |
| | योग | 10 | 55 |

**विशेष पंजाब योजना**

**2012. श्री रामजी लाल सुमन :**

**श्री जोरा सिंह मानः**

**श्री नवल किशोर राय :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गेहूं के 'बफर स्टाक' के आवश्यकता से अधिक होने पर अतिरिक्त गेहूं की बिकी हेतु कोई 'विशेष पंजाब योजना' की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम के आर्थिक मूल्य से कम मूल्य पर इस गेहूं की बिकी का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त गेहूं को किस मूल्य पर बिकी करने का निर्णय लिया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि होने की संभावना है; और

(च) आर्थिक मूल्य पर ही गेहूं की बिकी करने की पूर्व की नीति में परिवर्तन के क्या कारण हैं?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) और (ख) जी, हां। 11.7.2000 को भारतीय खाद्य निगम को पंजाब से निम्न दरों पर गेहूं का निपटान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है:–

| मास | दर प्रति क्विंटल |
|---|---|
| जुलाई, 2000 | 700/– रुपये |
| अगस्त, 2000 | 750/– रुपये |
| सितम्बर 2000 | 800/– रुपये |

(ग) और (घ) इस योजना के अधीन निर्गम मूल्यों को पंजाब में गेहूं की इकानामिक लागत में रख–रखाव लागत को घटाते हुए निर्धारित किया गया था।

(ङ) निर्गम मूल्यों को कम करने से हुए घाटे को उक्त गेहूं स्टाक की रख–रखाव लागत में बचत करके पूरा किया जाएगा।

(च) सरकार द्वारा यह कार्रवाई गेहूं के अतिरिक्त स्टाक का निपटान करने के प्रयोजन से की गई थी क्योंकि इससे रख–रखाव लागत में वृद्धि होती है।

*[अनुवाद]*

**सरकारी क्षेत्र उद्यम चयन बोर्ड द्वारा शीर्ष पदों पर नियुक्ति**

**2013. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :**

**श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल :**

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र उद्यम चयन बोर्डों द्वारा कितने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति की जाती है; और

(ख) उनमें से कितने उपक्रमों के अध्यक्ष नौकरशाह हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) और (ख) लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार 1.7.2000 तक सरकारी क्षेत्र के 5 उपक्रम ऐसे थे जिनकी अध्यक्षता सरकार द्वारा सीधे नियुक्त किए मुख्य कार्यपालकों द्वारा नियमित आधार पर की जा रही थी। तीन और सरकारी उपक्रमों के मामले में सरकारी अधिकारियों को इन पदों का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था।

दिनांक 24.7.2000 के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक के 24 पद रिक्त थे। मुख्य कार्यपालकों के अन्य पदों पर लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्ति कार्यभार सम्भाले हुए थे।

**मणिपुर के लोगों को ऋण**

**2014. श्री होलखोमांग हौकिप** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक और नाबार्ड मणिपुर राज्य के किसानों, दस्तकारों और आदिवासी लोगों को कृषि और औद्योगिक ऋण प्रदान कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक उक्त राज्य के लोगों को इस प्रकार की वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल कितना ऋण प्रदान किया गया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंक मणिपुर राज्य सहित सारे देश में किसानों, कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को ऋण प्रदान करते रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान मणिपुर में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए बकाया ऋणों की स्थिति नीचे दी गई है:

(रु. करोड़ में)

| वर्ष | कृषि | कारीगर, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग |
|---|---|---|
| मार्च, 1996 | 15.02 | 8.50 |
| मार्च, 1997 | 17.25 | 10.97 |
| मार्च, 1998 | 19.92 | 16.40 |

पिछले तीन वर्षों के दौरान मणिपुर राज्य में सभी बैंकों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रदान किया गया पुनर्वित्त नीचे दिया गया है :–

| वर्ष | राशि (करोड़ रु. में) |
|---|---|
| 1996–97 | 13.51 |
| 1997–98 | 8.72 |
| 1998–99 | 9.39 |

**हम्पी परियोजना का समेकित विकास**

**2015. श्री कोलूर बसवनागैः** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999–2000 के दौरान हम्पी परियोजना के समेकित विकास के लिए कोई वित्तीय सहायता स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000–2001 के दौरान उक्त परियोजना का विकास कार्य शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) से (ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान हम्पी के एकीकृत विकास के संबंध में बाह्य सहायता हेतु समाजार्थिक संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक परियोजना को 15.00 लाख रुपयों की प्राथमिकता प्रदान की गई थी। चूंकि प्रस्ताव अधूरा था, इसलिए इसे वर्ष 1999–2000 के दौरान अनुमोदित नहीं किया जा सका। तथापि, कर्नाटक में हम्पी क्षेत्र के एकीकृत विकास हेतु समाजार्थिक संभाव्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने के लिए 8.50 लाख रुपयों की स्वीकृति 7.6.2000 को जारी की गई।

(घ) और (ङ) वर्ष 2000–2001 के दौरान हम्पी में मौजूदा सुख–सुविधाओं में सुधार सहित पर्यटन के विकास हेतु 78.00 लाख रुपयों की प्राथमिकता प्रदान की गई है।

**भण्डार की सुरक्षा**

**2016. डॉ. बोल्ला बुल्ली रमैया :**

**श्री के. येरननायडू :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 17 जून, 2000 को आंध्र प्रदेश के अमानतपुर जिले के नक्सलवादियों ने गेहूं, चावल और चीनी से भरे 1000 बोरों को लूट लिया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गोदामों की सुरक्षा नहीं की जा रही थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गोदामों/ऐसे क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सरकार की क्या नीति है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार को खाद्यान्नों को लूटे जाने की ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं मिली है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों के स्टाक और अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए स्वयं का निगरानी स्टाफ है।

**सी. सी. आई. द्वारा देय रायल्टी**

**2017. श्री के. येरननायडू** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम ने आंध्र प्रदेश में चूना पत्थर के खनन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के लिए रायल्टी का भुगतान नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो बकाया राशि शीघ्र निपटाने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) और (ख) जी, हां। सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया नगदी की समस्या के कारण आन्ध्र प्रदेश में स्थित इकाइयों हेतु चूना पत्थर खनन के संबंध में अनुमति प्रदान किये जाने के लिए रायल्टी का भुगतान नहीं कर सकी। आन्ध्र प्रदेश में स्थित इकाइयों में बकाया रायल्टी का भुगतान बीआईएफआर से प्रस्तावित पुनरुद्धार पैकेज की स्वीकृति मिलने के पश्चात् किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**भण्डारण नीति**

**2018. श्री मोहम्मद अनवारुल हक :**

**श्री इंद्रजीत गुप्त :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई राष्ट्रीय भंडारण नीति बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या–क्या हैं;

(ग) क्या नई भंडारण नीति के अंतर्गत नए गोदामों के निर्माण का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसा करते समय उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखा जाता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) जी हां। सरकार ने खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है।

(ख) इस नीति की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:–

(I) (i) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों के भंडारण के लिए उत्पादक, उपभोक्ता और कुछेक पत्तन कस्बों में पहचान किए गए लगभग 20 केन्द्रीय स्थलों पर गुणवत्ता नियंत्रण के लिए परीक्षण सुविधाओं के साथ–साथ गेहूं के लिए बड़ी क्षमता के साइलो सहित समन्वित बल्क हैंडलिंग सुविधाओं का सृजन करना।

(ii) इन सुविधाओं में विशेष रूप से डिजाइन किए गए 'टाप फिलिंग–बॉटम डस्चार्ज सुविधा वाले वैगनों के माध्यम से इन केन्द्रों तक बल्क ढुलाई की सुविधाएं शामिल हैं जिसका सृजन और रखरखाव भारतीय खाद्य निगम के समग्र समन्वय के अधीन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाना है।

(iii) भारतीय खाद्य निगम पहले 10 वर्षों में इन सुविधाओं के शत–प्रतिशत तक और अगले 10 वर्षों में 75 प्रतिशत तक उपयोगिता की गारण्टी देगा।

(iv) इन स्थानों से विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण केन्द्रीय स्थानों के लगभग 500 बड़े गोदामों तक खाद्यान्नों की परवर्ती ढुलाई बोरियों में होगी और ऐसे गोदामों का स्वामित्व तो भारतीय खाद्य निगम का होगा ही साथ ही साथ निगम द्वारा ही इनका रखरखाव किया जाएगा।

(v) राज्य सरकारों द्वारा खुदरा वितरण करने के लिए उपभोक्ता केन्द्रों तक इनकी आगे ढुलाई राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी।

(II) सरकार ने बल्क हैंडलिंग ढांचे के सृजन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा भी की है। इनमें निम्न शामिल हैं:–

(i) 'बिल्ड–ऑन–आपरेट–ट्रांसफर' 'बिल्ड–ऑन–लीज – ट्रांसफर' बिल्ड–ऑन–आपरेट' 'लीज– डवलप–आपरेट, संयुक्त उपकम आदि जैसी योजनाएं।

(ii) निजी उद्यमों द्वारा लोक निर्गम के माध्यम से निधियों का सृजन करना।

(iii) शत–प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदन।

(iv) वित्तीय संस्थानों, नाबार्ड, बाहरी वाणिज्यिक उधारियों से ऋण।

(v) पहले 5 वर्षों तक आयकर के प्रयोजनार्थ लाभ में शत–प्रतिशत कटौती और अगले 5 वर्षों के लिए 30 प्रतिशत कटौती।

(vi) आयातित मशीनरी, जिसका निर्माण भारत में नहीं होता, पर मामला–दर–मामला आधार पर उत्पाद शुल्क संबंधी छूट।

(III) निजी क्षेत्र को इन भंडारण क्षमताओं के निर्माण के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा जिनमें वे सरकारी एजेंसियों द्वारा वसूल किए खाद्यान्नों का भंडारण और रख–रखाव करेंगे और जिसके लिए वह भंडारण प्रभारों के लिए पात्र होंगे।

(IV) फार्म स्तर पर फसल कटाई उपरांत हानियां कम करने के लिए नीति में निम्न व्यवस्था है :–

(i) वैयक्तिक फार्म स्तर पर धातु बिनों और गैर–धात्विक बिनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने की योजना शुरू करना और समुचित वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ समुदाय स्तर पर आर.सी.सी. बिन का निर्माण करना।

(ii) खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण और परिरक्षण तथा किसानों के बीच इनके प्रचार के लिए अन्न सुरक्षा अभियान योजना के मौजूदा प्रशिक्षण और अनुसंधान घटकों को सुदृढ़ बनाना।

(ग) और (घ) इस नीति के अनुसार निजी क्षेत्र को भंडारण क्षमताओं के सृजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिनमें वे सरकारी एजेंसियों द्वारा वसूल खाद्यान्नों का भण्डारण और रख–रखाव करेंगे और जिसके लिए वे भंडारण प्रभार प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(ङ) और (च) खाद्यान्नों का भंडारण वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा और खाद्यान्नों के भंडारण और परिरक्षण के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण के सभी उपाय किए जाएंगे जोकि उपभोक्ताओं के हित में होगा।

[अनुवाद]

**ए एन जेड ग्रिन्डलेज बैंक का स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक में विलय**

**2019. श्री वसुदेव आचार्य :**

**श्री समर चौधरी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ए. एन. जेड ग्रिन्डलेज बैंक के स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक में विलय के निर्णय पर ध्यान नहीं दिया है तथा बैंक के अधिग्रहण के बाद कर्मचारियों की पुन तैनाती से संबंधित ब्यौरा नहीं मांगा है एवं 1992 के मामलों से संबंधित घोटाले में पंचाट निर्णय पर ए एन जेड ग्रिन्डलेज बैंक द्वारा न्यायालय को दिए गए वचन को निभाने के लिए नहीं कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और सरकार द्वारा इन बैंकों की कार्य योजना पर निगरानी रखने तथा बैंक कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) देश के बैंकिग प्रणाली के नियंत्रक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लंदन ने सूचित किया है कि दिनांक 24.7.2000 को उनके द्वारा हस्ताक्षरित विकय समझौते के अंतर्गत ए एन जेड ग्रिंडलेज बैंक, आस्ट्रेलिया, जो आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिग समूह लिमिटेड की अनुषंगी है, द्वारा जारी किए गए शेयरों को प्राप्त करने का उसका प्रस्ताव है। ए एन जेड ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड का नाम स्टैण्डर्ड चार्टर्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड के रूप में बदलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति मांगी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ए एन जेड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड, इंडिया के नाम को स्टेण्डर्ड चार्टर्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड के रूप में बदलने के लिए स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक को सिद्धान्त रूप से अनापत्ति पत्र जारी कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि :–

(i) स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक ने बताया है कि सभी स्टाफ चाहे वह ग्रिण्डलेज अथवा (स्टैण्डर्ड चार्टर्ड ग्रिण्डलेज बैंक के रूप में पुनर्नामित) अथवा स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक का हो, के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से व्यवहार किया जाएगा।

(ii) स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक ने एन एच बी को ग्रिण्डलेज की विवादित देयता और विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर के प्रतिभूति लेनदेन में कथित अनियमितताओं से संबंधित अन्य मुकदमेबाजी के संबंध में कहा है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक को आश्वासन दिया है कि ग्रिण्डलेज (स्टैण्डर्ड चार्टर्ड ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड के रूप में पुनर्नामित) के विरुद्ध न्यायालय के अंतिम आदेश से उत्पन्न हुई किसी भी अदत्त देयता को स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, लंदन द्वारा पूरा किया जाएगा।

**रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार**

**2020. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**

**श्री डी. वी. जी. शंकर राव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए कार्य बोझ को कम करने हेतु राज्य स्तर पर बी. आई. एफ. आर. की भांति निकाय बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विशेष रूप से महाराष्ट्र और कश्मीर में बढ़ रही औद्योगिक रुग्णता की समस्या से निपटने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुजरात सरकार ने सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण इकाइयों को पुनः अर्थक्षम बनाने तथा गैर–अर्थक्षम रुग्ण इकाइयों को बंद करने को सुकर बनाने के लिए गुजरात औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (जी. बी. आई. एफ. आर) की स्थापना की है। अन्य राज्य सरकारें भी, यदि आवश्यक समझें तो, अपने संबंधित राज्यों में औद्योगिक रुग्णता की समस्या से निपटने के लिए जी.बी. आई. एफ. आर. के अनुरूप ही निकायों की स्थापना कर सकते हैं।

**भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) के होटलों में रिक्त महत्वपूर्ण पद**

**2021. श्री दिनेश चन्द्र यादव :**

**श्री रामचन्द्र पासवान :**

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई. टी. डी. सी) के होटलों में लम्बे समय से महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी होटल–वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए क्या–क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) जी, हां। महाप्रबंधक ग्रेड–I और ग्रेड–II प्रत्येक के 9 पद खाली हैं।

(ग) वर्ष 1997 और 1998 के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम ने सीधी भर्ती के द्वारा विज्ञापन देकर कुछ खाली पड़े पदों को भरने के लिए प्रयास किए हैं। तथापि, खाली पड़े पद आरक्षित श्रेणियों के उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता और प्रचालनात्मक अपेक्षाओं के कारण नहीं भरे जा सके।

**राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किया गया पथकर**

**2022. श्री पी. डी. एलानगोवन** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों के परिसर के भीतर पथकर की उगाही कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज की तारीख तक राज्य सरकारों द्वारा इन परिसरों से राज्यवार और वर्षवार पथकर के रूप में कुल कितनी राशि की उगाही की गई;

(घ) प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के विरुद्ध केन्द्र द्वारा संरक्षित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों में पथकर की उगाही करने के लिए राज्य सरकारों को अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत, आगरा में ताजमहल, सिकन्दरा आगरा किला तथा इतिमाद–उद–दौला का मकबरा में बने अपने बूथों पर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पर्यटकों से पहुंच मार्ग और अन्य सुविधाओं के लिए पथकर वसूल किया जा रहा है।

(ग) आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा भेजे गए आंकड़ों के अनुसार, उपर्युक्त चार स्मारकों में अपने टिकट बूथों से पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में संग्रह किया गया पथ–कर इस प्रकार है:–

| | |
|---|---|
| 1997–98 | 315.82 लाख |
| 1998–99 | 359.20 लाख |
| 1999–2000 | 716.69 लाख |
| 2000–2001 | 334.94 लाख |

(31 जुलाई, 2000 तक)

(घ) और (ङ) आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पर्यटकों से सुविधाओं के लिए कर उत्तर प्रदेश शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 1973 के तहत संग्रहीत किया जाता है। प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष नियम, 1959 के तहत संरक्षित परिसरों में पथ–कर के संग्रह के लिए कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

**जम्मू-कश्मीर के लिए औद्योगिक पैकेज**

**2023. श्री दिलीप संघाणी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के जम्मू–कश्मीर के लिए औद्योगिक पैकेज हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(क) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पैकेज जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण)**: (क) और (ख) जम्मू तथा कश्मीर सरकार से एक प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया है कि पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति की तरह ही एक पैकेज जम्मू तथा कश्मीर को भी दिया जाये।

(ग) जब कभी भी कोई पैकेज विशेष रूप से उक्त राज्य के लिए तैयार किया जायेगा तो राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को ध्यान में रखा जायेगा।

*[हिन्दी]*

**धारावाहिकों के अनुमोदन में कदाचार**

**2024. श्री जयभान सिंह पवैया :**

**श्रीमती शीला गौतम :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी.वी. धारावाहिकों को अनुमोदन देने हेतु अपनाई गई प्रकिया में अनेक कदाचारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अनुमोदन देने संबंधी प्रकिया को सरल बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिकिया है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दूरदर्शन के भ्रष्टाचार सम्भावित कियाकलापों के क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है और धारावाहिकों/कार्यकमों के प्रस्तावों पर कार्यवाही करने की प्रकिया को सरल और कारगर बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दूरदर्शन में भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की सभी शिकायतों की भी अच्छी तरह से जांच की जाती है।

*[अनुवाद]*

## हैरीटज होटल

**2025. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान जिलेवार कितने हेरीटेज होटल बनाये गये हैं;

(ख) इन हेरीटेज होटलों को राज सहायता कर छूट/हेरीटेज छूट/ऋण माफी के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार हेरीटेज होटल श्रेणी में लाये गये ताज/वेलकम ग्रुप या निजी क्षेत्र के होटलों का कम से कम पैसे में पुनरुद्धार करने का है?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने, राजस्थान में हैरीटेज श्रेणी के अंतर्गत 8, 6 और 4 होटल कमशः वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के दौरान वर्गीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1997 के दौरान दो हैरिटेज होटल परियोजनाएं दिलवाड़ा जिला राजसमंद और माऊंट आबू जिला सिरोही में वर्ष 1998 में एक हैरिटेज होटल परियोजना को जिला दौसा के पापरदा तथा जुलाई, 2000 तक जोधपुर में एक हैरिटेज होटल परियोजना को पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित किया गया।

पर्यटन विभाग टी एफ सी आई, आई एफ सी आई, राज्य वित्त निगमों और औद्योगिक विकास निगमों से ऋण लेने पर हैरिटेज होटलों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज इमदाद देता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में हैरिटेज होटलों को प्रदान की गई ब्याज इमदाद नीचे दिए गए अनुसार हैं–

| | | |
|---|---|---|
| 1997–98 | 6,63,395/– | रुपये |
| 1998–99 | 15,69,757/– | रुपये |
| 1999–2000 | 16,61,902/– | रुपये |

भारत सरकार आयकर 1961 के 80 आई. ए. और सेक्शन 80 एच एच डी के तहत वित्तीय प्रोत्साहन देती है जो कि अनुमोदित हैरिटेज श्रेणी होटलों के लिए उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

## चाय का निर्यात

**2026. श्री ए. वैंकटेश नायक** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान परवर्ती मूल्य में गिरावट और मजदूरी में वृद्धि और निर्यात में कमी से देश के चाय उद्योग की स्थिति बिगड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भारतीय चाय उद्योग को बचाने और चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या दक्षिण भारत की यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ने चाय को शुल्क मुक्त करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिकिया है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) और (ख) चाय बागानों के कामगारों की मजदूरी में वर्षों से वृद्धि की जा रही है। यद्यपि नवम्बर, 1999 से औसत नीलामी कीमतों में गिरावट आई है तथापि चालू वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यातों में उल्लेखनीय प्राप्ति प्रदर्शित हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में चाय का निर्यात और औसत नीलामी कीमत निम्नानुसार है।

| वर्ष | निर्यात (मि. किग्रा.) | औसत नीलामी कीमत (रु. किग्रा.) |
|---|---|---|
| 1997 | 203.00 | 66.89 |
| 1998 | 210.34 | 76.43 |
| 1999 | 192.92 | 72.80 |
| 2000 (जनवरी से जून तक) | 77.46 | 59.74 |

(ग) चाय के उत्पादन और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार और चाय बोर्ड ने विभिन्न कदम उठाए हैं। इन कदमों में शामिल हैं–विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करना जिनके अन्तर्गत चाय बोर्ड द्वारा रोपण विस्तार पुनर्रोपण, नवीकरण, छटाई, इनफिलिंग को बढ़ावा देने, सिंचाई और जलनिकासी इत्यादि सुविधाओं का सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

चाय के निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार/चाय बोर्ड द्वारा सम्भावना वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए चाय के देशवार निर्यातों का विश्लेषण किया जा रहा है। चाय बोर्ड द्वारा जब कभी अलग–अलग बाजारों को होने वाले निर्यातों में अड़चनों की जानकारी होती है तब इन्हें दूर करने के लिए कार्रवाई भी की जाती है। भारतीय चाय के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में शामिल हैं (i) विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, (ii) विशिष्टता वाले स्टोरों और प्रमुख बाजारों में मौके पर जाकर नमूने लेना (iii) विशिष्टतावाली भारतीय चाय के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता को बढ़ाने और चाय बोर्ड के विपणन प्रतीक को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया अभियान; (iv) चाय शिष्टमंडलों का आदान–प्रदान आदि।

(घ) से (च) यूनाईटेड प्लान्टर्स एसोशिएसन ऑफ साउथ इंडिया (उपासी) ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ घरेलू चाय उद्योग की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ चाय को 2 रुपए प्रति कि.ग्रा. के उत्पाद के शुल्क के उदग्रहण से छूट देने और आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का अनुरोध किया गया हैं।

सरकार ने सहकारी समितियों और वॉट लीफ फैक्टरियों को उत्पाद शुल्क के उदग्रहण से छूट प्रदान की है और चाय पर मूल सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया है।

*[हिन्दी]*

**नए दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना**

**2027. श्री हरिभाई चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ नए दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने और मौजूदा दूरदर्शन केन्द्रों की क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख तक प्रत्येक केन्द्र के संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)** : (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में इस समय 16 स्टूडियों परियोजनाएं (मौजूदा स्टूडियों के उन्नयन की 2 परियोजनाओं सहित) और 302 ट्रांसमीटर परियोजनाएं (मौजूदा ट्रांसमीटर के उन्नयन की 100 परियोजनाओं सहित) कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ग) ये परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं तथा नौवीं योजना के अन्त तक इन्हें चरणों में पूरा किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

**भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस शुल्क की संशोधित दरें**

**2028. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :**

**श्री ब्रह्मानंद मंडल :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस शुल्क की संशोधित दरों को लागू न किए जाने और इन्हें भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित नहीं करा पाने के कारण 2.49 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी वसूली के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गयी?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) भारतीय मानक ब्यूरो ने आवेदन शुल्क, नवीनीकरण आवेदन शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क में वृद्धि करते हुए 27.9.1994 को एक अधिसूचना जारी की थी। तथापि, इन बढ़ी हुई दरों को ब्यूरों द्वारा सितम्बर, 1997 में लागू किया गया जिसके परिणामस्वरूप आवेदकों और लाइसेंसधारियों से 2.38 करोड़ रुपए की कम वसूली हुई।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो ने 2.38 करोड़ रुपए में से अब तक 1.76 करोड़ रुपए वसूल कर लिए हैं तथा वसूली योग्य शेष

राशि की वसूली में ब्यूरो के सभी शाखा कार्यालयों द्वारा तेजी लाई जा रही है।

*[अनुवाद]*

**महाराष्ट्र में चीनी का भंडारण**

**2029. श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में चीनी की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के बावजूद राज्य में चीनी के भंडारण में बड़ी समस्या आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चीनी मिलें भंडारण क्षमता की कमी के कारण बोरों में चीनी भरकर खुले स्थान में रखती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए चीनी के आयात को रोकने हेतु पाटनरोधी नियम लागू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) से (घ) वर्तमान चीनी मौसम (अक्तूबर, 1999 से सितम्बर 2000) के दौरान चीनी का भारी मात्रा में उत्पादन होने के कारण कई चीनी फैक्ट्रियों को चीनी के भंडारण में हो रही कठिनाइयों के बारे में सूचना मिली है। कुछ चीनी मिलों द्वारा खुले स्थान में भंडारण के लिए उपयुक्त उपाय करने के बाद चीनी से भरी बोरियों को खुले स्थान में रखने के बारे में सूचना मिली है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी निदेशालय में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की है जोकि पाटनरोधी उपाय आरम्भ करने के लिए एक बुनियादी अपेक्षा है।

**व्यापार विवाद**

**2030. श्री नारायण दत्त तिवारी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का अपने किसी व्यापार सहभागी के साथ कोई व्यापार संबंधी विवाद है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन–कौन से व्यापार सहभागी हैं और व्यापार संबंधी विवाद किस प्रकृति के हैं;

(ग) क्या भारत व्यापार संबंधी ऐसे विवादों के निपटान हेतु विश्व व्यापार संगठन के पास गया है; और

(घ) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठन की प्रतिक्रिया क्या है और ऐसे प्रत्येक विवाद के मामले में कितनी प्रगति हुई है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) से (घ) जी, हां। कुछेक व्यापारियों सहभागियों के साथ हमारे कुछ व्यापार संबंधी विवाद हैं। भारत इनमें से कुछ के निपटान के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के विवाद निपटान निकाय के पास गया है। हमारे कुछ व्यापारिक भागीदारी ने भी कुछ मामलों में भारत के विरुद्ध डब्ल्यू टी ओ में शिकायत की है। डब्ल्यू टी ओ के विवाद निपटान निकाय में इन सभी मामलों की वर्तमान स्थिति जहां भारत चाहे शिकायतकर्त्ता देश है अथवा वह देश है जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, संलग्न विवरण में दी गई है।

कुछ अन्य ऐसे मामले हैं, जहां भारत बकाया व्यापार विवादों को द्विपक्षीय विचार–विमर्शों के जरिए हल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके असफल होने पर यदि जरूरी हो, तो डब्ल्यू टी ओ के विवाद निपटान निकाय का सहारा लिया जा सकता है।

**विवरण**

*1 अगस्त, 2000 की स्थिति के अनुसार तक भारत और अन्य देशों के बीच डब्ल्यू टी ओ के विवाद निपटान निकाय में विवादों की स्थिति निम्नानुसार है:–*

| क.सं. | विवाद का विषय | जिसके द्वारा शिकायत की गई | जिसके विरुद्ध शिकायत की गई | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | कृषि, वस्त्र तथा औद्योगिक उत्पादों के आयातों पर भारत के मात्रात्मक प्रतिबंध | यूरोपीय संघ | भारत | सौहार्दपूर्ण निपटान |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | कृषि, वस्त्र तथा औद्योगिक उत्पादों के आयातों पर भारत के मात्रात्मक प्रतिबंध | आस्ट्रेलिया | भारत | सौहार्दपूर्ण निपटान |
| 3. | कृषि, वस्त्र तथा औद्योगिक उत्पादों के आयातों पर भारत के मात्रात्मक प्रतिबंध | कनाडा | भारत | सौहार्दपूर्ण निपटान |
| 4. | कृषि, वस्त्र तथा औद्योगिक उत्पादों के आयातों पर भारत के मात्रात्मक प्रतिबंध | न्यूजीलैंड | भारत | सौहार्दपूर्ण निपटान |
| 5. | कृषि, वस्त्र तथा औद्योगिक उत्पादों के आयातों पर भारत के मात्रात्मक प्रतिबंध | स्विटजरलैंड | भारत | सौहार्दपूर्ण निपटान |
| 6. | कृषि, वस्त्र तथा औद्योगिक उत्पादों के आयातों पर भारत के मात्रात्मक प्रतिबंध | अमरीका | भारत | भारत हारा |
| 7. | भेषज और कृषि रसायन उत्पादों के लिए पेटेंट संरक्षण/औपचारिक प्रणाली की भारत में गैर मौजूदगी | यूरोपीय संघ | भारत | भारत हारा |
| 8. | अपरिष्कृत खालों और चमड़ों सहित उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध | यूरोपीय संघ | भारत | जारी |
| 9. | वस्त्र और परिधान उत्पादों के आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध | भारत | टर्की | भारत जीता |
| 10. | भेषज और कृषि रसायन उत्पादों के लिए पेटेंट संरक्षण | अमरीका | भारत | भारत हारा |
| 11. | यू. एस. द्वारा श्रिम्प और श्रिम्प उत्पादों के आयातों पर लगाई गई रोक | भारत | अमरीका | भारत जीता |
| 12. | महिलाओं और लड़कियों के ऊनी कोटों के आयातों को प्रभावित करने वाले उपाय | भारत | अमरीका | निर्णीत |
| 13. | बुनी हुई ऊनी कमीजों और ब्लाउजों के आयातों पर प्रभावित करने वाले संक्रमणकालीन सुरक्षा उपाय | भारत | अमरीका | भारत जीता |
| 14. | ऑटोमोबाइल पर आयात व्यवस्था | भारत | पोलैंड | निर्णीत |
| 15. | भारत के चावल के निर्यातों के लिए संचयी वसूली प्रणाली (सीआरएस) का प्रयोग | भारत | यूरोपीय संघ | जारी |
| 16. | अनब्लीच्ड कोटन फ्रैबिक्स (यूसीएफ) पर पाटनरोधी कार्यवाही | भारत | यूरोपीय संघ | जारी |
| 17. | सूती प्रकार के बैड–लिनन के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी | भारत | यूरोपीय संघ | जारी |
| 18. | ऑटोमोटिव क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कतिपय उपायों से संबंधित–आटो नीति | यूरोपीय संघ | भारत | जारी |
| 19. | भारत द्वारा गैट 1994 के अनुच्छेद आठः ख से भिन्न कारणों से लगाए गए आयात प्रतिबंध | यूरोपीय संघ | भारत | जारी |
| 20. | भारतीय प्राधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क में की गई अनेक प्रकार की वृद्धियां | यूरोपीय संघ | भारत | जारी |
| 21. | भारत से एंटी बायोटिक्स के आयातों पर दक्षिण अफ्रीकी प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क | भारत | दक्षिण अफ्रीका | जारी |
| 22. | ऑटोमेटिव क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कतिपय उपायों से संबंधित–आटो नीति | अमरीका | भारत | जारी |

*[हिन्दी]*

**कोरिया के साथ व्यापार**

**2031. श्री बृजलाल खाबरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरिया और भारत के बीच कोई व्यापार समझौता विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच इस व्यापार समझौते के मुख्य नियम और शर्तें क्या हैं और साथ ही इसकी समय-सीमा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) से (ग) भारत और कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) के बीच पहले से ही एक व्यापार करार मौजूद है। इस करार पर 1974 में हस्ताक्षर किए गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ दोनों देशों के बीच व्यापार को अधिकतम बनाने, व्यापार का संवर्धन करने हेतु दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा दिए गए सुझावों पर पूरा-पूरा ध्यान देने, व्यापार से संबंधित मामलों में परम मित्र राष्ट्र का व्यवहार प्रदान करने, आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहयोग को बढ़ाने तथा अमरीकी डालर अथवा पाउंड स्टर्लिंग या दोनों देशों को स्वीकार्य किसी अन्य परिवर्तनीय मुद्राओं में भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। जहां तक उक्त करार की वैधता का संबंध है, यह वर्षानुवर्ष आधार पर तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक पक्ष इस करार को समाप्त करने की अपनी मंशा के बारे में कम से कम 90 दिन का नोटिस लिखित रूप से दूसरे पक्ष को नहीं दे देता।

*[अनुवाद]*

**महाराष्ट्र का मार्कण्ड मंदिर**

**2032. श्री नरेश पुगलिया : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मार्कण्ड मंदिर की मरम्मत और इसके अनुरक्षण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मंदिर के अनुरक्षण, मरम्मत और रखरखाव के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(घ) क्या यह पूरी राशि खर्च हो चुकी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) महाराष्ट्र के गढ़-चिरौली जिले में मार्कण्डा में मार्कण्ड देव मंदिर, प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत, एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है। इस मंदिर का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है।

(ग) से (ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस मंदिर के रखरखाव के लिए 20,000/- रुपए का नियतन किया गया है।

**आयकर कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या**

**2033. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :**

**श्री सुबोध राय :**

**श्री बसुदेव आचार्य :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयकर कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हो गयी है जबकि दिल्ली में गत पांच वर्षों में करदाताओं की संख्या लगभग दुगुनी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रिक्तियों को भरने हेतु सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाये जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनंजय कुमार)** : (क) यद्यपि यह सही है कि करदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, किंतु यह कहना सही नहीं है कि कर्मचारियों की संख्या में कमी हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विद्यमान प्रणाली/नियमों के अनुसार संगत रिक्तियां भरी जाती हैं।

**भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को कम करना**

**2034. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :**

**डॉ. एस. वेणुगोपाल :**

**श्री सुबोध मोहिते :**

**श्रीमती जयश्री बैनर्जी :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 साल से घटाकर 45 साल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सेवानिवृत्ति आयु को कम करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा;

(ङ) क्या इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम की कर्मचारी यूनियन के साथ भी परामर्श किया गया है; और

(च) यदि हां, तो उनके द्वारा व्यक्त विचारों का ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) और (ख) जन शक्ति प्रबंधन के विशिष्ट संदर्भ में भारतीय खाद्य निगम के संगठनात्मक ढांचे के मुद्दे पर विचार करते हुए सरकार ने निगम को निदेश दिया है कि वह अपने कामगारों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु के मामले की इस संबंध में श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्थायी आदेशों के अनुसार जांच करे और तत्पश्चात् वर्कर्स यूनियनों के साथ इस पर चर्चा करें। सरकार का विचार है कि कामगारों द्वारा किए जा रहे कार्य की खतरनाक प्रकृति को देखते हुए कामगारों की सेवानिवृत्ति की आयु को कम करके 45 वर्ष करना कामगारों और निगम दोनों के समूचे हित में होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारतीय खाद्य निगम ने अभी तक इस मामले की जांच नहीं की है। इसे निदेश दिए गए हैं कि श्रमिकों की आयु कम करने के मुद्दे की अलग से जांच करें और तत्पश्चात् यूनियन के साथ इस पर चर्चा करें। एफ सी आई वर्कर्स यूनियन ने दिनांक 27.6.2000 के अपने अभ्यावेदन में अन्य बातों के साथ–साथ यह सुझाव दिया है कि भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन को सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष को कम करके 45 वर्ष करने का उपाय अपनाने की बजाय फोर्क, लिफ्ट आदि स्थापित करके कार्य को अर्धयांत्रिकरण करने और मानव क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन कामगार द्वारा बोरियों की हैंडलिंग के कार्यभार के मानदंड कम करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि कार्य से संबंधित जोखिम को कम किया जा सके।

**राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ की खरीद**

**2035. श्री कोडीकुनील सुरेश :**

**कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :**

**श्री हरीभाऊ शंकर महाले :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) खुले बाजार से प्राकृतिक रबड़ की खरीद कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान, आज की तिथि तक कुल कितनी धनराशि का प्राकृतिक रबड़ खरीदा गया;

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रति किलोग्राम प्राकृतिक रबड़ किस दर से खरीदा गया तथा खुले बाजार में प्राकृतिक रबड़ का वास्तविक भाव क्या है;

(घ) क्या खुले बाजार में प्राकृतिक रबड़ की उपलब्धता फालतू मात्रा में है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा प्राकृतिक रबड़ की अधिकतम खरीद करने और उसके लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) से (ग) जी, हां। एसटीसी ने चालू वर्ष के दौरान अब तक 11,087 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद की है। प्राकृतिक रबड़ की खरीद प्रचलित बाजार कीमतों पर की गयी है।

(घ) और (ङ) दिनांक 1.4.2000 को आरम्भिक स्टाक 1,93,000 टन था और वर्ष 2000–01 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन और खपत क्रमशः 6,45,000 टन तथा 6,59,000 टन होने का अनुमान है।

(च) रबड़ के किसानों को लाभकारी कीमत सुनिश्चित करने के लिए भारत सकरार ने सरकारी खाते से एसटीसी के माध्यम से प्राकृतिक रबड़ की खरीद की है। एसटीसी ने अगस्त, 1997 से अब तक पहले ही 40,217 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद कर ली है। स्वदेशी रबड़ की खपत बढ़ाने के लिए सरकार ने 20.2.1999 से अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। एसटीसी, अग्रिम लाइसेंस धारकों को उनकी मांग के अनुसार प्राकृतिक रबड़ की आपूर्ति करने हेतु इसकी खरीद जारी रखे हुए है।

**कोयम्बटूर मुस्लिम राहत कोष**

**2036. श्री मणि शंकर अय्यर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें तमिलनाडु मुस्लिम मुन्नेत्र कषगम द्वारा स्थापित कोयम्बटूर मुस्लिम राहत कोष के बारे में जानकारी है जो नवम्बर–दिसम्बर, 1997 में कोयम्बटूर में हुए दंगों के पीड़ितों और 1998 के शुरू में हुए बम विस्फोटों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए स्थापित किया गया है;

(ख) क्या इस कोष में दिए गए योगदानों पर करों का भुगतान करने के लिए कोष के आयोजकों को नोटिस जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह कोष प्राप्त किए गए योगदानों पर करों में छूट प्राप्त करने का पात्र नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कर छूट के लिए कोष की हकदारी की जांच आय की विवरणी की प्राप्ति के बाद ही की जा सकती है, जो अभी तक फाइल नहीं की गई है।

**झीलों का संरक्षण**

**2037. श्री साहिब सिंह** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झीलों के संरक्षण, प्रबंधन एवं रखरखाव के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इन संरक्षित झीलों से देश के पर्यावरण में सुधार आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन झीलों को देखने हेतु वर्षवार औसतन कितने पर्यटक आए;

(च) क्या इन झीलों के सुधार हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

***पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) से (छ) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय झील परिरक्षण योजना (एन एल सी पी) के तहत शहरी क्षेत्र की 10 झीलों को परिरक्षण एवं उनके प्रबंधन के लिए निर्धारित किया है। निर्धारित झीलों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

1. डल झील (जम्मू व कश्मीर)
2. सुखना झील (चंडीगढ़)
3. सागर झील (मध्य प्रदेश)
4. नैनीताल झील (उत्तर प्रदेश)
5. कोडईकनाल झील (तमिलनाडु)
6. ऊटी झील (तमिलनाडु)
7. उदयपुर झील (राजस्थान)
8. रबीन्द्र सरोवर झील (पश्चिम बंगाल)
9. पवाई झील (महाराष्ट्र)
10. हुसैन सागर झील (आंध्र प्रदेश)

इसके अतिरिक्त, सरकार ने वित्तीय बाधाओं के कारण राष्ट्रीय झील परिरक्षण योजना (एन एल सी पी) को स्वीकृत नहीं किया है।

इन झीलों को देखने आने वाले पर्यटकों के ब्यौरे नहीं रखे जाते।

**सन्देहास्पद आवासीय वित्तीय कंपनियां**

**2038. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सन्देहास्पद आवासीय वित्तीय कंपनियां देश में सक्रिय हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन कंपनियों द्वारा ग्राहकों के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के विनियमन एवं पर्यवेक्षण करने वाले राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने सूचित किया है कि संदिग्ध आवास वित्त कंपनियों के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं।

(ख) से (घ) एन एच बी ने आवास वित्त कंपनी निदेश, 1989 जारी किए हैं जो जमाराशियां स्वीकार करने, जमाराशियों पर देय

ब्याज दर, जमाराशियों की परिपक्वता अवधि, जमा लिखतों के ऋण निर्धारण स्वीकार्य जमाराशियों की मात्रा तथा विज्ञप्त नियमों की अनुपालन की शर्तें विनिर्दिष्ट करते हैं। एन एच बी द्वारा जारी किए गए निदेशों के उपबंधों की जब कभी भी अवमानना पाई जाती है, एन एच बी कार्रवाई करता है जैसे कि कारण बताओ नोटिस जारी करना, पथभ्रष्ट कंपनियों को जनता से जमाराशियां स्वीकार करने से मना करना और जनहित के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में ऐसी कंपनियों के ब्यौरे प्रकाशित करना। राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2000 के पारित होने से ऐसे मामलों से निपटने की शक्तियां सुदृढ़ हो गई हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत एच एफ सी द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में एन एच बी जमाराशियों की वापसी अदायगी के आदेश दे सकता है। इसके अलावा, एच एफ सी का जारी रहना यदि जनहित में या जमाकर्ताओं के हित में हानिकारक है तो एन एच बी कंपनी के समापन के लिए आवेदन कर सकता है। अब तक एन एच बी द्वारा 32 एच एफ सी को जमाराशियां स्वीकार करने से मना किया गया है।

*[हिन्दी]*

**दूरदर्शन की कार्यक्रम सलाहकार समिति**

**2039. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती बोर्ड ने दिल्ली दूरदर्शन के लिए कोई कार्यक्रम सलाहकार समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी समिति के कौन–कौन से सदस्य हैं तथा गैर–सरकारी क्षेत्रों से कितने सदस्यों को नामित किया गया है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : (क) जी नहीं। प्रसार भारती बोर्ड द्वारा दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली के लिए कोई कार्यक्रम सलाहकार समिति गठित नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ**

**2040. योगी आदित्यनाथ :**

**श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों की संख्या क्या है;

(ख) सरकार द्वारा वर्षवार कितनी मात्रा में खाद्य–सामग्री और राज–सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ सख्त उपाय करने का विचार है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ही मिले; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1998–99 और 1999–2000 के दौरान देश में गरीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारकों की कुल संख्या क्रमशः 715.18 लाख और 719.65 लाख थी।

(ख) खाद्य मदों के राज्यवार आबंटन और 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान मुहैया की गई वर्षवार राजसहायता निम्नानुसार है –

| वर्ष | खाद्यान्नों का आबंटन (हजार टन में) | | | उपभोक्ता राजसहायता |
|---|---|---|---|---|
| | ग.रे.नी. | ग.रे.ऊ.+ अतिरिक्त | जोड़ | (करोड़ रुपये में) |
| 1998–99 | 7116.51 | 15560.296 | 22676.806 | 6024.02 |
| 1999–2000 | 7206.294 | 16693.671 | 23899.965 | 5593.15 |
| चीनी (अक्तू. से सित. तक) | आबंटन (लाख टन में) | | | |
| १९९८–99 | 45.30 | | | 400.00 |
| 1999–2000 (जुलाई, 2000 तक) | 39.89 | | | 235.00 |

(ग) और (घ) जी, हां। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ प्राप्त हों, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विपथन को रोकने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल कर पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों का वितरण करने की व्यवस्था करने के लिए उचित दर दुकान और अन्य स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कड़ी निगरानी करे। उनसे जाली राशन कार्डों को समाप्त करने और राशन कार्डों से जाली व्यक्तियों के नाम हटाने का भी अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों को चूककर्ता उचित दर दुकान मालिकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन कार्रवाई करने का भी परामर्श दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक 'माडल सिटीजन चार्टर' भी तैयार किया गया है और स्वीकार करने के लिए इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है जिससे कि प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेहिता आए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सें लक्षित लाभभोगियों तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य प्रणाली की मानीटरिंग जिसमें विपथन की शिकायतें भी शामिल हैं, के लिए भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्र अधिकारियों की भी नियुक्ति की है।

*[अनुवाद]*

**स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड**

**2041. श्री डी. वी. जी. शंकर राव : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को आठ वर्ष के बाद औद्योगिक और वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) ने रुग्ण कंपनी के दर्जे से बाहर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रदूषण की समस्या के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इस कंपनी में उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) और (ख) जी, हां। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने दिनांक 10.5.2000 को हुई अपनी सुनवाई में यह उल्लेख किया कि संस्वीकृत स्कीम के सभी प्रमुख अनुबंधों को कार्यान्वित कर लिया गया था और कंपनी निवल लाभ कमा रही है तथा विगत तीन वर्षों से धनात्मक निवल मूल्य प्राप्त कर रही है। इसलिए, बोर्ड ने एसआईएल को अपने क्षेत्र से निकाल दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**कॉफी निर्यातकों के लिए बीमा योजना**

**2042. श्री मोहन रावले : क्या वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कॉफी निर्यातकों के लिए किसी विशेष बीमा योजना को आरंभ करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ**

**2043. श्री खारबेल स्वाइं : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के अति चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहायता के रूप में देश में आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ भेजे गए थे;

(ख) मनुष्य के शरीर पर आनुवंशिक रूप से तैयार किए गए इन खाद्य पदार्थों से हो सकने वाले हानिकारक परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में इन खाद्य पदार्थों के प्रवेश करने और लोगों द्वारा इनका उपयोग करने से पूर्व इनका परीक्षण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) कृषि मंत्रालय को पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसके साथ 'रिसर्च फाउंडेशन फार सांइस टैक्नालाजी एंड इकालॉजी' से प्राप्त पत्र की प्रति और उड़ीसा में आए महा चक्रवात के पीड़ितों को खाद्य सहायता कार्यक्रम के अधीन अमरीका सरकार द्वारा वितरित किए जा रहे आनुवंशिक रूप से तैयार 'कार्न सोया' संबंधी विश्लेषण

रिपोर्ट भेजी गई थी। विश्लेषण रिपोर्ट के घटकों की जांच करने और कृषि मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजने के लिए कृषि मंत्रालय ने उक्त पत्र और विश्लेषण रिपोर्ट की प्रति उड़ीसा सरकार को भेजी थी। कृषि मंत्रालय को उड़ीसा सरकार से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) आनुवंशिक रूप से तैयार सभी जीव रूप और आनुवंशिक जीवों से उत्पादित उत्पाद भारतीय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और नियमावली, 1989 के अधीन नियंत्रित जिन्सें हैं। भारत सरकार ने अभी तक देश में वाणिज्यिक खेती के लिए किसी 'ट्रांसजेनिक फसल' की अनुमति नहीं दी है। इससे पहले कि 'ट्रांसजेनिक फसलों' का मानव मात्र के लिए इस्तेमाल किया जाए 'ट्रांसजेनिक फसलों' की पर्यावरण और मानव तथा पशुओं के प्रति सुरक्षा के संबंध में इनका वैज्ञानिक मूल्यांकन करना पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम के अधीन मुख्य मुद्दे हैं। 'ट्रांसजेनिक फसलों' की तरह ट्रांसजेनिक खाद्य का भी मानव और पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति सुरक्षा के संबंध में मूल्यांकन किया जाना है। इसके अलावा, उपलब्ध सूचना के अनुसार संसार के किसी भी भाग में विपणन की गई ट्रांसजेनिक फसलों का मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के संबंध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

### लघु उद्योग के क्षेत्र में निर्मित सामानों का निर्यात

**2044. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग के क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान निर्यात में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) और (ख) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इस क्षेत्र से निर्यात पिछले वर्ष में हुए 44442.18 करोड़ रुपए के निर्यातों की तुलना में वर्ष 1998–99 के दौरान 48979.23 करोड़ रुपये का रहा जिसमें 10.20 परसेंट की वृद्धि दर्ज हुई है।

### गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

**2045. डॉ. वी. सरोजा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन हेतु कानून लाने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कानून कब तक लाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) जी, हां।

(ख) आशा है कि इसी वर्ष विधेयक को संसद में पेश कर दिया जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

### जादू को प्रोत्साहन

**2046. श्री पी. एस. गढ़वी :** क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में जादूगरी सहित अन्य विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में वर्ष 2000–2001 के दौरान जादू को प्रोत्साहन देने के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) क्या इस क्रिया के प्रोत्साहन के लिए कोई योजनाएं शुरू की गई हैं अथवा प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) से (ङ) सरकार अभिज्ञात स्कीमों और आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों को बढ़ावा देती है, जिसमें जादू शामिल है। जादू को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष स्कीम नहीं है और इसलिए जादू के लिए विशेष रूप से कोई पृथक राशि उद्दिष्ट नहीं की गयी है।

### मंदिरों के पुनरुद्धार हेतु निधि

**2047. श्री तिरूनावकरसू :** क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जर्जर अवस्था में पड़े महत्वपूर्ण और लोकप्रिय मंदिरों के पुनरुद्धार हेतु गत तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण पुरातात्विक मानदंडों के अनुसार, मंदिरों सहित, अनेक प्रकार के केन्द्रीय परिरक्षित स्मारकों के सरंक्षण तथा परिरक्षण के लिए धनराशि का नियतन करता है।

यह मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए धनराशि आबंटित नहीं करता चाहे वे केन्द्रीय संरक्षित हो या न हों।

**विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कलकत्ता**

**2048. श्री चन्द्र विजय सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कलकत्ता के खराब रखरखाव तथा कुप्रबंधन के क्या कारण हैं;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसके अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय महत्व की स्थापत्यकला की इस धरोहर का रखरखाव न किए जाने के क्या कारण हैं?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) से (घ) दीर्घाओं की संपूर्ण मरम्मत और पुनरुद्धार से संबंधित कार्य भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण को सौंपा गया है। मरम्मत और पुनरुद्धार कार्य तथा कार्यालय स्थल का अधिग्रहण करने हेतु पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त निधियां जारी की गई हैं। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसका अधिग्रहण करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है। विक्टोरिया मेमोरियल हाल के प्रबंधन को सुदृढ़ करने की बाबत, स्टाफ संबंधी आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्य अध्ययन किया गया है और वह प्रक्रियाधीन है।

*[हिन्दी]*

**कपड़ा और चीनी मिलों का पुनरुद्धार**

**2049. श्री रामशकल : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाइफर (बीआईएफआर) के पास कपड़ा और चीनी मिलों के पुनरुद्धार से संबंधित कितने मामले लंबित हैं;

(ख) इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन मिलों का पुनरुद्धार कब तक किये जाने की संभावना है; और

(घ) इन उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि बाइफर में 171 रुग्ण कपड़ा कंपनियों एवं 12 रुग्ण चीनी कंपनियों के मामले लंबित हैं। बाइफर में विभिन्न चरणों में लंबित मामलों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

| | कपड़ा मामले | चीनी मामले |
|---|---|---|
| परिचालित मसौदा योजना | 13 | 2 |
| बंद करने संबंधी जारी नोटिस | 23 | 1 |
| जांच किए जा रहे मामले | 116 | 8 |
| असफल और पुनः शुरू की गई योजनाएं | 9 | 1 |
| आइफर द्वारा वापस किए गए लंबित मामले | 5 | – |
| न्यायालयों द्वारा दिए गए स्थगन आदेश | 2 | – |
| आइफर द्वारा स्थगन | 3 | – |
| योग | 171 | 12 |

(ग) और (घ) बोर्ड में पंजीकृत रुग्ण कंपनियों के संबंध में रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। बोर्ड पूंजी के पुनर्गठन, प्रर्वतकों द्वारा नई निधियों का देना, अन्य कंपनियों के साथ विलय, प्रबंधक बदलना, वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा राहत एवं रियायतें, राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी देयराशि के लिए पुनर्निर्धारण के रूप में राहत एवं रियायतों जैसे उपायों से रुग्ण औद्योगिक कंपनियों को पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए जहां कहीं व्यवहार्य हो, पुनर्वास योजनाएं मंजूर करता है।

*[अनुवाद]*

**खाद्यान्नों की कालाबाजारी**

**2050. श्री चिंतामन वनगा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में खाद्यान्नों के भंडारण की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई है;

(ख) क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्यान्नों के आवागमन संबंधी प्रतिबंधों को भी समाप्त कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे कदमों से प्राप्त होने वाले लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है तथा इससे देश में खाद्यान्नों की कालाबाजारी और जमाखोरों को बढ़ावा मिला है; और

(घ) यहि हां, तो इस कदाचार को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार चावल और मोटे अनाजों के संबंध में स्टाक रखने की

कोई सीमा नहीं है। तथापि, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों के कारण चावल पर स्टाक रखने की सीमा लगा रखी है। जहां तक गेहूं का संबंध है, संपूर्ण देश में खाद्यान्न स्थिति और पेश आ रही प्रमुख भंडारण बाधाओं की दृष्टि में अप्रैल, 1999 में केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया था कि वे गेहूं और गेहूं उत्पादों के संबंध में स्टाक रखने की सीमा समाप्त कर दें। तदुपरांत सितंबर, 1999 में हमने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया था कि गेहूं के खुले बाजार मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने की दृष्टि में यदि स्थिति उत्पन्न होती है तो गेहूं और गेहूं उत्पादों के संबंध में स्टाक रखने की सीमा पुनः लागू करें।

(ख) मार्च,1993 में केन्द्रीय सरकार ने संपूर्ण देश को खाद्यान्नों के मुक्त संचलन के लिए एकल खाद्य जोन समझने की राष्ट्रीय नीति अपनाई ताकि किसान देश में कहीं भी अपने उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें। आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस राष्ट्रीय नीति को लागू करने के लिए कार्रवाई की है। ये चार राज्य अधिकतम वसूली करने की दृष्टि में धान/चावल पर संचलन संबंधी प्रतिबंध बनाए रखना चाहते हैं।

(ग) हमारी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं आई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**गंदे नोटों का प्रचलन**

**2051. श्री आर. एल. जालप्पा :**

**श्री विष्णुदेव साय :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक रुपये, दो रुपये और पांच रुपये के गंदे नोट प्रचलन में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन गंदे नोटों के प्रचलन को बंद करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) से (ग) 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों का सिक्काकरण किए जाने के परिणामस्वरूप इन नोटों की छपाई को क्रमशः नवंबर 1994, फरवरी, 1995 और नवंबर, 1995 से बंद कर दिया गया है। लेकिन वे अभी कानूनी रूप से मान्य बने हुए हैं। इन मूल्यवर्गों में अभी भी कुछ अदद नोट प्रचलन में हैं जिन्हें जनता द्वारा अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों और इलेक्ट्रानिक माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार किए जाने के बाद भी इन नोटों को सिक्कों या उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदलने के लिए वापस नहीं किया गया है। तथापि, इन नोटों की वापिसी के लिए एक निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि इससे जनता को असुविधा होगी।

**कन्याकुमारी आकाशवाणी केन्द्र**

**2052. डॉ. ए. डी. के. जयशीलन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कन्याकुमारी में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कन्याकुमारी को कन्याकुमारी के जिला मुख्यालय नागेरकोइल आकाशवाणी स्थित 10 कि.वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर द्वारा पूरी तरह से कवर किया जाता है।

**काजू निर्यात से आय**

**2053. श्री पी. राजेन्द्रन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काजू की गिरि और काजू के अन्य उत्पादों के निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात से होने वाली आय के मामले में प्रत्येक नकदी फसल और कृषि उत्पादों की स्थिति क्या है; और

(ग) काजू के निर्यात से होने वाली आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) काजू के निर्यात और निर्यात आय बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाने के लिए प्रस्तावित कुछ कदमों में शामिल हैं :

1. अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी व बड़ी पौधशालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करना, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन करना, काजू के पुराने बागानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

2. उन्नत पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण और प्रसंस्करण एककों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

3. क्रेता–विक्रेता बैठकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना।

4. डाटा बेस के विकास और बाजार सूचना मुहैया कराने के लिए सहायता प्रदान करना।

5. गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रक्रिया उन्नयन और उत्पाद विकास के लिए सहायता प्रदान करना।

**विवरण**

*नकदी फसल से निर्यात आय कृषि उत्पाद*

अप्रैल–मार्च, 1999–2000

| मद | मूल्य (लाख रुपए में) | मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **नकदी फसल** | | |
| तंबाकू | 99252.67 | 233.54 |
| मसाला | 170192 | 400.45 |
| काजू | 245361.1 | 577.32 |
| चीनी | 1076.54 | 2.53 |
| चाय | 176577.49 | 415.48 |
| काफी | 136406.81 | 320.96 |
| कपास | 8067.09 | 18.98 |
| **अन्य कृषि उत्पाद** | | |
| दालें | 40492.17 | 95.28 |
| चावल | 310537.04 | 730.68 |
| अनाज | 311352.7 | 732.59 |
| तिल एवं रामतिल | 37169.6 | 87.46 |
| एचपीएस मूंगफली | 18322.7 | 43.71 |
| ग्वारगम खाद्य | 81864.34 | 192.62 |
| तेल खाद्य | 160323.84 | 377.23 |
| चपड़ा | 8197.08 | 19.29 |
| पुष्पोत्पाद एवं बीज | 15793.72 | 37.16 |
| फल एवं सब्जियां | 64149.86 | 150.94 |

1 अमरीकी डालर 42.50 रुपए

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

**विनिवेश से उत्पन्न धन**

**2054. श्री बी. के. पार्थसारथी :**

**श्री कालवा श्रीनिवासुलु :**

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अब तक विनिवेश द्वारा कितना धन सृजित किया गया;

(ख) इस प्रकार सृजित धन का क्षेत्रवार उपयोग किस प्रकार हुआ; और

(ग) क्या इस उपयोग से अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री, विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी)** : (क) से (ग) वर्ष 1991–92 से 31.7.2000 तक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के माध्यम से 18,638 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई है। इस राशि को भारत की समेकित निधि में डाला जाता है, जिससे सामाजिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना तथा लोक ऋण शोधन में व्यय आदि सहित सरकार के सभी व्यय पूरे किये जाते हैं।

**अमेरिकी कस्टम अधिकारियों द्वारा जब्त की गई खेप**

**2055. श्री रामजीवन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमेरिकी कस्टम अधिकारियों ने अमेरिकी प्रतिलिप्याधिकार तथा ट्रेड मार्क अधिनियम का उल्लंघन करने के जुर्म में कुछ भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए, गए तथा चोरी छुपे लाए गए सी. डी.– आर. ओ. एम. की कई खेपों को जब्त किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनंजय कुमार)** : (क) सरकार को अमेरिकी कस्टम अधिकारियों द्वारा भारत में निर्मित सी डी. आर. ओ. एम. की खेपों की हाल में की गई किसी जब्ती के बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

**प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में मंत्री-दल**

**2056. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्राप्त उपलब्धियों का आकलन करने और देश में इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए भावी कदम सुझाने के लिए हाल में मंत्रियों के एक दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन–किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सर्वाधिक मात्रा में होता है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण)** : (क) और (ख) जी, हां। क्षेत्र संबंधी नीतियों, क्षेत्रीय ईक्विटी सीमाओं की समीक्षा करने और वर्तमान तथा भविष्य में भी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ. डी. आई.) तंत्र में आवश्यक परिवर्तनों पर निर्णय करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है। ऊपर उल्लिखित मंत्रियों के समूह द्वारा उक्त समीक्षा–कार्य एक सतत् प्रक्रिया के रूप में परिकल्पित है।

(ग) सरकार ने एक उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ. डी. आई.) नीति बना रखी है और देश में अधिकाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से इस नीति की निरंतर समीक्षा होती है। सरकार ने, एक विशेष सूची को छोड़कर, सभी गतिविधियों को एफ. डी. आई. और अनिवासी भारतीयों एवं विदेशी कारपोरेट निकायों द्वारा निवेश को हाल ही में स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत रख दिया है। सरकार ने केन्द्र तथा राज्य स्तर पर विदेशी निवेशकों व सरकारी मशीनरी दोनों के बीच एक एकल बिन्दु अन्तरापृष्ट (सिंगल प्वाइंट इंटरफेस) की व्यवस्था करने के उद्देश्य से विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ. आई. आई. ए.) की भी स्थापना की है। इस प्राधिकरण का अल्पकालिक उद्देश्य परियोजनओं की स्थापना करने में प्रक्रियागत विलंबों को दूर करना है। इसका दीर्घकालिक उद्देश्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुकूल वातावरण पैदा करना है।

(घ) ईंधन (बिजली तथा तेल–शोधशाला), दूरसंचार और परिवहन उद्योग जैसे क्षेत्रों ने अब तक अधिकतम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित किया है।

**सुपारी का मूल्य**

**2057. श्री के. फ्रांसिस जार्ज** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुपारी के मूल्य में गिरावट पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/विचार किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) और (ख) देश में सुपारी के उपजकर्ताओं से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर सरकार ने दिनांक 7.7.2000 को सुपारी के आयात पर लगने वाले मौलिक सीमाशुल्क को 35 परसेंट से बढ़ाकर 100 परसेंट कर दिया है। इससे सुपारी की कीमतों में गिरावट को रोकने में मदद मिलेगी।

*[हिन्दी]*

**नए आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना**

**2058. श्री अनंत गुढ़े** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नए आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

| राज्य | स्थान | ट्रांसमीटर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| आंध्र प्रदेश | 1. मछरेला | 3 कि.वा. एफ.एम.ट्रां. (स्थानीय रेडियो केन्द्र) |
| | 2. काकीनाडा | 10 कि.वा. एफ.एम.ट्रां. (स्थानीय रेडियो केन्द्र) |
| अरुणाचल प्रदेश | 3. चांगलांग | 1 कि.वा. एफ.एम.ट्रां. (स्थानीय रेडियो केन्द्र) |
| | 4. खोंसा | 1 कि.वा. एफ.एम.ट्रां. (स्थानीय रेडियो केन्द्र) |
| गुजरात | 5. हिम्मत नगर | 1 कि.वा. भी.वे.ट्रां. (स्थानीय रेडियो केन्द्र) |
| | 6. जूनागढ़ | 5 कि.वा. एफ.एम.ट्रां. (स्थानीय रेडियो केन्द्र) |
| जम्मू और कश्मीर | 7. भदरवाह | 6 कि.वा. एफ.एम.ट्रां. (स्थानीय रेडियो केन्द्र) |
| | 8. मीरेरा | 20 कि.वा. भी.वे.ट्रां. (रिले केन्द्र) |
| | 9. खुखवाड़ा | 20 कि.वा. भी.वे.ट्रां. (रिले केन्द्र) |
| | 10. राजौरी | 10 कि.वा. एफ.एम.ट्रां. (रिले केन्द्र) |
| | 11. खालसी | 1 कि.वा. भी.वे.ट्रां. (रिले केन्द्र) |
| | 12. दिस्किट | .....तथैव..... |
| | 13. म्योग्रप | .....तथैव..... |
| | 14. स्पीपुक | .....तथैव..... |
| | 15. पदमथेली | .....तथैव..... |
| | 16. द्रास | .....तथैव..... |
| केरल | 17. मंजेरी | 3 कि.वा. एफ. एम. ट्रां (स्था. रेडियो केन्द्र) |
| मध्य प्रदेश | 18. सरांईपत्ली | 1 कि.वा. एफ. एम. ट्रां (स्था. रेडियो केन्द्र) |
| | 19. राजगढ़ | 3 कि.वा. एफ. एम. ट्रां (स्था. रेडियो केन्द्र) |
| | 20. मण्डला | 1 कि.वा. एफ. एम. ट्रां (स्था. रेडियो केन्द्र) |
| महाराष्ट्र | 21. ओरस | 1 कि.वा. एफ. एम. ट्रां (स्था. रेडियो केन्द्र) |
| | 22. अमरावती | 10 कि.वा. एफ. एम. ट्रां (स्था. रेडियो केन्द्र) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| मणिपुर | 23. चूड़ा चान्दपुर | 6 कि.वा. एफ. एम. ट्रां (स्था. रेडियो केन्द्र) |
| मिजोरम | 24. चम्फाई | 1 कि.वा. एफ. एम. ट्रां (सामुदायिक रेडियो केन्द्र) |
| नागालैंड | 25. फेक | 1 कि.वा. एफ. एम. ट्रां (सामुदायिक रेडियो केन्द्र) |
| उड़ीसा | 26. सारो | 1 कि.वा. मी. वे. ट्रां (स्था. रेडियो केन्द्र) |
| | 27. रैरंगपुर | 1 कि.वा. मी. वे. ट्रां (स्था. रेडियो केन्द्र) |
| तमिलनाडु | 28. धरमपुरी | 10 कि.वा. एफ. एम. ट्रां (स्था. रेडियो केन्द्र) |
| त्रिपुरा | 29. धरमनगर | 1 कि.वा. मी. वे. ट्रां (स्था. रेडियो केन्द्र) |
| | 30. नूतन बाजार | 1 कि.वा. एफ. एम. ट्रां (सामुदायिक रेडियो केन्द्र) |
| | 31. लोंगथेराई | 6 कि.वा. एफ. एम. ट्रां (स्था. रेडियो केन्द्र) |
| उत्तर प्रदेश | 32. चमोली | 1 कि.वा. मी. वे. ट्रां. |
| पश्चिम बंगाल | 33. शांति निकेतन | 3 कि.वा. एफ. एम. ट्रां (स्था. रेडियो केन्द्र) |
| | 34. दार्जिलिंग | 10 कि.वा. एफ. एम. ट्रां (रिले केन्द्र) |

*[अनुवाद]*

**एफ. एम. रेडियो स्टेशनों की प्रगति**

**2059. श्री ई. अहमद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर मंजेरी (केरल) में स्थापित किए गए एफ. एम. स्टेशनों की धीमी प्रगति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : (क) और (ख) मंजेरी सहित कुछेक एफ. एम. परियोजनाएं हैं जिनकी प्रगति धीमी रही है। इन परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कुछ मुख्य कारण हैं :

(1) स्थान को सौंपने में विलंब।

(2) सिविल निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति।

(3) उपस्कर की आपूर्ति में विलंब।

(4) स्थानीय कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या।

मंजेरी के मामले में, राज्य सरकार द्वारा स्थान फरवरी, 1997 में ही उपलब्ध कराया गया था। सिविल निर्माण कार्यों की प्रगति भी धीमी रही है। भवन का तकनीकी क्षेत्र अगस्त, 2000 तक तैयार हो जाने की संभावना है।

(ग) परियोजनाओं की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग की जा रही है। उपस्कर की आपूर्ति में विलम्ब संबंधी मामले को संबंधित फर्मों के साथ सशक्त रूप से उठाया जा रहा है। संबंधित स्थान पर कठिनाइयों का पता लगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बारंबार स्थान का दौरा/निरीक्षण किया जाता है और तदुनसार उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

**चाय उत्पादक**

**2060. श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण की नीति की वजह से चाय की खेती करने वाले लोग भारी वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं और ऋण के बोझ तले दबे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उनके वर्तमान ऋणों को माफ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चाय की खेती करने वालों की सहायता करने के लिए सरकार ने अन्य कौन से कदम उठाए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) जी, नहीं। तथापि, दक्षिण भारत में चाय के लघु उपजकर्त्ता सी आई एस देशों द्वारा कम माल उठाने, चाय की गुणवत्ता में गिरावट, परंपरागत चाय का कम उत्पादन इत्यादि जैसे कारणों से नीलामियों में कीमतों की कम प्राप्ति की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दक्षिण भारत में नीलामियों में कम कीमतों की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं : (i) चाय के लघु उपजकर्ताओं (10.12 है. तक चाय बागान रखने वाले) के लिए चाय बोर्ड के जरिए कीमत इमदाद योजना का कार्यान्वयन जिसके तहत चाय के प्रति किग्रा पर 5 रुपये की अधिकतम इमदाद प्रदान की जाती थी और इमदाद की इस राशि को 24.7.2000 से बढ़ाकर अब 8 रुपये प्रति किग्रा. कर दिया गया है। (ii) लघु उपजकर्त्ताओं द्वारा विनिर्मित चाय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में चाय बोर्ड द्वारा एक गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम शुरू करना (iii) चाय के आयात पर मूल सीमाशुल्क को 15 परसेंट से बढ़ाकर 35 परसेंट करना (iv) 100 परसेंट निर्यातोन्मुख एककों (ईओयू) और नियात संसाधन जोनों (ईपीजैड) के एककों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में चाय की बिक्री पर रोक लगाना। तमिलनाडु सरकार ने भी एक निर्धारित अवधि के लिए राज्य बिक्री कर को 8 परसेंट से घटाकर 4 परसेंट और केन्द्रीय बिक्री कर को 4 परसेंट से घटाकर 2 परसेंट कर दिया है।

**कर्नाटक में पर्यटन महत्व के स्मारक**

**2061. श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ा पाटिल (यत्नाल)** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के जो स्मारक विदेशी और भारतीय पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों को सुरक्षित रखने और उनका समुचित रूप से रखरखाव करने के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान घरेलू और विदेशी पर्यटकों से कितनी आय अर्जित की गई; और

(घ) इन स्थलों पर पर्यटकों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) कर्नाटक के ऐसे 10 स्मारकों को संलग्न विवरण–I में सूचीबद्ध किया गया है जो, घरेलू तथा विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों को बहुत अधिक संख्या में आकर्षित करते हैं।

(ख) इन स्मारकों की देखभाल तथा रखरखाव पर पिछले 3 वर्षों के दौरान किया गया व्यय इस प्रकार है : (संलग्न विवरण–II)

| | | |
|---|---|---|
| 1997–98 | 54,42,461.00 | रुपए |
| 1998–99 | 62,83,164.00 | रुपए |
| 1999–2000 | 72,75,072.00 | रुपए |

(ग) इन स्मारकों से पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित प्रवेश शुल्क इस प्रकार हैं : (सलंग्न विवरण–III)

| | | |
|---|---|---|
| 1997–98 | 47,66,081.00 | रुपए |
| 1998–99 | 48,32,034.00 | रुपए |
| 1999–2000 | 53,46,403.00 | रुपए |

(घ) उपर्युक्त पर्यटक स्थानों पर सार्वजनिक सुविधाएं जैसे पेय जल, सूचना ब्रोशर, सांस्कृतिक नोटिस बोर्ड और प्रसाधन कक्ष की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

**विवरण-I**

*कर्नाटक के स्मारकों का ब्यौरा जो घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं*

1. केशव मंदिर, सोमनाथपुर
2. दरिया दौलत बाग, श्रीरंगपट्टनम
3. टीपू सुल्तान का महल, बंगलौर
4. किला और मंदिर, चित्रदुर्ग
5. मंदिर समूह, हम्पी
6. दुर्गा मंदिर, एहोल
7. बादामी में गुफाएं
8. पट्टडकल में स्मारकों का समूह
9. गोल–गुम्बज बीजापुर
10. इब्राहिम रोजा, बीजापुर

**विवरण-II**

*पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय*

| क्र.सं. | स्मारक का नाम | 1997–98 | 1998–99 | 1999–2000 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | केशव मंदिर, सोमनाथपुर | 13,440.00 | 38,974.00 | 14,642.00 |
| 2. | दरिया दौलत बाग, श्रीरंगपट्टनम | 70,833.00 | 2,45,561.00 | 62,771.00 |
| 3. | टीपू सुल्तान का महल, बंगलौर | 4,66,945.00 | 4,88,570.00 | 3,47,413.00 |
| 4. | किला और मंदिर, चित्रदुर्ग | 1,45,867.00 | 1,97,423.00 | 4,05,684.00 |
| 5. | दुर्गा मंदिर, एहोल | 4,91,849.00 | 10,59,900.00 | 7,43,490.00 |
| 6. | बादामी स्थित गुफाएं | 7,57,782.00 | 4,07,343.00 | 5,11,981.00 |
| 7. | पट्टडकल स्थित स्मारक समूह | 2,05,582.00 | 96,377.00 | 2,85,818.00 |
| 8. | बीजापुर स्थित स्मारक | 13,45,379.00 | 18,70,955.00 | 21,92,936.00 |
| 9. | मंदिर समूह, हम्पी | 19,44,784.00 | 18,78,056.00 | 27,10,337.00 |
| | कुल | 54,42,461.00 | 62,83,164.00 | 72,75,072.00 |

**विवरण-III**

*पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित आय*

| क्र.सं. | स्मारक का नाम | 1997 | 1998 | 1999 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | केशव मंदिर, सोमनाथपुर | 1,76,072.00 | 1,91,548.00 | 1,88,582.00 |
| 2. | दरिया दौलत बाग, श्रीरंगपट्टनम | 9,49,420.00 | 9,44,504.00 | 9,92,582.00 |
| 3. | टीपू सुल्तान का महल, बंगलौर | 4,75,690.00 | 3,36,096.00 | 3,48,884.00 |
| 4. | किला और मंदिर, चित्रदुर्ग | 2,32,434.00 | 2,14,726.00 | 2,33,256.00 |
| 5. | हम्पी स्थित स्मारक समूह | 11,53,355.00 | 13,61,179.00 | 15,41,325.00 |
| 6. | दुर्गा मंदिर, एहोल | 1,43,888.00 | 1,41,618.00 | 1,40,000.00 |
| 7. | बादामी स्थित गुफाएं | 2,34,096.00 | 1,88,662.00 | 1,85,902.00 |
| 8. | पट्टडकल में स्मारक समूह | 3,84,250.00 | 4,61,315.00 | 5,44,630.00 |
| 9. | गोल–गुम्बज, बीजापुर | 8,60,018.00 | 8,78,786.00 | 10,00,112.00 |
| 10. | इब्राहिम रोजा, बीजापुर | 1,56,858.00 | 1,13,600.00 | 1,71,130.00 |
| | कुल | 47,86,081.00 | 48,32,034.00 | 53,46,403.00 |

**नकली नोटों के प्रसार में बहुराष्ट्रीय बैंकों की मिलीभगत**

**2062. श्री शिवाजी माने :**

**श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 2000 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में 'कलकत्ता फ्लेड्ड विद फेक करेंसी' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कलकत्ता में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों को संदेह है कि हो सकताा है कि बाजार में नकली नोट पहुंचाने के लिए कुछेक बहुराष्ट्रीय बैंकों का प्रयोग एक माध्यम के रूप में किया गया हो;

(घ) यदि हां, तो क्या मामले में बहुराष्ट्रीय बैंकों की भूमिका की जांच करने के लिए कोई आदेश किए गए हैं;

(ङ) क्या कलकत्ता में कुछेक बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा 500 रुपए का नोट लेने से अब सीधे मना कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल)** : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्रों की यह सूचना सही नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) कलकत्ता के कुछ समाचार पत्रों में 500 रुपये के जाली नोटों के प्रचलन और/या इनको वापस लिये जाने की गलत सूचनाओं के कारण 500 रुपये का नोट लेना मना करने की कुछ घटनाओं की सूचना मिली थी। परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक के कलकत्ता स्थित कार्यालय ने तुरंत ही सही स्थिति को स्पष्ट कर दिया था।

*[हिन्दी]*

**रुपए का मूल्य**

**2063. श्री नवल किशोर राय :**

**श्री माधवराव सिंधिया :**

**श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन :**

**श्रीमती कांति सिंह :**

**श्री जोरा सिंह मान :**

**श्री सुकदेव पासवान :**

**श्री सुशील कुमार शिंदे :**

**श्रीमती रेणुका चौधरी :**

**श्री अशोक अर्गल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई तथा जून, 2000 के महीने में उन प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसने किस सीमा तक देश में विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित किया है; और

(घ) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए को मजबूत करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) प्रमुख विदेशी करेंसियों की तुलना में रुपए की औसत विनिमय दर नीचे दी गई है:

| महीना | रुपया/ अमरीकी डालर | रुपया/ जापानी | रुपया/ पौंड स्टर्लिंग | रुपया/ यूरो |
|---|---|---|---|---|
| अप्रैल, 2000 | 43.639 | 41.418 | 69.047 | 41.303 |
| मई, 2000 | 43.983 | 40.686 | 66.400 | 39.871 |
| जून, 2000 | 44.689 | 42.090 | 67.459 | 42.414 |

+ रुपया प्रति 100 येन

भारत में रुपए की विनिमय दर मुख्य रूप से बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है और विदेशी मुद्रा बाजार में, मांग और आपूर्ति की स्थितियों, अल्पावधिक कारकों और असंतुलनों के आधार पर दिन प्रति दिन आधार पर घटती बढ़ती रहती है।

(ग) विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियों, स्वर्ण और एस. डी. आर. सहित कुल विदेशी मुद्रा भंडार मार्च, 2000 के अंत में 38036

मिलि. अमरीकी डालर से गिर कर 21 जुलाई 2000 को 36285 मिलि. अमरीकी डालर रह गया। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों में उतार–चढ़ाव चालू और पूंजी खातों पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के निवल परिणाम को प्रतिबिम्बित करता है। आवश्यक आयातों और ऋण शोधन अदायगी देयताओं के लिए हमारी जरूरतों के आधार पर आकलित विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार का वर्तमान स्तर पर्याप्त समझा जाता है।

(घ) मई से जुलाई, 2000 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपए को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) निर्यात संबंधी आयातों, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और खाद्य तेल के संबंध में काफी मात्रा में आयातों जैसी आवश्यक श्रेणियों को छोड़कर 26 मई, 2000 से एक अस्थायी उपाय के रूप में आयात वित्त पर उधार दर के 50 प्रतिशत का एक ब्याज दर अधिभार।

(ii) निर्यात आयों की वसूली में किसी देरी को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि अतिदेय निर्यात बिलों के संबंध में, बैंक उस तारीख से जब से बिल अदायगी के लिए देय होते हैं, 25 प्रतिशत प्रति वर्ष (न्यूनतम) की दर से ब्याज वसूल करेंगे।

(iii) बैंक दर को 21 जुलाई, 2000 को व्यापार बंद होने के समय 7 प्रतिशत से 1 प्रतिशत बिन्दु बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया।

(iv) नकदी प्रारक्षित भंडार को क्रमशः 29 जुलाई, 2000 और 12 अगस्त, 2000 से आरंभ होने वाले पखवाड़ों से प्रभावी कर के प्रत्येक में 0.25 प्रतिशतता वाले दो चरणों में 8 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशतता बिन्दु बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत किया जा रहा है।

(v) संपार्श्विक ऋण सुविधा (सी. एल. एफ.) सहित सभी पुर्नवित्त सुविधाओं के लिए बैंकों को उपलब्ध सीमाओं को अस्थायी रूप से पात्र सीमाओं के 50 प्रतिशत तक किया जा रहा है। इसे दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा; 29 जुलाई, 2000 से प्रभावी करके 25 प्रतिशत और 12 अगस्त, 2000 से प्रभावी करके और 25 प्रतिशत कमी करना।

*[अनुवाद]*

**सन टी. वी. चैनल**

**2064. श्री पी. एच. पांडियन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'सन' टी.वी. ने वास्तव में किस तिथि से अपने कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया है; और

(ख) 'सन' टी.वी. ने विदेशों में ट्रांसपोन्डर अपलिंकिंग के लिए प्रभारों का भुगतान करने हेतु किस तिथि को विदेशी मुद्रा के प्रेषण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त की?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) :** (क) चूंकि प्रारंभ में सन टी. वी. को देश के बाहर से अपलिंक किया गया था इसलिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को उस तारीख की जानकारी नहीं है जब से इसका प्रसारण वास्तव में शुरू हुआ था। तथापि, अपलिंकिंग और ट्रांसपोजर किराए पर लेने हेतु विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए आवेदन करते समय मैसर्स सन टी. वी. द्वारा प्रस्तुत अनुबंध की प्रति के अनुसार ये अनुबंध क्रमशः 29.4.1995 और 1.10.1995 से प्रभावी थे।

(ख) सन टी. वी. ने 11 दिसम्बर, 1995 को गोरीजोन्ट 41 उपग्रह पर ट्रांसपोजर किराए पर लेने और मै. सैंट टेलीफोर्ट प्रा. लि. के माध्यम से अपलिंकिंग की सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा के प्रेषण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति ली थी।

*[हिन्दी]*

**दूरदर्शन केन्द्र/दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र**

**2065. श्रीमती शीला गौतम :**

**श्री जयभान सिंह पवैया :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्यवार दूरदर्शन केन्द्रों और दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन केन्द्रों के राज्यवार विस्तार हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार कोई नई संचार माध्यम नीति तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संचार माध्यम विस्तार नीति हेतु कुल कितनी धनराशि पर परिव्यय मंजूर किया गया ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : (क) इस समय देश में दूरदर्शन के 49 कार्यक्रम निर्माण केन्द्र (स्टूडियो) और 1150 प्रसारण केन्द्र हैं। इन केन्द्रों की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) देश के विभिन्न भागों में इस समय 16 स्टूडियों परियोजनाएं (मौजूदा स्टूडियों के उन्नयन की 2 परियोजनाओं सहित) और 302 ट्रांसमीटर परियोजनाएं (मौजूदा ट्रांसमीटर के उन्नयन की 100 परियोजनाओं सहित) कार्यान्वयनाधीन हैं। इनका राज्य–वार ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(ग) और (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की एक उप–समिति ने राष्ट्रीय मीडिया नीति संबंधी सैद्धांतिक दस्तावेज तैयार किया था और इसे दिनांक 29.3.96 को परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष अर्थात् सूचना और प्रसारण मंत्री को प्रस्तुत कर दिया था। इस सैद्धांतिक दस्तावेज को दिनांक 5 मई, 2000 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मौजूदा परामर्शदात्री समिति के समक्ष रख दिया गया है।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए कुल परिव्यय 2843 करोड़ रुपये हैं।

**विवरण-I**

*दूरदर्शन नेटवर्क (31.7.2000 की स्थिति के अनुसार)*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शा. क्षेत्र | स्टूडियो | प्राथमिक कवरेज | | | | | मैट्रो चैनल (डीडी–2) ट्रांस | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | उ.श. ट्रां. | अ.श. ट्रां. | अ.अ. श.ट्रां | ट्रांस. पोज | कुल | उ.श. ट्रां. | अ.श. ट्रां. | अ.अ. श.ट्रां | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | असम | 3 | 3 | 20 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | – | 3 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 2 | 8 | 63 | 6 | 1 | 78 | 1 | 3 | – | 4 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 3 | 39 | 1 | 44 | – | 1 | – | 1 |
| 4. | बिहार | 4 | 5 | 46 | 1 | 1 | 53 | – | 1 | 1 | 2 |
| 5. | गोवा | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 6. | गुजरात | 2 | 4 | 60 | 3 | – | 67 | 1 | 1 | – | 2 |
| 7. | हरियाणा | – | – | 12 | – | – | 12 | – | 3 | – | 3 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 2 | 8 | 31 | 2 | 43 | – | 1 | – | 1 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 2 | 5 | 7 | 30 | 1 | 43 | 2 | 2 | – | 4 |
| 10. | केरल | 1 | 3 | 19 | 2 | – | 24 | – | 4 | – | 4 |
| 11. | कर्नाटक | 2 | 4 | 45 | 4 | – | 53 | 1 | – | – | 1 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 4 | 6 | 74 | 10 | – | 90 | 1 | 1 | – | 2 |
| 13. | मेघालय | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14. | महाराष्ट्र | 3 | 5 | 76 | 18 | 1 | 100 | 1 | 3 | – | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | मणिपुर | 1 | 1 | 1 | 5 | – | 7 | – | 1 | 1 | 2 |
| 16. | मिजोरम | 1 | 2 | – | 2 | – | 4 | – | 2 | – | 2 |
| 17. | नागालैंड | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | – | 2 | – | 2 |
| 18. | उड़ीसा | 2 | 4 | 60 | 17 | 1 | 82 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 19. | पंजाब | 1 | 4 | 5 | – | 1 | 10 | – | 1 | – | 1 |
| 20. | राजस्थान | 1 | 5 | 66 | 17 | 2 | 90 | – | 2 | – | 2 |
| 21. | सिक्किम | – | 1 | – | 5 | – | 6 | – | 1 | – | 1 |
| 22. | तमिलनाडु | 1 | 3 | 41 | 5 | 2 | 51 | 1 | – | – | 1 |
| 23. | त्रिपुरा | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | – | 2 | – | 2 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 6 | 9 | 65 | 31 | 3 | 108 | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 3 | 4 | 21 | 3 | – | 28 | 1 | 2 | – | 3 |
| 26. | दिल्ली | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
| 27. | अंडमान निकोबार | 1 | – | 2 | 10 | – | 12 | – | 1 | – | 1 |
| 28. | दमन और दीव | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 |
| 29. | पांडिचेरी | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| 30. | लक्षद्वीप | 1 | – | 2 | 2 | – | 4 | – | 1 | – | 1 |
| 31. | चंडीगढ़ | – | – | 1 | – | – | 9 | – | – | 1 | 1 |
| 32. | दादरा एवं नगर | – | – | 1 | 8 | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| | हवेली | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| | कुल | 49 | 86 | 707 | 259 | 20 | 1072 | 14 | 55 | 6 | 75 |

टिप्पणी : उपरोक्त ट्रांसमीटरों के अलावा दिल्ली के दो अ.श.ट्रां लोक सभा और राज्य सभा की कार्रवाई रिले कर रहे हैं और श्रीनगर का एक उ. श. ट्रां. कश्मीर चैनल के कार्यक्रमों को रिले कर रहा है।

ट्रांसमीटरों की कुल संख्या = 1150

**विवरण-II**

*कार्यान्वयनाधीन दूरदर्शन परियोजनाएं (31.7.2000 की स्थिति के अनुसार)*

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | का. नि. के. | उ.श. ट्रां. डीडी–1 | उ.श. ट्रां. डीडी–2 | अ.श. ट्रां. डीडी–1 | अ.श. ट्रां. डीडी–2 | अ.अ. श. ट्रां. डीडी–1 | टी/पी डीडी–1 डीडी–1 | कुल ट्रां.मी. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | असम | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | आंध्र प्रदेश | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4. | बिहार | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 5. | गोवा | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | गुजरात | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 7. | हरियाणा | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 1 | 5 | 6 | 13 | 0 | 57 | 0 | 81 |
| 10. | केरल | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 11. | कर्नाटक | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 13. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | महाराष्ट्र | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 15. | मणिपुर | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18. | उड़ीसा | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 19. | पंजाब | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20. | राजस्थान | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 21. | सिक्किम | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | तमिलनाडु | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 23. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 डीडी-2 | 23 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26. | दिल्ली | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | अंडमान निकोबार | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | पांडिचेरी | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | चंडीगढ़ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दादरा एवं नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल | 16 | 37 | 31 | 77 | 18 | 88 | 4 | 255 |

उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं :–

| | |
|---|---|
| अ.श.ट्रां. (500 वाट तक उन्नयन) | 31 |
| अ.अ.श. ट्रां. (2x50 वाट तक उन्नयन) | 14 |
| ट्रांसपोजर (2 x50 वाट तक उन्नयन) | 2 |
| कार्यान्वयनाधीन कुल ट्रांसमीटर | 302 |

*[अनुवाद]*

**मोडवैट स्कीम**

**2086. श्री चन्द्रनाथ सिंह :**

**श्री उत्तमराव ढिकले :**

**श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई कंपनियों ने धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपये के मोडवैट का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों का गत तीन वर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा संभावित बेईमानी का पता लगाने के लिए उनकी भूमिका की भी जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही शुरू की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार)** : (क) और (ख) जी, हां। कुछेक उन कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं जिन्होंने विगत तीन वर्षों, 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपये के मॉडवैट क्रेडिट का दावा किया है। इन कंपनियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) क्रेडिट की वसूली तथा अर्थदंड लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं जिन पर न्याय निर्णयन/अपीलीय कार्रवाई विभिन्न चरणों में चल रही है।

(घ) और (ङ) जी, हां। एक मामले में विभाग के दो अधिकारियों को संलिप्त पाया गया है तथा जांच के उपरांत अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है और आरोप पत्र जारी किए गए हैं।

**विवरण**

*उन कंपनियों का ब्यौरा जिनके विरुद्ध धोखाधड़ी से मॉडवेट क्रेडिट का दावा करने के लिए मामले दर्ज किए गए हैं तथा जिनमें विगत तीन वर्षों, 1997–98, 1998–99 एवं 1999–2000 के दौरान कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं*

| क्र.सं. | कंपनी का नाम (मैसर्स) | अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | एस सी जे प्लास्टिक्स प्रा. लि. | 1.55 |
| 2. | सीफैम ऑर्गानिक्स | 5.60 |
| 3. | पंजाब कम्युनिकेशन्स लि. | 1.03 |
| 4. | हैट्रो ड्रग्स लि. | 2.5८ |
| 5. | अशोक लीलैंड | 1.44 |
| 6. | इंडियन रेयॉन एंड इंडस्ट्रीज | 1.28 |
| 7. | जे.के. व्हाइट सीमेंट | 1.00 |
| 8. | डी सी एम डेवू मोटर्स (इं.) लि. | 3.61 |
| 9. | मत्सुशिता टी. वी. एंड ऑडियो (इं.) लि. | 1.14 |
| 10. | शेपर कैमिकल्स | 1.26 |
| 11. | शक्ति इंसुलेटिड वायर | 7.49 |
| 12. | मॉनयर प्लास्ट लि. | 3.35 |
| 13. | मॉनयर प्लास्ट लि. | 1.06 |
| 14. | जयसिंह वायर्स प्रा. लि. | 2.19 |
| 15. | पोलीकैब वायर्स प्रा. लि. | 2.97 |
| 16. | आर्ची डेनिम एंड एक्सपोर्ट्स लि. | 1.32 |
| 17. | रामा न्यूज़ प्रिंट्स एंड पेपर्स लि. | 1.28 |
| 18. | मिल्टन प्लास्टिक्स इंडिया लि. | 1.67 |
| 19. | सीएट लि. नासिक | 30.52 |
| 20. | शिवाय बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कं. | 1.33 |
| 21. | इंडियन सीमलैस स्टील एंड एलॉयज़ लि. | 1.95 |
| | कुल | 75.54 |

**वॉयस आफ टाईगर्स**

**2067. श्री पोन राधाकृष्णन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रतिबंधित एल.टी.टी.ई. के चोरी छिपे चल रहे रेडियो स्टेशन वॉयस आफ टाईगर्स का प्रसारण लगातार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा चोरी–छुपे चल रहे रेडियो स्टेशन को बंद करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार चोरी–छिपे चल रहे 'वॉयस ऑफ टाइगर्स' नामक रेडियो के श्रीलंका के उत्तरी जंगल में कभी–कभी प्रसारित होने की सूचना मिली है। श्रीलंकाई सेना द्वारा खोज निकाले जाने और इसे अवरुद्ध करने से बचने के लिए स्टेशन के स्थान एवं इसकी आवर्तिता को बार–बार बदल दिया जाता है।

**आर.बी.आई. द्वारा निवेश प्रस्तावों की जांच**

**2068. श्री बी. के. पार्थसारथी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यमों तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनियों में निवेश के सभी प्रस्तावों की जांच हेतु एक विशेष पैनल गठित करने पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो पैनल के सदस्यों, उनके कार्यकाल, कृत्यों तथा अधिकार क्षेत्र का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल)** : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यमों और पूर्णतः स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए दिशानिदेशों और फेमा, 1999 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, स्वतः मार्ग (आटोमैटिक रूट) के तहत न आने वाले विदेशों में निवेश के प्रस्तावों पर भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता वाली एक विशेष समिति द्वारा विचार किया जाएगा और इसमें वाणिज्य, वित्त, विदेश मंत्रालयों और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं। समिति का कार्यकाल नियत नहीं होता है और इसके कार्यों और क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारतीय कंपनियों से वे सभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्ताव शामिल होते हैं, जो आटोमेटिक रूट के तहत नहीं आते हैं।

**प्रीमियम एकत्र किया जाना**

**2069. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के अंतर्गत कुल कितना प्रीमियम एकत्र किया गया;

(ख) इन वर्षों के दौरान किये गये और निपटाए गए कुल दावों का ब्यौरा क्या है तथा कितने दावों का निपटान नहीं किया गया है और उनकी धनराशि कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र में जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को बैंक ऋण**

**2070. श्री आर. एस. पाटील :**

**श्री जी. जे. जावीया :**

**श्री चन्द्रकांत खैरे :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अति लघु और लघु उद्योगों को अधिकतम संभावित सहायता देने हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या अन्य सुधारात्मक उपाय किये हैं या प्रस्तावित हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों को सलाह दी गई है कि कुल लघु उद्योग अग्रिमों का 40 परसेंट पांच लाख रुपये तक के संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश करने वाली इकाइयों के लिए उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए तथा 20 परसेंट पांच लाख रुपये से लेकर पच्चीस लाख रुपये तक के संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश करने वाली इकाईयों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए रखी गई निधियों का 60 परसेंट अति लघु क्षेत्र की लघु इकाइयों को जाता है।

(ग) सरकार द्वारा अति लघु एवं लघु उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

* अति लघु क्षेत्र के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण की छूट सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपए से 5 लाख रुपए कर दिया है।

* संमिश्र ऋण की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।

* बैंकों द्वारा एन बी एफ सी अथवा अन्य मध्यवर्तीयों को अति लघु क्षेत्र को आगे उधार देने के प्रयोजन से दिए जाने वाले ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में शामिल किया गया है।

* सिडबी द्वारा लघु उद्योग ऋण गारंटी निधि योजना (सी जी एफ एस आई) चलाई गई है।

* सिडबी द्वारा चलाई जा रही प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण निधि (टीडीएमएफ) योजना को आगे और तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

* सिडबी द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना (एन ई एफ) की पात्रता में 25 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं को शामिल करने के लिए पात्रता बढ़ा दी गई है तथा इसे सभी गैर–महानगरीय क्षेत्रों में लागू किया गया है।

* बैंकों को प्रत्येक जिले में अथवा प्रत्येक जिले के एक औद्योगिक समूह में विशिष्ट लघु उद्योग शाखाएं गठित करनी है। विशिष्ट लघु उद्योग शाखाओं को आई एस ओ प्रमाण पत्र लेना है।

**दिवालिया वृक्षारोपण कंपनियां**

**2071. श्री अशोक अर्गल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी वृक्षारोपण कंपनियां दिवालिया हो गई हैं और इनमें निवेशकों की कितनी राशि लगी हुई है; और

(ख) सरकार द्वारा निवेशकों के हितों की रक्षा करने और वृक्षारोपण कंपनियों को विनियमित करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील):** (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की 642 निकायों से सूचना प्राप्त हुई है जिन्होंने प्राप्त सूचना के अनुसार 2681 करोड़ रुपये जुटाए थे। सेबी (सामूहिक निवेश योजनाएं) विनियम, 1999 में यह प्रावधान है कि किसी विद्यमान सामूहिक निवेश योजना (सी.आई.एस.) को कोई नई योजना शुरू करने अथवा निवेशकों से धन जुटाने की अनुमति नहीं है जब तक कि उसे पंजीकरण प्रमाण–पत्र न प्रदान किया गया हो। ऐसी योजनाओं द्वारा 31 मार्च, 2000 तक सेबी के पास पंजीकरण हेतु एक आवेदन–पत्र दाखिल किया जाना अपेक्षित था। जो विद्यमान सामूहिक निवेश योजनाएं पंजीकरण के लिए आवेदन करने में असमर्थ रहीं/आवेदन करने की इच्छुक नहीं थी, उनके द्वारा अपनी विद्यमान योजनाएं समाप्त करना तथा 28 मई, 2000 तक निवेशक को वापस अदायगी किया जाना अपेक्षित था। अब तक, सेबी को पंजीकरण प्रदान किए जाने के लिए विद्यमान 48 सी. आई. एस. निकायों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

सेबी ने ऐसी योजनाएं चलाने वाले विभिन्न निकायों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा, 5 कंपनियों नामतः लिब्रा प्लांटेशस लि., एरो ग्लोबल एग्रोटेक लि., एस. पी. जी. ग्रीनफील्ड प्लाटेंशन लि. ओकारा एग्रो इंडस्ट्रीज लि. तथा गोल्डन फारेस्ट्स (इंडिया) लि. के विरुद्ध न्यायालय कार्यवाहियां आरम्भ की गई हैं।

**व्यापार और उद्योग संबंधी सलाहकार परिषद्**

**2072. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश पर फैसला लेने में व्यापार और उद्योग संबंधी प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद् की क्या भूमिका है;

(ख) क्या उक्त सलाहकार परिषद् में सरकारी क्षेत्र का कोई प्रतिनिधि नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्तमान प्रधानमंत्री परिषद् में कौन–कौन सदस्य हैं?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री, विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**एशियाई मुद्रा संघ के निदेशक मंडल की बैठक**

**2073. श्री सुबोध मोहिते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही में ढाका में आयोजित एशियाई मुद्रा संघ के निदेशक मंडल की 29वीं बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें हुए विचार–विमर्श का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार एशियाई देशों के लिये यूरो–शैली में एकल क्षेत्रीय मुद्रा प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर सहमत है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) :** (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने 20–21 मई, 2000 को ढाका में आयोजित एशियाई मुद्रा संघ के बोर्ड की वार्षिक बैठक में भाग लिया था।

(ख) सेंट्रल बैंकों के सदस्य ने मुद्रा एवं राजकोषीय नीति की वर्तमान प्रवृत्तियों एवं उनकी अर्थ–व्यवस्थाओं के समग्र निष्पादन पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया। प्रचालन–कार्य कुशलता में सुधार करने और संघ की सदस्यता के विस्तार के सुझावों पर भी चर्चा की गई।

(ग) एशियाई देशों के लिए यूरो–शैली में एकल क्षेत्रीय मुद्रा प्रारंभ करने के किसी प्रस्ताव पर एशियाई मुद्रा संघ द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**खाद्य सामग्री के लिए राजसहायता**

**2074. श्री टी. गोविन्दम :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य सामग्री के वितरण हेतु दी जाने वाली राजसहायता वहन करने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में राज्यवार क्या कदम उठाए हैं?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) :** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**फलों/सब्जियों की मांग**

**2075. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से आर्गेनिक तरीके से उत्पादित फलों/सब्जियों के निर्यात के लिये मांगें बढ़ रही हैं और क्या आयातक चाय के मामले की तरह इस पर भी कुछ प्रीमियम की अदायगी करने के लिये तैयार हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं या कार्यक्रम बनाने की योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि नहीं शुरू किये गये तो इसके क्या कारण हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने आर्गेनिक उत्पादन तथा आर्गेनिक तरीके से उत्पादित मदों के निर्यात के मार्गदर्शन और उसे सुकर बनाने के उद्देश्य से आर्गेनिक उत्पादन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है। वाणिज्य विभाग के अंतर्गत वस्तु बोर्डों जो आर्गेनिक उत्पादन के लिए प्रमाणन एजेंसियों को मान्यता दिलाने में संलग्न हैं, द्वारा कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं ताकि आर्गेनिक कृषि के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो सके और आर्गेनिक उत्पादन की निर्यात संभाव्यता का दोहन किया जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार भारतीय आर्गेनिक उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए वस्तु बोर्डों को आर्गेनिक खाद्य संबंधी विशेषीकृत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए सहायता दे रही है।

**भारतीय परियोजनाओं को विदेशी सहायता**

**2076. श्री अवतार सिंह भड़ाना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद अमरीका तथा अन्य प्रमुख देशों द्वारा भारत के विरुद्ध लगाए गये प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने प्रतिबंध हटा लिये हैं और भारतीय परियोजनाओं का वित्त पोषण करना शुरू कर दिया है;

(घ) क्या विश्व बैंक ने भारत में आधारभूत सुविधा क्षेत्र की परियोजनाओं का वित्त–पोषण पुनः शुरू कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो भारत को परियोजना वार और राज्यवार स्वीकृत किये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद की अवधि के दौरान, निम्नलिखित देशों ने आंशिक रूप से प्रतिबंध हटाए और नीचे दी गयी परियोजनाओं को अनुमोदित किया :

स्वीडन (i) भारत सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता कार्यक्रम

(ii) राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना

अमरीका (i) 'नाको' की 'एवर्ट' परियोजना जिसका कार्यान्वयन महाराष्ट्र में होना है।

(ii) ऊर्जा संरक्षण तथा वाणिज्यकीकरण, भारत सरकार

(घ) और (ङ) मई, 1998 के बाद विश्व बैंक साधारणतया उन परियोजनाओं का अनुमोदन कर रहा है जिन्हें मानव की बुनियादी आवश्यकताओं की श्रेणी में समझा जाता है। तथापि, विश्व बैंक बोर्ड द्वारा निम्नलिखित ढांचागत परियोजनाओं को भी अनुमोदित किया गया है :

| | परियोजना | राज्य | ऋण राशि |
|---|---|---|---|
| | | | (मिलियन डालर) |
| 1. | आंध्र प्रदेश विद्युत परियोजना | आंध्र प्रदेश | 210.00 |
| 2. | उत्तर प्रदेश राजकोषीय सुधार तथा विद्युत पुनर्संरचना | उत्तर प्रदेश | 251.27 |
| 3. | राष्ट्रीय राजमार्ग | बहुराज्यीय | 516.00 |

**आयकर निर्धारिती**

**2077. श्री सुबोध राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौकरी–पेशा लोग, व्यापारी, वृत्तिक और अन्य आयकर निर्धारितियों की जोन–वार संख्या कितनी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक उनसे जोन–वार अलग–अलग कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार)** : (क) और (ख) दिनांक 31.3.2000 को आयकर कर निर्धारितियों की संख्या और वर्ष 1999–2000 के दौरान उनसे मुख्य आयुक्त क्षेत्रवार वसूले गए आयकर और निगम कर की कुल धनराशि संलग्न विवरण–I में दी गयी है। वित्त वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान वसूल किए गए आयकर और निगम कर की राज्यवार कुल धनराशि विवरण–II में दी गई है। वित्त वर्ष 1999–2000 के बारे में प्रत्येक राज्य के लिए अलग आंकड़े आयकर विभाग द्वारा अभी तक संकलित नहीं किए गए हैं। आयकर निर्धारितियों की संख्या तथा उनके व्यवसाय जैसे कारोबारियों, व्यवसायियों आदि के आधार पर उनसे वसूली गई कुल धनराशि के अलग आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं।

**विवरण-I**

| मुख्य आयुक्त क्षेत्र | कर वसूली (वित्त वर्ष 1999–2000) (रुपये करोड़ों में) | | कर निर्धारितियों की कुल संख्या | |
|---|---|---|---|---|
| | निगम कर | आयकर | निगमित | गैर–निगमित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| अहमदाबाद | 802.03 | 1576.11 | 21487 | 1738852 |
| बंगलौर | 1038.64 | 1793.25 | 12561 | 10711399 |
| भोपाल | 729.64 | 557.12 | 5727 | 1019905 |
| मुंबई | 13373.71 | 6675.36 | 70116 | 1851611 |
| कलकत्ता | 1256.7 | 1374.99 | 56363 | 2155276 |
| कोचीन | 282.16 | 505.94 | 4946 | 623895 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| हैदराबाद | 692.51 | 1087.8 | 13273 | 939741 |
| जयपुर | 185.22 | 526.13 | 7699 | 1068879 |
| चेन्नई | 1639.58 | 2015.15 | 29217 | 1671879 |
| नई दिल्ली | 5795.46 | 3334.85 | 76015 | 1369615 |
| चंडीगढ़ | 100.55 | 532.74 | 10824 | 1426164 |
| कानपुर | 2757.82 | 613.09 | 6592 | 786755 |
| लखनऊ | 869.02 | 554.07 | 5272 | 842265 |
| पुणे | 825.49 | 1729.74 | 11796 | 1970866 |
| पटना | 723.23 | 814.89 | 6408 | 1724765 |
| पंचकुला | 380.88 | 766.91 | 2611 | 620576 |
| सेंट्रल टीडीएस | 15.23 | 838.31 | – | – |
| योग (अनंतिम) | 30696.87 | 25296.45 | 340907 | 20882443 |

दिनाक 31.3.2000 को कर निर्धारितियों की पूर्व में भेजे गए 21429352 के अंनतिम आंकड़ों की तुलना में कुल संख्या 2122350 है।

**विवरण-II**

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | कर वसूली (वित्त वर्ष 1997–98) (रुपये करोड़ों में) | | कर वसूली (वित्त वर्ष 1998–99) (रुपये करोड़ों में) | |
|---|---|---|---|---|
| | निगम कर | आयकर | निगम कर | आयकर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आंध्र प्रदेश | 515.78 | 677.99 | 568.43 | 783.01 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 4.08 | 0.0 | 3.32 |
| असम | 111.9 | 115.71 | 105.68 | 148.99 |
| बिहार | 26.43 | 319.3 | 28.13 | 330.04 |
| गोवा | 65.71 | 84.77 | 67.39 | 89.65 |
| गुजरात | 672.88 | 1175.06 | 632.75 | 1336.87 |
| हरियाणा | 61.92 | 242.07 | 69.99 | 297.39 |
| हिमाचल प्रदेश | 10.99 | 62.88 | 13.94 | 68.83 |
| जम्मू और कश्मीर | 17.75 | 36.17 | 33.32 | 44.36 |
| कर्नाटक | 675.67 | 1094.93 | 637.70 | 1229.78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| केरल | 251.45 | 400.22 | 276.58 | 420.70 |
| मध्य प्रदेश | 757.22 | 396.20 | 815.39 | 476.02 |
| महाराष्ट्र | 8461.84 | 5262.34 | 11902.06 | 6077.27 |
| मणिपुर | 0.08 | 5.68 | 0.10 | 5.63 |
| मेघालय | 4.26 | 12.47 | 2.31 | 12.67 |
| मिजोरम | 0.0 | 0.90 | 0.0 | 1.33 |
| नागालैंड | 0.04 | 4.24 | 0.03 | 6.27 |
| नई दिल्ली | 4397.1 | 2454.34 | 4734.94 | 3344.57 |
| उड़ीसा | 383.94 | 137.18 | 332.74 | 155.59 |
| पंजाब | 134.75 | 435.05 | 186.57 | 462.57 |
| राजस्थान | 152.33 | 363.21 | 199.31 | 444.92 |
| सिक्किम | 0.04 | 0.50 | 0.0 | 0.09 |
| तमिलनाडु | 1106.23 | 1377.87 | 1433.81 | 1618.69 |
| त्रिपुरा | 0.34 | 9.22 | 0.24 | 8.10 |
| उत्तर प्रदेश | 937.99 | 751.53 | 1288.66 | 872.54 |
| वेस्ट बंगाल | 1033.69 | 892.96 | 1046.59 | 1077.11 |
| अंडमान निकोबार | 2.20 | 3.03 | 3.10 | 1.57 |
| चंडीगढ़ | 98.66 | 119.78 | 110.01 | 89.06 |
| दमन | 0.03 | 0.10 | 0.04 | 0.01 |
| दीव | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.05 |
| दादरा नगर हवेली | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| पांडिचेरी | 4.48 | 17.41 | 4.05 | 22.95 |
| लक्षद्वीप | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| सिलवासा | 0.01 | 0.09 | 0.0 | 0.01 |
| सीटीडीएस (प्रो.) | 165.79 | 643.21 | 35.01 | 810.19 |
| योग | 20016.0 | 17100.59 | 24528.87 | 20240.15 |

## आंध्र प्रदेश में सहकारी बैंकों को घाटा

**2078. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में कई सरकारी बैंक घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक इनमें से प्रत्येक बैंकों को कितना घाटा हुआ है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा कितना प्रशासनिक खर्चा किया गया; और

(घ) इन घाटों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) :** (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा यथासूचित वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों सहित आंध्र प्रदेश में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा उठाई गई हानियों का ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है। प्रबंधन की उच्च लागत, कमजोर वसूली तथा अग्रिमों पर अपर्याप्त वापसी को घाटे का मुख्य कारण माना जा सकता है।

(ग) वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के दौरान इन बैंकों द्वारा किए गए प्रशासनिक खर्च का ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है।

(घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि घाटों को कम करने के लिए अनुशंसित कार्रवाई में अन्य बातों के साथ–साथ ये शामिल हैं– जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के वित्तीय मार्जिन में सुधार लाने के लिए अग्रिमों तथा निदेश पोर्टफोलियों का विपणन, अविनियमन का फायदा लेने के लिए जमाराशियों/ऋणों पर ब्याज की दरों में संशोधन, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों/प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के स्तर पर वसूली अभियान, राज्य सरकार से सहायता विस्तार और आवश्यक सहायता, उच्च प्रबंधन लागत वाले जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की मार्जिन लागत में कमी, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 11(1) के उपबंधों के अनुपालन करने के लिए कार्य योजना का क्रियान्वयन, उचित निधि प्रबंधन, वसूली कार्य में सुधार और अनुपयोज्य आस्तियों में कमी आदि।

**विवरण-I**

*पिछले तीन वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा उठायी गई हानियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण*

(रुपये लाख में)

| क्र.सं. | जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का नाम | 1996–97 | 1997–98 | 1998–99 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आदिलाबाद | 115.11 | 100.52 | शून्य |
| 2. | अनन्तपुर | 263.99 | 1011.44 | शून्य |
| 3. | हैदराबाद | शून्य | 6.49 | शून्य |
| 4. | करीमनगर | 407.23 | 1428.11 | 624.27 |
| 5. | खम्माम | 259.59 | 645.09 | शून्य |
| 6. | महबूबनगर | 231.25 | 821.15 | 1122.72 |
| 7. | मेडक | 95.74 | 734.56 | 693.87 |
| 8. | नालगोंडा | शून्य | 138.59 | शून्य |
| 9. | नेल्लौर | 290.33 | 372.40 | 379.14 |
| 10. | काकीनाडा | शून्य | शून्य | 420.94 |
| 11. | प्रकासम | शून्य | शून्य | 319.28 |
| 12. | श्रीकाकूलम | 360.99 | 305.30 | 507.07 |
| 13. | विशाखापटनम | शून्य | 120.49 | शून्य |
| 14. | विजयनगरम | 174.79 | 449.88 | 211.05 |
| 15. | वारंगल | 252.91 | शून्य | शून्य |
| 16. | कुड़प्पा | 159.66 | 280.06 | 419.35 |
| 17. | चित्तूर | 44.77 | 25.20 | शून्य |

**विवरण-II**

*पिछले तीन वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में घाटे में जा रही जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के प्रशासनिक खर्चों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण*

(रुपये लाख में)

| क्र.सं. | जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का नाम | 1996–97 | 1997–98 | 1998–99 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आदिलाबाद | 280.53 | 332.09 | 338.84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | अनन्तपुर | 354.18 | 415.87 | 361.24 |
| 3. | हैदराबाद | 285.61 | 382.58 | 417.76 |
| 4. | करीमनगर | 473.46 | 681.37 | 562.47 |
| 5. | खम्माम | 328.77 | 419.74 | 449.18 |
| 6. | महबूबनगर | 359.30 | 537.27 | 428.98 |
| 7. | मेडक | 310.57 | 381.47 | 363.12 |
| 8. | नालगोंडा | 391.88 | 512.37 | 516.66 |
| 9. | नेल्लौर | 300.86 | 329.05 | 388.13 |
| 10. | काकीनाडा | 667.73 | 759.38 | 822.18 |
| 11. | प्रकासम | 398.98 | 558.79 | 549.72 |
| 12. | श्रीकाकूलम | 208.55 | 274.40 | 252.78 |
| 13. | विशाखापटनम | 350.97 | 339.77 | 353.72 |
| 14. | विजयनगरम | 246.53 | 254.17 | 415.61 |
| 15. | वारंगल | 283.70 | 298.52 | 361.17 |
| 16. | कुड़प्पा | 313.28 | 380.72 | 368.04 |
| 17. | चित्तूर | 327.34 | 439.70 | 380.39 |

**भारी उद्योग के क्षेत्र में सहयोग**

**2079. श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी और लघु उद्योग के क्षेत्र में कौन–कौन से देशों ने भारत के साथ सहयोग किया है; और

(ख) इन देशों को किस प्रकार से सहायता उपलब्ध कराई गई है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) और (ख) ऐसा समझ में आता है कि माननीय सांसद भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए गए तकनीकी और वित्तीय सहयोग समझौते का उल्लेख कर रहे हैं। ऐसे मामलों की सूची जिसमें दिनांक 1.8.91 से 31.5.2000 की नीतियोत्तर अवधि से संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्रों और संबंधित देशों के बारे में विस्तार से बताया गया है विवरण के रूप में संलग्न है। जहां तक भारत द्वारा विदेशों को मुहैया कराई गई सहायता का संबंध है, उसकी सूचना वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत सरकार की ऋण नीति से संबंधित विवरणिका में उपलब्ध है।

**विवरण**

*नीतिगत अवधि से पूर्व–नीति अवधि के दौरान (1.8.91 से 31.5.2000) अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग का क्षेत्रवार विवरण*

(राशि करोड़ में)

| क्रम सं. | उद्योग का नाम | अनुमोदनों की संख्या | | | अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि | कुल राशि की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल | तकनीकी | वित्तीय | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | मेटालर्जीकल इंडस्ट्रीज | | | | | |
| | फेरस | 361 | 214 | 147 | 7375.65 | 3.39 |
| | नान–फेरस | 63 | 30 | 33 | 771.86 | 0.35 |
| | विशेष मिश्र धातु | 81 | 51 | 30 | 828.87 | 0.38 |
| | खनन सेवाएं | 43 | 12 | 21 | 2417.37 | 1.11 |
| | विविध (अन्य मदें) मेटालर्जी | 68 | 26 | 42 | 1182.75 | 0.54 |
| | कुल | 616 | 333 | 283 | 12576.50 | 5.77 |
| 2. | ईंधन | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | विद्युत | 208 | 17 | 191 | 32097.47 | 14.74 |
| | तेल परिशोधन | 236 | 111 | 125 | 19099.86 | 8.77 |
| | विद्युत (अन्य) | 61 | 6 | 55 | 4953.85 | 2.27 |
| | तेल परिशोधन (अन्य) | 90 | 53 | 37 | 4534.65 | 2.08 |
| | अन्य (ईधन) | 130 | 44 | 86 | 3306.71 | 1.52 |
| | कुल | 725 | 231 | 494 | 63992.54 | 29.38 |
| 3. | बायलर एंड भाप उत्पादन संयंत्र | 75 | 42 | 33 | 146.66 | 0.07 |
| 4. | इलेक्ट्रीकल के अलावा प्राइम मूवर्स | 61 | 38 | 23 | 91.72 | 0.04 |
| 5. | बिजली उपकरण | | | | | |
| | विद्युत उपकरण | 1504 | 846 | 658 | 5202.45 | 2.39 |
| | कम्प्यूटर साफ्टवेयर उद्योग | 1284 | 72 | 1212 | 6805.13 | 3.12 |
| | इलेक्ट्रानिक्स | 422 | 142 | 280 | 2789.50 | 1.28 |
| | कम्प्यूटर हार्डवेयर | 3 | 0 | 3 | 0.90 | 0.00 |
| | अन्य (एस/डब्ल्यू) | 42 | 15 | 27 | 86.35 | 0.04 |
| | कुल | 3255 | 1075 | 2180 | 14884.33 | 6.83 |
| 6. | दूरसंचार | | | | | |
| | दूरसंचार | 304 | 98 | 206 | 9116.59 | 4.19 |
| | रेडियो पेजिंग | 50 | 4 | 46 | 1230.89 | 0.57 |
| | सेलुलर मोबाइल/आधारभूत दूरभाष सेवाएं | 175 | 9 | 166 | 24887.78 | 11.43 |
| | दूरसचांर (आई एंड बी) | 84 | 3 | 81 | 1180.04 | 0.54 |
| | अन्य (दूरसंचार) | 23 | 2 | 21 | 750.85 | 0.34 |
| | कुल | 636 | 116 | 520 | 37166.15 | 17.06 |
| 7. | परिवहन उद्योग | | | | | |
| | आटोमोबाइल उद्योग | 695 | 382 | 313 | 4263.31 | 1.96 |
| | वायु/समुद्र परिवहन | 146 | 16 | 130 | 2442.60 | 1.12 |
| | सवारी कार | 57 | 5 | 52 | 7200.20 | 3.31 |
| | आटो–एन्सीलियरीज/पुर्जे | 160 | 78 | 82 | 2053.02 | 0.94 |
| | बन्दरगाह | 14 | 0 | 14 | 1248.96 | 0.57 |
| | अन्य (परिवहन) | 105 | 31 | 74 | 810.78 | 0.37 |
| | कुल | 1177 | 512 | 665 | 18018.87 | 8.27 |
| 8. | औद्योगिक मशीनरी | 1287 | 786 | 501 | 2259.12 | 1.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | कल पुर्जे | 188 | 85 | 103 | 375.76 | 0.17 |
| 10. | कृषि यंत्र | 43 | 30 | 13 | 434.84 | 0.20 |
| 11. | अर्थ मूविंग मशीनरी | 61 | 36 | 25 | 105.75 | 0.05 |
| 12. | विविध मैकेनिकल व इंजीनियरिंग | 741 | 302 | 439 | 1470.96 | 0.68 |
| 13. | वाणिज्यिक, कार्यालय एवं घरेलू उपकरण | 82 | 30 | 52 | 1152.26 | 0.53 |
| 14. | मेडिकल एवं सर्जिकल उपकरण | 77 | 24 | 53 | 250.15 | 0.11 |
| 15. | औद्योगिक उपकरण | 171 | 97 | 74 | 123.47 | 0.06 |
| 16. | वैज्ञानिक उपकरण | 41 | 14 | 27 | 61.73 | 0.03 |
| 17. | गणितीय, सर्वेइंग और आरेखन | 6 | 2 | 4 | 38.37 | 0.02 |
| 18. | उर्वरक | 64 | 57 | 7 | 246.88 | 0.11 |
| 19. | रसायन (उर्वरक के अलावा) | 1536 | 755 | 781 | 12118.80 | 5.56 |
| 20. | फोटोग्राफिक रॉ फिल्म एंड पेपर | 27 | 11 | 16 | 236.69 | 0.11 |
| 21. | रंग सामग्री | 19 | 3 | 16 | 111.12 | 0.05 |
| 22. | ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल | 372 | 200 | 172 | 1336.70 | 0.61 |
| 23. | वस्त्र (रंगीन, प्रिन्टेड सहित) | 657 | 129 | 528 | 3302.61 | 1.52 |
| 24. | पेपर एंड पेपर उत्पाद के साथ पल्प | 170 | 63 | 107 | 3114.79 | 1.43 |
| 25. | चीनी | 7 | 1 | 6 | 1000.75 | 0.46 |
| 26. | फर्मेन्टेशन इंडस्ट्रीज | 63 | 19 | 44 | 1127.73 | 0.52 |
| 27. | खाद्य संस्करण उद्योग | | | | | |
| | खाद्य उत्पाद | 674 | 122 | 552 | 8577.68 | 3.94 |
| | मैरिन उत्पाद | 91 | 20 | 71 | 92.17 | 0.04 |
| | विविध (खाद्य उत्पाद) | 6 | 0 | 6 | 11.83 | 0.01 |
| | कुल | 771 | 142 | 629 | 8681.67 | 3.99 |
| 28. | वनस्पति आयल और वनस्पति | 40 | 3 | 37 | 242.23 | 0.11 |
| 29. | साबुन, कास्मेटिक्स एवं टायलेट प्रीपरेशन | 54 | 18 | 36 | 337.42 | 0.15 |
| 30. | रबड़ सामग्री | 198 | 99 | 99 | 1182.63 | 0.54 |
| 31. | चमड़ा, चमड़े की सामग्री और पिर्क्स | 183 | 36 | 147 | 301.18 | 0.14 |
| 32. | ग्लू एंड ग्लेटिन | 2 | 0 | 2 | 1.20 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | कांच | 98 | 32 | 66 | 1775.61 | 0.82 |
| 34. | सिरेमिक | 211 | 59 | 152 | 874.56 | 0.40 |
| 35. | सीमेंट एवं जिप्सम उत्पाद | 93 | 37 | 56 | 1683.34 | 0.77 |
| 36. | टिम्बर उत्पाद | 16 | 2 | 14 | 33.46 | 0.02 |
| 37. | रक्षा उद्योग | 6 | 5 | 1 | 3.47 | 0.00 |
| 38. | परामर्शी सेवाएं | | | | | |
| | डिजाइन एवं इंजी. सेवाएं | 279 | 57 | 222 | 1031.60 | 0.47 |
| | प्रबंधन सेवाएं | 169 | 22 | 147 | 475.83 | 0.22 |
| | विपणन | 47 | 7 | 40 | 52.33 | 0.02 |
| | निर्माण | 13 | 2 | 11 | 16.48 | 0.01 |
| | अन्य (परामर्शी सेवाएं) | 41 | 5 | 36 | 426.54 | 0.20 |
| | कुल | 549 | 93 | 456 | 2002.78 | 0.92 |
| 39. | सेवा सेक्टर | | | | | |
| | वित्तीय | 325 | 8 | 317 | 10145.29 | 4.66 |
| | गैर वित्तीय सेवाएं | 314 | 20 | 294 | 3115.91 | 1.43 |
| | बैंकिंग सेवाएं | 23 | 0 | 23 | 178.35 | 0.08 |
| | अस्पताल एवं उपचार केन्द्र | 84 | 13 | 71 | 651.74 | 0.30 |
| | अन्य सेवाएं | 31 | 4 | 27 | 831.31 | 0.38 |
| | कुल | 777 | 45 | 732 | 14922.60 | 6.85 |
| 40. | होटल एवं पर्यटन | | | | | |
| | होटल एवं रेस्तरां | 339 | 122 | 217 | 3539.34 | 1.63 |
| | पर्यटन | 68 | 16 | 52 | 736.80 | 0.34 |
| | अन्य (होटल एवं पर्यटन) | 11 | 3 | 8 | 37.60 | 0.02 |
| | कुल | 418 | 141 | 277 | 4313.73 | 1.98 |
| 41. | व्यापार | 435 | 18 | 417 | 1872.44 | 0.86 |
| 42. | विविध उद्योग | | | | | |
| | बागवानी | 104 | 38 | 66 | 170.87 | 0.08 |
| | कृषि | 136 | 52 | 84 | 201.48 | 0.09 |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| पुष्पकृषि | 181 | 69 | 112 | 288.95 | 0.13 |
| डायमंड | 5 | 0 | 5 | 44.46 | 0.02 |
| आभूषण और स्वर्ण | 9 | 0 | 9 | 14.84 | 0.01 |
| निर्माणकारी गतिविधियां | 35 | 4 | 31 | 460.32 | 0.21 |
| चाय/काफी | 5 | 3 | 2 | 317.25 | 0.15 |
| सिगरेट | 2 | 1 | 1 | 7.35 | 0.00 |
| पुस्तक आदि का मुद्रण | 5 | 1 | 4 | 1.17 | 0.00 |
| कॉयर | 9 | 1 | 8 | 4.62 | 0.00 |
| अन्य (विविध उद्योग) | 904 | 487 | 417 | 2318.95 | 1.06 |
| कुल | 1395 | 656 | 739 | 3830.26 | 1.76 |
| कुल | 17403 | 6377 | 11036 | 217803.95 | |

*अगस्त 1991 से मई, 2000 के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी प्रौद्योगिकी मामले (एफआईसीएस) को देश–वार दर्शाने वाला विवरण*

(राशि करोड़ में)

| क्रम सं. देश का नाम | अनुमोदनों की संख्या | | | अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि |
|---|---|---|---|---|
| | कुल | तकनीकी | वित्तीय | |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. अफगानिस्तान | 3 | 1 | 2 | 76.10 |
| 2. आस्ट्रेलिया | 370 | 132 | 238 | 6617.75 |
| 3. अर्मेनिया | 2 | 0 | 2 | 2.03 |
| 4. आस्ट्रिया | 198 | 118 | 80 | 273.78 |
| 5. बहामास | 10 | 0 | 10 | 46.17 |
| 6. बहरीन | 17 | 0 | 17 | 203.36 |
| 7. अर्जेन्टीना | 3 | 1 | 2 | 18.40 |
| 8. बेल्जियम | 165 | 50 | 115 | 3993.82 |
| 9. रूस | 1 | 0 | 1 | 0.05 |
| 10. बरमुडा | 32 | 2 | 30 | 785.57 |
| 11. ब्राजील | 14 | 10 | 4 | 0.63 |
| 12. बंगलादेश | 6 | 0 | 6 | 51.68 |
| 13. बुलगारिया | 4 | 3 | 1 | 1.91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | कनाडा | 223 | 86 | 137 | 2466.72 |
| 15. | केमेन आईलेंड | 11 | 0 | 11 | 3634.56 |
| 16. | चैनेल आईलेंड | 12 | 4 | 8 | 13.07 |
| 17. | चीन | 78 | 50 | 28 | 712.18 |
| 18. | क्रोशिया | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 19. | चेक रिपब्लिक | 32 | 22 | 10 | 294.96 |
| 20. | साइप्रस | 16 | 2 | 14 | 21.47 |
| 21. | डेनमार्क | 185 | 73 | 112 | 528.04 |
| 22. | एस्टोनिया | 2 | 0 | 2 | 7.31 |
| 23. | फिनलैंड | 91 | 50 | 41 | 260.93 |
| 24. | चिली | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 25. | फ्रांस | 613 | 256 | 357 | 5056.97 |
| 26. | ग्रीस | 4 | 1 | 3 | 2.04 |
| 27. | जर्मनी | 1942 | 918 | 1024 | 8252.42 |
| 28. | हवाई आईलेंड | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 29. | हांगकांग | 218 | 36 | 182 | 1715.05 |
| 30. | हंगरी | 16 | 7 | 9 | 3.43 |
| 31. | इंडोनेशिया | 13 | 2 | 11 | 393.07 |
| 32. | आयरलैंड | 58 | 16 | 42 | 244.25 |
| 33. | आयल आफ मैन | 11 | 2 | 9 | 161.28 |
| 34. | इजराइल | 152 | 68 | 84 | 4235.73 |
| 35. | इटली | 787 | 404 | 383 | 4466.51 |
| 36. | लिस्टैनस्टेन | 4 | 1 | 3 | 30.87 |
| 37. | जापान | 1159 | 654 | 505 | 9424.13 |
| 38. | कजाकिस्तान | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
| 39. | कोरिया (नार्थ) | 1 | 0 | 1 | 0.17 |
| 40. | लेबनान | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 41. | कोरिया (साउथ) | 466 | 176 | 290 | 9707.88 |
| 42. | कुवैत | 16 | 1 | 15 | 584.66 |
| 43. | लैटाविया | 4 | 1 | 3 | 0.36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44. | लक्जमबर्ग | 25 | 2 | 23 | 246.28 |
| 45. | मलेशिया | 136 | 16 | 120 | 5566.60 |
| 46. | मारिशस | 664 | 30 | 634 | 23461.08 |
| 47. | मेक्सिको | 10 | 3 | 7 | 252.42 |
| 48. | मालदीव | 5 | 0 | 5 | 1.43 |
| 49. | एनआरआई | 1128 | 10 | 1118 | 8052.50 |
| 50. | नेपाल | 3 | 0 | 3 | 3.03 |
| 51. | नीदरलैंड | 836 | 271 | 565 | 4832.47 |
| 52. | न्यूजीलैंड | 33 | 19 | 14 | 278.76 |
| 53. | नाइजीरिया | 4 | 0 | 4 | 147.54 |
| 54. | नार्वे | 67 | 24 | 43 | 97.13 |
| 55. | ओमान | 20 | 1 | 19 | 578.73 |
| 56. | पनामा | 11 | 2 | 9 | 640.68 |
| 57. | पपुआ न्यू गिनी | 1 | 0 | 1 | 1.92 |
| 58. | फिलीपीन्स | 39 | 18 | 21 | 383.92 |
| 59. | पोलैंड | 22 | 16 | 6 | 15.12 |
| 60. | पुर्तगाल | 17 | 7 | 10 | 193.10 |
| 61. | कतर | 2 | 0 | 2 | 31.53 |
| 62. | रोमानिया | 5 | 3 | 2 | 2.00 |
| 63. | रशिया | 99 | 26 | 73 | 164.62 |
| 64. | सऊदी अरेबिया | 33 | 1 | 32 | 812.06 |
| 65. | सिंगापुर | 514 | 99 | 415 | 4258.43 |
| 66. | स्कॉटलैंड | 4 | 2 | 2 | 0.83 |
| 67. | साऊथ अफ्रीका | 26 | 10 | 16 | 1900.66 |
| 68. | स्लोवाकिया | 6 | 3 | 3 | 0.15 |
| 69. | स्पेन | 101 | 47 | 54 | 353.44 |
| 70. | श्रीलंका | 37 | 3 | 34 | 23.03 |
| 71. | स्वीडन | 199 | 102 | 97 | 1797.86 |
| 72. | स्लोवानिया | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
| 73. | स्विटजरलैंड | 618 | 257 | 361 | 2790.47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74. | सीरिया | 1 | 0 | 1 | 0.12 |
| 75. | ताइवान | 124 | 66 | 58 | 137.86 |
| 76. | टाटार्स्टन | 1 | 0 | 1 | 0.05 |
| 77. | थाइलैंड | 99 | 30 | 69 | 2458.82 |
| 78. | टर्की | 3 | 2 | 1 | 0.22 |
| 79. | यू.ए.ई. | 69 | 6 | 63 | 649.85 |
| 80. | यू.के. | 1678 | 729 | 949 | 16211.81 |
| 81. | यू.एस.ए. | 3545 | 1378 | 2167 | 47191.86 |
| 82. | यूक्रेन | 16 | 5 | 11 | 8.98 |
| 83. | वेनेजुअला | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 84. | ऊरुगुवे | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 85. | यूरो इश्यू (जीडीआर) | 77 | 0 | 77 | 26453.04 |
| 86. | ब्रिटिश वर्जीनिया | 35 | 7 | 28 | 77.86 |
| 87 | वेस्ट इंडीज | 13 | 2 | 11 | 647.43 |
| 88. | युगोस्लाविया | 3 | 1 | 2 | 2.45 |
| 89. | अनइंडीकेटिड कंट्री | 91 | 16 | 75 | 2605.74 |
| 90. | माल्टा | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 91. | इरान | 7 | 0 | 7 | 71.46 |
| 92. | जिबराल्टर | 3 | 0 | 3 | 98.91 |
| 93. | मालदोवा | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 94. | सूडान | 2 | 0 | 2 | 0.03 |
| 95. | जोर्डन | 5 | 0 | 5 | 2.32 |
| 96. | वियतनाम | 2 | 0 | 2 | 0.89 |
| 97. | सेन सल्वाडोर | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 98. | जेमैका | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 99. | आइसलैंड | 2 | 0 | 2 | 1.35 |
| 100. | केन्या | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 101. | इजिप्ट | 1 | 0 | 1 | 0.32 |
| 102. | सोमालिया | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 103. | यमन | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 104. | मोनेको | 1 | 0 | 1 | 0.67 |
| | कुल | 17403 | 6377 | 11026 | 217803.95 |

### जर्मन दल का दौरा

**2080. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया था;

(ख) क्या वे सूचना प्रौद्योगिकी और दूसरे क्षेत्रों में भाग लेने के लिए तैयार हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में हस्ताक्षर किए गए करारों का ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) से (घ) इस वर्ष अप्रैल में हुई भारत–जर्मन संयुक्त आयोग के 14वें सत्र की बैठक के दौरान अनुभव आधारित उद्योगों के मामले में एक भारत–जर्मन द्विपक्षीय कार्यदल गठित करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। इस मामले पर जर्मन सरकार द्वारा आगे विचार किया जा रहा है।

### कर्नाटक राज्य को एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) का ऋण

**2081. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) के वित्त से कर्नाटक राज्य में कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) से (ग) वर्तमान में कर्नाटक सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक की सहायता से दो परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

*कर्नाटक को एशियाई विकास बैंक से ऋण*

| परियोजना का नाम | ऋण की राशि | हस्ताक्षर की तारीख | अन्तिम तिथि | मई, 2000 तक प्रयोग में लाया गया ऋण |
|---|---|---|---|---|
| 1. कर्नाटक शहरी आधारभूत ढांचे के विकास की परियोजना (एलएन 1415 आईएनडी) | 85.00 मिलियन अमरीकी डालर | 10.5.1996 | 30.6.2002 | 30.021 मिलियन अमरीकी डालर |
| 2. कर्नाटक शहरी विकास और तटीय प्रबंध परियोजना (एलएन 1704 आईएनडी) | 175 मिलियन अमरीकी डालर | 19.5.2000 | 30.6.2005 | शून्य |

### पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड का पुनरुद्धार

**2082. श्री सुनील खां :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा उक्त कंपनी के मजदूरों के कल्याण के संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) सरकार ने रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड को बंद करने की कार्रवाई करने का निर्णय ले लिया है।

(ख) सरकार आरआईसी के कर्मचारियों की मजदूरी की देनदारी को पूरा करने के लिए इसे सतत् रूप से गैर–योजना बजटीय सहायता प्रदान कर रही है। सरकार ने आरआईसी में स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम (वीएसएस) के अंतर्गत कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान अनुदान भी दिया है। बंद होने की स्थिति में कर्मचारियों को वीएसएस के अंतर्गत क्षतिपूर्ति उपलब्ध रहेगा।

*[हिन्दी]*

## भारत में विदेशी बैंक

**2083. श्री सुरेश चन्देल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्यरत कुछ विदेशी बैंकों ने अपनी अतिरिक्त धनराशि और मुनाफा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना अपने देशों को भेजने की अनुमति प्रदान करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो मौजूदा प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और यह प्रक्रिया कब से चल रही है और विदेशी बैंकों ने किस आधार पर रियायत मांगी है;

(ग) क्या सरकार ने उनके कुछ अनुरोध/मांगें मान ली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान प्रक्रिया में रियायत देकर भारत किस प्रकार लाभान्वित होगा;

(ङ) क्या विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंक भी अपनी अतिरिक्त, धनराशि और मुनाफा भारत में भेजने में कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों के समक्ष आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) :** (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जून, 1998 तक भारत में कार्यरत विदेशी बैंक से अपेक्षा की गई थी कि वे अपने भारतीय परिचालनों में से सामान्य कारोबार के दौरान अर्जित अपने शुद्ध लाभ/अधिशेष (करोपरान्त) को अपने मुख्यालय को प्रेषित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करें। इस प्रक्रिया की पुनरीक्षा की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि विदेशी बैंकों को रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना अपना शुद्ध लाभ/अधिशेष (करोपरान्त) प्रेषित करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते कि वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों का अनुपालन करें। उपर्युक्त निर्णय चालू खाता लेनदेन संबंधी परिवर्तनीयता के लिए वचनबद्धता के अनुसार उदारीकरण की तरफ उठाया गया एक और कदम था। तथापि, विदेशी बैंक से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रेषण का पूरा ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित करें।

(ङ) से (छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय बैंकों के लिए इन देशों में स्थित बैंकों से लाभ प्रेषित करने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। तथापि, कुछ मेजबान देशों की विनियामक प्राधिकारी अपेक्षा करते हैं कि बैंक अपनी जोखिम वाली आस्तियों के लिए कुछ निर्धारित अनुपात पर न्यूनतम पूंजी बनाए रखें। पूंजी का न्यूनतम स्तर प्राप्त होने के बाद ही लाभ प्रेषित करने की अनुमति दी जाती है। कभी-कभी बैंक अपने व्यावसायिक क्रियाकलापों को बढ़ाने के उद्देश्य से विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित स्तर से अधिक पूंजी बनाने को भी प्राथमिकता देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विदेश में लाभ रखने की भी अनुमति दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि चूंकि बैंकों को भारत को लाभ प्रेषित करने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, अतः किसी विशिष्ट उपाय की अपेक्षा नहीं की जाती है।

## अंतर्देशीय कंटेनर डिपो

**2084. श्री जय प्रकाश :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों पर उद्योगों हेतु अंतर्देशीय कंटेनर डिपो खोले गए हैं और किन-किन स्थानों पर डी ई पी बी सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या इन स्थानों पर उद्योगों ने इन सुविधाओं का फायदा नहीं उठाया है और वे बंद होने के कगार पर हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी मंहगाई सुविधाओं को वापिस लेने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) :** (क) उत्तर प्रदेश के वे स्थान, जहां अंतर्देशीय कंटेनर डिपो/कंटेनर परिवहन केन्द्र (आई सी डी/सी एफ एस) स्थित हैं और जहां डी ई पी बी सुविधा उपलब्ध हैं, निम्नानुसार हैं :

| क्र.सं. | स्थान | स्थिति | डी ई पी बी सुविधा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | मुरादाबाद | क्रियाशील | हां |
| 2. | आगरा | क्रियाशील | हां |
| 3. | कानपुर | क्रियाशील | हां |
| 4. | वाराणसी | क्रियाशील | हां |
| 5. | रूद्रपुर | क्रियाशील | हां |
| 6. | मेरठ | क्रियाशील | हां |
| 7. | सहारनपुर | क्रियाशील | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 8. | दादरी/ग्रेटर नोएडा | क्रियान्वयन के अधीन | – |
| 9. | कानपुर | क्रियान्वयन के अधीन | – |
| 10. | भदोही | क्रियान्वयन के अधीन | – |
| 11. | सूरजपुर | क्रियान्वयन के अधीन | – |
| 12. | लोनी | क्रियान्वयन के अधीन | – |

(ख) सरकार का यह प्रयास है कि व्यापारियों/उद्योग को उनके दहलीज पर सुविधा प्रदान की जाए। तथापि, इन सुविधाओं के पूरी तरह से शुरू करने से पहले कुछ समय लगेगा। व्यापारीगण आई सी डी/सी एफ एस के लाभों का उपयोग करने के लिए मुक्त हैं।

(ग) और (घ) चूंकि सरकार द्वारा इस तरह की सुविधाओं की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है इसलिए इस सुविधा के संचालन की अर्थ–व्यवस्था पूरी तरह से इस सुविधा के अभिरक्षक पर निर्भर है। सरकार को किसी सुविधा को बंद करने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

**राजस्थान में प्रैस सूचना ब्यूरो के कार्यालयों/क्षेत्रीय प्रचार निदेशालयों की स्थापना**

**2085. प्रो. रासासिंह रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालयों और प्रैस सूचना ब्यूरो के कार्यालयों की स्थापना किन–किन स्थानों पर की गई है;

(ख) वर्ष 1999–2000 के दौरान इन निदेशालयों और कार्यालयों द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसी इकाइयां स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में ऐसे कितने कार्यालय स्थापित किये जायेंगे?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : (क) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के कार्यालयों और पत्र सूचना कार्यालयों के कार्यालयों की सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) विवरण–II संलग्न है।

(ग) से (ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य के अन्य जिलों में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय या पत्र सूचना कार्यालय के कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**विवरण-I**

*राजस्थान में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और पत्र सूचना कार्यालय के कार्यालयों की सूची*

| क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय | पत्र सूचना कार्यालय के शाखा कार्यालय |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. जयपुर – क्षेत्रीय कार्यालय | 1. जोधपुर |
| 2. जयपुर – क्षेत्रीय प्रचार एकक कार्यालय | 2. जयपुर |
| 3. जोधपुर – क्षेत्रीय प्रचार एकक कार्यालय | 3. कोटा |
| 4. सीकर – क्षेत्रीय प्रचार एकक कार्यालय | |
| 5. उदयुपर – क्षेत्रीय प्रचार एकक कार्यालय | |
| 6. बाड़मेर – क्षेत्रीय प्रचार एकक कार्यालय | |
| 7. बीकानेर – क्षेत्रीय प्रचार एकक कार्यालय | |
| 8. जैसलमेर – क्षेत्रीय प्रचार एकक कार्यालय | |
| 9. श्रीगंगानगर – क्षेत्रीय प्रचार एकक कार्यालय | |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 10. अजमेर – क्षेत्रीय प्रचार एकक कार्यालय | |
| 11. अलवर – क्षेत्रीय प्रचार एकक कार्यालय | |
| 12. डूंगरपुर – क्षेत्रीय प्रचार एकक कार्यालय | |
| 13. कोटा – क्षेत्रीय प्रचार एकक कार्यालय | |
| 14. सवाई माधोपुर – क्षेत्रीय प्रचार एकक कार्यालय | |
| 15. सिरोहा – क्षेत्रीय प्रचार एकक कार्यालय | |

**विवरण-II**

*वर्ष 1999–2000 के दौरान क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा पत्र सूचना कार्यालय के कार्यालयों द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :*

**क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय**

राजस्थान में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के कार्यालयों द्वारा एडस जागरूकता, पल्स पोलियो टीकाकरण, ग्रामीण विकास स्कीमों, बाल श्रम विरोध, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों आदि जैसे विभिन्न विषयों पर प्रचार अभियान चलाए गए।

**पत्र सूचना कार्यालय**

पिछले वर्ष के दौरान राजस्थान में पत्र सूचना कार्यालय के कार्यालयों द्वारा मुख्यालय से प्राप्त प्रचार सामग्री को समाचार फोटो सहित हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू में जारी करने के अलावा निम्नलिखित कार्य किए गए:

पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर ने स्थानीय स्तर पर 314 विज्ञप्तियां जारी की। इसके अलावा, इसके द्वारा स्थानीय स्तर पर आकाशवाणी/दूरदर्शन कार्यक्रमों एवं संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के परिणामों संबंधी 79 विज्ञप्तियां, 39 फीचर जारी किए गए और 26 प्रैस सम्मेलनों/ब्रीफिंग्स का आयोजन किया गया। उक्त कार्यालय ने नियमित रूप से मासिक पत्रिका मरूगंधा के अंक प्रकाशित किए।

पत्र सूचना कार्यालय, जोधपुर ने स्थानीय रूप से हिन्दी में 242 प्रेस विज्ञप्तियां, आकाशवाणी/दूरदर्शन कार्यक्रमों तथा संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के परिणामों संबंधी 80 विज्ञप्तियां, हिन्दी में 6 स्थानीय फीचर जारी किए और 60 प्रैस सम्मेलनों/ब्रीफिंग्स का आयोजन किया।

पत्र सूचना कार्यालय, कोटा ने 262 स्थानीय विज्ञप्तियां, आकाशवाणी/दूरदर्शन कार्यक्रमों तथा संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के परिणामों संबंधी 41 विज्ञप्तियां, हिन्दी में 9 स्थानीय फीचर जारी किए और 23 प्रैस ब्रीफिंग्स का आयोजन किया।

*[अनुवाद]*

**जगतसिंहपुर, उड़ीसा में कम शक्ति वाला ट्रांसमीटर**

**2086. श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2000–2001 के दौरान अधिष्ठापित किए जाने वाले कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का स्थल–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जगतसिंहपुर शहर (जिस मुख्यालय) में उड़ीसा में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाये जाने के लिये कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : (क) इस समय देश के विभिन्न भागों में 95 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है। इन परियोजनाओं को नौवीं योजना अवधि के दौरान चरणों में पूरा किए जाने की संभावना है। इन ट्रांसमीटरों के स्थान संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में संसद से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

**विवरण**

*कार्यान्वयनाधीन अल्प शक्ति ट्रांसमीटर*

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | स्थान |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आन्ध्र प्रदेश (13) | कन्डुकुर |
| | मच्छलीपटनम |
| | मिरयालागुडा |
| | मडगुला |
| | पसेरा |
| | पेडापल्ली |
| | पुलमनेर |
| | पुंगानूर |
| | सिरीसिला |
| | सिरपुर |
| | उदयगिरि |
| | वेमलवाड़ा |
| | जहीराबाद |
| बिहार (5) | छत्रा |
| | रामनगर |
| | किशनगंज |
| | जमशेदपुर (डीडी–2) |
| | धनबाद (डीडी–2) |
| गुजरात (3) | बडोदरा (डीडी–2) |
| | सूरत (डीडी–2) |
| | राजकोट (डीडी–2) |
| हरियाणा (1) | भिवानी (डीडी–2) |
| हिमाचल प्रदेश (1) | मंडी (डीडी–2) |
| जम्मू और कश्मीर (13) | उधमपुर |
| | चल अ. श. ट्रा.–12 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| कर्नाटक (9) | जमखंडी |
| | मुडहौल |
| | तालीकोटा |
| | इंडी |
| | बेल्थांगडी |
| | कोप्पा |
| | मुंडरगी |
| | सिंधनूर |
| | मैसूर (डीडी–2) |
| केरल (2) | कोट्टाराकारा |
| | मंजेरी |
| मध्य प्रदेश (8) | आगर |
| | बरेली |
| | चम्पा |
| | खरोड़ |
| | कोंटा |
| | लखनाडॉन |
| | पंडारिया |
| | सिंधवा |
| महाराष्ट्र (6) | भामरागढ़ |
| | दरयापुर |
| | धाडगांव |
| | रावेर |
| | नासिक (डीडी–2) |
| | शोलापुर (डीडी–2) |
| मिजोरम (1) | लॉगटलई |
| उड़ीसा (3) | चिकती |
| | तुषारा |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | बालेश्वर (डीडी–2) |
| राजस्थान (9) | भिनमाल |
| | किशनगढ़ (अजमेर) |
| | नसीराबाद |
| | विजयनगर |
| | पिरवा |
| | संचौर |
| | सौजत |
| | अजमेर (डीडी–2) |
| | बीकानेर (डीडी–2) |
| तमिलनाडु (8) | अम्बासामड्रम |
| | अम्बूर |
| | ईरोड |
| | कलाकुरधी |
| | पलानी |
| | पौलाछी |
| | त्रिची (डीडी–2) |
| | कोयम्बटूर (डीडी–2) |
| त्रिपुरा (3) | अमरपुर |
| | अम्बासा |
| | जौलाईबारी |
| उत्तर प्रदेश (9) | बिघुना |
| | धुनाघाट |
| | गोपेश्वर |
| | खेतीखान |
| | कोसी |
| | बरेली (डीडी–2) |
| | नरौरा (डीडी–2) |
| | अलीगढ़ (डीडी–2) |
| | झांसी (डीडी–2) |
| पश्चिम बंगाल (1) | झाल्दा |

**निजी एजेंसियों द्वारा दूरदर्शन ट्रांसमिशन केन्द्रों का संचालन**

**2087. श्री अमर राय प्रधान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ निजी एजेंसियों को कम क्षमता वाले ट्रांसमीटरों की सहायता से दूरदर्शन केन्द्रों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी एजेंसियों के नाम क्या हैं और किन–किन स्थानों पर इसे अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी एजेंसियों से अर्जित की जा रही आय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निजी एजेंसियों के माध्यम से ऐसा महत्वपूर्ण कार्य कराए जाने के क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

**केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का सुधार**

**2088. श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में केन्द्र द्वारा संरक्षित कुछ स्मारकों की पहचान उन्हें और आकर्षक बनाए जाने के उद्देश्य से की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, विशेष कर महाराष्ट्र के मामले में, ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय तथा विदेशी पर्यटकों के लिये इन स्मारकों को स्थायी रूप से आकर्षण का केन्द्र बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गये हैं; और

(घ) महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा और एलिफेन्टा की गुफाओं के इर्द–गिर्द दर्शनार्थियों के अनुकूल दी जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) जी, हां।

(ख) उन्नयन के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) प्रस्तावों में, स्मारकों का संरक्षण तथा परिरक्षण,

पर्यावरणीय उन्नयन, सूचना केन्द्रों की व्यवस्था, स्मृति चिन्ह दुकानें, कैफेटीरिया, कार खड़ी करने का स्थान, प्रसाधन कक्षों तथा उन्नत साइनेज, शामिल हैं।

प्रस्तावों का कार्यान्वयन धन के उपलब्ध होने पर निर्भर होगा।

**विवरण**

*उन्नयन के लिए प्रस्तावित स्मारक*
*(राज्य सरकार पर्यटन के धन से)*

अरुणाचल प्रदेश

1. भीष्मक नगर, जिला डिवांग घाटी के अवशेष

असम

2. शिवसागर जिला में शिवसागर में स्मारक समूह

आंध्र प्रदेश

3. गोलकोंडा किला, हैदराबाद

बिहार

4. बौद्ध स्थल, नालंदा

दमन

5. किला और गिरजाघर, दमन

दिल्ली

6 लाल किला

*7. कुतुब मीनार

*8. हुमायूं का मकबरा

गुजरात

9. रानी की बाव, जिला पाटन

गोवा

*10. गिरजाघर तथा कन्वेन्टें, पुराना गोवा

हरियाणा

11. शेख चिल्ली का मकबरा, थानेसर जिला कुरूक्षेत्र

हिमाचल प्रदेश

12. कांगड़ा किला, कांगड़ा

जम्मू व कश्मीर

13. हेमिस में बौद्ध मठ, जिला लेह

कर्नाटक

*14. हम्पी में स्मारक समूह, जिला बेलारी

*15. पट्टडकल में स्मारक समूह, जिला बीजापुर

केरल

16. बेकल किला, पल्लाकेरे, जिला कसारगोड

मध्य प्रदेश

*17. सांची में स्मारक समूह, जिला रायसेन

*18. खजुराहो में स्मारक समूह, जिला छत्तरपुर

महाराष्ट्र

*19. अजन्ता की गुफाएं, जिला औरंगाबाद

*20. एलोरा की गुफाएं, जिला औरगांबाद

*21. एलीफेंटा की गुफाएं, घरपुरी, जिला रायगढ़

मणिपुर

22. विष्णु मंदिर बिशनपुर, जिला विष्णुपुर

मेघालय

23. यू मॉथॉ–दुर–ब्रू का पत्थर का स्मारक, नरतियांग, जिला जयन्तिया हिल

नागालैंड

24. दीमापुर किला, दीमापुर, जिला कोहिमा

उड़ीसा

*25. सूर्य मन्दिर, कोणार्क, जिला पुरी

पंजाब

26. मुगल सराय, दखनी, जिला जालंधर

राजस्थान

27. चित्तौरगढ़ किला, जिला चित्तौरगढ़

तमिलनाडु

*28. स्मारक समूह, महाबलीपुरम, जिला कांचीपुरम

*29. बृहदेश्वर मन्दिर, तंजावुर, जिला तंजावुर

त्रिपुरा

30. शैलकृत मूर्तियां, उनाकोटि, जिला उत्तरी त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश

*31. ताजमहल, आगरा

*32. फतेहपुर सीकरी, आगरा

*33. आगरे का किला, आगरा

पश्चिम बंगाल

34. हजार द्वारी महल, किला निजामत, जिला मुर्शिदाबाद

---

* यूनेस्को की विश्व दाय सूची में शामिल स्मारक

*[हिन्दी]*

**"सिडबी" का "आईडीबीआई" से पृथक्कीकरण**

**2089. श्री बृजमोहन राम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "सिडबी" को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक "आईडीबीआई" से एक अलग इकाई के रूप में पृथक करने हेतु उसके लिये अलग से वित्तीय प्रावधान करने की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप लघु उद्योगों के विकास के लिये कौन–कौन से संभावित लाभ होंगे?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) जी, नहीं। अलबत्ता, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) अधिनियम, 1989 को 27 मार्च, 2000 से संशोधित कर दिया गया है जिसमें कि सिडबी को आईडीबीआई से अलग करने के लिए सिडबी अधिनियम में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। संशोधित अधिनियम में, सिडबी की 51 प्रतिशत से अनधिक की निर्गम पूंजी को जो इस तरह आईडीबीआई द्वारा अभिदत्त की जाती है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, साधारण बीमा निगम तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थाओं के पक्ष में ऐसे अनुपात, तरीके और ऐसी शर्तों पर जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, अन्तरित करने का प्रावधान किया गया है।

(ग) आईडीबीआई से सिडबी को अलग करने का मुख्य उद्देश्य (i) सिडबी को स्वतंत्र सत्ता बनाना जिससे कि वह लघु उद्योग क्षेत्र के समग्र विकास में प्रभावशाली भूमिका अदा कर सके (ii) सिडबी को घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा आधार पर ऋण तथा इक्विटी दोनों में संशोधन जुटाने हेतु समर्थ बनाना (iii) सिडबी की शेयरधारिता आधार को बढ़ाना तथा (iv) सिडबी को अधिक कियात्मक स्वायत्ता तथा परिचालनात्मक लोच प्रदान करना।

*[अनुवाद]*

**स्पेशल इकॉनामिक जोन एरिया**

**2090. श्री ए. कृष्णास्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'स्पेशल इकॉनामिक जोन एरिया' में स्थापित इकाइयों में निजी क्षेत्र के साथ राज्य सरकारों की हिस्सेदारी रखने के लिए केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में राज्यवार ऐसी कुल कितनी इकाइयां स्थापित हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) 31 मार्च, 2000 तक किए गए संशोधनों को समाविष्ट करते हुए घोषित निर्यात और आयात नीति (1997–2002) में सरकार ने निर्यातों के संवर्धन के लिए देश में 'स्पेशल इकॉनामिक जोन' (एस.ई.जेड.) की स्थापना के लिए एक नीति की घोषणा की है। एस.ई.जेड. की स्थापना सरकारी, निजी, संयुक्त क्षेत्र में या राज्य सरकारों द्वारा की जा सकती है। एस. ई. जेड. स्कीम में राज्य सरकार के लिए एस. ई. जेड क्षेत्र में स्थापित इकाईयों में निजी क्षेत्रक के साथ साझेदारी रखने की कोई शर्त नहीं है।

(ग) एस. ई. जेड. में अभी कामकाज शुरू नहीं हुआ है।

*[हिन्दी]*

**मिट्टी के तेल का आबंटन**

**2091. श्री विष्णुदेव राय** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित करने के लिए वर्षवार कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल आबंटित किया गया;

(ख) क्या मिट्टी के तेल की मांग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु बनाने की राज्य की मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मध्य प्रदेश को मिट्टी का तेल निम्नानुसार आबंटित किया गया है :–

| वर्ष | आबंटन (टन में) |
|---|---|
| 1997–98 | 532741 |
| 1998–99 | 661812 |
| 1999–2000 | 666632 |

(ख) से (घ) मिट्टी के तेल का आबंटन ऐतिहासिक आधार पर किया जाता है यानि पिछले साल की पूर्ति में राष्ट्रीय स्तर पर की गई वृद्धि में से अतिरिक्त आबंटन को जोड़ते हुए। मिट्टी का तेल घाटे का उत्पाद है। राज्य सरकारों से समय–समय पर उनके मिट्टी के तेल के आबंटन में वृद्धि करने के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं।

*[अनुवाद]*

**विज्ञान नगरों की स्थापना**

**2092. श्रीमती प्रेनीत कौर** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में किसी विज्ञान नगर की स्थापना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर पंजाब राज्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यवार इनके द्वारा कब तक कार्य आरम्भ किये जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) जी, हां। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल और पंजाब में विज्ञान नगर की स्थापना हेतु अनुमोदन दे दिया है।

(ख) पंजाब में, विज्ञान नगर की स्थापना जालंधर में की जा रही है और इसका नाम पुष्पा गुजराल विज्ञान नगर रखा गया। कलकत्ता में, विज्ञान नगर की स्थापना का कार्य पूरा हो गया और वर्ष 1997 में इसका उद्घाटन कर दिया गया।

(ग) वर्तमान कार्यक्रम सूची के अनुसार, प्रथम चरण वर्ष 2001 तक और संपूर्ण परियोजना वर्ष 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

**देश में नदी पर्यटन**

**2093. श्री ए. ब्रह्मनैया** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नदी पर्यटन का वित्त पोषण करने और उसे लोकप्रिय बनाने की योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सिलसिले में चयन की गई नदियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) नदी पर्यटन सहित पर्यटन का विकास करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग, राज्य/संघ राज्य सरकार के साथ विचार–विमर्श करके प्राथमिकता प्राप्त विशिष्ट पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नदी पर्यटन के संवर्धन के लिए समुद्री नौकाएं (जलपोत), नौकाएं, कैटामारन, राइस बोट्स, हाउस बोट्स–ऐसी नौकाएं जिनके तल में पारदर्शी शीशा लगा हो, जल कीड़ा उपकरणों आदि के प्रबंधन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) गोवा में मंडोवी और जुआरी पर रिवर क्रूसिंग, केरल के बैक वाटर्स, हुगली नदी और सुंदरबन, गंगा, गोदावरी में इलाहाबाद से वाराणसी और ब्रह्मपुत्र में विभिन्न स्थान तथा गंगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र में रिवर राफ्टिंग में बहुत लोकप्रिय है।

**सेबी के आय के स्रोत**

**2094. श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के आय के स्रोत क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड कई मर्चेंट बैंकरों से पंजीकरण राशि के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि वसूल रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ उनसे कितनी धनराशि देय है और उनसे धनराशि वसूलने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल)** : (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की आय के स्रोतों में, अन्य बातों के अलावा स्टाक एक्सचेंजों से सूचीकरण शुल्क अभिदान; बाजार मध्यवर्तियों, इश्युओं के बैंकरों, डिबेंचर न्यासियों, विदेशी संस्थागत निवेशकों, म्युचुअल फंडों सामूहिक निवेश योजनाओं,

क्रेडिट रेटिंग अभिकरणों से शुल्क; प्रकाशनों की बिक्री से आय; तथा सेबी के निवेशों तथा जमा राशियों पर आय शामिल है।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार, मर्चेंट बैंकरों से 267.67 लाख रु. की राशि बकाया पंजीकरण शुल्क के रूप में सेबी को देय थी। सेबी ने चूककर्ता मर्चेंट बैंकरों को शुल्कों के भुगतान न किए जाने के लिए नोटिस जारी किए तथा इसके साथ ही, 230 मर्चेंट बैंकरों के विरुद्ध जांच प्रारम्भ की। जांच के परिणामस्वरूप, 6 मर्चेंट बैंकरों के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए, 59 मर्चेंट बैंकरों को निलंबित कर दिया गया तथा 12 को चेतावनी पत्र जारी किए गए। सेबी द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप, वर्ष 1999–2000 के दौरान 37.79 लाख रु. की राशि तथा 1 अप्रैल 31 जुलाई, 2000 के दौरान 14.93 लाख रु. की राशि प्राप्त हुई।

इसके अलावा, विभिन्न मध्यवर्तियों के पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्रों पर विचार करते समय यह पुष्टि की जाती है कि विगत में आवेदक कंपनी, इसके निदेशकों अथवा इसके सहयोगियों में से किसी के द्वारा सेबी को पंजीकरण शुल्कों के भुगतान में कोई चूक नहीं की गई है।

**रसायन और उर्वरकों की आयात-निर्यात नीति**

**2095. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खण्डूड़ी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसायन और उर्वरकों के आयात और निर्यात संबंधी कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) और (ख) दिनांक 31 मार्च, 2000 तक हुए संशोधनों को शामिल करते हुए संशोधित वार्षिक एक्जिम नीति 31.03.2000 को घोषित की गयी है। तथापि, सरकार ने कोई क्षेत्र–विशेष नीति घोषित नहीं की है। संशोधित एक्जिम नीति में, कॉपर ओक्सीक्लोराईड, डाइबुटाईल ओरथोथैलेट्स डाईबुटाईल थैलेट एवं अमोनियम सल्फेट इत्यादि जैसे कुछ रसायनों और उर्वरकों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को उदारीकरण की नीति के अनुसरण में तथा हमारी अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता के एक भाग के रूप में हटा लिया गया है।

**एम. एस. जूता घोटाला–केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच**

**2096. श्री किरीट सोमैया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम. एस. जूता घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला;

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले की वैधानिक स्थिति क्या है; और

(घ) निवेशकों के हित को देखते हुए इस जांच में तेजी लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल)** : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भ्रष्टाचार–रोधी शाखा, मुम्बई द्वारा की गई जांच पूरी हो गई है।

(ख) से (घ) चूंकि अभियुक्तों के कृत्य कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत दंडनीय पाए गए थे, अतः 10.9.1998 को न्यायालय में एक शिकायत दायर कर दी गई थी। इस समय इस मामले में मुकदमा चल रहा है।

**प्राकृतिक रबड़ का न्यूनतम निर्धारित मूल्य**

**2097. श्री पी. सी. थामस** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व घोषित सरकारी गजट में प्राकृतिक रबड़ के न्यूनतम निर्धारित मूल्य को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तारीख को अधिसूचित किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को ऐसी अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देश दिया है;

(ङ) क्या रबड़ अधिनियम में भी ऐसे कदम उठाने का प्रावधान है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी अधिसूचना का क्या प्रभाव पड़ा है ?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) से (ग) भारत सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा दिनांक 28.9.1998 को प्राकृतिक रबड़ की बैंच मार्क कीमत अधिसूचित की थी।

(घ) से (च) माननीय उच्च न्यायालय ने रबड अधिनियम, 1947 की धारा द्वारा यथा परिकल्पित आदेश जारी करने हेतु भारत सरकार को निर्देश दिया है। रबड़ अधिनियम की धारा 13(1) में यह इंगित किया गया है कि "केन्द्रीय सरकार' सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के कारोबार के दौरान इस प्रकार से विनिर्दिष्ट की गई किसी भी प्रकार की रबड़ के लिए प्रभारित की जाने वाली अधिकतम कीमत

अथवा न्यूनतम कीमत या अधिकतम और न्यूनतम कीमत निर्धारित कर सकती है।" तथापि, न्यूनतम और/अथवा अधिकतम कीमत घोषित करने की परम्परा को 1981 से समाप्त कर दिया गया है और सरकार तब से केवल बैंच मार्क कीमत की ही घोषणा करती आ रही है। संशोधित बैंच मार्क कीमत सितम्बर, 1998 में अधिसूचित की गई थी।

**एन. सी. सी. एफ. द्वारा चिकित्सा उपकरणों/सामान की खरीद के आदेश में हेराफेरी**

**2098. श्री रामसागर रावत** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी. बी. आई. ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ अथवा खुली निविदाओं के माध्यम से चिकित्सा आदेश/आपूर्ति में हेराफेरी के लिए ए.सी. ए. एस. एच. सफदरजंग, दीनदयाल अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विरुद्ध 1997 में एक मामला दर्ज किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति बताते हुए मामले को अंतिम रूप देने में कितनी प्रगति हुई है ?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वर्ष 1999 में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के माध्यम से वस्तुओं की खरीद में अनियमितताओं के आरोप में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कुछ अधिकारियों तथा अन्यों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था।

(ख) मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी जांच की जा रही है।

**आकाशवाणी के नेटवर्क का विस्तार**

**2099. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**

**श्री ए. ब्रह्मनैया :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न जिलों में आकाशवाणी के संवाददाताओं के नेटवर्क को विस्तृत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या आकाशवाणी के संवाददाता अपने क्षेत्रों में क्रियाशील नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पूरे देश में आकाशवाणी के और अधिक संवाददाताओं की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या आकाशवाणी ने और संवाददाताओं की नियुक्ति हेतु किन्ही क्षेत्रों की पहचान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आकाशवाणी के नेटवर्क को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) वर्तमान में देश में राज्य–वार आकाशवाणी के कितने संवाददाता हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : (क) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाताओं के नेटवर्क का विस्तार करने हेतु एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस संबंध में ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि, प्रसार भारती को विद्यमान आकाशवाणी संवाददाताओं के कार्यक्रम के बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(च) देश में इस समय कार्यरत आकाशवाणी संवाददाताओं तथा अंशकालिक संवाददाताओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | संवाददाताओं की संख्या | अंशकालिक संवाददाताओं की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | असम | 3 | 3 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 3 | 11 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | शून्य |
| 4. | अंडमान और निकोबार | 1 | शून्य |
| 5. | बिहार | 4 | 26 |
| 6. | गोवा | 1 | शून्य |
| 7. | गुजरात | 3 | 6 |
| 8. | हरियाणा | 2 | 9 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 6 |
| 10. | जम्मू तथा कश्मीर | 3 | 6 |
| 11. | कर्नाटक | 3 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12. | केरल | 3 | 8 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 2 | 8 |
| 14. | महाराष्ट्र | 4 | 11 |
| 15. | मणिपुर | 2 | शून्य |
| 16. | मेघालय | 1 | शून्य |
| 17. | मिजोरम | 1 | 2 |
| 18. | नागालैण्ड | 1 | शून्य |
| 19. | उड़ीसा | 3 | 11 |
| 20. | पंजाब | 3 | 9 |
| 21. | पांडिचेरी | 1 | 1 |
| 22. | राजस्थान | 3 | 10 |
| 23. | सिक्किम | 1 | शून्य |
| 24. | तमिलनाडु | 3 | 9 |
| 25. | त्रिपुरा | 1 | 2 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 5 | 14 |
| 27. | पश्चिमी बंगाल | 4 | 19 |
| 28. | दिल्ली | 14 | शून्य |

**नाबार्ड ऋण**

**2100. श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड ने देश में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए हाल ही में धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कौन–कौन से नियम और शर्तों पर उक्त धन प्रदान किया गया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1995–96 से ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा की गई राज्यवार और वर्ष–वार मंजूरियां और संवितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आरआईडीएफ के अन्तर्गत राज्य सरकारों को ऋण, परियोजना विशेष ऋण हैं। आरआईडीएफ–I से VI तक के अन्तर्गत राज्य सरकारों को प्रदान किए जाने वाले ऋणों से संबंधित शर्तें निम्नानुसार है :–

| आरआईडीएफ | ऋणों पर ब्याज की दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष) | ऋण की अवधि |
|---|---|---|
| I. | 13.0 | 5 वर्ष तक |
| II. | 12.0 | 5 वर्ष |
| III. | 12.0 | 5 वर्ष |
| IV. | 12.0 | 5 वर्ष |
| V. | 12.0 | 7 वर्ष |
| VI. | 11.5 | 7 वर्ष |

राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के पक्ष मे अप्रतिसंहरणीय प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करें जिसमें आरआईडीएफ के अन्तर्गत उसे ब्याज के भुगतान/ऋण के मूलधन की वापसी अदायगी में चूक के मामले में उनके खातों को नामे डालने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

**विवरण**

*आरआईडीएफ के अंतर्गत राज्यवार मंजूरी और संवितरण (जून 2000 के अन्त की स्थिति के अनुसार)*

(करोड़ रुपये)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | आरआईडीएफ–I 1995–96 (रु. 2000 करोड़) | | आरआईडीएफ–II 1996–97 (रु. 2500 करोड़) | | आरआईडीएफ–III 1997–98 (रु. 2500 करोड़) | | आरआईडीएफ–IV 1998–99 (रु. 3000 करोड़) | | आरआईडीएफ–V 1999–2000 (रु. 3500 करोड़) | | आरआईडीएफ–VI 2000–2001 (रु. 3500 करोड़) | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मंजूरियां | संवितरण | मंजूरियां | संवितरण | मंजूरियां | संवितरण | मंजूरियां | संवितरण | मंजूरियां | संवितरण | मंजूरियां | संवितरण | मंजूरियां | संवितरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 227.09 | 207.09 | 334.00 | 242.64 | 275.11 | 158.50 | 305.42 | 86.44 | 383.09 | 55.47 | 2.25 | शून्य | 1526.96 | 750.14 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 25.10 | 6.02 | शून्य | शून्य | 25.10 | 6.02 |
| 3. | असम | शून्य | शून्य | 63.29 | 57.47 | 16.07 | 10.51 | 64.72 | 6.47 | 196.14 | 41.59 | शून्य | शून्य | 340.22 | 116.04 |
| 4. | बिहार | 22.17 | 12.63 | शून्य | शून्य | 62.31 | 4.80 | 118.50 | शून्य | 100.93 | शून्य | शून्य | शून्य | 303.91 | 17.43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | गोवा | 6.85 | 6.85 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 8.93 | 5.49 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 15.78 | 12.34 |
| 6. | गुजरात | 150.90 | 143.63 | 129.63 | 92.08 | 160.60 | 106.02 | 136.36 | 41.52 | 254.24 | 40.77 | 146.70 | शून्य | 978.43 | 424.02 |
| 7. | हरियाणा | 26.70 | 19.01 | 61.06 | 39.80 | 74.98 | 39.46 | 102.42 | 14.26 | 99.07 | 13.01 | शून्य | शून्य | 364.23 | 125.54 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 14.23 | 14.23 | 49.50 | 44.68 | 50.11 | 35.84 | 88.58 | 30.55 | 112.87 | 28.77 | शून्य | शून्य | 315.29 | 154.07 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 6.14 | 6.04 | 8.06 | 0.57 | 35.95 | 11.78 | 105.87 | 29.06 | 110.88 | 27.84 | 46.70 | शून्य | 313.60 | 75.30 |
| 10. | कर्नाटक | 173.58 | 133.36 | 172.46 | 145.40 | 171.83 | 115.68 | 178.55 | 35.02 | 176.10 | 0.88 | शून्य | शून्य | 872.52 | 515.27 |
| 11. | केरल | 95.93 | 85.87 | 87.60 | 63.66 | 90.61 | 35.35 | 64.55 | 12.79 | 127.58 | 14.35 | 50.54 | शून्य | 516.81 | 212.02 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 220.50 | 187.09 | 207.60 | 112.16 | 248.70 | 101.80 | 242.84 | 35.28 | 262.96 | 12.99 | शून्य | शून्य | 1182.60 | 449.32 |
| 13. | महाराष्ट्र | 186.81 | 169.35 | 231.66 | 195.03 | 254.31 | 184.12 | 301.96 | 65.80 | 350.28 | 35.03 | शून्य | शून्य | 1325.04 | 649.33 |
| 14. | मणिपुर | 1.75 | 0.96 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1.75 | 0.96 |
| 15. | मेघालय | 3.39 | 3.39 | शून्य | शून्य | 8.25 | 3.91 | 9.33 | 2.33 | 35.10 | 8.77 | शून्य | शून्य | 56.07 | 18.40 |
| 16. | मिजोरम | 2.38 | 2.37 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 54.17 | 9.08 | शून्य | शून्य | 56.55 | 11.45 |
| 17. | नागालैंड | 1.38 | 1.38 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 0.72 | शून्य | 16.52 | 5.05 | शून्य | शून्य | 18.62 | 6.43 |
| 18. | उड़ीसा | 169.66 | 160.11 | 125.14 | 98.74 | 162.91 | 86.04 | 162.56 | 59.71 | 134.62 | 16.12 | 11.40 | शून्य | 766.29 | 420.72 |
| 19. | पंजाब | 60.50 | 60.50 | 62.50 | 62.05 | 88.85 | 80.68 | 109.96 | 33.13 | 112.18 | 45.03 | 57.96 | शून्य | 491.95 | 281.39 |
| 20. | राजस्थान | 123.51 | 116.58 | 151.50 | 121.04 | 162.88 | 104.69 | 152.95 | 14.74 | 199.66 | 32.99 | 144.26 | 43.28 | 934.76 | 433.32 |
| 21. | तमिलनाडु | शून्य | शून्य | 266.68 | 206.49 | 195.75 | 118.05 | 176.56 | 64.43 | 255.60 | 43.63 | शून्य | शून्य | 894.59 | 432.60 |
| 22. | त्रिपुरा | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 21.70 | 4.31 | 45.01 | शून्य | शून्य | शून्य | 66.71 | 4.31 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 295.72 | 279.19 | 491.65 | 295.75 | 432.98 | 197.60 | 525.77 | 145.01 | 365.87 | शून्य | शून्य | शून्य | 2111.99 | 917.55 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 102.52 | 81.84 | 158.70 | 114.43 | 176.76 | 89.67 | 214.32 | 28.81 | 224.08 | 36.88 | शून्य | शून्य | 876.38 | 351.63 |
| 25. | सिक्किम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 21.29 | 11.90 | 8.72 | शून्य | शून्य | शून्य | 30.01 | 11.90 |
| | कुल | 1891.71 | 1691.47 | 2601.03 | 1891.99 | 2668.96 | 1484.49 | 3113.88 | 727.05 | 3650.82 | 474.27 | 459.81 | 43.28 | 14386.16 | 6312.55 |

**बैंक ऋणों का चक्रवृद्धि ब्याज**

**2101. श्री माधवराव सिंधिया :**

**श्रीमती रेणुका चौधरी :**

**श्री सुशील कुमार शिंदे :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बैंकों समेत राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि संबंधी विभिन्न कार्यकलापों के किसानों को दिए गए ऋणों के लिए उनसे तिमाही रूप से ब्याज लेते हैं और कुछ किस्तों का भुगतान न करने पर ब्याज दर में जुर्माना भी शामिल होता है;

(ख) यदि हां, तो ब्याज की ऐसी उच्च दरें किसानों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई अनेक आत्महत्याओं के लिए कहां तक उत्तरदायी हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान फार्म क्षेत्र, निगमित क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों को दिए गए ऋणों को दर्शाते हुए ब्याज दरों विशेषकर कृषकों को दिए गए ऋणों की उच्च ब्याज दरों की समीक्षा करने और संशोधित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वाणिज्यिक बैंकों को कृषि संबंधी अग्रिमों पर चक्रवृद्धि ब्याज एवं दंड स्वरूप ब्याज लेने की पद्धति के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए हैं:–

(i) ब्याज की अदायगी केवल यथा निर्धारित ऋण/किश्तों की चुकौती के समय ही होनी चाहिए।

(ii) प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के संबंध में बैंक चालू प्राप्य राशियों के मामले में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेगा, अर्थात फसल ऋण एवं मियादी ऋणों के संबंध में किश्तें जब तक देय नहीं हो जाती, क्योंकि किसान के पास अपनी फसल की बिक्री के अतिरिक्त आय का कोई नियमित साधन नहीं होता। जब फसल ऋण अथवा मियादी ऋण के अधीन किश्तें अतिदेय

हो जाती हैं, बैंक मूल राशि पर बकाया ब्याज जोड़ सकता है।

(iii) इसके अतिरिक्त, छोटे सीमान्त किसानों को दिए गए अल्पावधि अग्रिमों के संबंध में खाते के नाम लिखा गया कुल ब्याज मूल राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को यह भी सलाह दी है कि गन्ना आदि जैसी लम्बी अवधि की फसलों के मामले में बैंकों को वार्षिक दर पर ब्याज लेना चाहिए तथा ब्याज को चक्रवृद्धि केवल तभी करना चाहिए जब ऋण/किस्त अतिदेय हो जाती है।

जहां तक, दाण्डिक ब्याज दर लगाने का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को निम्नलिखित मार्गनिर्देश जारी किए हैं :–

(क) दाण्डिक ब्याज लगाने की नीति का कार्यान्वयन विवेकपूर्ण और चयनात्मक आधार पर किया जाना चाहिए। दाण्डिक ब्याज के विवेकी ढंग से लगाने से बचने के लिए दाण्डिक ब्याज के संबंध में निर्णय, प्रत्येक बैंक में स्पष्ट रूप से, उच्चतर स्तर पर लिया जाना चाहिए।

(ख) 25,000/– रु. तक के ऋणों के लिए दाण्डिक ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए।

(ग) 25,000/– रु. से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए कुल दाण्डिक/अतिरिक्त ब्याज, उधारकर्ताओं पर लागू/सामान्य रूप से प्रकाशित ब्याज के दर के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार देने के संबंध में ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार, 2 लाख रुपए तक के ऋणों पर उच्च ब्याज दर (पीएलआर) से अधिक ब्याज नहीं लगाना चाहिए। 2 लाख रुपए से अधिक के ऋणों के संबंध में, ब्याज दर निश्चित करने के लिए कोई नियंत्रण नहीं है।

यह पाया गया है कि कृषि के लिए ब्याज दर के साथ–साथ ऋण नीति कृषकों के अनुकूल हैं और ये आत्महत्या का कारण नहीं हो सकते।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा गत तीन वर्ष के लिए स्वीकृत कृषि को बकाया ऋणों के विवरण नीचे दिए गए हैं :–

(करोड़ रुपए)

| वर्ष | कृषि को बकाया ऋण की राशि | कुल निवल बैंक ऋण |
|---|---|---|
| मार्च, 1998 | 34304.50 | 218218.89 |
| मार्च, 1999 | 40077.64 | 246203.42 |
| मार्च, 2000 | 46189.55 | 292942.54 |

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय स्मारकों का विकास**

**2102. डॉ. अशोक पटेल :**

**श्री रामपाल सिंह :**

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के राष्ट्रीय स्मारकों के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने का अनुमान है; और

(घ) उक्त योजना को कब तक कियान्वित किए जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत चौंतीस केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को उन्नयन के वास्ते अभिनिर्धारित किया गया है।

(ख) से (घ) प्रस्तावों में स्मारकों का संरक्षण तथा परिरक्षण, पर्यावरणीय उन्नयन, सूचना केन्द्रों की व्यवस्था, स्मृति–चिन्ह दुकानें, कैफ्टीरिया, कार खड़ी करने का स्थान, प्रसाधन कक्ष और उन्नत साइनेज शामिल हैं।

प्रस्तावों का कार्यान्वयन धन उपलब्ध होने पर निर्भर होगा।

*[अनुवाद]*

**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति**

**2103. श्री रामसागर रावत** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दूरवर्ती स्थानों पर स्थानान्तरित न करने सम्बन्धी मसूद अहमद बनाम भारत पम्पस लिमिटेड 2000 (85) फैक्ट्री ला रिपोर्टर 579 के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का अनुसरण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) से (ग) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रैशर्स लिमिटेड ने एक विशेष याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विनिर्णय का प्रतिवाद किया है। निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों पर नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि सेवा सम्बन्धी मुद्दे सम्बन्धित सरकारी उपक्रमों के विचार–क्षेत्र में आते हैं।

**उर्वरक आयात पर शुल्क लगाना**

**2104. श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अंतर्गत भारत को अपनी आयात–सीमा को नौ महीने के अंदर विघटित करना होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या घरेलू उद्योग के घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए भारत का मात्रात्मक नियंत्रण समाप्त करने का प्रस्ताव है तथा उर्वरकों के आयात पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय से उर्वरक उद्योग पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) भारत भुगतान संतुलन की वजह से आयातों पर लगाए गए सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों को 31.3.2001 तक हटाने के लिए वचनबद्ध है।

(ख) और (ग) मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के पश्चात् उर्वरक उद्योग सहित घरेलू उद्योग को टैरिफ तंत्र के माध्यम से संरक्षण उपलब्ध होगा। डी ए पी एवं एम ओ पी जैसे प्रमुख उर्वरकों पर आयात प्रतिबंध कमशः 1992 तथा 1993 में हटा लिए गए थे। वर्ष 1997 से यूरिया को छोड़कर कई अन्य रासायनिक उर्वरकों पर से आयात प्रतिबंध हटा लिए गए हैं।

उर्वरक क्षेत्र पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने के प्रभाव का अध्ययन करने तथा इसके प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, का सामना करने हेतु एक रणनीति बनाने के लिए सरकार ने सचिव, उर्वरक विभाग की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया है। इस कार्य दल को घरेलू उद्योग को समुचित संरक्षण प्रदान कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों पर लगाए जाने वाले उचित टैरिफ स्तर का अध्ययन तथा उसकी सिफारिश करनी है।

**लंबित फेरा मामले**

**2105. श्री वरकला राधाकृष्णन :**

**श्री के. पी. सिंह देव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'फेरा' के बदले लाये गये 'फेमा' के विरोधाभासी प्रावधानों के कारण प्रवर्तन निदेशालय के पास 'फेरा' के अन्तर्गत करीब 3000 मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रवर्तन निदेशालय के पास लंबित पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच पूरी करने के लिए 'फेमा' के जिन प्रावधानों का पालन किया जाना है, उनके संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने सरकार से कोई स्पष्टीकरण मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 'फेमा' के विरोधाभासी व्याख्या को सही करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार)** : (क) प्रवर्तन निदेशालय के पास दिनांक 30.6.2000 की स्थिति के अनुसार, निरस्त अधिनियम नामतः विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत 4522 मामले बकाया थे, लेकिन उनमें से कोई भी मामला विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनिमय, 1999 के किसी परस्पर विरोधी प्रावधान के कारण बकाया नहीं है।

(ख) बकाया मामलों के क्षेत्र–वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अहमदाबाद | 170 |
| 2. | बंगलौर | 352 |
| 3. | चैन्नई | 197 |
| 4. | कलकत्ता | 329 |
| 5. | दिल्ली | 2036 |
| 6. | जालन्धर | 937 |
| 7. | मुम्बई | 501 |

(ग) और (घ) विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 की धारा 49 यह प्रावधान करती है कि विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनिमय, 1999 के लागू होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निरस्त अधिनियम अर्थात् विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन 1973 के अधीन किए गए सभी अपराध निरस्त अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किए जाते रहेंगे जैसे कि अधिनियम को निरस्त नहीं किया गया हो। निदेशालय ने विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय से परामर्श किया था, उन्होंने भी इस स्थिति की पुष्टि की है।

*[हिन्दी]*

**बिहार के लिए धनराशि**

**2106. श्री ब्रजमोहन राम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000–2001 के दौरान बिहार के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या आबंटित और स्वीकृत राशि के बीच अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आगामी वर्षों में वित्तीय संकट से बचने के लिए क्या निवारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) से (ग) राज्य वार्षिक योजना के अंतर्गत वर्ष 2000–2001 के लिए बिहार को केन्द्रीय सहायता के आबंटन को योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से अभी अंतिम रूप दिया जाना है। राज्य योजना के तहत् निधियां पिछले वर्ष के आबंटन के अनुसार अस्थायी आधार पर जारी की जा रही हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग के परिनिर्णय के मुताबिक केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी तथा सहायता–अनुदान के ब्यौरे ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में देखे जा सकते हैं, जो कि 27 जुलाई, 2000 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(घ) निधियां वित्त आयोग तथा योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर जारी की जाती हैं। संविधान के अंतर्गत राज्य स्वायत्तशासी हैं, अतः उपलब्ध संसाधनों के दायरे में अपने वित्त का कुशल प्रबंधन का दायित्व भी उन्हीं का है।

**व्यय सुधार आयोग**

**2107. श्री सुकदेव पासवान :**

**श्री जे. एस. बराड़ :**

**श्री नवल किशोर राय :**

**श्री सुशील कुमार इन्दौरा :**

**श्री अजय सिंह चौटाला :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यय सुधार आयोग का गठन किस तारीख को किया गया था;

(ख) आयोग के नियम और संदर्भ क्या हैं;

(ग) क्या आयोग ने अपनी पहली चरण की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो आयोग द्वारा अपनी प्रथम चरण की रिपोर्ट में क्या सिफारिश की गई है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) आयोग कब तक अपनी पूरी रिपोर्ट सौंप देगा और आयोग द्वारा इस रिपोर्ट को कितने चरणों में सौंपे जाने की संभावना है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) व्यय सुधार आयोग दिनांक 28.2.2000 को गठित किया गया था।

(ख) इसके विचारणीय विषय निम्नवत हैं :–

(1) सरकार की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध संगठनों तथा राज्य सरकारों की भूमिका के कियाकलापों में दोहराव (ओवर लैपिंग) से बचने और समाभिरूपता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के तहत केन्द्रीय सरकार के प्रकार्यों, कियाकलापों और प्रशासनिक ढांचे में कमी लाने के लिए उचित मार्गदर्शन की सलाह देना।

(2) आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की सब्सिडी के ढांचे की समीक्षा करना, उनके जारी रहने के आर्थिक औचित्य की जांच तथा सब्सिडीज को पारदर्शी बनाने के लिए सिफारिशें एवम् न्यूनतम लागत में लक्षित जनसंख्या पर इसके अधिकतम प्रभाव के उपाय की सलाह देना।

(3) विभागीय और वाणिज्यिक चीजों के उपभोक्ता प्रभार निर्धारण के ढांचे की समीक्षा और उपभोक्ता प्रभार के जरिये लागत वसूली की प्रभावी रणनीति की सलाह देना।

(4) केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, संबद्ध कार्यालयों तथा संस्थानों के तहत कर्मचारियों की संख्या की पर्याप्तता की समीक्षा और विभिन्न सेवाओं के संवर्ग और स्टाफ को तर्कसंगत बनाने के उपायों पर सलाह देना। इस संदर्भ में यह सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान पुनर्नियुक्ति तथा पुनः प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा भी करना है ताकि अधिशेष कर्मचारियों को सरकारी गतिविधियों के नए क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त श्रमशक्ति की जरूरत के मुताबिक पुनर्नियुक्त किया जा सके।

(5) सरकारी तौर पर वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के गठन की प्रकिया और उनके वित्त पोषण के तौर–तरीकों की समीक्षा करना तथा उनके कियाकलापों के लिए बजटीय सहायता में कमी तथा सुधार को प्रभावी बनाने के लिए उपायों की सलाह देना।

(6) सरकार में व्यय प्रबंधन संबंधी अन्य प्रासंगिक मामलों पर विचार करना और उचित सिफारिशें देना।

(ग) जी, हां।

(घ) व्यय सुधार आयोग ने खाद्य आर्थिक सहायता (सब्सिडी) पर अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। चावल और गेहूं की आर्थिक लागत में सुधार संबंधी इसकी सिफारिशों को लागू कर दिया गया है।

(ङ) आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट एक वर्ष की समया–वधि के अन्दर सौंपनी है और यह अपनी सिफारिशें तिमाही आधार पर भेज सकता है।

*[अनुवाद]*

**बैंक कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना**

**2108. श्री अजय चक्रवर्ती :**

**श्री सुरेश रामराव जाधव :**

**श्री बी. के. पार्थसारथी :**

**श्री ए. वेंकटेश नायक :**

**श्री नरेश पुगलिया :**

**श्रीमती श्यामा सिंह :**

**श्री बी. एस. बसवराज :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन (आईबीए) से विचार–विमर्श करके बैंक कर्मचारियों की संख्या में करीब 50 प्रतिशत कटौती करने की दृष्टि से कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इन्हें कब तक क्रियान्वित किया जाएगा; और

(ग) इस समय बैंकों में कर्मचारियों की संख्या कितनी है और इस योजना पर कर्मचारियों की क्या प्रतिकिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में किसी भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अब तक लागू नहीं किया गया है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन प्रबंधन पर सिफारिश करने के लिए गठित की गई एक समिति ने, जिसमें भारतीय बैंक संघ, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि हैं, भारतीय बैंक संघ को सौंपी गई अपनी अंतरिम रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने की सिफारिश की है। भारतीय बैंक संघ ने उस रिपोर्ट को सरकार को भेज दिया है तथा बैंकों के बोर्ड द्वारा विचार एवं अंगीकर के लिए इस योजना को सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भेजने के लिए सरकार से अनापत्ति मांगी है। भारतीय बैंक संघ का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संपूर्ण कर्मचारीवृंद की संख्या 8.8 लाख है। चूंकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अब तक लागू नहीं की गई है इसलिए इस संबंध में कर्मचारियों की प्रतिकिया के प्रश्न के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता है।

**उदारीकरण का दूसरा चरण**

**2109. श्री सुशील कुमार शिंदे :**

**श्रीमती रेणुका चौधरी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण के दूसरे चरण के अंतर्गत कुछ भारतीय फर्मों ने विदेशी फर्मों में भारी शेयर प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निवेश किस क्षेत्र में किया गया है;

(ग) क्या लाभ और लाभांशों के प्रत्यावर्तन को विनियमित करने वाली प्रकियाओं और नियमों को नए कानून (फेमा) के तहत समीक्षा कर उन्हें सुचारू बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निर्णय लिए गए हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) जी हां। 1 जनवरी, 2000 से 31 जुलाई, 2000 तक की अवधि के दौरान भारतीय कम्पनियों को उन विदेशी अधिग्रहणों के लिए जहां विदेशी फर्म में भारतीय भागीदारी 50 प्रतिशत अथवा उससे भी अधिक है, संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार 26 अनुमोदन जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। विदेशी निवेश में पांच वर्षों के भीतर विदेशी मुद्रा की साम्यता की शर्त को मई, 1999 में हटा दिया गया है। इसके अलावा, फेमा विनियम के तहत भारतीय प्रमोटर कम्पनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विदेशी इक्विटी से प्राप्त की जाने वाली सभी देयराशियां जैसे कि लाभांश, रायल्टी, तकनीकी शुल्क, आदि उनके देय होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुमित अवधि में भारत को लौटा दें।

**विवरण**

*विदेशी अधिग्रहण जहां भारत की विदेशी फर्म में भागीदारी 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है, के लिए अनुमोदनों की सूची (1.1.2000 से 31.7.2000 तक)*

(मिलियन अमरीकी डालर में राशि)

| क्र.सं. | भारतीय संवर्धक | अनुमोदन की तारीख | देश | इक्विटी | ऋण | गारंटी | प्रतिशत गतिविधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | वॉक्हार्ट लि. | 8.5.2000 | सं.रा.अ. | 50 | 20 | 0 | 100 औषध एवं भेषज |
| 2. | स्ट्राइडस एक्रोलैव लि. | 5.1.2000 | सं.रा.अ. | 8.01 | 0 | 4–02 | 100 औषध एवं भेषज |
| 3. | जेनसन एंड निकोलसन (इं) लि. | 2.5.2000 | नेपाल | 0.3973 | 0 | 0 | 95 पेन्ट, वार्निश, पालिश |
| 4. | बर्गर पेन्टस इंडिया लि. | 2.5.2000 | नेपाल | 0.6879 | 0.290 | 0 | 100 पेन्ट, वार्निश, पालिश |
| 5. | तीमेशिया सेमीकंडक्टर्स लि. | 8.5.2000 | मारीशस | 6.4800 | 0 | 0 | 100 इलेक्ट्रानिक उपकरण |
| 6. | रियल टाइम हॉल्डिंगस लि. | 20.5.2000 | सं.रा.अ. | 0.4950 | 0 | 0 | 51–95 दूरसंचार उपकरण |
| 7. | गोवा कार्बन्स लि. | 31.1.2000 | मारिशस | 0.300 | 0 | 0 | 100 पेट्रोलियम उत्पाद |
| 8. | सिस्टम अमरीका (आई) प्रा. लि. | 4.5.2000 | कनाडा | 0.1833 | 0 | 0 | 100 साफ्टवेयर विकास सेवाएं |
| 9. | एरासन इंटरनेशनल प्रा. लि. | 6.5.2000 | सं.रा.अ. | 0.2735 | 0 | 0 | 100 साफ्टवेयर विकास सेवाएं |
| 10. | बीएफएल साफ्टवेयर लि. | 8.6.2000 | सं.रा.अ. | 168.028 | 0 | 0 | 100 साफ्टवेयर विकास सेवाएं |
| 11. | सिनर्जी लॉगइन सिस्टम्स लि. | 20.5.2000 | सिंगापुर | 0.4370 | 0 | 0 | 100 साफ्टवेयर विकास सेवाएं |
| 12. | इंड–टेलीसाफ्ट प्रा. लि. | 18.1.2000 | सं.रा.अ. | 4.01 | 0 | 0 | 100 साफ्टवेयर विकास सेवाएं |
| 13. | सुबेक्स सिस्टम्स लि. | 6.1.2000 | सं.रा.अ. | 6.713 | 0 | 0 | 100 साफ्टवेयर विकास सेवाएं |
| 14. | इंड–टेलीसाफ्ट प्रा. लि. | 18.1.2000 | सं.रा.अ. | 0.074 | 0 | 0 | 100 साफ्टवेयर विकास सेवाएं |
| 15. | जी.ई.इंडियन सर्विसेज होल्डिंग्स प्रा. लि. | 22.3.2000 | मारिशस | 0.0001 | 0 | 0 | 100 साफ्टवेयर विकास सेवाएं |
| 16. | श्रीराम ग्लोबल टेक्नोलोजिस लि. | 6.7.2000 | बी.वी. आइलैंड | 0.500 | 0 | 0 | 100 साफ्टवेयर विकास सेवाएं |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | बोस्टन मैनेंजमेंट कंसलटेन्टस प्रा.लि. | 26.7.2000 | सं.रा.अ. | 0.300 | 0 | 0 | 100 साफ्टवेयर विकास सेवाएं |
| 18. | लीडिंग एज सिस्टम्स लि. | 31.3.2000 | बेरमुडा | 139.397 | 0 | 0 | 100 साफ्टवेयर विकास सेवाएं |
| 19. | जेनसिस टेक्नोलोजिस लि. | 4.1.2000 | सं.रा.अ. | 0.100 | 0 | 0 | 100 साफ्टवेयर विकास सेवाएं |
| 20. | रवे टेक्नोलोजिस (पी.) लि. | 14.6.2000 | यू.के. | 1.5897 | 0 | 0 | 100 साफ्टवेयर विकास सेवाएं |
| 21. | के.एल.जी. सिस्टल्ज लि. | 13.5.2000 | सं.रा.अ. | 10.515 | 0 | 0 | 100 साफ्टवेयर विकास सेवाएं |
| 22. | जी. टेलीफिल्मज़ लि. | 24.2.2000 | बी.वी. आइलैंड | 21.2.180 | 0 | 0 | 100 ब्राडकास्टिंग एंव टेलीकास्टिंग |
| 23. | मोदी एन्टरटेनमेंट नेटवर्क लि. | 10.4.2000 | मारीशस | 0.102 | 0 | 0 | 100 ब्राडकास्टिंग एंव टेलीकास्टिंग |
| 24. | मैयर्क इंडिया लि. | 10.4.2000 | नेपाल | 0.0103 | 0 | 0 | 95 नौवहन एजेंट |
| 25. | डाटा लाइन ट्रासक्रिप्शन प्रा.लि. | 26.7.2000 | सं.रा.अ. | 0.105 | 0 | 0 | 100 मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज |
| 26. | टाटा टी लि. | 6.3.2000 | यू.के. | 101.6924 | 0 | 0 | 86.11 चाय |

**विश्व के विरासत स्थलों के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा भारतीय स्मारकों का सूचीबद्ध किया जाना**

**2110. श्री सुरेश कुरूप :** क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थान–वार कितने ऐतिहासिक स्मारकों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि पश्चिम के अन्य छोटे राष्ट्रों की तुलना में हमारे देश के बहुत कम स्मारकों को इस सूची में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) देश में स्थित सोलह ऐतिहासिक स्मारकों को विश्व दाय स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) यूरोप में स्थित विश्व दाय स्थलों की सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

हालांकि उन नामांकनों की संख्या की कोई सीमा नहीं है जिन्हें सदस्य–राज्य यूनेस्को को प्रस्तुत कर सकते हैं, फिर भी विश्व दाय स्थल का अन्तिम चयन यूनेस्को पर निर्भर होता है।

**विवरण-I**

| क्रम सं. | स्मारक का नाम | स्थान | राज्य |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अजंता गुफाएं | अजंता | महाराष्ट्र |
| 2. | एलोरा गुफाएं | एलोरा | महाराष्ट्र |
| 3. | एलीफेंटा गुफाएं | ऐलीफेंटा | महाराष्ट्र |
| 4. | आगरा किला | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| 5. | ताजमहल | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| 6. | फतेहपुर सीकरी स्थित स्मारक समूह | फतेहपुर सीकरी | उत्तर प्रदेश |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 7. | सूर्य मंदिर | कोणार्क | उड़ीसा |
| 8. | गोआ स्थित गिरजाघर एवं मठ | पुराना गोआ | गोआ |
| 9. | खजुराहो स्थित स्मारक समूह | खजुराहो | मध्य प्रदेश |
| 10. | सांची स्थित बौद्ध स्मारक | सांची | मध्य प्रदेश |
| 11. | हुमायूं का मकबरा | निजामुद्दीन | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
| 12. | कुतुब मीनार एवं इसके स्मारक | महरौली | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली |
| 13. | हम्पी स्थित स्मारक समूह | हम्पी | कर्नाटक |
| 14. | पट्टडकल स्थित स्मारक समूह | पट्टडकल | कर्नाटक |
| 15. | बृहदीश्वर मंदिर | तंजावुर | तमिलनाडु |
| 16. | महाबलीपुरम स्थित स्मारक समूह | महाबलीपुरम | तमिलनाडु |

**विवरण-II**

*यूनेस्को की विश्वदाय सूची में दर्ज यूरोपीय देशों की ऐतिहासिक संपदा*

| देश का नाम | कुल स्थल |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आस्ट्रिया | 4 |
| बेल्जियम | 3 |
| बुलगारिया | 7 |
| साइप्रस | 3 |
| चेक गणराज्य | 8 |
| डेनमार्क | 2 |
| असतोनिया | 1 |
| फिनलैंड | 4 |
| फ्रांस | 21 |
| जार्जिया | 3 |
| जर्मनी | 19 |
| ग्रीस | 12 |
| हंगरी | 3 |
| हंगरी एवं स्लोवाकिया | 1 |
| आयरलैंड | 2 |
| इटली | 29 |
| लात्विया | 1 |
| लित्युवनिया | 2 |
| लक्जमबर्ग | 1 |
| मकदूनिया | 1 |
| माल्टा | 3 |
| नीदरलैंड | 5 |
| नार्वे | 4 |
| पोलैंड | 7 |
| पुर्तगाल | 9 |
| रोमानिया | 3 |
| रूसी परिसंघ | 8 |
| स्लोवाकिया | 3 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| स्पेन | 26 |
| स्वीडन | 8 |
| स्विटजरलैंड | 3 |
| यूक्रेन | 2 |
| ब्रिटेन | 13 |
| यूगोस्लाविया | 3 |

**आई.डी.बी.आई/आई.सी.आई.सी.आई द्वारा वित्तीय सहायता**

**2111. श्री जी. जे. जावीया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक आईडीबीआई और आईसीआईसीआई को वित्तीय सहायता के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उद्यमियों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) कितने आवेदन स्वीकृत हुए हैं और कितने अस्वीकृत किये गये;

(ग) आवेदनों को नामंजूर करने के क्या कारण हैं; और

(घ) आईडीबीआई और आईसीआईसीआई द्वारा उक्त अवधि के दौरान अलग-अलग राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**धनराशि के लेन-देन में घोटाला**

**2112. श्री एम. वी. चंद्रशेखर मूर्ति :**

**श्रीमती श्यामा सिंह :**

**श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने हाल ही में राजधानी में कई करोड़ की धनराशि के लेन-देन के घोटाले का पता लगाया है जिसमें उद्योगों से संबंधित कुछ बड़े लोग तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट शामिल है;

(ख) यदि हां, तो उक्त घोटाले की किया-विधि क्या थी;

(ग) क्या देश के चार्टर्ड एकाउटेंट उन कम्पनियों के साथ गहरे रूप से जुड़े हैं जो इस प्रकार की धोखाधड़ी कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे घोटालों में शामिल कम्पनियों और चार्टर्ड एकाउंटेटों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनजंय कुमार)** : (क) और (ख) विभाग द्वारा कुछेक सनदी लेखाकारों और संबंधित व्यक्तियों के मामलों में तलाशी ली गई है। इनकी कार्य-प्रणाली झूठे बैंक खाते खोलना था जिसके माध्यम से गैर अस्तित्व वाले ऋणों आदि के रूप में नकद धनराशि भेजी जाती थी। दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभों और हानियों की हवाला प्रविष्टियों उन कंपनियों के शेयरों के व्यापार द्वारा प्रदान की जाती थीं जो केवल कागजों पर ही अस्तित्व में थीं।

(ग) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं आया है।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

**दूरदर्शन को लाभ/हानि**

**2113. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक कितना लाभ अर्जित किया गया और कितनी हानि उठाई;

(ख) आय तथा व्यय के प्रमुख स्त्रोत क्या हैं;

(ग) क्या प्रशासनिक एवं गैर-योजना खर्च वर्षों से बढ़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : (क) दूरदर्शन एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्था है और इसको लाभ कमाने के लिए वाणिज्यिक आधार पर नहीं चलाया जाता है तथा इसलिए लाभ-हानि का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है।

(ख) हालांकि दूरदर्शन चैनलों पर प्रसारण समय के बिक्री से होने वाली वाणिज्यिक आय ही आय का मुख्य स्त्रोत है तथापि, व्यय की प्रमुख मदें निम्नलिखित हैं :-

(क) कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रतिस्थापना लागत।

(ख) स्टूडियो और ट्रान्समीटरों का प्रचालन एवं अनुरक्षण।

(ग) कार्यक्रम निर्माण और प्राप्ति।

(घ) नई सुविधाओं की स्थापना (ट्रांसमीटर, अपलिंकिंग एवं डाउनलिंकिंग, ओ. बी. वेन आदि) सिविल निर्माण एवं इलैक्ट्रिकल कार्य आदि।

(ङ) पुराने उपकरणों का आधुनिकीकरण एवं प्रतिस्थापन।

(ग) और (घ) प्रशासनिक एवं गैर–योजनागत व्यय में विशेष रूप से पाचवें वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर लेने पर वेतन में वृद्धि होने और भंडार एवं उपकरणों की कीमत में वृद्धि के कारण कई वर्षों से वृद्धि हो रही है।

(ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि व्यय को स्वीकृत बजट में ही रखने के लिए सरकार द्वारा यथा निर्देशित सभी मितव्ययता उपायों का पालन किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**पर्यटन का विकास**

**2114. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :**

**श्री रामशेठ ठाकुर :**

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन विकास हेतु कृतिक बल/समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन–कौन हैं;

(ग) कृतिक बल/समिति द्वारा किन विषयों पर विचार करने की संभावना है; और

(घ) कृतिक बल/समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) से (घ) जी, हां। पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित पर चार कार्य बल गठित किए गए हैं :–

(1) पर्यटन हेतु अवसंरचना

(2) उत्पाद विकास एवं पर्यावरण

(3) मानव संसाधन विकास और

(4) संवर्धन, विपणन एवं प्रौद्योगिकी

कार्य बलों के सदस्य पर्यटन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे, जिनमें पर्यटन क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकताओं की जांच करने तथा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कार्य योजनाओं का सुझाव देने का अनुरोध किया गया था। कार्य बलों ने पहले ही अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं।

**होटल उद्योग**

**2115. श्री ए. नरेन्द्र** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल उद्योग को उद्योग का दर्जा दिया गया है लेकिन इसकी सुविधाएं नहीं दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय होटल उद्योग ने सरकार से कंप्यूटर और साफ्टवेयर उद्योगों को मिलने वाली सुविधाओं के अनुरूप सुविधा दिए जाने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार ने पर्यटन को निर्यात गृह का दर्जा दिया है। इसके अनुसार होटल, यात्रा अभिकर्ता, यात्रा प्रचालक, पर्यटक परिवहन प्रचालक वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 26.11.98 की अधिसूचना सं.33 (आरई–98) 1997–2002 के अनुसार एक्सपोर्ट हाउस/ट्रेडिंग हाउस/स्टार ट्रेडिंग हाउस/सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस के दर्जे के लिए हकदार होंगे। इसके अनुसार ही वे हैंडबुक प्रोसीजर (खण्ड I) के अध्याय 12 में निर्दिष्ट लाभ सुविधाओं के हकदार होंगे।

पर्यटन विभाग ने भारतीय होटल उद्योग की इस मांग को संस्तुत किया है कि उन्हें भी कम्प्यूटर/साफ्टवेयर उद्योग की तरह सुविधाएं दी जाएं।

*[अनुवाद]*

**चीनी उद्योग संबंधी महाजन समिति**

**2116. श्री एन. वी. वी. एस. मूर्ति :**

**श्री राम मोहन गाड्डे :**

**श्री शिवाजी माने :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री 2.3.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1179 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाजन समिति की सभी सिफारिशों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों की कब तक जांच किए जाने की संभावना है ?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय ने महाजन समिति की सभी सिफारिशों की जांच कर ली है। सभी सिफारिशों पर सरकार के अंतिम निर्णय की घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी।

**निवेश का आगम और निर्गम**

**2117. श्री अनिल बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्षों के दौरान और वित्तीय वर्ष 2000–2001 की पहली तिमाही में कितने डालर के निवेश का आगम और निर्गम हुआ ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : विभिन्न योजनाओं के तहत अमरीकी मिलियन डालर में विदेशी निवेश का अन्तर्प्रवाह निम्न प्रकार रहा है :-

| 1998–99 | 1999–2000 | 2000–2001 (जून तक) |
|---|---|---|
| 2853.30 | 4883.14 | 1483.28 |

लाभांशों/लाभ के रूप में प्रेषित राशि 1998–99 में 658 मिलियन अमरीकी डालर थी तथा 1999–2000 (जून, 1999 तक) में 72 मिलियन अमरीकी डालर थी। 1998–99 तथा 1999–2000 में बैंकों की विभिन्न योजनाओं में सभी प्रकार की अनिवासी जमाराशियों का बहिर्प्रवाह क्रमशः 3558 मिलियन अमरीकी डालर तथा 5865 मिलियन अमरीकी डालर था।

*[हिन्दी]*

**जीर्ण-शीर्ण हुए स्मारक**

**2118. डॉ. बलिराम** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ स्मारक समुचित रखरखाव के अभाव में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार विशेषरूप से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार जीर्ण–शीर्ण हुए स्मारकों की तत्काल मरम्मत कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में लगभग 3600 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का रखरखाव तथा संरक्षण करता है जो काफी अच्छी हालत में संरक्षित हैं। जो स्मारक सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं, सरकार को उनकी हालत के बारे में जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और परिरक्षण एक सतत् प्रकिया है। पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार, इन स्मारकों का संरक्षण धन और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय पर्यटन नीति**

**2119. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1997 में बनाई गई राष्ट्रीय पर्यटन नीति समीक्षा–धीन है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समीक्षा के संबंध में मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शुरू की गई/तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तमिलनाडु में पर्यटन के विकास का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) जी, हां।

(ख) संशोधित राष्ट्रीय पर्यटन नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित से संबंधित हैं;

(1) भारत की आर्थिक वृद्धि तथा एक शानदार अतीत, एक कंपायमान (वाइब्रेट) वर्तमान तथा उजले भविष्य वाले देश के रूप में विदेशों में इसकी छवि का संवर्धन। पर्यटकों के लिए सूचना, सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है।

(2) पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय निकायों, सहकारी, गैर–सरकारी संगठनों आदि सहित पर्यटन विकास में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहन देना।

(3) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की साझेदारी को प्रोत्साहन देना।

(4) प्रशिक्षण के माध्यम से व्यावसायिकता प्रारंभ करके श्रेष्ठता के लिए प्रयास करना।

(ग) विदेशी तथा घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं में, भारत को एक पर्यटन मैत्रीपूर्ण देश बनाने में विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंन्सियों के प्रयासों को समन्वित करना तथा बजट पर्यटकों के लिए सुख–सुविधाओं का संवर्धन करके घरेलू पर्यटन को सुविधाजनक बनाना सम्मिलित है।

(घ) और (ङ) किसी राज्य में पर्यटन का विकास राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक वर्ष उनके परामर्श से, अभिनिर्धारित की गई परियोजनाओं/योजनाओं हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1999–2000 के दौरान तमिलनाडु राज्य में पर्यटन के विकास हेतु 493.85 लाख रुपयों की राशि की 26 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

### ऋणों की वसूली

**2120. श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री ऋणों की वसूली के बारे में 12.3.1999 के तारांकित प्रश्न सं. 258 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने ऋणों और अग्रिमों की ब्याज सहित, जिन्हें इस समय बैंकों की बहुप्रयोज्य आस्तियां माना जा रहा है, वसूली के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाली सुनिश्चित नीति तैयार करने के लिए सरकार को कोई रिट आदेश अथवा निदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

### एक हजार रुपये के नोट की छपाई

**2121. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पहले एक हजार रुपये के नोट की छपाई को बन्द कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एक हजार रुपये के नोट की छपाई पुनः आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह नोट कब तक चलन में आ जाएगा?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) 1000 रु. मूल्य वर्ग के नोट का वर्ष 1978 में विमुद्रीकरण किया गया था और उसके बाद से उसका मुद्रण रोक दिया गया था।

(ख) 1000 रु. के नोट सहित उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण करने का निर्णय 1978 में लिया गया था क्योंकि उस समय यह महसूस किया गया था कि ये नोट वित्तीय लेन–देनों के लिए धन के अवैध हस्तांतरण को सुगम बनाता है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक थे।

(ग) जी, हां।

(घ) 1000 रु. के नोट के शीघ्र ही चलन में आने की संभावना है।

*[अनुवाद]*

### बी. एस. ई./एन. एस. ई. में सूचीबद्ध कंपनियां

**2122. डॉ. संजय पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कम्पनियों का अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल कम्पनियों में से कितनी कम्पनियां दोनों एक्सचेंजों में दर्ज हैं और नियमित व्यापार करती हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश कम्पनियां बाजार से गायब हो गयी हैं और वे दोनों एक्सचेंजों में नियमित व्यापार नहीं करती हैं;

(घ) क्या मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने ऐसी कम्पनियों के लिए "जेड" श्रेणी की शुरूआत की है जो उक्त एक्सचेंज के सूचीबद्ध उपनियमों का अनुपालन नहीं कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सेबी और बी. एस. ई. इस बात से अवगत है कि आइडियल कार्पेट्स/आइडियल होटल जैसी अधिकांश कम्पनियां 1994–95 से अपने शेयरधारकों को वार्षिक

प्रतिवेदन नहीं भेज रही है जो बी. एस. ई. में किसी कम्पनी को सूचीबद्ध करने की एक शर्त है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बाजार से गायब हो गई उन कम्पनियों विशेषतः "आइडियल कार्पेट कम्पनी के विरुद्ध और आम निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) सेबी के अनुसार मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 5816 कम्पनियों में से लगभग 1600 कम्पनियों की स्क्रिपों में मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में नियमित रूप से खरीद–बिकी होती है, तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 747 कम्पनियों में से लगभग 684 कम्पनियों की स्क्रिपों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नियमित रूप से खरीद–बिकी होती है।

(ग) किसी एक्सचेंज में किसी कम्पनी की स्क्रिपों में खरीद–बिकी न होने को उस कम्पनी को गायब हो जाने वाली कम्पनी के रूप में वर्गीकृत करने का आधार नहीं माना जा सकता है।

(घ) वैसी सूचीबद्ध कम्पनियों को, जो सूचीकरण करार की कतिपय धाराओं की अपेक्षाओं, अर्थात् सूचीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना, वार्षिक रिपोर्टों को प्रस्तुत नहीं करना, त्रै–मासिक परिणामों को पेश नहीं करना, लेखा बंदी/रिकार्ड तिथि का निर्धारण नहीं करना, निवेशक की शिकायतों का समाधान नहीं करना, आदि का अनुपालन नहीं करती हैं, मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा "जेड" समूह में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

(ङ) और (च) मैसर्स आइडियल कारपेट्स/आइडियल होटल दोनों ने मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। गायब होने वाली कम्पनियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के उद्देश्य से नीति संबंधी पहल करने तथा ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का अनुवीक्षण करने के लिए केन्द्रीय समन्वय तथा अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। समिति में सेबी तथा कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, समिति की सहायता करने तथा ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने के लिए सात क्षेत्रों में सात कृतिक बलों का गठन किया गया है। 24–7–2000 की स्थिति के अनुसार, सेबी अधिनियम, 1992 की धारा ।।ख के अन्तर्गत सेबी ने 61 कम्पनियों तथा ऐसी चूककर्ता कम्पनियों के 251 निदेशकों के विरुद्ध निर्देश जारी किए है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को सभी सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा सूचीकरण शर्तों के अनुपालन का अनुवीक्षण करने के लिए एक पृथक इकाई गठित करने की सलाह दी है। ऐसी चूककर्ता कम्पनियों के मामलों को पुलिस कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को संदर्भित किया गया है।

**बेनामी कारें**

**2123. मोहम्मद शहाबुद्दीन :**

**श्रीमती कान्ति सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 मई, 2000 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "कस्टम रैटल बाई कार लिस्ट सेन्ट टू सी वी सी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा दिल्ली, चैन्नई और कलकत्ता में कार्यरत कर्मचारियों के उन मामलों की जांच की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है जिनमें कर्मचारियों द्वारा "बेनामी कारों" का व्यक्तिगत उपयोग किए जाने की सूचना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस मामले में जांच कब तक कराये जाने का प्रस्ताव है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनंजय कुमार)** : (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार मुम्बई के एक निवासी द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को लिखे गये एक पत्र से संबंधित है जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ–साथ मुम्बई स्थित एक कालोनी में रहने वाले सीमा–शुल्क कार्मिकों के वैयक्तिक प्रयोग हेतु कारों के ब्यौरों से संबंधित एक सूची संलग्न की है।

(ग) और (घ) शिकायत को मिथ्या पाया गया था। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी की गई मौजूदा हिदायतों के अनुसार, ऐसी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और उन्हें केवल फाइल ही कर दिया जाना चाहिए। यदि शिकायतकर्ता द्वारा उचित रूप से पुष्ट कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होती है जो आय के ज्ञात स्रोतों के अलावा प्राप्त की गई सम्पत्ति से संबंधित हो, उस पर कार्रवाई की जाती है।

*[हिन्दी]*

**सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना**

**2124. श्री अरुण कुमार** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में निकट भविष्य में कुछ सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर बिहार के जहानाबाद जिले के संदर्भ सहित तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों को कब तक स्थापित किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) जी हां, "बच्चों के लिए परिसर सहित राज्यों में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना" की स्कीम के अन्तर्गत बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर के निर्माण के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर स्वायत्त निकाय को एक करोड़ रुपये (अधिकतम) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों के राज्यवार और स्थानवार ब्यौरे :

| | | |
|---|---|---|
| सिक्किम | – | गंगटोक |
| नागालैंड | – | मोकोकचुंग |
| मणिपुर | – | इम्फाल |
| मिजोरम | – | आईजोल |
| त्रिपुरा | – | अगरतला |
| पश्चिम बंगाल | – | कलकत्ता |
| मध्य प्रदेश | – | रीवा |
| उड़ीसा | – | भुवनेश्वर |
| जम्मू और कश्मीर | – | जम्मू |
| कर्नाटक | – | बेलारी व हासन |
| हरियाणा | – | कुरूक्षेत्र |
| केरल | – | तिरूवनन्तपुरम |
| पांडिचेरी | – | |
| पंजाब | – | चण्डीगढ़ |
| बिहार | – | पटना |

जहानाबाद से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर के निर्माण की गति राज्य सरकार द्वारा अनुदानों के समरूपी हिस्से की राशि समय पर जारी किये जाने पर निर्भर करती है जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा अनुदान की राशि जारी की जाती है। इसके अलावा, बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर के लिए अन्तिम रूप से स्थल का चयन करने में प्राय : काफी समय लग जाता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारें इस मुद्दे पर निर्णय लेने तक निर्माण कार्य प्रारंभ करने में असमर्थ होती हैं।

*[अनुवाद]*

## हरियाणा में खुदाई

**2125. श्री रामनायडू दग्गुबाटि** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के राखीगढ़ में तीन वर्षों तक चली खुदाई में हरियाणा के हिसार जिले में हड़प्पाकालीन सभ्यता की "प्रांतीय राजधानी" के अवशेष मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र को विशिष्ट इतिहास के रूप में संरक्षित रखने और खुदाई कार्य को जारी रखने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) जी, हां। हरियाणा के हिसार जिला में राखीगढ़ी हड़प्पा साम्राज्य के पूर्वी छोर पर स्थित शायद एक प्रमुख शहरी केन्द्र था और उस दृष्टि से उसे एक प्रादेशिक राजधानी माना जा सकता है।

1997–98 से उन स्थान पर की गई क्रमागत तीन खुदाइयों से विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पों और स्थानीय रूप से अप्राप्य सामग्री के लम्बी दूरी के व्यापार सम्बन्धी कार्यकलापों के साक्ष्य के अलावा, सार्वजनिक भवन तथा जल निकास व्यवस्था के अवशेष/साक्ष्य मिलें हैं।

उक्त स्थान से प्राप्त लक्षण–विषयक अनेक पुरावस्तुओं में टेरीकोटा की बनी मृण–मूर्तियां, सोने, चांदी, तांबे, सैल, अर्द्धमूल्यवान पत्थरों, स्टीटाइट, चीनी मिट्टी, मिट्टी, हड्डी आदि के बने आभूषणों के टुकड़े, पत्थर के बांट, मुहरें एवं मुद्राएं शामिल हैं। इसके अलावा, प्रस्तर एवं मृत्तिका–शिल्प वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। एक हड़प्पा–कालीन कब्रिस्तान का भी पता चला है।

इस स्थल से पूर्व–हड़प्पाकालीन बस्तियों का साक्ष्य भी मिला है।

(ग) स्थल से जिन बहुत सी वस्तुओं की खुदाई अभी तक नहीं की गई है, उनके आगे उत्खनन पर विचार किए जाने से पहले, सावधानीपूर्वक विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है।

*[हिन्दी]*

**गेहूं और चावल का निर्यात**

**2126. श्री रामजी लाल सुमन :**

**डॉ. सुशील कुमार इंदौरा :**

**श्री नवल किशोर राय :**

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के रिजर्व भंडार से खाद्यान्नों के अतिरिक्त स्टाक का निर्यात करने के बारे में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान गेहूं और चावल का निर्यात करने के लिए कुल कितनी मात्रा निर्धारित की गई और उन्हें किन देशों को निर्यात किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने देश से गेहूं और चावल का निर्यात करने की संभाव्यता का भी पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं का अनुमानतः न्यूनतम और अधिकतम मूल्य कितना है और भारत में कोई घाटा उठाए बिना गेहूं और चावल को किस मूल्य पर बेचा जा सकता है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) से (ग) अधिशेष गेहूं स्टाक का निपटान करने के लिए अन्य बातों के साथ–साथ सरकार द्वारा सार्क देशों अथवा अन्य देशों को गेहूं का जिन्स ऋण देने और उन देशों के साथ बार्टर व्यापार की सभावनाओं का पता लगाने का निर्णय लिया गया हैं, जो हमें उन मूल्यों पर गेहूं के बदले में अन्य जिन्सों की आपूर्ति कर सकते हैं जिन पर वे अन्य देशों से गेहूं का आयात कर रहे हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि उपयुक्त फ्लोर मूल्य की शर्त के अधीन सरकार दर सरकार आधार पर गेहूं के निर्यात की अनुमति दी जाए। तदनुसार, गेहूं के निर्यात की संभावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है। तथापि, अभी तक कोई ठोस प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। भारत में केन्द्रीय पुल में गेहूं स्टाक के प्रचलित मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में काफी अधिक हैं। इसलिए भारतीय गेहूं का निर्यात वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। निर्यात के लिए अभी तक गेहूं की कोई विशिष्ट मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। केन्द्रीय पूल से चावल का निर्यात करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) 25.7.2000 को समाप्त सप्ताह के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अनाज परिषद् अनाज बाजार संकेतकों के अनुसार गेहूं निर्यात के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 93 अमेरिकी डालर प्रति टन से 184 अमेरिकी डालर प्रतिटन की रेंज में थे।

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) चल रही है जिसके तहत कोई भी खरीददार 900 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीद सकता है बशर्ते मांगी गई मात्रा 10 टन से कम नहीं हो। इसके अतिरिक्त सरकार ने केवल पंजाब से खुला बाजार बिक्री योजना के अधीन निम्नलिखित दरों पर 5 मिलियन टन तक गेहूं का निपटान करने का निर्णय लिया है :–

| माह | रुपये प्रति क्विंटल |
|---|---|
| जुलाई, 2000 | 700/– रुपये प्रति क्विंटल |
| अगस्त, 2000 | 750/– रुपये प्रति क्विंटल |
| सितम्बर, 2000 | 800/– रुपये प्रति क्विंटल |

फिलहाल चावल के संबंध में ऐसी कोई योजना नहीं है।

**मैसूर में उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर**

**2127. श्री कोलूर बसवनागौड** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में प्रस्तावित उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमिशन केन्द्र पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) उपरोक्त कार्य हेतु 1999–2000 के दौरान कितनी राशि नियत की गई थी;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) उपरोक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : (क) मैसूर की उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजना पर जून, 2000 तक 402.97 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है।

(ख) इस परियोजना के लिए 1999–2000 के दौरान 360.00 लाख रुपए आबंटित किए गए थे।

(ग) मैसूर की उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजना पर 1999–2000 के दौरान 333.21 लाख रुपए खर्च किए गए थे।

(घ) मैसूर की उच्च शक्ति ट्रांसमीटर परियोजना 9वीं योजना अवधि के अन्त तक पूरी हो जाने की आशा है।

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन**

**2128. श्री वसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के संबंध में उनके वेतन को संशोधित करने के मामले को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केलकर समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के संबंध में किए गए छठे द्विपक्षीय करार की समयावधि बढ़ाने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) जी, नहीं, मामला न्यायाधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**भारत-अमरीका व्यापार संवाद**

**2129. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**

**श्री विलास मुत्तेमवार :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और अमरीका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत–अमरीका व्यापारिक संवाद शुरू करने हेतु अमरीकी वाणिज्य मंत्री के साथ एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार किस सीमा तक बढ़ने की संभावना है;

(घ) क्या व्यापार के रास्ते में आने वाली सभी अड़चनों का पूर्ण समाधान कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या व्यापार समझौतों के शीघ्र निष्पादन को सुचारु बनाने के लिए कोई भारत–अमरीका संयुक्त आयोग गठित किया गया है;

(छ) यदि हां, तो समझौतों के कब तक लागू होने की संभावना है; और

(ज) चालू वर्ष में भारत–अमरीका के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने संबंधी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और इनमें क्षेत्र–वार कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) और (ख) जी, हां। दोनों पक्ष भारत–अमरीका वाणिज्यिक वार्ता जिस पर 23.3.2000 को हस्ताक्षर किए गए थे, करने के लिए सहमत हो गए हैं। इस ढांचे का उद्देश्य है (क) व्यापार को सुकर बनाना (ख) सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियाद सुविधाएं, जैव प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं सहित वृहद आर्थिक क्षेत्रों में निवेश अवसरों को अधिकतम बनाना।

(ग) यद्यपि कोई सुस्पष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं तथापि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वाणिज्यिक वार्ता के द्वारा भारत–अमरीकी व्यापार का विस्तार होगा और इससे आपसी लाभ मिलने में सुविधा होगी।

(घ) और (ङ) किसी भी द्विपक्षीय व्यापार संबंध में विवादों का उठना और उनका समाधान एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। भारत–अमरीकी व्यापार के संबंध में अनेक कठिनाईयों का संतोषजनक तरीके से समाधान किया जा चुका है और जहां विवाद के ऐसे क्षेत्र रह गए हैं वहां उनका समाधान किया जाना अभी बाकी है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) चालू वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में अमरीका को किए जाने वाले भारत के निर्यातों को और विकसित करने तथा उनकी पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने की मांग की गई है। भारतीय निर्यातों के लिए विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्रों में वे मदें शामिल हैं जिनमें हाल ही के वर्षों में हमारे निर्यात अच्छे हुए हैं वे मदें जिनकी निर्यात वृद्धि की क्षमता अधिक है।

**वित्तीय संस्थाओं का सामान्य बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश**

**2130. श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सामान्य बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के सम्बन्ध में समिति (नरसिंहम समिति II) ने, अन्य बातों के साथ–साथ, सिफारिश की है कि बैंकों और विकास वित्तीय संस्थाओं (डीएफआई) के बीच कार्यकलापों की समरूपता से, डी एफ आई को समय गुजरने के साथ, अपने आपको बैंकों में परिवर्तित कर लेना चाहिए। जनवरी 1999 में जारी किए गए परिचर्चा पत्र में, जिसमें सुविधाओं के अधिक संगत होने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की संबंधित भूमिका में वृहद् स्पष्टता लाने हेतु प्रस्ताव अन्तर्विष्ट हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने सिफारिश की है कि डी एफ आई पांच वर्षों की अवधि के अन्दर अपने आपको सर्वव्यापी बैंकों में परिवर्तित कर सकते हैं। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) सर्वव्यापी बैंक बनने की आवश्यकता की जांच कर रहा है।

(ग) प्रश्न हीं नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**खाद्य-भण्डारण और गोदामों के निर्माण कार्य का निष्पादन**

**2131. श्री हरिभाई चौधरी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य–सामग्री के भण्डारण, भाण्डागारों और गोदामों के निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा विक्रय–केन्द्रों को खोलने और वाहन–क्रय के लिए सहायता उपलब्ध कराने के कार्य का निष्पादन संतोषजनक ढंग से नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या असंतोषजनक कार्य–निष्पादन के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेवारी तय की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसी जिम्मेवारी तय नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) से (ङ) केन्द्र द्वारा प्रयोजित दो योजनाओं के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये दोनों योजनाएं है (क) जरूरतमंद क्षेत्रों में पर्याप्त भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए गोदामों का निर्माण करना और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए वैन/ट्रकों की खरीददारी। दूसरी योजना के अधीन स्वीकृत गाड़ियों का इस्तेमाल 'मोबाइल' उचित दर दुकानों के रूप में किया जा सकता है या दुर्गम क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर 'डोर डिलिवरी' के लिए इनका इस्तेमाल 'कैरियर' के रूप में किया जा सकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त सुझावों के आधार पर वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती है बशर्ते उपयोगिता प्रमाण–पत्र लम्बित न पड़ा हो या योजना की शर्तों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की पहले से स्वीकृत सहायता में से उपयोग में न लाई गई राशि की वापसी लम्बित न हो। इन दोनों योजनाओं के अधीन 1999–2000 के दौरान 22.50 करोड़ रुपए के बजटीय आबंटन के प्रति 23.35 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

योजना का वास्तविक कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सामूहिक जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। वित्तीय सहायता की स्वीकृति होने के बाद राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र या उनकी कार्यान्वयन एजेंसियां सुनिश्चित करती हैं कि गोदामों के निर्माण का कार्य या वैनों की खरीद के साथ–साथ उपयोगिता प्रमाण–पत्र का भिजवाना, सभी निश्चित समय अवधि में पूरे कर लिए जाएं। चूककर्ता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पिछली सहायता के उपयोगिता प्रमाण–पत्र के न भिजवाए जाने के लिए नियमित तौर पर अनुस्मारक भेजे जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नए प्रस्ताव पर तब तक कोई विचार नहीं किया जाता जब तक कि कोई उपयोगिता प्रमाण–पत्र लम्बित पड़ा हो या पिछली सहायता में से बिना उपयोग की गई राशि की कोई वापसी लम्बित पड़ी हो।

*[अनुवाद]*

**राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित वस्तुओं की गुणवत्ता**

**2132. श्री सुबोध मोहिते :**

**श्री मानसिंह पटेल :**

**श्रीमती श्यामा सिंह :**

**श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**

**श्री आर. एल. जालप्पा :**

**श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :**

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी :**

**श्री सुरेश रामराव जाधव :**

**डॉ. बलिराम :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों को आपूर्ति की गई विभिन्न वस्तुओं की गुणवत्ता पर कई राज्य सरकारों द्वारा हाल ही में आपत्ति प्रकट की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन राज्यों के नाम क्या हैं और इन आपत्तियों के क्या कारण हैं;

(ग) अब तक राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तु–वार और राज्य–वार कितनी मात्रा में सामग्रियां वापिस की गई है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से मध्याह्न भोजन के अंतर्गत आपूर्ति किए गए घटिया खाद्यान्नों के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्यों को बेहतर वस्तुओं की आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) जी, हां।

(ख) कुछ राज्य सरकारों अर्थात् कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र जम्मू और कश्मीर तथा त्रिपुरा ने ढील दी गई विनिर्दिष्टियों के अधीन वसूल किए गए चावल विशेष रूप से 1997–98 और 1998–99 के दौरान पंजाब में वसूल किए गए चावल को स्वीकार करने में अनिच्छा जताई है। 1997–98 में ढील दी गई विनिर्दिष्टयों के चावल को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी करना बंद कर दिया है। तथापि, राज्य सरकारों को संयुक्त रूप से नमूने लेने के पश्चात् खाद्यान्नों की गुणवत्ता का निरीक्षण करने और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से इनका उठान करने से पूर्व इस संबंध में अपनी तसल्ली कर लेने की अनुमति दी गई है।

(ग) राज्यों ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति की गई खाद्यान्नों की कोई भी मात्रा नहीं लौटाई गई है।

(घ) और (ङ) 'मिड डे मील' योजना के अधीन घटिया गुणवत्ता के खाद्यान्न जारी करने के बारे में भारतीय खाद्य निगम को मणिपुर से शिकायतें मिली हैं। जांच करने पर यह पाया गया था कि इसके लिए भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से केवल अच्छी गुणवत्ता का स्टॉक जारी किया गया था।

(च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए बेहतर गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति करने हेतु सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकारों को केवल अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न ही जारी किए जाते हैं जो खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप और कीट जन्तु बाधा से मुक्त होते हैं।

(ii) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठान करने से पूर्व खाद्यान्नों का निरीक्षण करने के लिए राज्य सरकारों अथवा उनकी एजेंसियों को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। सभी राज्य सरकारों को अनुदेश दिए गए हैं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठान करने से पूर्व खाद्यान्नों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक के पद से कम पद का अधिकारी तैनात न किया जाए।

(iii) राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से नमूने लिए जाते हैं और सील किए जाते हैं ताकि उचित दर दुकान पर इनका प्रदर्शन किया जा सके।

(iv) खाद्यान्नों की विनिर्दिष्टियों को कड़ा किया गया है और उड़ीसा, जो सुपर चक्रवात से प्रभावित हुआ था, को छोड़कर किसी को भी ढील नहीं दी गई है।

*[हिन्दी]*

## खनिज और धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी) द्वारा निर्यात/आयात

**2133. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :**

**श्री ब्रह्मानंद मंडल :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी) ने बड़े पैमाने पर निर्यात और आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान खनिज और धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी) द्वारा निर्यात और आयात की गयी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी) ने किसी भी देश से बिना निर्यात आदेश पाये बासमती चावल के निर्यात के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो इस नीति को तैयार करने के क्या उद्देश्य हैं; और

(ङ) एम एम टी सी की इस निर्यात नीति के कारण राजस्व के भारी घाटे को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) और (ख) जी, हां। एम एम टी सी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित/आयातित मदों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) उदारीकृत व्यापार व्यवस्था तथा अपने व्यापारिक कियाकलापों को व्यापक आधार प्रदान करने की मांग को देखते हुए एम एम टी सी आयात और निर्यात दोनों के लिए कृषि वस्तुओं के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। कृषि वस्तुओं में प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर तथा बासमती चावल की निर्यात के लिए एक परम्परागत सम्भाव्यता होने के कारण एम एम टी सी ने बासमती धान के प्रसंस्करण के एक आकर्षक आपूर्ति स्रोत विकसित करने का प्रयास किया है। तथापि, प्रसंस्कर्त्ता की ओर से संविदात्मक चूक होने का कारण एम एम टी सी ने अपनी बकाया राशि वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

**विवरण**

*पिछले तीन वर्षों के दौरान एम एम टी सी का निर्यात*

(मूल्य करोड़ रुपये में)

| मदें | 1997–98 | 1998–99 | 1999–2000 (अ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| खनिज एवं अयस्क | 981 | 947 | 1036 |
| कृषि उत्पाद | 75 | 55 | 10 |
| औद्योगिक उत्पाद/ इंजीनियरिंग उत्पाद | 46 | 4 | 1 |
| स्वर्ण/रजत/रत्न | 42 | 20 | 142 |
| परिष्कृत उर्वरक/उर्वरक कच्ची सामग्री | 33 | 3 | 7 |
| भवन निर्माण सामग्री | 6 | 9 | 12 |
| वस्त्र | 3 | – | – |
| अन्य | 1 | 4 | – |
| योग | 1187 | 1042 | 1208 |

*पिछले तीन वर्षों के दौरान एम एम टी सी का आयात*

(मूल्य करोड़ रुपये में)

| मदें | 1997–98 | 1998–99 | 1999–2000 (अ) |
|---|---|---|---|
| परिष्कृत उर्वरक एवं कच्ची सामग्री | 672 | 180 | 305 |
| अलौह धातु एवं औद्योगिक कच्ची सामग्री | 274 | 217 | 316 |
| स्वर्ण/रजत/रत्न | 2115 | 2649 | 2553 |
| कृषि उत्पाद | – | 60 | 252 |
| कोयला एवं हाइड्रो कार्बन | 69 | 35 | 144 |
| वस्त्र | – | 3 | 5 |
| खनिज एवं अयस्क | – | – | 6 |
| अन्य | 2 | 1 | 1 |
| योग | 3132 | 3145 | 3582 |

(स्रोतः एम एम टी सी)

*[अनुवाद]*

**महाराष्ट्र में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क**

**2134. श्री चंद्रकांत खैरे :**

**श्री सुबोध मोहिते :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नागपुर, पुणे, औरगांबाद, द्रोणागिरि में और मुम्बई स्थित जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में हार्डवेयर पार्कों के रूप में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों की स्थापना करने में महाराष्ट्र राज्य सरकार की सहायता करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना पर कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव के आधार पर अम्बरनाथ, जिला थाने में एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई पी आई पी) की पहले ही मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। इस योजना के अनुसार, किसी राज्य में दूसरे ई पी आई पी की स्थापना पर केवल तब विचार किया जा सकता है जब पहले स्थापित किए गए ई पी आई पी द्वारा सफलतापूर्वक प्रचालन किया जाना पाया गया हो।

राज्य सरकार से नागपुर, पुणे, औरंगाबाद द्रोणागिरी तथा मुम्बई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में ई पी आई पी की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**स्थाई खाता संख्या**

**2135. श्री रामजी मांझी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर दाता को जारी किए गए पैन कार्डों में करदाता के बारे में गलत सूचना दी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार)** : (क) निर्धारित प्रकिया के अनुसार, स्थाई खाता संख्या कार्डों पर छपी सभी सूचना के अर्थात् पूरा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि/निगमन आदि की जांच स्थाई खाता संख्या पूर्व जांच के रूप में ज्ञात प्रकिया के जारी फार्म 49क में भरे गए आवेदन के संदर्भ में की जाती है। तथापि, कुछ मामलों में, संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थाई खाता संख्या की अपर्याप्त पूर्व जांच के कारण स्थाई खाता संख्या कार्डों पर नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि/निगमन, फोटोग्राफ अथवा हस्ताक्षर (व्यष्टियों के मामले में) में अनजाने में की गई त्रुटियां सामने आई हैं।

(ख) इस व्यवस्था में उन मामलों के संबंध में कोई अलग रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं जिनमें स्थाई खाता संख्या आबंटियों द्वारा त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाया गया है और जिनमें शुद्धियां की गई हैं, इस प्रणाली में स्थाई खाता संख्या डाटा बेस में किए गए सभी संशोधनों का संयुक्त रिकार्ड होता है चाहे वे त्रुटियों की शुद्धि के रूप में हो अथवा स्थाई खाता संख्या आबंटियों के अनुरोध पर किए गए परवर्ती अद्यतनों के रूप में हो।

(ग) इन त्रुटियों के बारे में जैसे ही पता चलता है उन्हें शुद्ध कर दिया जाता है अथवा उन्हें विभाग के ध्यान में लाया जाता है।

**सेवा क्षेत्र पर करों से राजस्व**

**2136. श्री नारायण दत्त तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सेवा क्षेत्र पर करों से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सेवा कर से संग्रहित धनराशि संभावित राजस्व की तुलना में बहुत ही कम रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाएं जाएगें?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार)** : (क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सेवा कर से प्राप्त राजस्व की राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

| | | |
|---|---|---|
| 1997–98 | – | 1586 करोड़ रुपए |
| 1998–99 | – | 1957 करोड़ रुपए |
| 1999–2000 | – | 2125 करोड़ रुपए (अनंतिम) |

(ख) केवल कुछेक सेवाओं पर ही सेवा कर लगाया गया है, न कि संपूर्ण सेवा क्षेत्र पर। इन परिस्थितियों में, राजस्व की वसूली अपने आप में बहुत कम नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) सरकार ने सेवाओं पर कर लगाने के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा इसके संबंध में सिफारिशें करने के लिए सेवा कर के बारे में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है। उक्त विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के प्राप्त हो जाने पर, सरकार किए जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय लेगी।

**बीड़ी के तम्बाकू के लिए नीलामी स्थल**

**2137. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीड़ी के तम्बाकू के लिए बेहतर मूल्यों के संवर्धन हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बीड़ी तम्बाकू के लिए नीलामी स्थल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बीड़ी तम्बाकू किसानों के संबंध में कोई सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार का बीड़ी तम्बाकू के लिए नीलामी प्लेटफार्मों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार द्वारा बीड़ी तम्बाकू के किसानों का सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

**निजी कंपनियों के विरुद्ध विश्व बैंक की देनदारियां**

**2138. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :**

**श्री जी. एस. बसवराज :**

**श्री जय प्रकाश :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) द्वारा किए गए एक अध्ययन से स्पष्ट हो गया है कि निजी क्षेत्र की कंपनियों पर ऋण प्रदान करने वाले बैंकों का 28,000 करोड़ रुपए से भी अधिक रुपयों की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फिक्की ने चूककर्ता कंपनियों के ऋणों का 35 प्रतिशत निपटान करने संबंधी बातचीत करने की पेशकश की है;

(घ) क्या सरकार ने फिक्की से अधिकारिक तौर पर निपटान प्रक्रिया आरम्भ करने को कहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या 65 प्रतिशत तक के बकाया ऋण को माफ करने का भी प्रस्ताव किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) "बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां: नए परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता" विषय पर चर्चा पत्र में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) ने बताया है कि गैर–प्राथमिकता क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियां मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार 27,608 करोड़ रु. थी।

(ग) से (ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**नीति पत्र**

**2139. श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर :**

**श्री ए. नरेन्द्र :**

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार और तेल क्षेत्र जैसे विवादित क्षेत्रों से निपटने के लिए विनिवेश के संबंध में नीति पत्र बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति पत्र के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री, विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी)** : (क) जी, नहीं। सभी क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, जिनमें दूरसंचार एवं तेल सम्मिलित हैं, विनिवेश सरकार की घोषित विनिवेश नीति के अनुसार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**खाड़ी-देशों से पर्यटक**

**2140. श्री सुरेश चन्देल** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी–देशों से भारत के पर्यटन को प्रोत्साहन करने की अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाड़ी–देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) जी, हां।

(ख) विश्व में जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है उनमें खाड़ी क्षेत्र में आने वाला अरब देश भी है।

2– पश्चिमी देश के उच्च आय वाले प्रवासी भी खाड़ी के देशों में रह रहे हैं।

3–इस (खाड़ी) क्षेत्र का भारत के करीब होना।

4–खाड़ी के देशों के साथ भारत का वाणिज्यिक संपर्क।

(ग) भारत के लिए अधिकाधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए सक्रिय प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।

2–खाड़ी क्षेत्र में आयोजित होने वाले मेलों/प्रदर्शनियों में नियमित भागीदारी।

3–मीडिया तथा ट्रेवल एजेंटों को भारतीय पर्यटन उत्पाद के बारे में जानकारी देने के लिए नियमित फैम ट्रिप आयोजित करना।

4–भारत में पर्यटक रुचि के सृजन के लिए संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का नियमित आयोजन।

*[अनुवाद]*

**भारत दस शीर्ष ऋणी देशों में शामिल**

**2141. श्रीमती श्यामा सिंह :**

**श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**

**श्री मोहन रावले :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जून, 2000 के "द स्टेट्समैन" में "इण्डिया एमंग टाप टेन इन्डेटेड नेशन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत की कुल विदेशी ऋण में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और इससे यह विश्व के दस शीर्ष ऋणी देशों में शामिल हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या देश की ऋण स्थिति से इसकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) "दी स्टेट्समैन" ने अपने 3 जून, 2000 के दैनिक अंक में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "भारत का विदेशी ऋण: एक प्रास्थिति रिपोर्ट–मई, 2000" पर आधारित "इण्डिया एमंग टॉप टेन इन्डेटेड नेशन्स" शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित किया था। जैसा कि प्रास्थिति रिपोर्ट में बताया गया है, भारत ऋण के सम्पूर्ण स्तर के रूप में विश्व के शीर्षस्थ दस ऋणी देशों में से है। तथापि, इसकी स्थिति में सुधार आया है और यह 1991 में ब्राजील और मैक्सिको के बाद तीसरे सबसे बड़े ऋण देश से 1998 में ब्राजील, रूसी संघ, मैक्सिको, चीन, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, कोरिया और तुर्की के बाद नौवां सबसे बड़ा ऋणी देश था।

(ग) और (घ) देश के विदेशी ऋण का बकाया स्टॉक दिसम्बर, 1999 के अन्त में 99.0 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो मार्च, 1995 के अन्त में 99.0 बिलियन अमरीकी डॉलर के सर्वोच्च स्तर जितना ही था। तथापि, देश की विदेशी ऋणग्रस्तिता की स्थिति में हाल के वर्षों में काफी अधिक सुधार आया है, जो इस अवधि के दौरान मुख्य ऋण संकेतकों में गिरावट में परिलक्षित होता है। इस प्रकार उदाहरणार्थ ऋण–सकल घरेलू उत्पाद अनुपात, जिससे घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में ऋण की मात्रा मापी जाती है, में सुधार होकर यह मार्च, 1992 के अन्त में 41.0 प्रतिशत से मार्च, 1999 में 23.5 प्रतिशत और दिसम्बर, 1998 के अन्त में और सुधार होकर 22.3 प्रतिशत हो गया। ऋण–शोधन अनुपात 1990–91 में चालू प्राप्तियों के 35.3 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर से सुधर कर 1998–99 में 19.0 प्रतिशत और 1999–2000 की पहली तीन तिमाहियों में (अप्रैल–दिसम्बर, 1999) में और सुधर कर 18.2 प्रतिशत हो गया।

1990 के दशक की शुरूआत के बाद से भारत की विदेशी ऋण की स्थिति में सुधार एक सोची समझी ऋण प्रबन्धन नीति का परिणाम है जो निर्यातों की उच्च वृद्धि दर, परिपक्वता ढांचे तथा वाणिज्यिक ऋण की कुल राशि को नियंत्रणीय सीमाओं में रखने, अल्पकालिक ऋण को सीमित करने और गैर–ऋण सृजन प्रवाहों को प्रोत्साहित करने पर केन्द्रित है।

*[हिन्दी]*

**गैर-तेलीय उत्पादों का आयात**

**2142. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष गैर–तेलीय उत्पादों के आयात की 5338.61 मिलियन डॉलरों की राशि की तुलना में इस वर्ष यह राशि बढ़कर 6379.28 मिलियन डॉलर हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गैर–तेलीय उत्पादों के आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं।

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) से (ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता से उपलब्ध नवीनतम अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल–जून 2000–2001 के दौरान गैर तेल उत्पादों का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 8330 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 9242 मिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है। गैर तेल उत्पादों का आयात, निर्यातकर्त्ता उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री और पूंजीगत सामान संबंधी हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

*[अनुवाद]*

**केन्द्रीय बिक्री कर**

**2143. श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय बिक्री कर में एक प्रतिशत की कमी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार से परामर्श किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार)** : (क) से (ग) देश में मौजूदा केन्द्रीय बिक्री कर प्रणाली में सुधारों का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 9 राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार–प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

**महाचक्रवात से प्रभावित क्षेत्र को ऋण**

**2144. श्री त्रिलोचन कानूनगो :**

**श्री विक्रम केशरी देव :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में महाचक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों और वहां के लोगों के पुनर्स्थापना पुनर्निर्माण और अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली में भारतीय स्टेट बैंक सहित अनुसूचित बैंकों द्वारा अब तक क्या भूमिका अपनायी गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में महाचक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के सभी किसानों के विरुद्ध गत वर्ष के खरीफ और रबी संबंधी ऋणों की बकाया धनराशि को माफ कर देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन्हें आगामी खरीफ फसल के मौसम के दौरान पर्याप्त ऋण/सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों ने अल्पावधि एवं मीयादी ऋण किश्तों दोनों के संबंध में देय राशियों की पुनर्व्यवस्था/पुनर्निर्धारण करने तथा अनिच्छुक चूककर्ताओं को नया ऋण प्रदान करने की कार्रवाई की है, कृषि ऋण आदि पर दो वर्ष का ऋण–स्थगन दिया गया है। यूको बैंक द्वारा भुवनेश्वर में हाल ही में आयोजित एस एल बी सी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान खरीफ फसल के लिए सहकारी बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) क्रमशः 350 करोड़ रुपये एवं 130 करोड़ रुपये फसल ऋण के रूप में वितरित करेंगे।

उड़ीसा राज्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक बैंक यूको बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न कार्यकलापों के लिए भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) एवं सहकारी बैंकों सहित अन्य बैंकों द्वारा वितरित ऋण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

| उपक्षेत्र का नाम | संवितरित ऋण | |
|---|---|---|
| | खातों की संख्या | राशि (लाख रुपये में) |
| उपभोग ऋण | 6928 | 130.91 |
| फसल ऋण | 237693 | 13648.16 |
| कृषि संबंधी मीयादी ऋण | 6082 | 2248.55 |
| सम्बद्ध कृषि | 5893 | 1005.34 |
| लघु उद्योग ऋण | 8038 | 3258.20 |
| अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | 41767 | 8658.23 |
| आवास ऋण | 1079 | 1594.08 |
| शिक्षा ऋण | 35 | 44.73 |
| कुल | 307515 | 30588.20 |

(ख) और (ग) सभी किसानों के विरुद्ध बकाया ऋणों की सामान्य छूट देने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक की यात्रा**

**2145. श्रीमती रेणुका चौधरी :** क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशालय ने जनवरी, 2000 के दौरान भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो पाटन रोधी उपायों विकसित देशों द्वारा लगाये गये आयात प्रतिबंधों और विश्व व्यापार समझौते में सोशल क्लॉज के बारे में भारत और यात्रा करने वाले महानिदेशालय के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) :** (क) से (ग) डब्ल्यू टी ओ के महानिदेशक श्री माइक मूर ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित "भागीदारी शिखर सम्मेलन 2000" में भाग लेने के लिए जनवरी, 2000 के दौरान नई दिल्ली का दौरा किया था। उन्होंने इस अवसर पर प्रधान मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की थी और डब्ल्यू टी ओ के तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिसे डब्ल्यू टी ओ सदस्यों के बीच व्यापक मतभेदों के कारण स्थगित कर दिया गया था, के कार्य को पुनः शुरू करने के लिए डब्ल्यू टी ओ सदस्यों के बीच आम राय कायम करने की संभावना के बारे में भारत के दृष्टिकोण को जानने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से विचार विमर्श किया था। डब्ल्यू टी ओ के महानिदेशालय को यह बता दिया गया कि जब तक सदस्यों के बीच व्यापक आम राय नहीं बन जाती है तब तक डब्ल्यू टी ओ की एक बैठक करने का कोई औचित्य नहीं है। इस बात पर जोर दिया गया कि इस प्रकार की आम राय प्रथम दृष्टया तभी प्राप्त की जा सकती है जब सामाजिक उपबंध जैसे गैर–व्यापारिक मुद्दे डब्ल्यू टी ओ की कार्यसूची से नहीं हटा लिए जाते और जब तक विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की कार्यान्वयन संबंधी चिंताओं, जिनमें विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के लिए बाजार पहुंच की मनाही किए जाने के प्रयोजनार्थ पाटन रोधी करार, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी करार का बार–बार दुरुपयोग और व्यापार करार में तकनीकी अवरोध शामिल हैं, के शीघ्र समाधान के लिए स्वयं वचन देकर, विकसित देशों द्वारा डब्ल्यू टी ओ में विकासशील सदस्य देशों का विश्वास पुनः पैदा नहीं कर दिया जाता है।

**बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्त निगमों को ऋण**

**2146. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2000 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र द्वारा गैर–बैंकिंग वित्त निगमों को निगम–वार कुल कितना ऋण दिया गया;

(ख) क्या बैंकिंग क्षेत्र भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुरूप गैर–बैंकिंग वित्त निगम को ऋण दे रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इसके परिणामस्वरूप गैर–बैंकिंग वित्त निगम संसाधनों की कमी का सामना कर रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) :** (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचनानुसार, पचास प्रमुख बैंकों द्वारा गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को दिया गया सकल बैंक ऋण 24 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार 7,178/- करोड़ रुपये था।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को पर्याप्त बैंक ऋण की अनुपलब्धता के संबंध में गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों के संघों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। वे (क) गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों, खासकर लीज और किराया खरीद कंपनियों की संसाधनों के प्रवाह में वृद्धि करने, (ख) घरेलू गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों के प्रति नकारात्मक रवैया न पालने, (ग) दूसरे देशों की तरह गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों को "खुदरा व्यापारी" के रूप में मानने और (घ) गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों को उचित ब्याज दर पर उधार देने के लिए बैंकों पर जोर देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता चाहते रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे अपने बोर्डों के अनुमोदन से अपने द्वारा निर्धारित ऋण नीति के अनुसार गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनियों की आवश्यकता पर आधारित वित्त का मूल्यांकन करें और वित्तीय सहायता प्रदान करें।

**ढांचागत सुधार**

**2147. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ढांचागत सुधारों को शुरू करने के समय से ही कौन–कौन से प्रमुख नीतिगत निर्णय लिए गए हैं;

(ख) इन नीतिगत निर्णयों के उद्देश्य क्या–क्या हैं; और

(ग) इन नीतियों से औद्योगिक–क्षेत्र, विशेषकर मध्यम और लघु उद्योगों को अब तक किस प्रकार लाभ पहुंचा?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) आर्थिक सुधार मुख्य रूप से नीतिगत माहौल में सुधार लाने पर केन्द्रित पहले हैं। सरकार ने 1991 के बाद से औद्योगिक नीति, विनिमय दर नीतियों, विदेशी निवेश नीति, कराधान, आधारभूत ढांचा और वित्तीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार शुरू किए हैं। सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य रोजगार और समता सहित तीव्रतर वृद्धि है।

(ग) उदारीकृत नीतियों का लघु और मध्यम आकार के उद्योगों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था। लघु उद्योग क्षेत्र में सुधारों के परिणामस्वरूप अनेक लघु उद्योग इकाइयों में उच्चतर वृद्धि, उत्पादन, रोजगार और निर्यात हुआ है। लघु उद्योग इकाइयों की कुल संख्या 1991–92 में 20.82 लाख से बढ़कर 1998–99 में 31.21 लाख हो गई। इस अवधि के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा निर्मित उत्पादन 1,78,699 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,27,515 करोड़ रुपये और कुल रोजगार 129.8 लाख से बढ़कर 171.6 और निर्यात 13,883 करोड़ रुपये से बढ़कर 49,481 करोड़ रुपये हो गया।

## निर्माण सुविधा केन्द्र

**2148. डॉ. वी. सरोजा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश में दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए निर्माण सुविधा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार विशेषरूप से सेलम के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सलेम में कार्यक्रम निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए इस समय कोई स्कीम नहीं है। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे स्टूडियो/कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं (पी.जी.एफ.) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

| राज्य/ संघ शासित क्षेत्र | स्टूडियो/का.नि. सुवि. का स्थान |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | वारंगल |
| हरियाणा | हिसार |
| जम्मू और कश्मीर | लेह |
| केरल | त्रिचूर, कालीकट |
| मध्य प्रदेश | जगदलपुर |
| उड़ीसा | भवानीपटनम |
| पंजाब | पटियाला |
| राजस्थान | उदयपुर |
| सिक्किम | गंगतोक |
| तमिलनाडु | कोयम्बतूर, मदुरै |
| उत्तर प्रदेश | मथुरा |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |

## गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं का मूल्य

**2149. श्री चिंतामन वनगा** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगो को राहत उपलब्ध कराने के लिए सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को पुनर्निर्धारित करके/पुनरीक्षित करके समुचित स्तर पर लाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किए जा रहे गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य 25.7.2000 से संशोधित किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:–

(रुपए प्रति क्विंटल)

| जिन्स | | गरीबी रेखा से नीचे | गरीबी रेखा से ऊपर |
|---|---|---|---|
| गेहूं | | 415 | 830 |
| चावल | | | |
| (i) | साधारण | 565 | – |
| (ii) | ग्रेड 'ए' | 565 | 1130 |

व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों पर और गेहूं तथा चावल की आर्थिक लागत में कमी होने की दृष्टि से केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को संशोधित किया गया है।

राजकोष पर राजसहायता के भार को कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 1.3.2000 से चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य को संशोधित करके 13.00 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। कुछ राज्य सरकारों ने चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य को पुनः पिछले स्तर पर लाने का अनुरोध किया था लेकिन यह अनुरोध व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

चार महानगरों अर्थात दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में मिट्टी के तेल के भण्डारण स्थल पर निकासी मूल्य, खुदरा विक्रय मूल्य और समानान्तर विपणन योजना के अधीन मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

*चार महानगरों में मिट्टी के तेल के भण्डारण केन्द्र से निकासी मूल्य, खुदरा विक्रय मूल्य और समानान्तर विपणन योजना के अधीन मूल्य बताने वाला विवरण*

रुपए/लिटर

| | दिल्ली | कलकत्ता | मुम्बई | चेन्नई |
|---|---|---|---|---|
| भण्डारण स्थल पर निकासी मूल्य | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| खुदरा विक्रय मूल्य | 5.55 | 5.87 | 5.57 | 5.64 |
| समानान्तर विपणन योजना* के | 14.00– | 13.00– | 11.00– | 13.00– |
| अधीन मूल्य | 16.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 |

* समानान्तर विपणन योजना में मिट्टी के तेल का विक्रय मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था पर निर्भर करते हुए घटता–बढ़ता रहता है।

**रबड़ का आयात**

**2150. श्री पी. सी. थामस** : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आयात किए गए कृत्रिम रबड पालीमर अथवा पॉलीमिथेन का मदवार, देशवार और मात्रावार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मदों के आयात के बाद प्राकृतिक रबड़ का प्रयोग किस सीमा तक प्रतिस्थापित हुआ है;

(ग) क्या इस आयात ने प्राकृतिक रबड़ के घरेलू मूल्य को भी प्रभावित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने वाले किसानों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न में उल्लिखित कृत्रिम रबड़ पालीमर अथवा पॉलीमिथेन शब्द का इस्तेमाल पॉलीयूरेथीन के लिए किया गया है। इस सामग्री का आयात दो अलग–अलग एग्जिम कोड़ों के अन्तर्गत किया जाता है। आयातों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) यह कहना संभव नहीं है कि क्या और कितनी मात्रा तक प्राकृतिक रबड़ के स्थान पर पॉलीयूरेथेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ और सिन्थेटिक रबड़ की खपत का अनुपात कमोबेश अपरिवर्तित रहा है।

(ङ) रबड़ के उत्पादकों को अपने उत्पाद की लाभकारी कीमत प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु सरकार ने भारतीय राज्य व्यापार निगम के जरिए अब तक 38390 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद की है। शुल्क मुक्त योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ के आयात को फरवरी, 99 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

**विवरण**

*वर्ष 1997–98, 1998–99, 1999–2000 (जून, 99 तक) के दौरान पॉलीयूरेथेन (एग्जिम कौड 39095000) का आयात*

मात्रा टन में

मूल्य लाख रुपए में

| देश | 1997–98 | | 1998–99 | | 1999–2000 (जून, 99 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| आस्ट्रेलिया | 21 | 50.10 | 38 | 104.26 | 5 | 15.89 |
| जर्मन संघीय गणराज्य | 542 | 798.15 | 481 | 933.25 | 107 | 200.39 |
| इटली | 199 | 296.23 | 283 | 379.60 | 90 | 110.57 |
| जापान | 48 | 122.80 | 34 | 115.80 | 4 | 16.05 |
| कोरिया गणराज्य | 06 | 7.70 | 28 | 20.69 | 25 | 18.47 |
| स्पेन | 47 | 74.08 | 73 | 125.25 | 20 | 30.73 |
| सिंगापुर | 20 | 34.30 | 22 | 34.15 | 2 | 3.52 |
| यू.के | 83 | 148.35 | 105 | 214.86 | 30 | 56.29 |
| यूएसए | 205 | 330.66 | 174 | 483.33 | 45 | 155.09 |
| अन्य | 133 | 178.42 | 138 | 225.92 | 11 | 18.42 |

*वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 (जून, 99 तक) के दौरान पॉलीयूरिथेन (एग्जिम कोड 39169005) का आयात*

मात्रा टन में

मूल्य लाख रुपए में

| देश | 1997–98 | | 1998–99 | | 1999–2000 (जून, 99 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| जर्मन संघीय गणराज्य | – | – | – | – | – | – |
| यू. के. | – | – | – | – | – | – |
| जापान | – | – | – | – | – | – |
| चाइनीज ताइपेई | – | – | 0.48 | 1.20 | – | – |
| सिंगापुर | 0.271 | 0.58 | – | – | – | – |
| यूएसए | – | – | – | – | 2 | 5.02 |
| अन्य | – | – | – | – | 2 | 5.47 |

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता

**आधारभूत ढांचा क्षेत्र**

**2151. श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आधारभूत ढांचे संबंधी राकेश मोहन समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा सिफारिशों, विशेषतः निधियों की मांग और आपूर्ति संबंधी सिफारिशों पर क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार आधारभूत ढांचा क्षेत्र में विदेशी भागीदारी की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) से (घ) राकेश मोहन समिति ने नीतिगत सुधारों के लिए दिशा–निर्देश दिए हैं जो सरकारी–निजी क्षेत्र की साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ–साथ बुनियादी ढांचे के और अधिक वाणिज्यीकरण में सहायता कर सकते हैं। इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :–

- विशेषज्ञ दल ने यह अनुमान लगाया है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 1996–97 से 2000–01 के बीच लगभग 4,300 बिलियन रुपए और 2001–2005–6 के दौरान लगभग 7,500 बिलियन रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी।
- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सार्थक व्यवसायीकरण के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना में निहित जोखिमों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाए और उन्हें विभिन्न दावेदारों में आबंटित किया जाए।
- यदि आधारभूत ढांचे को पूंजी बाजारों के माध्यम से वित्तपोषिण किया जाना है तो यह आवश्यक है कि संविदात्मक बचत संस्थाओं में बड़े पैमाने पर सुधार शुरू किए जाएं।
- भारत को विशेष रूप से परियोजनाओं को अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराने और ऋण बाजार को सक्रिय बनाने के लिए एक संस्था की आवश्यकता है।
- विद्यमान क्षेत्रक–विशिष्ट कानूनों को एकल कानून में एकीकृत किया जाना चाहिए और प्रत्येक बुनियादी ढांचा क्षेत्रक के लिए एक स्वायत्त विनियामक निकाय स्थापित किया जाना चाहिए।
- शहरी बुनियादी ढांचे, पत्तनों, सड़कें, विद्युत, दूरसंचार और औद्योगिक पार्कों के लिए भी क्षेत्रक विशिष्ट सुधार सुझाए गए हैं।

अधिकांश प्रमुख सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और उपयुक्त नीतिगत निर्णयों की घोषणा की गई है।

**500 रुपये के नये नोट जारी करना और सिक्कों की कमी**

**2152. श्री रघुनाथ झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न मूल्य वर्गों के सिक्कों की भारी कमी है जिससे नकली सिक्के बनाए और प्रचालित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने 100 रुपये मूल्य के नोट से बिलकुल अलग पहचान वाले 500 रुपये मूल्य के एक बड़े आकार का नया नोट जारी करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) देश में विभिन्न मूल्यवर्गों के सिक्कों की भारी कमी नहीं है जिससे नकली सिक्कों को बनाने और उनके प्रचलन का कार्य हो रहा हो। परन्तु 1 रु., 2 रु. और 5 रु. के नोटों के सिक्के तैयार करने के सरकार के निर्णय के फलस्वरूप इन मूल्यवर्गों में सिक्कों की मांग एवं आपूर्ति का अस्थाई असंतुलन महसूस किया जाता है जिसके लिये विद्यमान सरकारी टकसालों के आधुनिकीकरण के साथ–साथ सरकार ने इन मूल्यवर्गों के सिक्कों का पहले ही आयात कर लिया है/कर रही है।

(ग) और (घ) पांच सौ रु. का नोट 100 रु. के नोट की तुलना में पहले से ही आकार में बड़ा है। फिर भी सरकार ने 500 रु. का नोट संशोधित रंग प्रभाव के साथ तैयार करने का निर्णय लिया है ताकि इसे अन्य मूल्यवर्ग के नोटों से अलग पहचाना जा सके। इस नोट के शीघ्र ही प्रचालन में आने की आशा है।

**महाराष्ट्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत स्मारक**

**2153. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत स्मारकों की सुरक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है;

(ख) क्या देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में स्मारकों की स्थिति बहुत खराब है और पर्यटकों को उन्हें देखने की अनुमति नहीं दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक बहुत अच्छी हालत में संरक्षित हैं। सरकार को, इन स्मारकों पर पर्यटकों के प्रवेश पर, प्रवेश शुल्क, जहां लागू होता है, तथा सुरक्षा अपेक्षाओं के कारण, किसी प्रकार के प्रतिबंध की कोई जानकारी नहीं है।

*[हिन्दी]*

**कारों का उत्पादन और निर्यात**

**2154. श्री माणिकराव होडल्या गावित** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन कारों का उत्पादन किया जाता है और उन्हें किन देशों को निर्यात किया जाता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक कितनी कारों का निर्यात किया गया; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया)** : (क) से (ग) सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अनुसार वर्ष 2000–01 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कार निर्माताओं द्वारा कारों का निर्यात किया गया था :

**निर्माता का नाम**

1. देवू मोटर्स इंडिया लि.
2. जनरल मोटर्स इंडिया लि.
3. होंडा सीएल कार्स इंडिया लि.
4. ह्युंदे मोटर इंडिया लि.
5. मारूति उद्योग लि.
6. टाटा इंजीनियरिंग (टोल्को)

भारत से विश्व के कई देशों को कारों का निर्यात किया जाता है। इनमें प्रमुख देश हैं – नीदरलैंड, इटली, जर्मनी, ग्रीस, डेनमार्क, यू.के, स्पेन, उरग्वे, परागवे, इजिप्ट, चिली, बेल्जियम।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की संख्या और मूल्य निम्नांकित हैं:–

| वर्ष | मात्रा (संख्या में) | मूल्य (रुपये करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1997–98 | 23,497 | 532.25 |
| 1998–99 | 22,742 | 456.28 |
| 1999–2000 (अप्रैल, 99 सित. 99)* | 8,570 | 157.00 |

* आंकड़े अनंतिम हैं।

(स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता)

*[अनुवाद]*

**जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के उच्च पदाधिकारियों के रिक्त पद**

**2155. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) के उच्च पदाधिकारियों के पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत में विदेशी कंपनियों द्वारा अपना व्यापार आरंभ करने के बाद जीवन बीमा निगम द्वारा कड़ी प्रतियोगिता का सामना किये जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन पदों को कब तक भर दिये जाने की संभावना है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष का पद मौजूदा पदधारी की अधिवार्षिता के फलस्वरूप दिनांक 1.7.2000 से रिक्त पड़ा है।

(ग) इस पद को भरने की कार्रवाई की जा रही है।

**पर्यटन का विकास**

**2156. श्री अनन्त नायक** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से घरेलू पर्यटन के विकास हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में घरेलू पर्यटन के विकास के लिए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या हैं ?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) देश में स्वदेशी पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य/संघ राज्य सरकारों को पर्यटक परिसरों तथा यात्री निवास, यात्रिका जैसे बजट आवास, पर्यटक लाज, मार्गस्थ सुविधाओं के निर्माण जैसी पर्यटक सुविधाओं के सृजन, कैफेटेरिया, प्रकाशपुंज व्यवस्था, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन, स्मारकों के सौंदर्यीकरण आदि के लिए वित्तीय सहायता देता है। चालू नौवीं योजना के दौरान राज्य/संघ राज्य सरकारों को दी गयी केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

| वर्ष | परियोजनाओं की संख्या | अवमुक्त राशि (लाभ रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1997–98 | 256 | 4722.88 |
| 1998–99 | 346 | 8520.36 |
| 1999–2000 | 414 | 9445.78 |

(ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने वर्ष 1997–2000 के दौरान उड़ीसा राज्य में स्वदेशी पर्यटन के विकास के लिए पर्यटक महत्व के 53 स्थानों पर पर्यटन परियोजनाएं स्वीकृत की हैं जिनमें मुख्य स्थान हैं – कोणार्क, परियाखेमुंडी, राउरकेला, ढेंकनाल, पुरी, चांदीखोल, बेलार, केंद्रपाणा आदि ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

| वर्ष | परियोजनाओं की संख्या | अवमुक्त राशि (लाभ रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1997–98 | 28 | 552.05 |
| 1998–99 | 6 | 178.60 |
| 1999–2000 | 19 | 301.90 |

**साधारण बीमा निगम (जी.आई.सी.) में घाटा**

**2157. श्रीमती श्यामा सिंह :**

**डॉ. रमेश चंद तोमर :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान साधारण बीमा निगम (जी.आई.सी.) की कुछ सहायक कंपनियों को करोड़ों रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनियों का ब्यौरा क्या है और इनकी कितनी लागत है;

(ग) क्या सरकार ने साधारण बीमा निगम (जी.आई.सी) में ऐसे घाटे के लिए जिम्मेदार कारकों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इसमें होने वाले घाटे में कमी लाने के लिए कौन–कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) भारतीय साधारण बीमा निगम की चारों अनुषंगी कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष समग्र रूप से लाभ अर्जित किया।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**कन्याकुमारी में अशोक होटल का निर्माण**

**2158. डॉ. ए.डी.के. जयशीलन** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटन के महत्व को ध्यान में रखते हुए कन्याकुमारी में अशोक होटल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) से (ग) जी नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना 2000–01 में कन्याकुमारी में होटल अशोक के निर्माण की किसी भी योजना का विचार नहीं है।

**स्वयंसेवी संगठनों को आयकर में छूट**

**2159. श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन हेतु राष्ट्रीय समिति के माध्यम से आयकर में छूट प्राप्त करने वाले गुजरात के स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन संगठनों के कार्यकरण और इनके द्वारा धनराशि के उपयोग की निगरानी कौन सी एजेंसी करती है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार)** : (क) उन संस्थाओं के नाम, पतों के साथ–साथ अनुमोदित परियोजना

और लागत, जिसके लिए दान एकत्र किया जा सकता है, समय–समय पर, भारत के राजपत्र, भाग–II–खण्ड–3–उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किए जाते हैं। वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान छियालीस परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं।

(ख) सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति।

*[हिन्दी]*

**बिहार में पर्यटन गृहों का निर्माण**

**2160. श्री दिनेश चन्द्र यादव** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1999–2000 के दौरान पर्यटन ग्रहों के निर्माण हेतु मंजूर परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की परियोजनावार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) ये परियोजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी ?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) से (ग) पर्यटक अवसंरचना का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है; तथापि, पर्यटन विभाग राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श करके प्राथमिकता प्राप्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराता है।

वर्ष 1999–2000 के दौरान, 41.65 लाख रुपये के केन्द्रीय घटक (सहायता) से मधुबन, बिहार में यात्रिका निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी गई थी। 4.50 लाख रुपये की पहली किश्त भी रिलीज कर दी गई थी। दूसरी और तीसरी किश्तें भी, बिहार राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण पत्रों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति पर रिलीज कर दी जाएंगी।

*[अनुवाद]*

**सब्सिडी वापस लेना**

**2161. श्री सुनील खां** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल और गेहूं पर दी जा रही सब्सिडी को वापस लेने के परिणामस्वरूप राशन की दुकानों से लोगों ने चावल और गेहूं खरीदना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को इसके परिणामस्वरूप कुल कितना घाटा हो रहा है ?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) से (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के संबंध में उचित दर दुकानों से खाद्यान्नों का उठान प्रभावित नहीं हुआ है। तथापि, 1.4.2000 से प्रभावित केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि के कारण कुछ राज्यों में गरीबी रेखा से ऊपर के खाद्यान्नों के उठान में कमी आई है। गरीबी रेखा से ऊपर के खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राजसहायता वापस ले ली गई है और गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए खाद्यान्नों का आबंटन और यदि अतिरिक्त आबंटन भी करना हो तो वह इकॉनामिक लागत पर किया जा रहा है। अतः इस खाते में भारत सरकार को धन संबंधी कोई घाटा नहीं होता। दिनांक 25 जुलाई, 2000 से मूल्यों को पुनः संशोधित किया गया है।

**सुपर बाजार में वित्तीय संकट**

**2162. श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार अधिकारी संघ ने सुपर बाजार को वित्तीय संकट से उबारने के लिए सरकार से एक समयबद्ध दीर्घकालीन शोध्य ऋण के रूप में 20 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है; और

(ग) सुपर बाजार को पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सुपर बाजार के आफिसर्स एसोसिएशन ने सुपर बाजार के प्रबंध निदेश को कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, उनकी एक प्रति अपर सचिव/अध्यक्ष, सुपर बाजार को प्राप्त हुई है जिसमें अन्य बातों के अलावा, स्थान को बैंक को किराए पर देने, शराब तथा मसाले (थोक), सफाई पाउडर, फिनाइल, टाइपिंग कागज आदि जैसी अन्य वस्तुएं बेचने के सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों पर विचार करना और इसको लाभकारी ढंग से चलाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में निर्णय लेना सुपर बाजार के प्रबंधक मंडल का काम है।

(ग) अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए सुपर बाजार द्वारा किए गए वाणिज्यिक उपायों में कुछ मामलों में मार्क अप को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि आटा, चीनी, नमक आदि जैसी जल्दी बिकने वाली मदें अधिक

बेचकर आय में वृद्धि की जा सके। आपूर्तिकर्ता अगले छः महीनों के लिए केवल 80 प्रतिशत भुगतान पर स्टॉक की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गए हैं जिसके परिणामस्वरूप लगभग 20 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि जुटाई जा सकेगी; तथा सरकारी संस्थाओं को बेचे गए सामान के पैसों की किसी प्रकार की ब्लाकेज को टालने के लिए वसूली के बाद भुगतान की एक नीति अपनाई गई है। इसके अलावा, सुपर बाजार द्वारा 11.5.2000 से अखबारों, मनोरंजन, टैक्सियों के इस्तेमाल आदि पर होने वाले व्यय तथा समयोपरि भत्ता, कठिन ड्यूटी भत्ता एवं अन्य नियत भत्ते जैसे अन्य खर्चों को भी बंद कर दिया गया है; वाहनों/फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की खरीद रोक दी गई है; कर्मचारियों की नई भर्तियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है; तथा कर्मचारियों द्वारा स्टॉक की चोरी को गंभीरता से लिया गया है और इस प्रकार संबंधित कर्मचारियों के वेतन से एक तिहाई तक की वसूली करने का निर्णय लिया गया है, जो कानून द्वारा अनुज्ञेय अधिकतम सीमा है, जिसके परिणामस्वरूप निधियों के बहिर्गमन में प्रतिमाह अनुमानतः 12 लाख रुपए की कमी आएगी।

*[हिन्दी]*

**मद्यनिर्माणशालाओं के लिए लाइसेंस**

**2163. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मद्य-निर्माणशालाओं को लाइसेंस दिया गया;

(ख) इससे कितने लोग लाभान्वित हुए और मद्यनिर्माण शाला-वार उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाइसेंस जारी करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं ?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण)**: (क) और (ख) सितम्बर, 1994 से भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (आई एम एफ एल) सहित पेय अल्कोहल की नई क्षमता सृजित करने के लिए कोई आशय पत्र जारी नहीं किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में किसी आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में भी नहीं बदला गया है।

(ग) उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**राज्य वित्त निगमों का पुनर्गठन**

**2164. श्री अन्नासाहेब एम.के.पाटील** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से राज्य वित्त निगमों के पुनर्गठन के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुनर्गठन प्रकिया के लिए वित्तीय प्रावधान किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कार्य के लिए किसी समिति का गठन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एस. एच. खान, की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

(च) इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के शेयर पूंजी के आकार, शेयरधारिता की पद्धति, उधार, जमाराशियां स्वीकार किए जाने, निवेश, समायोजन की सीमा, अतिरिक्त/नए कियाकलापों का वित्तपोषण, निदेशक मण्डल का संघटन और राज्य वित्तीय निगमों के मुख्य कार्यपालकों की नियुक्ति जैसे क्षेत्रों में व्यापक संशोधन का सुझाव दिया है। उपर्युक्त संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 को दिनांक 31.7.2000 को लोक सभा में पेश किया गया है।

**औद्योगिक परियोजनाएं**

**2165. श्री पी. डी. एलानगोवन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु राज्य सरकार से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों हेतु नई औद्योगिक परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में निर्यातक उद्योगों की दशा सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण)**: (क) और (ख) योजना आयोग और सरकार उद्यम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार तमिलनाडु सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाइसेंसमुक्त किये गये क्षेत्र में 920 औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन दायर किए गए हैं और लाइसेंस वाले क्षेत्र में 172 आशय पत्रों की स्वीकृति दी गयी है।

(ग) निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रकिया है और निर्यात–आयात नीति में समुचित परिवर्तनों, द्विपक्षीय पहलों के माध्यम से और विशेष जोर दिये जाने वाले क्षेत्रों तथा ध्यान केन्द्रित किये जाने वाले क्षेत्रों का पता लगा कर लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कदम उठाये गये हैं।

**जीवन बीमा निगम की कराधान संबंधी समिति**

**2166. श्री जी. एस. बसवराज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जीवन बीमा क्षेत्र की कराधान संबंधी विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) यदि नहीं, तो उक्त समिति की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार)** : (क) जी, हां।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जीवन बीमा क्षेत्र अब निजी कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम का अब यह अनन्यतया विशेषाधिकार भी नहीं है, विशेषज्ञ समिति के लिए अन्य बातों के साथ–साथ इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहारों सहित जीवन बीमा क्षेत्र के कराधान से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करना और आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत जीवन बीमा कारोबार के लाभों के संबंध में कराधान ढांचे की सिफारिश करना अपेक्षित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) उक्त समिति का गठन दिनांक 20 अप्रैल, 2000 को किया गया था और इसे अपनी रिपोर्ट चार माह के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

**एफ. एम. रेडियो के परिचालन हेतु लाइसेंस**

**2167. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न महानगरों और प्रमुख शहरों में एफ. एम. प्रसारण का परिचालन करने हेतु लाइसेंस दिए जाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य–वार विशेषकर महाराष्ट्र से प्राप्त आवेदनों की स्थिति क्या है; और

(ग) प्राप्त ऐसे आवेदनों को मंजूरी दिए जाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : (क) जी, हां। निविदाएं आमंत्रित करने संबंधी सरकारी सूचना के प्रत्युत्तर में आवेदन पत्र हुए थे।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

| क.सं. | राज्य का नाम | केन्द्रों की संख्या | चैनलों की संख्या | प्राप्त किए गए वैध आवेदन पत्र की संख्या | चयन किए गए आवेदन पत्र की संख्या | स्तर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2 | 10 | 18 | 6 | |
| 2. | असम | 1 | 2 | 5 | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | बिहार | 1 | 2 | 7 | 2 | |
| 4. | चंडीगढ़ | 1 | 1 | 12 | 1 | तीन कम्पनियों के 8 आवेदन पत्रों जिनके लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुरक्षा प्रमाणपत्र अपेक्षित है, को छोड़कर कॉलम 5 के सभी आवेदन पत्रों के बारे में लाइसेंस स्वीकृत पत्र जारी कर दिए गए हैं। |
| 5. | दिल्ली | 1 | 11 | 25 | 11 | |
| 6. | गोवा | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| 7. | गुजरात | 3 | 5 | 24 | 4 | |
| 8. | जम्मू एवं कश्मीर | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 9. | कर्नाटक | 2 | 6 | 22 | 6 | |
| 10. | केरल | 2 | 2 | 10 | 2 | |
| 11. | मध्य प्रदेश | 4 | 8 | 19 | 8 | |
| 12. | महाराष्ट्र | 4 | 18 | 48 | 18 | |
| 13. | मेघालय | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 14. | उड़ीसा | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 15. | पंजाब | 2 | 2 | 13 | 2 | |
| 16. | राजस्थान | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| 17. | तमिलनाडु | 5 | 15 | 37 | 15 | |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 5 | 7 | 30 | 7 | |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 1 | 11 | 12 | 10 | |
| | | 40 | 108 | 304 | 101 | |

**मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाया जाना**

**2168. श्री शिवाजी माने :**

**श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

**श्री राम मोहन गाड्डे :**

**श्री ए. वेंकटेश नायक :**

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 31 मार्च, 2000 तक और 715 वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के निर्णय से घरेलू उद्योगों, लघु उद्योगों और किसानों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए अंतमंत्रालयी समूह का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में इस समूह द्वारा रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) और (ख) भारत, भुगतान संतुलन के कारणों से आयातों पर लगाए जा रहे सभी मात्रात्मक प्रतिबंधों को 31.3.2001 तक समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। इसे देखते हुए, 714 टैरिफ लाइनों (8 अंकीय स्तर पर) पर लगे आयात प्रतिबंध 31.3.2000 को समाप्त कर दिए गए थे और शेष 715 टैरिफ लाइनों पर लगे आयात प्रतिबंध

31.3.2001 तक समाप्त किए जाने हैं। उन 1429 टैरिफ लाइनों की सूची संसद पुस्कालय में उपलब्ध है जिन पर प्रतिबंध समाप्त किए जा रहे हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के प्रभाव का मूल्यांकन करने और समुचित सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए 28.7.2000 का वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी दल का गठन किया है। इस दल में कृषि एवं सहकारिता, उपभोक्ता मामले, लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम, सूचना प्रौद्योगिकी, रसायन एवं पेट्रोरसायन, उर्वरक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा पशुपालन एवं दुग्ध मंत्रालयों/विभागों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस दल द्वारा अभी अपनी सिफारिशें की जानी हैं। यह दल मात्रात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति के प्रभाव का बारीकी से जांच करेगा और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देगा तथा इस दल द्वारा इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

*[हिन्दी]*

**लेवी चीनी का मूल्य निर्धारण**

**2169. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित करते समय कटाई और ढुलाई लागत को नहीं जोड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2000–2001 और 2002–03 के दौरान लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित करते समय कटाई और ढुलाई लागत को जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) और (ख) जी, नहीं। अन्य बातों के साथ–साथ गन्ने की लागत को ध्यान में रखते हुए लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार द्वारा गन्ने के निर्धारित किए गए सांविधिक न्यूनतम मूल्य के आधार पर गन्ने की लागत का निर्धारण किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग सांविधिक न्यूनतम मूल्य की सिफारिश करते समय गन्ने की कटाई और ढुलाई, दोनों घटकों की लागत को ध्यान में रखता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग सांविधिक न्यूनतम मूल्य की सिफारिश करते समय प्रत्येक वर्ष गन्ने की कटाई और ढुलाई की लागत को अद्यतन करता है। लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित करते समय सरकार विशेषज्ञ निकाय द्वारा मूल्य–निर्धारण फार्मूले में यथा अभिस्तावित डीजल, टायरों और ट्यूबों तथा मोटर वाहनों के पुर्जों के थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर गन्ने की ढुलाई की लागत में वृद्धि को भी ध्यान में रखती है।

(ग) वित्त मंत्रालय को ऐसे कोई निर्देश नहीं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**आधारभूत ढांचे के विकास हेतु एशियाई विकास बैंक से ऋण**

**2170. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्य सरकारों के कतिपय प्रस्तावों के लिए एशियाई विकास बैंक की आधारभूत ढांचे के विकास संबंधी सहायता के लिए अनुशंसा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में किन–किन राज्यों को सहायता मिल रही है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य को एशियाई विकास बैंक से कोई सहायता मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) से (घ) एशियाई विकास बैंक कर्नाटक और राजस्थान राज्यों को आधारभूत ढांचे के विकास लिए सहायता प्रदान कर रहा है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

*वर्तमान में आधारभूत ढांचे संबंधी परियोजनाओं हेतु एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त कर रहे राज्य सरकारों के ब्यौरे*

| | परियोजना का नाम | ऋण की राशि | हस्ताक्षर की तारीख | अन्तिम तिथि | मई, 2000 तक प्रयोग में लाया गया ऋण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कर्नाटक शहरी आधारभूत ढांचे के विकास की परियोजना (एलएन 1415 आईएनडी) | 85.00 मिलियन अमरीकी डालर | 10.5.1996 | 30.6.2002 | 30.021 मिलियन अमरीकी डालर |
| 2. | राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचे के विकास की परियोजना | 250 मिलियन अमरीकी डालर | 2.12.1999 | 30.6.2002 | – |
| 3. | कर्नाटक शहरी विकास और तटीय प्रबंध परियोजना (एलएन 1704 आईएनडी) | 175 मिलियन अमरीकी डालर | 19.5.2000 | 30.6.2005 | – |

**निर्यात प्रसंस्करण जोन**

**2171. श्री टी. गोविन्दन** : क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्यात प्रसंस्करण जोनों (ई.पी.जेड.) के मुख्य कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संगठन ने निर्यात उद्यमियों को पर्याप्त योगदान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो निर्यातक किस स्तर तक निर्यात प्रसंस्करण जोनों की सेवाओं का उपयोग करते हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) और (ख) वित्तीय अवरोधों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से पृथक रखते हुए संकलेबों के रूप में स्थापित निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ईपीजैड) का उद्देश्य कम लागत पर निर्यात उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। देश में ऐसे सात निर्यात संसाधन क्षेत्र हैं जो सरकार द्वारा कांडला (गुजरात), सांताक्रुज, मुंबई (महाराष्ट्र), नौएडा (उ.प्र.), मद्रास (तमिलनाडु), कोचीन (केरल), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और विशाखापत्तनम (आ.प्र) में स्थापित किए गए हैं। क्षेत्र का मुख्य कार्य निर्यातों के लिए एक ही विंडो पर निकासी की व्यवस्था करना है। प्रत्येक ई पी जैड में, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे फैक्टरी शैड का निर्माण करने के लिए विकसित भूमि, पहले से ही निर्मित औद्योगिक शैडों, सड़कों, बिजली, जल आपूर्ति और निकासी की सुविधाओं के साथ स्टैंडर्ड डिजाइन फैक्टरी भवन उपलब्ध कराए जाते हैं। सीमाशुल्क बेबाकी संबंधी व्यवस्था जोन में ही बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उपलब्ध की जाती है। बैंकिंग और डाकघर की स्थापना तथा निकासी एजेंटों जैसी अन्य सेवाओं के लिए भी व्यवस्था की जाती है। वर्ष 1999–2000 में इन क्षेत्रों से 6673.97 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था।

(ग) 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार 7 ई पी जैडों में 716 इकाइयां काम कर रही थीं।

*[हिन्दी]*

**आयातकों द्वारा भण्डारण स्थिति बताना**

**2172. श्री राजो सिंह** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आयातकों को वर्ष 1999 के बाद प्रत्येक पखवाड़े में खाद्य भंडारण की स्थिति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर बिहार में भंडारण स्थिति से संबंधित सूचना देने वाले निर्यातकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे ब्यौरों को प्रस्तुत नहीं करने वाले आयातकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**चूजों के आयात के लिए लाइसेंस**

**2173. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुतुरमुर्ग के मांस और परों के लिए उनका आयात करने के दो लाइसेंस जारी किए गए हैं और दक्षिण अफ्रीका से 100 चूजों का आयात भी किया गया है;

(ख) क्या कुछ वर्ष पूर्व ऐसी ही किसी योजना को निरस्त कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो ऐसी दो परियोजनाओं को मंजूरी देने के पीछे क्या नए कारण हैं और विशेषकर इस बात के परिप्रेक्ष्य में कि ब्रिटेन में सभी डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने विदेशी मांस को पूर्णतः बहिष्कार कर रखा है, इससे संबंधित शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या एनिमल राइट्स इंटरनेशनल अहिंसा रिसर्च फाउण्डेशन (ए.आर.एफ.) और अन्य संस्थाओं द्वारा इस संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अहिंसा रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा दिए गए प्रतिवेदन की जांच की गई है और उनको अलग से उचित उत्तर भेज दिया गया है।

**सी. आर. बी. घोटाला**

**2174. श्री किरीट सौमैया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी. आर. बी. घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गए "सेबी" और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में और क्या कार्रवाई की है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक तथा बैंक आफ बड़ौदा के साथ धोखाधड़ी करने के लिए श्री सी. आर. भंसाली तथा अन्यों के विरुद्ध 2 मामले दर्ज किए गए थे। पहले मामले में, सी. बी. आई. मामलों के विशेष न्यायाधीश मुंबई के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं। दूसरा मामला जांचाधीन है।

(ग) और (घ) सी. बी. आई. ने सूचित किया है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के एक अधिकारी के विरुद्ध जांच पूरी हो गई है तथा मामला कानूनी संवीक्षाधीन है।

*[हिन्दी]*

**मूल्यवर्धित कर**

**2175. श्री जय प्रकाश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने मूल्यवर्धित प्रणाली को सैद्धांतिक रूप से क्रियान्वित किया है और केन्द्र सरकार को इस संबंध में सूचित किया है;

(ख) क्या जून, 2000 में आयोजित मुख्य मंत्रियों और वित्त मंत्रियों की बैठक में इस संबंध में कोई विचार–विमर्श किया गया था;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा अपनाए गए रुख को मद्देनजर रखते हुए मूल्यवर्धित कर योजना को क्रियान्वित करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख यानी 1 अप्रैल, 2001 को बदलने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनंजय कुमार)** : (क) और (ख) किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक सिद्धांत रूप में मूल्यवर्धित कर को लागू नहीं किया है। मूल्यवर्धित कर को लागू करने की समय सीमा एवं कार्य प्रणाली तैयार करने संबंधी मुद्दे पर 22 जून, 2000 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार–विमर्श किया गया था। इस बात पर मतैक्य था कि जो राज्य 1.4.2001 तक मूल्यवर्धित कर लागू कर सकते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं।

अन्यों के बारे में वित्त मंत्रियों की स्थायी समिति समय–सीमा एवं रूप–रेखा तैयार करेगी।

(ग) और (घ) इसके पश्चात् 21.7.2000 को राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में राज्यों के बीच यह आम सहमति थी कि मूल्यवर्धित कर को 1 अप्रैल 2002 से लागू किया जाए क्योंकि कम्प्यूटरीकरण संबंधी तैयारी एवं अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में अतिरिक्त समय लगता है।

**सर्वप्रिय योजना**

**2176. श्री अशोक ना. मोहोल :**

**श्री अजय सिंह चौटाला :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आम जनता को सस्ती दरों पर रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए "सर्वप्रिय" नाम की एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना में कौन–कौन सी वस्तुएं शामिल की गई हैं;

(घ) क्या उक्त योजना का विस्तार देश के सभी वर्गों तक किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) से (ग) भारत सरकार ने जुलाई, 2000 में एक स्कीम शुरू की है जिसमें दैनिक उपयोग की चुनिंदा ग्यारह वस्तुओं अर्थात् अरहर दाल, चना दाल, लाल मलका, साबुत उड़द, नमक, चाय, नहाने का साबुन, डिटरजेंट केक, अभ्यास पुस्तिकाएं, खाद्य तेल और दंत मंजन के वितरण की संकल्पना की गई है। तथापि, राज्य सरकारों को अपनी आवश्यकता/पसंद के अनुसार मदों का चयन करने की छूट है।

(घ) और (ङ) उपभोक्ताओं को ये वस्तुएं वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपभोक्ता सहकारिताओं और राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा यथा निर्णीत अन्य एजेंसियों के जरिए उपयुक्त उपभोक्ता पैकों में उपलब्ध कराई जाएंगी। तथापि, सरकार से राज सहायता पर कोई निर्भरता नहीं है।

(च) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ इंडिया लि. जो देश में शीर्षस्थ उपभोक्ता सहकारी संघ है, को स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए नाडल एजेंसी नामित किया गया है, जो स्तरीय वस्तुओं की आपूर्ति करेगा। राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग अपने–अपने राज्यों में वितरण व्यवस्था की निगरानी करेंगे।

**अतिरिक्त गेहूं की बिक्री के लिए योजनाएं**

**2177. श्री सुकदेव पासवान :**

**श्री जोरा सिंह मान :**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जरूरी बफर स्टाक के अतिरिक्त गेहूं की बिक्री के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के नाम क्या हैं और चालू वित्त वर्ष में किस तारीख को इन योजनाओं की घोषणा की गई; और

(ग) जून, 2000 तक इन योजनाओं के अंतर्गत कुल कितना और कितने मूल्य का गेहूं बेचा गया?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) और (ख) गेहूं की मौजूदा खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन देश भर में गेहूं की बिक्री 900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाती है। उपर्युक्त के अलावा भारतीय खाद्य निगम को अधिकृत किया गया है कि वह पंजाब में जुलाई, अगस्त और सितम्बर, 2000 के दौरान क्रमशः 700 रुपये, 750 रुपये और 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 50 लाख टन तक गेहूं का निपटान करें।

(ग) खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन भारतीय खाद्य निगम ने अप्रैल से जून, 2000 तक 900 रुपए प्रति क्विंटल की दर 4698 टन गेहूं की बिक्री की है जिसकी कीमत 422.82 लाख रुपए है।

**विदेशों में भारत की सांस्कृतिक छवि की प्रस्तुति**

**2178. श्री रतन लाल कटारिया : क्या पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संस्कृति अमरीका और इंग्लैंड सहित कई देशों के लोगों को आकर्षित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय संस्कृति की छवि को विदेशों में प्रस्तुत करने के लिए आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) और (ख) जी, हां। सांस्कृतिक पर्यटन के विभिन्न पहलुओं नामतः तीर्थ पर्यटन, हस्तशिल्पों, विरासत स्थलों व स्मारकों, आयुर्वेद योग, कलाओं व शिल्पों, मेलों व महोत्सवों, विभिन्न संगीत व नृत्य रूपों, पाक विधि आदि का संवर्धन पर्यटन मंत्रालय का एक सतत् कार्यकलाप है। वर्ष 1999 के दौरान, कई अन्य देशों के पर्यटकों के अलावा उत्तरी अमरीका के 334869, मध्य व दक्षिणी अमरीका के 37988 तथा ब्रिटेन के 345085 पर्यटक भारत के भ्रमण पर आए।

(ग) सांस्कृतिक संपर्कों को नवीकृत व सुदृढ़ीकृत करने तथा विदेश में भारत की सांस्कृतिक छवि को परिलक्षित करने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग की सक्रिय नीति अपनाता आ रहा है। इन उद्देश्यों को द्विपक्षीय सांस्कृतिक करारों तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस समय भारत ने 109 देशों के साथ सांस्कृतिक करारों तथा 74 देशों के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् छात्रवृति स्कीम, अतिथि कार्यक्रम, प्रदर्शनकारी सांस्कृतिक दलों के दौरे, समकालीन रंगचित्रों व छायाचित्रों की प्रदर्शनियों के आयोजन, भारतीय भाषाओं एवं अन्य विषयों के शिक्षण तथा विदेश में भारत की सामाजिक सांस्कृतिक छवि के प्रति गहन जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक केंन्द्रों की स्थापना जैसे अपने प्रमुख कार्यकलापों के जरिए इन उद्देश्यों को पूरा करती है।

*[अनुवाद]*

**कर्मचारी स्टाक ऑप्शन योजना**

**2179. श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी स्टाक ऑप्शन योजना को शुरू करने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है जिनमें भविष्य में विनिवेश किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अपनाने से क्या लाभ होंगे और इसकी गुणवत्ता क्या है;

(ग) इस विषय में क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) सरकारी क्षेत्र के किन–किन उपक्रमों में स्टॉक–ऑप्शन योजना पहले ही लागू की जा चुकी है और वहां इससे कर्मचारियों के हित पोषण में क्या मदद मिल रही है?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री, विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी)** : (क) जी, हां।

(ख) यह योजना विनिवेश किए जाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कामगारों के हितों की सुरक्षा की सरकार की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए किए गए उपायों में एक होगी।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

**लघु और सीमांत किसानों को ऋण**

**2180. श्री अजय चक्रवर्ती :**

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

**श्री राजो सिंह :**

**श्री अनन्त गुढ़े :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु और सीमांत किसानों को ऋण देने के लिए प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल हुई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बैंक–वार कुल ऋण का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र को दिया गया;

(ग) क्या इन बैंकों से ऋण प्राप्त करने में लघु किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या नीतिगत निर्णय लिए गए हैं और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों में किसानों को आसानी से पर्याप्त ऋण दिलाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति के अनुसार, देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत अपने निवल बैंक ऋण का 18

प्रतिशत कृषि को तथा 10 प्रतिशत कमजोर वर्ग को दें। यद्यपि लघु और सीमांतिक किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, तथापि, उन्हें कृषि एवं कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित लक्ष्यों में शामिल किया गया है। मार्च 1998, 1999 और मार्च 2000 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कृषि को उधार देने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्य–निष्पादन विवरण–I में दिया गया है। मार्च, 1997, 1998 और 1999 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, कृषि को उधार देने में गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यनिष्पादन विवरण–II में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों से ऋण प्राप्त करने में छोटे किसानों को पेश आ रही मुश्किलों के बारे में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने किसानों को ऋण के प्रवाह को और सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं। उनमें से कुछेक यह हैं :

(I) अच्छे रिकार्ड वाले किसानों की सम्मिश्रण ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए नकदी ऋण सुविधा शुरू करना;

(II) कृषि उधारकर्ताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू करना;

(III) बैंकों को उच्च तकनीकी की कृषि परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विशेषीकृत कृषि शाखाएं खोलने की सलाह दी गई है;

(IV) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण आवेदन–पत्रों का सरलीकरण, शाखा प्रबंधकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन, किसानों के लिए सम्मिश्र नकदी ऋण सीमा शुरू करना, नए ऋण उत्पाद शुरू करना ऋणों का संवितरण, 10,000/- रुपए से अधिक के ऋणों के लिए मार्जिन/ प्रतिभूति संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित मामलों में बैंक का स्वनिर्णय तथा अनिवार्य आवश्यकता के रूप में अदेयता प्रमाण पत्र प्रदान करना शुरू किया है;

(V) कृषि को दिए जाने वाले ऋणों के लक्ष्य में हुई कमी का श्रेय ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआईडीएफ) को जाता है जिसे ग्रामीण आधारभूत से संबंधित चल रही परियोजनाओं के शीघ्र समापन के लिए राज्य सरकारों तथा राज्य स्वामित्व निगमों की सहायता के लिए नाबार्ड के साथ स्थापित किया गया है।

**विवरण-I**

*मार्च, 1998, 1999 और मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार कृषि क्षेत्र को उधार देने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन को दर्शाने वाला विवरण*

(रुपये करोड़ में)

| क्रम सं. | बैंक का नाम | निवल बैंक ऋण की तुलना में कृषि का प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|---|
| | | मार्च 1998 | मार्च 1999 | मार्च 2000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | भारतीय स्टेट बैंक | 14.63 | 16.17 | 16.43 |
| 2. | स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर | 12.66 | 13.86 | 16.20 |
| 3. | स्टेट बैंक आफ हैदराबाद | 15.65 | 16.95 | 17.10 |
| 4. | स्टेट बैंक आफ इन्दौर | 17.58 | 18.77 | 17.17 |
| 5. | स्टेट बैंक आफ मैसूर | 16.86 | 18.24 | 17.47 |
| 6. | स्टेट बैंक आफ पटियाला | 17.03 | 18.60 | 18.84 |
| 7. | स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र | 14.50 | 16.28 | 15.99 |
| 8. | स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर | 21.40 | 22.44 | 20.62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | इलाहाबाद बैंक | 13.25 | 15.45 | 13.96 |
| 10. | आन्ध्रा बैंक | 18.28 | 18.38 | 17.54 |
| 11. | बैंक आफ बड़ौदा | 17.99 | 18.73 | 17.46 |
| 12. | बैंक आफ इंडिया | 18.46 | 18.75 | 16.27 |
| 13. | बैंक आफ महाराष्ट्र | 16.50 | 18.66 | 15.62 |
| 14. | केनरा बैंक | 20.25 | 18.72 | 16.92 |
| 15. | सेंट्रल बैंक आफ इंडिया | 10.99 | 11.27 | 12.57 |
| 16. | कारपोरेशन बैंक | 11.56 | 9.19 | 9.82 |
| 17. | देना बैंक | 14.00 | 16.08 | 12.10 |
| 18. | इंडियन बैंक | 19.21 | 18.20 | 18.02 |
| 19. | इंडियन ओवरसीज बैंक | 19.12 | 18.68 | 18.66 |
| 20. | ओरियंटल बैंक आफ कामर्स | 20.02 | 18.75 | 12.95 |
| 21. | पंजाब नेशनल बैंक | 13.08 | 13.35 | 13.07 |
| 22. | पंजाब एंड सिंध बैंक | 14.93 | 15.23 | 14.45 |
| 23. | सिंडिकेट बैंक | 15.87 | 16.01 | 17.64 |
| 24. | यूनियन बैंक आफ इंडिया | 15.53 | 15.79 | 12.62 |
| 25. | यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया | 15.35 | 15.52 | 13.54 |
| 26. | यूको बैंक | 13.35 | 14.15 | 11.60 |
| 27. | विजया बैंक | 15.12 | 15.57 | 18.02 |
| | कुल | 15.72 | 16.28 | 15.77 |

**विवरण-II**

*मार्च, 1997, 1998 और मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार कृषि क्षेत्र को उधार देने में गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन को दर्शाने वाला विवरण*

(रुपये करोड़ में)

| क्रम सं. | बैंक का नाम | निवल बैंक ऋण की तुलना में कृषि का प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|---|
| | | मार्च 1997 | मार्च 1998 | मार्च 1999 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बारी दोआब बैंक लि. | 13.83 | – | – |
| 2. | पंजाब को–आपरेटिव बैंक लि. | 0.26 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि. | 8.23 | 7.37 | 6.37 |
| 4. | बैंक आफ राजस्थान लि. | 12.38 | 14.16 | 16.25 |
| 5. | कर्नाटक बैंक लि. | 13.68 | 13.34 | 13.85 |
| 6. | वैश्य बैंक लि. | 13.08 | 15.72 | 16.81 |
| 7. | कैथोलिक सीरियन बैंक लि. | 3.46 | 6.26 | 3.39 |
| 8. | धनलक्ष्मी बैंक लि. | 5.92 | 8.82 | 5.44 |
| 9. | फैडरल बैंक लि. | 15.38 | 12.88 | 13.15 |
| 10. | लार्ड कृष्णा बैंक लि. | 6.91 | 13.71 | 11.07 |
| 11. | नेदुनगडी बैंक लि. | 6.88 | 7.73 | 8.43 |
| 12. | साउथ इंडियन बैंक लि. | 6.93 | 5.36 | 7.01 |
| 13. | रत्नाकर बैंक लि. | 8.07 | 6.43 | 7.12 |
| 14. | युनाइटेड वैस्टर्न बैंक लि. | 9.63 | 13.47 | 1.31 |
| 15. | गणेश बैंक आफ करूनवाड लि. | 27.19 | 8.72 | 7.02 |
| 16. | बैंक आफ मदुरा लि. | 9.46 | 26.37 | 27.31 |
| 17. | भारत ओवरसीज बैंक लि. | 7.72 | 8.86 | 6.93 |
| 18. | करूर वैश्य बैंक लि. | 11.16 | 8.14 | 9.47 |
| 19. | सांगली बैंक लि. | 14.12 | 10.40 | 9.01 |
| 20. | लक्ष्मी विलास बैंक लि. | 14.78 | 16.74 | 15.46 |
| 21. | सिटी यूनियन बैंक लि. | 5.78 | 7.74 | 7.32 |
| 22. | तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि. | 8.45 | 8.98 | 9.29 |
| 23. | बरेली कार्पोरेशन बैंक लि. | 9.91 | 4.97 | 6.44 |
| 24. | बनारस स्टेट बैंक लि. | 1.36 | 1.82 | 5.57 |
| 25. | नैनीताल बैंक लि. | 9.58 | 10.01 | 11.24 |
| 26. | सिक्किम बैंक लि. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | एसबीआई कमर्शियल एंड इंटल बैंक लि. | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| 28. | यूटीआई बैंक लि. | 2.42 | 3.14 | 8.15 |
| 29. | इंडस्इंड बैंक लि. | 8.19 | 8.78 | 7.06 |
| 30. | आईसीआईसीआई बैंकिंग कार्पो. लि. | 11.41 | 4.95 | 5.47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 31. | ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि. | 2.21 | 3.74 | 8.24 |
| 32. | एचडीएफसी बैंक लि. | 19.29 | 18.67 | 19.39 |
| 33. | सेंचूरियन बैंक लि. | 5.54 | 5.31 | 8.26 |
| 34. | बैंक आफ पंजाब लि. | 12.20 | 12.05 | 9.88 |
| 35. | टाइम्स बैंक लि. | 2.67 | 4.62 | 3.53 |
| 36. | डेवलमेंट क्रेडिट बैंक लि. | 2.85 | 9.01 | 2.08 |
| 37. | आईडीबीआई बैंक लि. | 4.66 | 11.34 | 8.52 |
| | कुल | 9.33 | 9.67 | 9.50 |

*[हिन्दी]*

**आर्थिक सुधारों का प्रभाव**

**2181. मोहम्मद शहाबुद्दीन :**

**श्री विजय गोयल :**

**श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल :**

**श्री ब्रह्मानंद मंडल :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक दशक पहले आरंभ किए गए आर्थिक सुधारों का समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु कोई सर्वेक्षण अथवा समीक्षा कराई है;

(ख) क्या इन सुधारों से देश में गरीबी और बेरोजगार युवकों में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) से (घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन. एस. एस. ओ.) ने अभी जुलाई, 2000 में आंकडा संग्रहण का कार्य पूरा किया है जिसमें घरेलू उपभोक्ता व्यय पर व्यापक एवं विशाल पंचवर्षीय सर्वेक्षण सम्मिलित है जिसके आधार पर सरकार के पास समाज के विभिन्न वर्गों पर आर्थिक विकास के प्रभाव की स्थिति के बारे में सरकारी रिपोर्ट उपलब्ध होगी। यह रिपोर्ट अगले वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध हो जाएगी और आशा की जाती है कि 1993–94 में किए गए ऐसे पिछले सर्वेक्षण के बाद, जिसके आधार पर 1993–94 में भारत में गरीब एवं रोजगार की स्थिति का अनुमान लगाया गया था, यह महत्वपूर्ण नीति विषयक जानकारी (फीड–बैक) प्रदान करेगी।

*[अनुवाद]*

**मुद्रास्फीति दर**

**2182. श्री सुशील कुमार शिंदे :**

**श्री होलखोमांग हौकिप :**

**प्रो. रासा सिंह रावत :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में मुद्रास्फीति दर में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों के दौरान हफ्तावार आंकड़े दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मुद्रास्फीति के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं और जिन क्षेत्रों में यह वृद्धि हुई है उनमें मूल्य रुझान क्या है; और

(घ) बजट घाटे को पूरा करने और ऋणों के बढ़ते बोझ पर काबू पाने के लिए मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) और (ख) मार्च, 2000 में नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि की घोषणा के बाद समग्र मूल्य व्यवहार में दर्ज तेजी में अब स्थिरता आनी शुरू हुई है और मुद्रास्फीति चालू वित्तीय वर्ष के 6.8 प्रतिशत से घटकर 15 जुलाई 2000 की स्थिति के अनुसार 6.1 प्रतिशत (अनन्तिम) हो गई

है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान मूल्यवृद्धि (थोक मूल्यों पर आधारित) केवल 1.0 प्रतिशत थी, जो मुद्रास्फीतिकारी दबावों के अभाव पर संकेत देती है।

**मुद्रास्फीति दर की साप्ताहिक घट-बढ़**

**(आधार 1993-94 = 100)**

| को समाप्त सप्ताह | थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन का प्रतिशत | |
|---|---|---|
| (तारीख) | मार्च अन्त में | बिन्दु दर बिन्दु |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 अप्रैल 00 | 0.6 | 6.8 |
| 8 अप्रैल 00 | 0.7 | 6.8 |
| 15 अप्रैल 00 | 0.5 | 6.5 |
| 22 अप्रैल 00 | 0.5 | 6.3 |
| 29 अप्रैल 00 | 0.5 | 6.0 |
| 6 मई 00 | 0.5 | 6.2 |
| 13 मई 00 | 0.5 | 6.4 |
| 20 मई 00 | 0.7 | 6.3 |
| 27 मई 00 | 0.8 | 6.6 |
| 3 जून 00 | 0.9 | 6.4 |
| 10 जून 00 | 0.9 | 6.2 |
| 17 जून 00 | 1.0 | 6.3 |
| 24 जून 00 | 1.0 | 6.2 |
| 1 जुलाई 00 | 0.9 | 5.9 |
| 8 जुलाई 00 | 0.9 | 5.9 |
| 15 जुलाई 00 | 1.0 | 6.1 |

(ग) मार्च, 2000 में एल. पी. जी. और केरोसीन जैसे ईंधन उत्पादों के नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि और इससे पूर्व अक्तूबर, 1999 में डीजल की कीमतों में 40 प्रतिशत वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 2 प्रतिशतांक से अधिक बढ़ गई थी। तथापि, कच्चे तेल के आयात मूल्यों में तीव्र वृद्धि को देखते हुए ऊर्जा उत्पादों के नियंत्रित मूल्यों में यह समायोजन नितांत आवश्यक था।

15 जुलाई, 2000 को समाप्त सप्ताह के लिए ईंधन समूह के विभिन्न उप–समूहों में मूल्य वृद्धि पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में निम्न प्रकार है:

| | मूल्यों में परिवर्तन का प्रतिशत (बिन्दु दर बिन्दु) |
|---|---|
| ईंधन समूह | 26.8 |
| कोयला खनन | 8.8 |
| खनिज तेल | 41.8 |
| बिजली | 15.1 |

(घ) सरकार प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन के जरिए तथा मूल्यों की गहन मानिटरिंग और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के जरिए भी मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। जब कभी आवश्यक हो, मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

इस वर्ष के बजट भाषण में निहित सरकार के राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के उद्देश्य को पूरा करने की दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। राजकोषीय घाटे के मध्यमावधिक प्रबंधन के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यक्त एक सुदृढ़ संस्थागत तंत्र विचाराधीन है। इस मुद्दे की जांच करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई है। व्यय प्रबंधन को सुचारु व कारगर बनाने के उद्देश्य से व्यय सुधार आयोग भी व्यय संबंधी मुद्दों की संवीक्षा कर रहा है। इन सम्मिलित प्रयासों से सरकार की समग्र सरकारी ऋण की स्थिति पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है।

**आकाशवाणी/दूरदर्शन में महानिदेशकों के रिक्त पद**

**2183. श्री सुरेश खुरूप** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) इन पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन पदों को भरे जाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी)** : (क) जी, हां।

(ख) महानिदेशक, आकाशवाणी तथा महानिदेशक, दूरदर्शन के पद क्रमशः 11.6.99 तथा 1.9.91 से रिक्त हैं। तथापि, 1.9.91 से 31.1.98 की अवधि के दौरान महानिदेशक, दूरदर्शन के पद के अतिरिक्त कार्यभार/वर्तमान कार्य भार को विभिन्न अधिकारियों द्वारा संभाला गया था।

(ग) और (घ) 1997 में प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) का गठन होने के फलस्वरूप, प्रसार भारती अधिनियम, 1990 की धारा 9 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति प्रसार भारती द्वारा की जानी है। इस संबंध में सरकार ने इन पदों को भरने के लिए प्रसार भारती को लिखा है। प्रत्युत्तर में प्रसार भारती ने भर्ती नियमों का मसौदा भेजा है जिसकी जांच की जा रही है। भर्ती नियमों को अंतिम रूप देते ही प्रसार भारती द्वारा इन पदों को भरने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

**विकास परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता**

**2184. श्री जी.जे. जावीया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी सहायता हेतु कुछ विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन परियोजनाओं पर राज्य–वार कितनी धनराशि व्यय किए जाने का विचार है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) :** (क) से (ग) जी, हां। विदेशी सहायता के लिए विकास संबंधी परियोजनाओं के प्रस्तावों को आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों की सिफारिशों पर योजना प्राथमिकताओं, प्रशासनिक स्वीकृतियों जिसमें योजना आयोग की स्वीकृतियां भी शामिल हैं, का सुनिश्चय करने के बाद विदेशी एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 1997–98 से विदेशी सहायता के लिए विभिन्न विदेशी एजेंसियों द्वारा अनुमोदित विकास परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा तथा इन परियोजनाओं पर विदेशी सहायता का प्रस्तावित व्यय राशि संलग्न विवरण के अनुसार है।

**विवरण**

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | अनुमोदन/ हस्ताक्षर की तारीख | दाता देश | करेंसी | ऋण/ अनुदान राशि (मिलियन) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | आंध्र प्रदेश | | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश जिला गरीबी रोधी प्रयास | 12.5.00 | आईडीए | अमरीकी डालर | 111.0 |
| 2. | आंध्र प्रदेश गरीबों के लिए शहरी सेवा | 3.6.99 | यू.के. | यू.के. पौंड | 66.1 |
| 3. | आंध्र प्रदेश ग्रामीण जीविका | 23.7.99 | यू.के. | यू.के. पौंड | 40.2 |
| 4. | आंध्र प्रदेश आपात चक्रवात | 3.6.97 | आईडीए, आईबीआरडी | अम. डालर | 150.3 |
| 5. | आंध्र प्रदेश सिंचाई–III | 3.6.97 | आईडीए, आईबीआरडी | अम. डालर | 325.4 |
| 6. | आंध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग | 30.7.97 | आईबीआरडी | अम. डालर | 350.0 |
| 7. | आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना | 4.2.99 | आईडीए, आईबीआरडी | अम. डालर | 543.2 |
| 8. | आंध्र प्रदेश विद्युत एपीएल | 5.3.99 | आईबीआरडी | अम. डालर | 210.0 |
| 9. | सिम्हाद्री और विजाग संप्रेषण प्रणाली | 12.12.97 | जापान | जापानी येन | 10629.0 |
| 10. | श्रीसेलम लेफ्ट बैंक पावर स्टेशन प्रोजेक्ट–III | 12.12.97 | जापान | जापानी येन | 14499.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | बिहार | | | | |
| 1. | डीपीईपी–III | 23.2.98 | आईडीए | अम. डालर | 182.4 |
| | गुजरात | | | | |
| 1. | गोधा आरडब्लयूएस | 4.8.97 | नीदरलैंड | डच गिल्डर | 19.4 |
| 2. | गुजरात स्वास्थ्य देखभाल परियोजना ओआरईटी | 27.11.97 | नीदरलैंड | डच गिल्डर | 59.7 |
| 3. | कृषि में लगी हुई महिलाओं को खेती संबंधी प्रशिक्षण चरण–II | 9.12.97 | नीदरलैंड | डच गिल्डर | 6.6 |
| | हरियाणा | | | | |
| 1. | हरियाणा पावर एपीएल–I | 16.1.98 | आईबीआरडी | अम. डालर | 60.0 |
| | हिमाचल प्रदेश | | | | |
| 1. | भारत–नार्वे पर्यावरण परियोजना | 13.11.97 | नार्वे | नार्वे क्रोनर | 10.0 |
| 2. | शिमला मल व्ययन | 21.8.97 | ओपेक | अम. डालर | 10.0 |
| | हिमाचल प्रदेश वानिकी परियोजना (समेकन तथा डिजाइन चरण) | 19.12.97 | यू.के. | यू.के. पौंड | 3.2 |
| | कर्नाटक | | | | |
| 1. | कर्नाटक शहरी विकास और तटीय पर्यावरण प्रबन्ध | 19.5.00 | एडीबी | अम. डालर | 175.0 |
| 2. | पूर्वी कर्नाटक वन–रोपण | 29.5.97 | जापान | जापानी येन | 15968.0 |
| 3. | मैसूर में लेजर प्रयोग के लिए केन्द्र | 23.11.98 | फ्रांस | फ्रांसीसी फ्रांक | 13.8 |
| 4. | मृदा एवं जल संरक्षण–चरण–II | 2.6.97 | डेनमार्क | डेनिश क्रोनर | 46.7 |
| | केरल | | | | |
| 1. | केरल वानिकी | 13.8.98 | आईडीए | अम.डालर | 39.0 |
| 2. | केरल जलापूर्ति परियोजना | 3.6.97 | जापान | जापानी येन | 11997.0 |
| 3. | कोचीन शहरी गरीबी कम करना | 15.1.97 | यू.के. | यू.के. पौंड | 11.5 |
| | मध्य प्रदेश | | | | |
| 1. | मध्य प्रदेश संसाधन प्रबंध कार्यक्रम | 14.12.99 | एडीबी | अम. डालर | 250.0 |
| 2. | राजघाट नहर सिंचाई | 29.5.97 | जापान | जापानी येन | 13222.0 |
| 3. | मध्य प्रदेश रेशम–कीट पालन | 12.12.97 | जापान | जापानी येन | 1212.0 |
| 4. | बुनियादी स्वास्थ्य सेवा | 15.11.99 | डेनमार्क | डेनिश क्रोनर | 79.3 |
| | महाराष्ट्र | | | | |
| 1. | लघु सिंचाई | 31.12.98 | जर्मनी | ड्यूश मार्क | 45.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | महाराष्ट्र स्वास्थ्य व्यवस्था | 14.1.99 | आईडीए | अम. डालर | 134.0 |
| | मणिपुर | | | | |
| 1. | मणिपुर रेशम–कीट पालन | 12.12.97 | जापान | जापानी येन | 3962.2 |
| 2. | उखरूल सड़कों की पुनर्स्थापना के लिए विस्तृत अध्ययन | 25.1.98 | फ्रांस | फ्रांसीसी फ्रांक | 7.5 |
| 3. | कांगजप जलापूर्ति स्कीम का उन्नयन तथा विस्तार | 25.1.98 | फ्रांस | फ्रांसीसी फ्रांक | 31.7 |
| 4. | इम्फाल में भूमिगत जल की खोज | 25.1.98 | फ्रांस | फ्रांसीसी फ्रांक | 4.5 |
| | मेघालय | | | | |
| | उमियाम जल विद्युत केन्द्र | 10.6.97 | जापान | जापानी येन | 1700.0 |
| | उड़ीसा | | | | |
| 1. | उड़ीसा क्षमता निर्माण | 1.12.97 | स्वीडन | स्वीडिश क्रोनर | 13.5 |
| 2. | रेंगली सिंचाई | 12.12.97 | जापान | जापानी येन | 7760.0 |
| 3. | पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण आजीविका | 23.7.99 | यू.के. | यू.के. पौंड | 23.0 |
| 4. | उड़ीसा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चरण–III | 21.8.97 | यू.के. | यू.के. पौंड | 1.7 |
| 5. | उड़ीसा स्वास्थ्य व्यवस्था | 17.8.98 | आईडीए | अम. डालर | 76.4 |
| | पंजाब | | | | |
| 1. | पंजाब वनरोपण | 12.12.97 | जापान | जापानी येन | 6193.0 |
| | राजस्थान | | | | |
| 1. | राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास | 2.12.99 | एडीबी | अम. डालर | 250.0 |
| 2. | राजस्थान जिला निर्धनतारोधी उपाय | 19.5.00 | आईडीए | अम. डालर | 100.5 |
| 3. | साधनहीन वर्गों के लिए आवासीय विद्यालय | 5.6.97 | जर्मनी | ड्यूश मार्क | 18.0 |
| 4. | राजस्थान डीपीईपी–I | 6.7.99 | आईडीए | अम. डालर | 81.9 |
| | तमिलनाडु | | | | |
| 1. | तमिलनाडु वनरोपण | 29.5.97 | जापान | जापानी येन | 13324.0 |
| 2. | "सीबेस ब्रीडिंग कल्चर (मूल्यांकनाधीन) | 25.1.98 | फ्रांस | फ्रांसीसी फ्रांक | 3.9 |
| 3. | तमिलनाडु शहरी विकास | 14.6.99 | आईडीए<br>आईबीआरडी | अम. डालर | 105.0 |
| | उत्तर प्रदेश | | | | |
| 1. | उ.प्र. विविधीकृत कृषि सहायता | 30.7.98 | आईडीए, आईबीआरडी | अम. डालर | 129.9 |
| 2. | उ.प्र. लवणयुक्त भूमि सुधार परियोजना–II | 4.2.99 | आईडीए | अम. डालर | 194.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | तंगधाटी स्थिरीकरण | 17.4.97 | ईसी | यूरो | 7.9 |
| 4. | उ.प्र. में ऊसरभूमि सुधार हेतु प्रायोगिक परि. | 7.7.98 | नीदरलैंड | डच गिल्डर | 5.6 |
| 5. | संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान–चिकित्सीय उपस्करों की आपूर्ति और कार्यान्वयन (मूल्यांकनाधीन) | 25.1.98 | फ्रांस | फ्रांसीसी फ्रांक | 30.0 |
| 6. | उ.प्र. बुनियादी शिक्षा | 3.3.98 | आईडीए | अम. डालर | 59.4 |
| 7. | उ.प्र. वानिकी | 30.12.97 | आईडीए | अम. डालर | 52 9 |
| 8. | उ.प्र. डीपीईपी–III | 23.2.00 | आईडीए | अम. डालर | 182.4 |
| 9. | उ.प्र. विद्युत क्षेत्र सुधार | 19.5.00 | आईबीआरडी | अम. डालर | 150.0 |
| 10. | उ.प्र. राजकोषीय सुधार | 16.5.00 | आईडीए, आईबीआरडी | अम. डालर | 251.3 |
| 11. | उ.प्र. स्वास्थ्य विकास | 19.5.00 | आईडीए | अम. डालर | 110.0 |
| | पश्चिम बंगाल | | | | |
| 1. | पश्चिम बंगाल पारेषण व्यवस्था | 29.5.97 | जापान | जापानी येन | 11087.0 |
| 2. | कलकत्ता परिवहन व्यवस्था | 29.5.97 | जापान | जापानी येन | 10679.0 |
| 3. | बक्रेश्वर ताप विद्युत–III (आईडीपी–129) | 12.12.97 | जापान | जापानी येन | 34151.0 |
| 4. | बक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट–III विस्तार परि. (आईडीपी–137) | 24.3.99 | जापान | जापानी येन | 11537.0 |
| 5. | प. बंगाल जिला प्राथमिक शिक्षा | 16.5.97 | यू.के. | यू.के. पौंड | 37.7 |
| 6. | जलापूर्ति के प्रबंधन में कार्यान्वयन | 23.11.98 | फ्रांस | फ्रांसीसी फ्रांक | 36.0 |
| 7. | बुनियादी स्वास्थ्य परियोजना | 22.6.99 | जर्मनी | ड्यूश मार्क | 60.0 |
| | बहु–राष्ट्रीय परियोजनाएं (भाग लेने वाले राज्य) | | | | |
| 1. | ग्रामीण महिला विकास और अधिकार देना | 14.9.98 | आईडीए | अम. डालर | 19.5 |
| | (बिहार, हरि. गुज., कर्नाटक, म.प्र., उ.प्र.) | 27.3.97 | आईएफएडी | | 19.2 |
| 2. | समेकित जलसंभार विकास परियोजना (पहाड़ी)–II | 14.7.99 | आईडीए, आईबीआरडी | अम. डालर | 135.0 |
| | (हरियाणा, हि.प्र., जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उ.प्र.) | | | | |
| 3. | बिहार– म.प्र. जनजातीय विकास | 25.6.99 | आईएफएडी | अम. डालर | 22.8 |
| | (बिहार, म.प्र.) | | | | |
| 4. | राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम | 7.11.97 | डेनमार्क | डेनिश क्रोनर | 55.0 |
| | (कर्नाटक, महाराष्ट्र) | | | | |
| 5. | राष्ट्रीय राजमार्ग–III | 8.6.00 | आईबीआरडी | अम.डालर | 516.0 |

*[हिन्दी]*

**फिल्म 'जोरू का गुलाम' पर प्रतिबंध लगाना**

**2185. श्री रामदास आठवले :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाल्मीकि समुदाय से जुड़े विभिन्न संगठनों ने केन्द्र सरकार से हिन्दी फिल्म "जोरू का गुलाम" फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में ज्ञापन दिया है क्योंकि इस फिल्म के अभिनेता ने भगवान वाल्मीकि को डकैत कह कर इस समुदाय का अपमान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है या किए जाने का प्रस्ताव है?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)** : (क) और (ख) जी, हां। "जोरू का गुलाम" फिल्म में महर्षि वाल्मीकि के संदर्भ में किए गए उल्लेख के प्रति वाल्मीकि समुदाय से जुड़े कई संगठनों से आपत्तियों संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने फिल्म को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास पुनः जांच के लिए भेज दिया था और बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अपने दिनांक 5.7.2000 के आदेश द्वारा फिल्म में आपत्तिजनक उल्लेखों को हटाने के आदेश पहले ही दे दिए हैं।

*[हिन्दी]*

**यूरोपीय देशों को भारतीय सामान का निर्यात**

**2186. श्री हरीभाऊ शंकर महाले :** क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-तटीय शुल्क तथा पाटन-रोधी अवरोधों के कारण यूरोपीय देशों को भारतीय सामान के निर्यात में समस्या आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अवरोधों के कारण प्रभावित होने वाले भारतीय उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूरोपीय बाजारों को भारतीय सामान का किये जा रहे कुल निर्यात में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त बाधाओं को दूर करने के लिए तथा यूरोपीय बाजार में भारतीय सामानों के निर्यात की स्थिति सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन)** : (क) और (ख) हमारे निर्यात योग्य उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता पाटन-रोधी/इमदाद रोधी शुल्कों से प्रभावित होती है। भारत से निर्यात किए जाने वाले रसायन/भेषजीय, स्टील तथा वस्त्र के क्षेत्रों में 14 उत्पाद यूरोपीय संघ के बाजार में निश्चयात्मक पाटन-रोधी इमदाद रोधी शुल्कों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा, 5 उत्पादों पर अनन्तिम पाटन-रोधी/इमदाद रोधी शुल्क लागू हैं।

(ग) और (घ) यूरोपीय संघ को किए जाने वाले भारतीय निर्यातों में 1998-99 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान 8.82 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है। पिछले तीन वर्षों के लिए समग्र भारत-यूरोपीय संघ निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

| वर्ष | यूरोपीय संघ के देशों को किए गए भारत के निर्यात (मिलि. अमरीकी डालर में) |
|---|---|
| 1997-98 | 9,145.00 |
| 1998-99 | 8,946.69 |
| 1999-2000 | 9,735.76 |

(ङ) यूरोपीय बाजार में भारतीय वस्तुओं द्वारा सामना किए जा रहे बाजार पहुंच के मुद्दों पर यूरोपीय संघ तथा यूरोपीय संघ के सदस्य देशो के साथ पारस्परिक संपर्क के दौरान प्रकाश डाला जाता है ताकि ऐसे मुद्दों पर भारत की सोच के बारे में उन्हें अवगत कराया जा सके। भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन के अन्त में जारी संयुक्त घोषणा पत्र में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि व्यापार-प्रवाह को प्रभावित करने वाले प्रत्याशित नियामक तथा अन्य उपायों पर एक दूसरे के साथ विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है, ताकि समस्याओं का प्रारंभिक अवस्था में ही निराकरण किया जा सके।

*[अनुवाद]*

**लोगों के लिए ऋण संबंधी नियम**

**2187. श्री ए. नरेन्द्र :**

**प्रो. दुखा भगत :**

**श्री अरुण कुमार :**

**डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**

**श्री रघुनाथ झा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक का राज्यवार ऋण–जमा अनुपात क्या था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि ऋण के रूप में प्रदान की गई;

(ग) क्या बैंकों द्वारा कुछ राज्यों विशेषकर बिहार और आंध्र प्रदेश को अन्य राज्यों की तुलना में विशेषकर कृषि ऋण की कम राशि प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की असमानता के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्यों में नियमानुसार ऋण–जमा अनुपात को 60 प्रतिशत बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील)** : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र का राज्यवार ऋण–जमा अनुपात विवरण–I में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बैंकवार ऋण–जमा अनुपात विवरण–II में दिया गया है। प्रश्न में मांगे गए अनुसार सूचना प्रदान करने में भारी मात्रा में आंकड़ों का संग्रहण और उन्हें समेकित करना होगा और इस संबंध में प्राप्त होने वाले परिणाम, किए गए प्रयासों के अनुरूप नहीं होंगे।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्यवार प्रति व्यक्ति ऋण विवरण–III में दिया गया है।

(ग) से (ङ) बिहार तथा आंध्र प्रदेश का ऋण–जमा अनुपात प्रश्न के भाग (क) में दिया गया है। बैंकों का ऋण–जमा अनुपात प्रत्येक राज्य में अलग–अलग होता है क्योंकि किसी भी राज्य/क्षेत्र में ऋण प्रवाह कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे ढांचागत सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, क्षेत्र की ऋण खपत क्षमता, मझौले एवं बड़े उद्योगों का विकास, पर्याप्त रूप से विकसित विपणन सुविधाएं, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, उद्यमियों की पहल, क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, बैंक प्राप्यों आदि की वसूली की संतोषजनक स्थिति। कम ऋण–जमा अनुपात वाले राज्यों में ऋण प्रवाह में सुधार लाने के लिए बैंक कई उपाय करते रहे हैं और इस संबंध में स्थिति की निगरानी समय–समय पर संबंधित राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में की जाती है।

**विवरण-I**

*गत तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण–जमा अनुपात*

| राज्य का नाम | ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत) | | |
|---|---|---|---|
| | मार्च 1997 | मार्च 1998 | मार्च 1999 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 80.19 | 75.27 | 71.58 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | 9.69 | 10.72 | 11.00 |
| 3. असम | 34.57 | 32.75 | 32.00 |
| 4. बिहार | 29.93 | 27.14 | 25.01 |
| 5. गोवा | 25.20 | 24.38 | 23.43 |
| 6. गुजरात | 47.90 | 45.70 | 45.43 |
| 7. हरियाणा | 42.88 | 43.20 | 42.78 |
| 8. हिमाचल प्रदेश | 23.65 | 21.74 | 22.18 |
| 9. जम्मू और कश्मीर | 20.78 | 20.79 | 21.65 |
| 10. कर्नाटक | 71.23 | 68.80 | 67.19 |
| 11. केरल | 43.06 | 42.94 | 39.51 |
| 12. मध्य प्रदेश | 52.85 | 52.37 | 48.89 |
| 13. महाराष्ट्र | 70.46 | 76.34 | 76.26 |
| 14. मणिपुर | 57.67 | 58.89 | 41.61 |
| 15. मेघालय | 13.72 | 14.50 | 16.02 |
| 16. मिजोरम | 11.67 | 20.63 | 18.85 |
| 17. नागालैंड | 24.80 | 18.95 | 16.33 |
| 18. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 63.40 | 58.58 | 76.27 |
| 19. उड़ीसा | 47.95 | 44.15 | 41.55 |
| 20. पंजाब | 39.54 | 39.35 | 39.32 |
| 21. राजस्थान | 45.46 | 48.47 | 45.40 |
| 22. सिक्किम | 17.68 | 20.68 | 20.03 |
| 23. तमिलनाडु | 93.03 | 89.48 | 85.43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 24. त्रिपुरा | 31.81 | 29.13 | 26.69 |
| 25. उत्तर प्रदेश | 31.23 | 28.45 | 27.14 |
| 26. पश्चिम बंगाल | 47.21 | 45.76 | 43.61 |
| 27. अंडमान और निकोबार | 16.03 | 15.10 | 16.60 |
| 28. चंडीगढ़ | 95.70 | 64.22 | 92.76 |
| 29. दादरा और नागर हवेली | 18.55 | 21.38 | 22.55 |
| 30. दमन और दीव | 21.94 | 20.60 | 17.64 |
| 31. लक्षद्वीप | 8.76 | 9.89 | 7.75 |
| 32. पांडिचेरी | 39.65 | 36.38 | 33.92 |
| अखिल भारत | 55.25 | 54.03 | 54.52 |

**विवरण-II**

*सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण–जमा अनुपात*

(प्रतिशत में)

| बैंक का नाम | मार्च 1997 | मार्च 1998 | मार्च 1999 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. भारतीय स्टेट बैंक | 59.65 | 57.22 | 49.33 |
| 2. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर | 60.50 | 58.97 | 54.58 |
| 3. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद | 68.45 | 62.48 | 57.07 |
| 4. स्टेट बैंक आफ इन्दौर | 63.37 | 61.93 | 57.53 |
| 5. स्टेट बैंक आफ मैसूर | 66.76 | 64.21 | 65.21 |
| 6. स्टेट बैंक आफ पटियाला | 56.16 | 62.04 | 59.75 |
| 7. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र | 58.94 | 63.23 | 63.04 |
| 8. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर | 64.35 | 60.37 | 53.73 |
| 9. इलाहाबाद बैंक | 47.62 | 46.90 | 47.71 |
| 10. आन्ध्रा बैंक | 44.26 | 43.54 | 45.54 |
| 11. बैंक आफ बड़ौदा | 56.73 | 56.57 | 51.44 |
| 12. बैंक आफ इंडिया | 57.80 | 56.15 | 55.92 |
| 13. बैंक आफ महाराष्ट्र | 48.64 | 46.25 | 44.81 |
| 14. केनरा बैंक | 50.38 | 50.87 | 48.95 |
| 15. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया | 44.26 | 45.83 | 46.18 |
| 16. कारपोरेशन बैंक | 46.94 | 45.31 | 45.11 |
| 17. देना बैंक | 57.13 | 58.19 | 58.15 |
| 18. इंडियन बैंक | 54.09 | 51.60 | 49.95 |
| 19. इंडियन ओवरसीज बैंक | 42.82 | 42.24 | 44.34 |
| 20. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स | 49.82 | 48.45 | 48.78 |
| 21. पंजाब नेशनल बैंक | 47.82 | 47.69 | 48.75 |
| 22. पंजाब एंड सिंध बैंक | 50.58 | 46.64 | 49.83 |
| 23. सिंडिकेट बैंक | 42.61 | 43.67 | 50.65 |
| 24. यूनियन बैंक आफ इंडिया | 47.11 | 46.92 | 41.98 |
| 25. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया | 38.72 | 36.67 | 35.55 |
| 26. यूको बैंक | 44.68 | 43.93 | 41.46 |
| 27. विजया बैंक | 41.29 | 43.22 | 44.59 |

**विवरण-III**

*गत तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्यवार, प्रति व्यक्ति ऋण**

(राशि रुपये में)

| राज्य का नाम | मार्च 1997 | मार्च 1998 | मार्च 1999 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 4330 | 4876 | 5504 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | 804 | 1009 | 1249 |
| 3. असम | 1028 | 1154 | 1278 |
| 4. बिहार | 1018 | 1122 | 1217 |
| 5. गोवा | 10272 | 11818 | 14093 |
| 6. गुजरात | 4699 | 5423 | 6430 |
| 7. हरियाणा | 3569 | 4219 | 4829 |
| 8. हिमाचल प्रदेश | 2345 | 2557 | 3076 |
| 9. जम्मू और कश्मीर | 2619 | 3079 | 3897 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10. कर्नाटक | 5528 | 6298 | 7002 |
| 11. केरल | 4952 | 5524 | 6243 |
| 12. मध्य प्रदेश | 2084 | 2638 | 2872 |
| 13. महाराष्ट्र | 10467 | 13207 | 15074 |
| 14. मणिपुर | 1016 | 1142 | 1160 |
| 15. मेघालय | 1030 | 1254 | 1543 |
| 16. मिजोरम | 914 | 1145 | 1524 |
| 17. नागालैंड | 1482 | 1291 | 1470 |
| 18. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 46367 | 50191 | 79977 |
| 19. उड़ीसा | 1581 | 1804 | 1874 |
| 20. पंजाब | 5926 | 6888 | 8184 |
| 21. राजस्थान | 1987 | 2531 | 2877 |
| 22. सिक्किम | 1722 | 2165 | 2545 |
| 23. तमिलनाडु | 7279 | 8322 | 9374 |
| 24. त्रिपुरा | 1166 | 1271 | 1396 |
| 25. उत्तर प्रदेश | 1424 | 1539 | 1759 |
| 26. पश्चिम बंगाल | 3453 | 3916 | 4334 |
| 27. अंडमान और निकोबार | 1552 | 1892 | 2394 |
| 28. चंडीगढ़ | 90508 | 65286 | 102581 |
| 29. दादरा और नागर हवेली | 1402 | 1945 | 2442 |
| 30. दमन और दीव | 7951 | 8772 | 8433 |
| 31. लक्षद्वीप | 524 | 617 | 787 |
| 32. पांडिचेरी | 4848 | 5303 | 6017 |

* आंकड़े 1991 की जनगणना पर आधारित हैं।

**वृद्धि दर**

**2188. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के लिए 7 से 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर की प्राप्ति संभव बनाने के लिए आर्थिक वातावरण बनाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) :** (क) और (ख) वर्ष 2000–2001 के बजट में अर्थव्यवस्था को 7 से 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष के एक सतत् समतापरक और रोजगार सृजक विकास के रास्ते पर ले जाने का प्रस्ताव है जिससे गरीबी खत्म की जा सके और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है।

*[हिन्दी]*

**बैंकों के विरुद्ध आयकर का बकाया**

**2189. श्री ब्रजमोहन राम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध आयकर की कितनी धनराशि का बकाया था;

(ख) आयकर की इतनी अधिक धनराशि का बकाया होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा आज की तारीख के अनुसार बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने के विचार हैं?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार) :** (क) बैंकों और वित्तीय संस्थानों, जिनके विरुद्ध 31.3.2000 को एक करोड़ अथवा इससे अधिक धनराशि बकाया थी, को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) अपीलों में मुकदमें बाजी, अपीलीय अधिकरणों द्वारा अनुमत स्थगन आदेश, समझौता आयोग और बी आई एफ आर में लंबित मामले, मांगे जो देय नहीं हैं। विभागीय प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत किश्तें और स्थगन आदेश और भुगतानों के सत्यापन हेतु लंबित मांगों आदि जैसे अनेक कारणों से बकाया कर संचित हो गया है।

(ग) आयकर अधिनियम के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार बकाया राशि के संग्रहण के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। ऐसी कार्रवाईयों में ब्याज प्रभारित करना, भुगतान न करने के लिए अर्थदंड लगाना और चल और अचल परिसम्पत्तियों आदि की कुर्की आदि शामिल हैं।

**विवरण**

*बैंकों/वित्तीय संस्थानों की 31.3.2000 को एक करोड़ अथवा इससे अधिक बकाया धनराशि*

(लाख रुपये में)

| क्रम सं. | बैंक/वित्तीय संस्थानों का नाम | 31–3–2 को बकाया धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ए पी स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन लि. | 1291 |
| 2. | आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. | 1169 |
| 3. | आंध्रा बैंक (आईएनटीटी कर) | 2872 |
| 4. | बैंक आफ पंजाब लि. | 711 |
| 5. | भारत ओवरसीज बैंक लि. | 127 |
| 6. | बोम्बे मर्कन्टाइल्स को. आपरेटिव बैंक लि. | 119 |
| 7. | केनरा बैंक | 19235 |
| 8. | कैन बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. | 3033 |
| 9. | सेनुचुरिअन बैंक लि. | 811 |
| 10. | सिटी यूनियन बैंक लि. | 249 |
| 11. | एनफील्ड बिसनेस फाइनेंस एंड लीजिंग लि. | 168 |
| 12. | फेयर ग्रोथ फाइनेंशियल सर्विसेज लि. | 21845 |
| 13. | ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि. | 377 |
| 14. | ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.–II | 2808 |
| 15. | एच डी एफ सी बैंक लि. | 718 |
| 16. | एच डी एफ सी बैंक लि. | 2620 |
| 17. | हरिथा फाइनेंस लि. | 362 |
| 18. | आईडीबीआई | 31026 |
| 19. | आई एफ सी आई लि. | 31438 |
| 20. | आई एफ सी आई लि. (आईएनटीटी कर) | 911 |
| 21. | आईसीआईसीआई बैंकिंग कारपोरेशन | 436 |
| 22. | इंडियन बैंक लि. | 3275 |
| 23. | इंडियन ओवरसीज बैंक लि. | 8200 |
| 24. | इन्दुसिंघ बैंक लि. | 1995 |
| 25. | कर्नाटक बैंक लि. | 1015 |
| 26. | केरल फाइनांसियल कारपोरेशन | 530 |
| 27. | केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवि. कारपोरेशन लि. | 223 |
| 28. | मेट्रोपोलिटन का–आपरेटिव बैंक लि. | 9464 |
| 29. | नेदुगांदी बैंक लि. | 268 |
| 30. | उड़ीसा स्टेट को–आपरेटिव बैंक | 121 |
| 31. | पी एल फाइनांस एंड इनवेस्टमेंट लि. | 433 |
| 32. | राजकोटनागरिक सहकारी बैंक लि. | 683 |
| 33. | एस बी आई कैपिटल मार्केटस लि. | 2524 |
| 34. | एस बी आई फंड मैनेजमेंट लि. | 1996 |
| 35. | साउथ इंडियन बैंक लि. | 503 |
| 36. | स्टेट बैंक आफ हैदराबाद | 464 |
| 37. | स्टेट बैंक आफ मारिशियस लि. | 122 |
| 38. | स्टेट बैंक आफ मैसूर | 4471 |
| 39. | तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार. लि. | 1211 |
| 40. | दी अहमदाबाद डिस्ट्रिक को–आपरेटिव बैंक लि. | 289 |
| 41. | दी कैथोलिक सीरियन बैंक लि. | 252 |
| 42. | दी कालुपुर कामर्शियल बैंक लि. | 153 |
| 43. | दी करून वैश्य बैंक लि. | 1351 |
| 44. | दी पीयरलेस जनरल फाइनेंस इन्व. कं. लि. | 21855 |
| 45. | दी थाने डिस्ट्रिक सेंट्रल को. बैंक लि. | 588 |
| 46. | वैश्य बैंक लिजिंग लि. | 133 |
| 47. | वैश्य बैंक लि. | 3727 |
| 48. | जैड फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट (प्रा.) लि. | 120 |
| | योग (रुपये लाख में) | 188292 |

*[अनुवाद]*

**ऊंचे दामों पर खाद्यान्नों की खरीद**

**2190. श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार किस तरीके से यह सुनिश्चित करती है कि खुले बाजार से न्यूनतम मूल्य पर ही खाद्यान्न खरीदे गये हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले हैं;

(ख) किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार क्या प्रक्रिया अपनाती है;

(ग) क्या ऊंचे मूल्य पर खराब गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की खरीद संबंधी कोई विनियमितता का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान)** : (क) और (ख) राज्य सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ–साथ भारतीय खाद्य निगम मूल्य समर्थन प्रचालनों के तहत उचित औसत किस्म के अनुरूप खाद्यान्नों की वसूली करता है। निर्दिष्ट केन्द्रों/मंडियों और रेल शीर्षों पर किसानों द्वारा बिक्री के लिए पेश की गई खाद्यान्नों की मात्रा खाद्य सुरक्षा बनाए रखने और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम/राज्य एजेंसियों द्वारा खरीद ली जाती है। खाद्यान्नों की वसूली के लिए प्रत्येक विपणन मौसम शुरू होने से काफी पहले भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा पारस्परिक परामर्श में पर्याप्त संख्या में वसूली केन्द्र खोले जाते हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना की निगरानी के लिए भारतीय खाद्य निगम ने अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं ताकि राज्य सरकारों तथा अन्य वसूली एजेंसियों से वसूली के दैनिक आंकड़े एकत्रित और समेकित किए जा सकें। मजबूरन बिक्री से संबंधित सभी शिकायतें तत्काल भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारों के साथ उठाई जाती हैं।

तथापि, किसान/खाद्यान्न (गेहूं, धान और मोटे अनाज) के उत्पादक अपने उत्पाद की बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम और सरकारी वसूली एजेंसियों को अथवा उन दरों, जो उनके लिए लाभकारी हो, पर मिल मालिकों/व्यापारियों को करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**पर्यटन के संबंध में भारत-इंडोनेशिया समझौता**

**2191. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी** : क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इंडोनेशिया के बीच पर्यटन के संबंध में इस वर्ष कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) इस समझौते के बाद कितने इंडोनेशियाई पर्यटक भारत आए हैं और इससे भारत द्वारा कितनी मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : (क) जी हां।

(ख) भारत गणतंत्र की सरकार तथा इंडोनेशिया गणतंत्र की सरकार के बीच पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में दिनांक 8.2.2000 को हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के उद्देश्य निम्न हैं :

(1) दोनों देशों में पर्यटक आगमनों को बढ़ाना।

(2) विभिन्न पर्यटक गंतव्य स्थलों में आगन्तुकों के व्यापक वितरण को प्रोत्साहित करना।

(3) प्रत्येक देश में राष्ट्रिकों तथा निवासियों दोनों के आगमनों को प्रोत्साहित करना।

(4) दोनों देशों में पर्यटन उद्योग में वृद्धि को प्रोत्साहित करना।

यह समझौता ज्ञापन इस पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रभावी हो गया है।

(ग) फरवरी, 2000 के दौरान इंडोनेशिया से भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 975 थी। मार्च, 2000 माह से आगे तक के लिए इसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

पर्यटन विभाग विभिन्न देशों से विदेशी मुद्रा आय के अलग अनुमान लगाता है। तथापि, फरवरी, 2000 से आगे तक सभी पर्यटकों से अर्जित विदेशी मुद्रा के अनुमान निम्न प्रकार हैं :

| माह/वर्ष | अनुमानित विदेशी मुद्रा आय (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| फरवरी, 2000 | 1417.56 |
| मार्च, 2000 | 1233.66 |
| अप्रैल, 2000 | 1003.35 |
| मई, 2000 | 768.11 |
| जून, 2000 | 861.72 |

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय नवीकरण निधि**

**2192. श्री चन्देश पटेल :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों, विशेषकर गुजरात के वस्त्र श्रमिकों के मामले में सांविधिक देयताओं का भुगतान करने के लिए कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है; और

(ख) श्रमिकों को यह भुगतान कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रमण)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय नवीकरण कोष (एन आर एफ) से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सी पी एस यू) में स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना (बी आर एस) और संगठित क्षेत्र के युक्ति–युक्त श्रमिकों के लिए परामर्श, पुनः प्रशिक्षण इत्यादि योजना हेतु सहायता प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय नवीकरण कोष को दिनांक 12.7.2000 की राजपत्र अधिसूचना के तहत समाप्त कर दिया गया है। तथापि, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के लिए वित्तीय सहायता वर्ष के आरंभ में सीधे ही प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा 5 मई, 2000 को घोषित स्वैच्छिक सेवा निवृति हेतु नई पद्धति के अनुसार उपलब्ध करवायी जायेगी।

---

**अपराह्न 12.01 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार)** : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) सेंटर फार कलचरल रिसोर्सिज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार कलचरल रिसोर्सिज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 2152/2000 ]

(3) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 2153/2000 ]

(5) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट, कंजर्वेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट आफ हिस्ट्री आफ आर्ट, कंजर्वेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 1996–97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 2154/2000 ]

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया)** : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 1998–99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2155/2000 ]

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार)** : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 612(अ) जो 17 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय "इंडिपेक्स एशियाना–2000 में प्रदर्शन अथवा बिक्री के लिए आयात हेतु अपेक्षित विनिर्दिष्ट माल को छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 620(अ) जो 19 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय "आयुध कारखाना, बडमाल, में गोला बारूद भरने की सुविधाओं की स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनों, उपस्करों, औजारों और उनके सहायक उपस्करों के आयात के लिए उपलब्ध छूट की वैधता को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 286(अ) जो 28 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 287(अ) जो 28 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 406(अ) जो 25 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 407(अ) जो 25 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 518(अ) जो 26 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 519(अ) जो 26 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 601(अ) जो 27 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 602(अ) जो 27 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के संगणन के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 628(अ) जो 21 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय

1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 16/2000 सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 2156/2000 ]

(2) सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 567(अ) जो 28 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित आप्टिकल फाइबर पर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित दरों पर अंतिम रूप से प्रति–पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 568(अ) जो 28 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 29 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या 136/99–सी. शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 598(अ) जो 11 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित शुद्ध टेरेफ्थैलिक ऐसिड (पीटीए) पर अंतिम रूप से प्रति–पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 599(अ) जो 11 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 अप्रैल, 1998 की अधिसूचना संख्या 13/98–सी.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 616(अ) जो 18 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ताइवान से उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित एक्रीलिक फाइबर पर अमरीकी डालरों में अंतिम रूप से प्रति–पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 626(अ) जो 21 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और जापान से उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित विटामिन 'सी' पर अंतिम रूप से प्रति–पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 627(अ) जो 21 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 24 जुलाई, 1998 की अधिसूचना संख्या 53/98–सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 2157/2000 ]

(3) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 549(अ) जो 22 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना संख्या 9/2000- के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क लगाये जाने योग्य माल के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2000 जो 30 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 575(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 629(अ) जो 21 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 32/99–के.उ.शु. में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 2158/2000 ]

(4) लाक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 28 की उपधारा (3) के अंतर्गत लोक ऋण (संशोधन) नियम, 2000 जो 11 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 604(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 2159/2000 ]

(5) अधिसूचना संख्या 588, जो 6 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय सामान्य बीमा कारबार के संबंध में कर योग्य सेवाओं को उन पर उद्‌ग्रहणीय पूरे सेवा कर से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 2160/2000 ]

(6) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) राष्ट्रीय बचत योजना (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 जो 14 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 541 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाक घर (मासिक आय खाता) तीसरा संशोधन नियम, 2000 जो 18 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 613(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2161/2000 ]

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला)**: महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 के अंतर्गत जारी चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2000 जो 30 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 526(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति।

[ ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2162/2000 ]

(2) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत चाय बोर्ड (हानियों को बट्टे खाते डालना) (संशोधन) नियम, 2000 जो 13 जुलाई, 2000 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 606(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

[ ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2163/2000 ]

---

**अपराह्न 12.02 बजे**

## सभा का कार्य

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : महोदय, आपकी अनुमति से, मैं सोमवार 7 अगस्त, 2000 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सभा द्वारा निम्नलिखित सरकारी कार्य किए जाने की घोषणा करता हूं :–

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2. भारतीय पुनर्वास परिषद (संशोधन) विधेयक 2000 पर विचार और पारित करना।

3. उप शीर्ष संख्या 0802.90 के अधीन आने वाली वस्तुओं पर "35 परसेंट से 100 परसेंट तक" लागू होने वाली सीमा शुल्क की दर को बढ़ाने के लिए सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने हेतु अधिसूचना संख्या 96/2000-सीमा–शुल्क दिनांक 7 जुलाई, 2000 का अनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर विचार और स्वीकृत करना।

4. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

   (क) सूचना की स्वतंत्रता विधेयक, 2000

   (ख) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2000

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :

   (क) सेना और वायुसेना (निजी संपत्ति का व्ययन) संशोधन विधेयक, 2000

   (ख) भारतीय पावर एल्कोहल (निरसन) विधेयक, 2000

   (ग) रासायनिक हथियार अभिसमय विधेयक, 2000

   (घ) एम्स (संशोधन) विधेयक, 2000

6. कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार और पारित करना (राज्य सभा में पारित होने के बाद)।

*[हिन्दी]*

**श्री रामदास आठवले (पंढरपुर)** : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए :–

1. देश की आबादी के अनुपात के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान वर्ष 2000 के आधार को मानकर नए सिरे से आरक्षण की व्यवस्था किए जाने से संबंधित विषय।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी लोगों के लिए आगामी पांच वर्षों के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए कोई कारगर योजना बनाए जाने से संबंधित विषय।

*[अनुवाद]*

**श्री सुनील खां (दुर्गापुर)** : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें भी शामिल की जाएं :–

1. युवकों को बेरोजगारी भत्ता,

2. महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा।

**डॉ. वी. सरोजा (रासीपुरम)** : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें भी शामिल की जाएं :

1. सेलम–कुड्डलौर के ब्रॉड गेज परिवर्तन के लिए आर्थिक मंजूरी संबंधी मंत्रीमंडल समिति की शीघ्र मंजूरी।

2. रासीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नारीपछी–गंगावैली पंचायत यूनियन विधान सभा क्षेत्र में पुल निर्माण के लिए संघ सरकार की मंजूरी।

*[हिन्दी]*

**श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली)** : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाए:

मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में वजीराबाद पुल पर 18 नवंबर 1997 को एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 28 बच्चों की मृत्यु हो गई थी व 62 के करीब घायल हो गए थे। इन घटनाओं के निदान के लिए इस पुराने पुल के साथ एक नया पुल बनाने का सुझाव दिया गया था, परन्तु तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी उस पुल का निर्माण कार्य आज तक प्रारंभ नहीं हुआ है। इस पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाए।

**श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी)** : महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :–

1. सरकार के निरंतर प्रयासों के बावजूद अमेरिकन डालर के मुकाबले भारतीय मुद्रा रुपये के मूल्य में निरंतर कमी होने के कारण भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति पर होने वाले कुप्रभाव से उत्पन्न स्थिति।

2. देश में सुरक्षित भंडार की आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों के उपलब्ध भंडार को सरकार द्वारा निर्मित योजनाओं के तहत बेचने की घोषणा के बावजूद, अनाज के भंडारों में कमी न आने से उत्पन्न स्थिति।

*[हिन्दी]*

**प्रो. रासा सिंह रावत** : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें।

1. मीटरगेज के समय आगरा फोर्ट–अहमदाबाद वाया जयपुर अजमेर चलने वाली तथा गुजरात और राजस्थान को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिलाने वाली लोकप्रिय गाड़ी के ब्रोड गेज बनने के बाद बंद हो जाने से जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः बादीकुई–आगरा फोर्ट के बीच मीटर गेज को अविलम्ब ब्रोडगेज में बदलकर अहमदाबाद–आगरा फोर्ट लोकल पैसेंजर गाड़ी को वाया जयपुर अजमेर चलाये जाने की आवश्यकता।

2. अभी अजमेर से दिल्ली के बीच प्रातःकाल के समय कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं है। पहले मीटर गेज के समय दिल्ली अहमदाबाद के बीच चलने वाली 3अप/4डाउन के नाम से जानी जाने वाली लोकप्रिय गाड़ी को हजारों यात्रियों की सुख सुविधार्थ ब्रोडगेज पर अहमदाबाद–दिल्ली वाया जयपुर अजमेर चलाये जाने की आवश्यकता।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय।

*.....(व्यवधान)*

**प्रो. रासा सिंह रावत** : महोदया, की क्या समस्या है?.*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको झुकने की जरूरत नहीं है।

*.....(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्माम)** : आप बाहर आइये तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्राब्लम है।.....*(व्यवधान)*

**प्रो. रासा सिंह रावत** : महोदय, यह बात अत्यंत आपत्तिजनक है, वह उत्तेजित क्यों हो रही हैं?.....*(व्यवधान)*। मैं आपके आदेशानुसार अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। वह बाधा डाल रही हैं। .....*(व्यवधान)* यह बहुत आपत्तिजनक है। उन्होंने असभ्य शब्दों का प्रयोग किया है।.....*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप बाहर जाकर माननीय सदस्य का क्या करेंगी?

*.....(व्यवधान)*

**श्रीमती रेणुका चौधरी** : मैं उन्हीं को बताऊंगी.....*(व्यवधान)*

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह)** : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषयों को सप्ताह के अगले कार्य सूची में जोड़ने की कृपा की जाये:

1. पूर्व रेलवे के गोमों जं. स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने और पूर्व रेलवे के फूसरो और बेरमों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की अपेक्षा।

2. सेंट्रल कोलफिल्डस लिमिटेड के कथारा एरिया जिला बोकारो के अंतर्गत 86 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कैपटिव पावर प्लांट का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने की अपेक्षा और क्षमतानुसार उत्पादन नहीं होने से राजस्व में होने वाले घाटे के लिए उच्चस्तरीय जांच करने की अपेक्षा।

*[अनुवाद]*

**श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर)** : महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने की कृपा करें :–

1. कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु तथा राजस्थान में, जहां वर्तमान में भूमिगत जल स्तर में 6008 क्यूबिक मीटर (1947) से 500 क्यूबिक मीटर तक की तीव्र गिरावट आई है भूमिगत जल के अभाव में उत्पन्न गंभीर स्थिति।

2. मारिशस के साथ हुए कर संबंधी समझौते का तथाकथित दुरुपयोग, जिसके परिणामस्वरूप भारत को 30,000 करोड़ रुपये की हानि हुई। अतः सरकार को मारिशस तथा अन्य देशों के साथ किए गए कर समझौते की तत्काल समीक्षा करनी चाहिए।

**श्री किरीट सौमेया (मुम्बई उत्तर पूर्व)** : महोदय, निम्नलिखित मदों को भी अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल की जाए :

1. मुम्बई में एम. आर. वी. सी. के कार्यकरण तथा रेलवे लाइन के साथ सटी झुग्गी झोंपडियों का पुनर्वास।

2. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में सेलुलर सेवाओं का आरंभ किया जाना।

*[हिन्दी]*

**श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा भयभीत अवस्था में इसको पढ़ रहा हूं। इस प्रकार से जब माननीय सदस्य हमारे सदस्यों को कहेंगी तो हम भयभीत हो जाते हैं। ..... *(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न मदों को सम्मिलित किया जाय।

बिहार राज्य का बंटवारा हो जाने के बाद उस क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष पैकेज पर विचार किया जाना।.....*(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया (गुना)** : लेकिन आपने इस पैकेज में संशोधन के विरुद्ध मत दिया है, आप सभी ने इसके विरुद्ध मत दिया.....*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली)** : उस समय बंधुआ मजदूर थे। .....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री राजीव प्रताप रूडी** : अब, हम उस पैकेज को चाहते हैं। चूंकि विधेयक पास कर दिया गया है, हम प्रजातांत्रिक हैं, हमारी सरकार हमारी सहायता करने जा रही है, इसलिए हम इस पर विस्तार से विचार करने जा रहे हैं।

मेरे द्वारा पेश प्रस्ताव का दूसरा विषय निम्न है।

दिल्ली एवं देश के अन्य भागों में यातायात अव्यवस्था, दुर्घटना और चालकों के अनियत व्यवहार से संबंधित सड़क समस्याओं के मुद्दे पर विचार विमर्श।

महोदय, सड़क पर अव्यवस्था से देश में अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। यह अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

*.....(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो)** : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा नीति, जनसंख्या नीति, विदेश नीति और कारगिल रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी चाहिए।

---

**अपराह्न 12.10 बजे**

## प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

### जम्मू कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर हाल में हुए नरसंहार और पहलगाम में तीर्थयात्रियों के नरसंहार से उत्पन्न स्थिति

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब, माननीय प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

**अपराह्न 12.10 बजे**

**प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)** : मैंने जम्मू व कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर हाल ही में हुए नरसंहार और पहलगांव में हुई तीर्थ यात्रियों की हत्या से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए गुरुवार, दिनांक 3 अगस्त, 2000 को पहलगांव और श्रीनगर का दौरा किया। मैं, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री येरन नायडू और श्री गुलाम नबी आजाद का आभारी हूं कि वे इतनी अल्प–सूचना पर मेरे साथ वहां चलने पर सहमत हो गए। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री जार्ज फर्नांडीज, सुश्री ममता बैनर्जी तथा श्री चमन लाल गुप्ता और सेनाध्यक्ष भी मेरे साथ गए। श्रीनगर से जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल और मुख्य मंत्री भी हमारे साथ गए।

हम राज्य के लोगों को यह भरोसा दिलाने कि इस घड़ी में पूरा राष्ट्र उनके साथ है, तथा राज्य के निर्दोष लोगों और देश के अन्य भागों से अमरनाथ की यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों के साथ आतंकवादियों के अमानवीय बर्ताव से उन्हें पहुंचे दुख में भागीदार बनने के लिए भी वहां गए थे।

एकीकृत कमान के प्रमुख तथा सुरक्षा बलों से हुई हमारी बातचीत के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि इन जघन्य अपराधों में शामिल लोग विदेशी आतंकवादी थे। उनसे बरामद किए गए हथियारों और गोला–बारूद से यह प्रमाण मिलता है कि उनके संबंध पाकिस्तान में लश्कर–ए–तोएबा से हैं।

स्थानीय लोगों के शिष्टमंडल तथा तीर्थयात्री मुझसे मिले थे और उन्होंने हत्याकांड के फलस्वरूप उन्हें हो रही कठिनाइयों के बारे में मुझे बताया।

मुझे विश्वास है कि यह सदन जम्मू व कश्मीर तथा राष्ट्र के लोगों को यह भरोसा दिलाने में मेरे साथ है कि हम आतंकवाद के सामने नहीं झुकेंगे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जहां आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रखा जाएगा, वहीं भारत जम्मू और कश्मीर में शांति की बहाली के लिए अपने प्रयासों को भी जारी रखेगा।

मैंने श्रीनगर में यह बात स्पष्ट की थी कि हिजबुल मुजाहिदीन के साथ हमारी बातचीत इसी प्रयास का एक हिस्सा है। अन्य सगठनों, जिन्होंने हिंसा का रास्ता चुना है, को भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि जम्मू व कश्मीर के लोग राज्य में शांति चाहते हैं। हिंसा के रास्ते पर चलने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्हें अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार से बातचीत के लिए आगे आना चाहिए।

---

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा 'शून्यकाल' पर चर्चा करेगी।

....*(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया (गुना)** : महोदय, हम इस पर कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। विपक्ष की नेता कुछ कहना चाहती हैं।

**श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी)** : महोदय, क्या मैं कुछ बोल सकती हूं?

**अध्यक्ष महोदय** : लोक सभा में इस तरह की परम्परा नहीं रही है।

....*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर)** : जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसे किसी परम्परा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री माधवराव सिन्धिया** : लेकिन इस तरह का नरसंहार कभी नहीं हुआ, यह बहुत बड़ी त्रासदी है। ....*(व्यवधान)* इतनी अधिक संख्या में नरसंहार कभी नहीं हुआ। ....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस सभा में, लोक सभा में इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सामान्यतः लोक सभा में किसी विवरण पर स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दी जाती है।

....*(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया** : यह बहुत बड़ी त्रासदी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ....*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए यह स्वाभाविक है और यही प्रश्नचिन्ह है। ....*(व्यवधान)* इतिहास में कभी इतनी क्रूर हत्या की बात नहीं हुई, जिसमें सौ से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर जायें।....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : एक विशेष मामले के रूप में, मैं विपक्ष की नेता को अनुमति प्रदान कर रहा हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री माधवराव सिंधिया (गुना)** : उनका खून इनके माथे पर है, क्योंकि लापरवाही तो हुई है।....*(व्यवधान)* इससे हिंसा बढ़ी है। वहां जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उस बारे में यहां प्रश्न पूछना चाहते हैं।. ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : एक विशेष मामले के रूप में, मैं विपक्ष की नेता को अनुमति प्रदान कर रहा हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री माधवराव सिंधिया** : क्या यह उचित नहीं है?

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : लोक सभा में ऐसी परम्परा नहीं रही है।

*[हिन्दी]*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर)** : ऐसी परम्परा नहीं रही है तो इस तरह का नरसंहार भी कभी नहीं हुआ है।....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन)** : महोदय, सरकार की तरफ से, मैं माननीय सदस्यों से सानुरोध कहना चाहता हूं कि हमें सभा के नियमों को तोड़ना नहीं चाहिए। यदि विपक्ष की नेता इस विषय पर बहस करना चाहती है. .....*(व्यवधान)* तो हम इस पर बहस कर सकते हैं।....*(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया** : नियम तोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है।. ...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व)** : प्राइम मिनिस्टर को तो आपने सुन लिया, आपको और क्या चाहिए। आप बैठ जाइये।.... *(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया (गुना)** : हम बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं, हम तीनों फोर्सेज का स्वागत करते हैं, पर सरकार की जो कमियां हैं, वहां जो उपेक्षा हुई है, उसके बारे में हम प्रश्न पूछना चाहते हैं.... *(व्यवधान)*

**श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर)** : सरकार ने अपनी किसी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया है और हमें रूल सिखाया जा रहा है।....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री प्रमोद महाजन** : आप बहस के लिए सूचना दें। .... *(व्यवधान)* हम इस पर बहस करेंगे। ....*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री माधवराव सिंधिया** : वहां 100 लोग मौत के घाट उतरे हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया इस बात को समझें कि यह एक गंभीर मामला है।

....*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री माधवराव सिंधिया (गुना)** : जिस तरह से पार्लियामेंटरी एफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं।....*(व्यवधान)* वहां मासूम लोगों की हत्या हुई है, उनकी जानें गई हैं और कठोरता यहां प्रदर्शित की जा रही है। यह साजिश है, मुझे इस पर ताज्जुब है।....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको सभा के नियमों का भी सम्मान करना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : एक विशेष मामले के रूप में, मैं विपक्ष की नेता को अनुमति प्रदान कर रहा हूं।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको भी सभा के नियमों का सम्मान करना चाहिए।

....*(व्यवधान)*

**श्री किरीट सोमैया** : महोदय, इस प्रकार की अनुमति पहले कभी नहीं दी गई।....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया यह समझें कि इस समय एक विशेष मामले के रूप में मैं किसी और को नहीं केवल विपक्ष की नेता को अनुमति प्रदान कर रहा हूं।

....*(व्यवधान)*

**श्री वैको (शिवकाशी)** : ऐसी कोई परम्परा नहीं है।.... *(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री वैको, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : विपक्ष की नेता स्पष्टीकरण मांग रही हैं, इसलिए मैंने उन्हें अनुमति दे दी है। अब, कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं केवल विपक्ष की नेता को अनुमति दे रहा हूं अन्य किसी को नहीं।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कोई भी बात सभा की कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

....*(व्यवधान)* *

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, आज सप्ताह का अंतिम दिन है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि बैठ जाएं।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आज 'शून्य काल' के लिए 40 से अधिक सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

हमें इसके बाद शून्य काल की कार्यवाही करनी है। कृपया मुझे वह करने दीजिए। कई सदस्य शून्य काल में महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहते हैं। आपको सभा के नियमों का सम्मान करना चाहिए। मैं यह बात सभा के दोनों पक्षों के लिए कह रहा हूं। यह काफी गंभीर मामला है। आप हमेशा सभा की प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

....*(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया परिस्थिति को समझिए। मैं विशेष मामले के रूप में विपक्ष की नेता को अनुमति दे रहा हूं। मैं उन्हें केवल इसी वक्त के लिए अनुमति दे रहा हूं। अन्य किसी को इसकी अनुमति नहीं है। कृपया समझिए।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : जब हम इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हों तो, सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों की ओर से इस प्रकार का बर्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया समझिए। माननीय प्रधान मंत्री को दूसरी सभा में भी वक्तव्य देना है।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अध्यक्ष पीठ से सहयोग कीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

....*(व्यवधान)*

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

....*(व्यवधान)* *

**अध्यक्ष महोदय** : इससे पता चलता है कि इन घटनाओं के प्रति सदस्य कितने गंभीर हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : साधारणतः सभा की यह परम्परा है कि जब भी विपक्ष का नेता बोलने के लिए खड़ा होता/होती है, पीठासीन अधिकारी उन्हें बोलने की अनुमति देते हैं।

....*(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : महोदय, मैं विपक्ष की नेता का विरोध नहीं कर रहा हूं। उन्हें किसी भी विषय पर बोलने दीजिए। परंतु वक्तव्य के बाद, उसके स्पष्टीकरण की मांग को, इस सभा की परिपाटी नहीं बनाई जा सकती। हम इसे कभी भी अनुमति नहीं देंगे। प्रतिदिन हम इसे, अपवाद के रूप में नहीं ले सकते।....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं किसी को भी कोई भी निवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक नहीं है।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह उचित नहीं है।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभी से निवेदन करता हूं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री कोडीकुनील सुरेश, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप क्यों इस तरह आ रहे हैं? आप क्यों सभा के मध्य में आ रहे हैं? मैं आपके विरुद्ध कार्रवाही करूंगा। यह क्या है?

....*(व्यवधान)*

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

....*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय, हम एक महत्वपूर्ण और गंभीर घटना पर चर्चा कर रहे हैं। ....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधानमंत्री के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

....*(व्यवधान)* *

*[हिन्दी]*

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : सदन में परम्परा है कि वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण नहीं पूछे जाते। उस परम्परा का आज और इस विषय से संबंध नहीं है। ....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रधानमंत्री के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं होगा।

....*(व्यवधान)* *

**अध्यक्ष महोदय** : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं होगा।

....*(व्यवधान)* *

**अध्यक्ष महोदय** : अब, यदि आप इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे, तो मेरे लिए सभा का संचालन करना मुश्किल हो जाएगा। अन्यथा, मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर दूंगा।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : यह दोनों पक्षों की ओर से बहुत ही अनुचित व्यवहार है।

....*(व्यवधान)*

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*[हिन्दी]*

**श्री माधवराव सिंधिया (गुना)** : परम्परा यह भी है जो अध्यक्ष महोदय तय करते हैं, वही हाउस में होता है।....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री एस. जयपाल रेड्डी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सभी नियम और प्रक्रिया की बातें करते हैं। परंतु उनका पालन कोई नहीं करता। यह क्या है?

....*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मेरा निवेदन यह है कि परम्परा है, वह कायम रहनी चाहिए। आज स्पीकर महोदय अपवाद कर रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। विरोधी दल की नेत्री बोलें। वह हमारे साथ गईं थीं। वह अपने अधिकार का उपयोग करें और उन्हें ध्यान से सुना जाये, ऐसा मेरा सबसे अनुरोध है।....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्रीमती सोनिया गांधी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं प्रधान मंत्री को, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूं।....*(व्यवधान)*

**श्री माधवराव सिंधिया** : उन्होंने नहीं दी है। ये तो अध्यक्ष महोदय हैं जो आपको अवसर दे रहे हैं....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय विपक्ष की नेता के भाषण के अलावा कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

....*(व्यवधान)* *

**श्रीमती सोनिया गांधी** : महोदय, कल, पहलगांव यात्रा के बाद प्रधान मंत्री ने श्रीनगर में एक प्रेस कांफ्रेस में एक प्रश्न के उत्तर मे कहा था, कि सुरक्षा में कोई गंभीर खामी नहीं थी। दूसरे शब्दों में, प्रधान मंत्री यह स्वीकार करते हैं कि निश्चित ही सुरक्षा व्यवस्था में खामियां थीं।

इसलिए, हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ऐसी घटनाओं को पुनः घटने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का इरादा रखती है।

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हम यह महसूस करते हैं कि उत्तरदायित्व को निर्धारित किया जाए। हमें यह लगता है कि सरकार की अंतरात्मा मर गई है। परंतु हमारी अंतरात्मा अभी जीवित है। इसलिए, हम इस दर्दनाक दुर्घटना के न्यायिक जांच की मांग करते हैं जिससे जिम्मेदारी निर्धारित हो, सरकार की खामियों को सामने लाया जाए और ऐसे कड़े कदम उठाए जाएं जिससे कि इस तरह के असंवेदनशील लापरवाही पुनः घटित न हो।

*[हिन्दी]*

**प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी)** : अध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी संख्या में लोग मारे गए हैं, इसलिए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या वहां पक्का इंतजाम किया गया था। अगर इंतजाम फुलप्रूफ होता – मैं जानता हूं कि ऐसे मामलों में फुलप्रूफ इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर मेला था ....*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने प्रैस कांफ्रेस में जो वक्तव्य दिया, उसमें मैंने यह नहीं कहा है, कोई लैप्स नहीं है, मैंने कहा है कि अभी तक कोई गंभीर लैप्स की घटना सामने नहीं आई है। मैंने पता लगाया है, राज्य सरकार ने पहले से ही जांच का आदेश दे दिया है। सब तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। पहले एग्जिक्युटिव जांच होगी, उसके बाद अगर जरूरी समझा गया तो और भी जांच करा सकते हैं। इसको लेकर सदस्यों में मतभेद नहीं होना चाहिए। हमें क्या आपत्ति है। ....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री माधवराव सिंधिया** : न्यायिक जांच का क्या हुआ? सरकार को इस पर प्रतिक्रिया देनी होगी....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राधा मोहन सिंह के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

....*(व्यवधान)* *

*[हिन्दी]*

**श्री माधवराव सिंधिया** : महोदय, इतना गंभीर मामला है, जिसमें इतने लोगों की जानें गई हैं और सरकार जुडिशियल एन्क्वायरी करने के लिए तैयार नहीं है। इसके विरोध में हम सदन से वाक आउट करते हैं।....*(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.33 बजे**

*तत्पश्चात् श्रीमती सोनिया गांधी, श्री माधवराव सिंधिया तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।*

....*(व्यवधान)*

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली)** : महोदय, सरकार ने मृतकों और गंभीर रूप से घायलों के लिए सहायता राशि घोषित नहीं की है। इसके विरोध में हम सदन से वाक आउट करते हैं। ....*(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.33¼ बजे**

*तत्पश्चात् डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।*

**श्री राधा मोहन सिंह** : महोदय, बिहार राज्य के पुनर्गठन के बाद बिहार के गन्ना उत्पादक किसानों की चिंता करना भारत सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है। अंग्रेजों के समय में उत्तर बिहार में 29 चीनी मिलें थीं, जिसमें 19 में तालाबंदी है, पांच बंदी के कगार पर हैं, शेष पांच जो चल रही हैं, वे भी मरणासन्न हैं। 29 चीनी मिलों में से 16 चीनी मिलें स्टेट कार्पोरेशन की हैं, जो सबकी सब बंद पड़ी हैं। दो चीनी मिलें बीआई सी की हैं, जो मेरे क्षेत्र चकिया और चनपटिया की हैं। जो सबसे पुरानी चीनी मिलें हैं, वे भी बंद पड़ी हैं। इन मिलों में करोड़ों रुपया किसानों का बकाया है। किसान भुखमरी के कगार पर हैं। बिहार राज्य के पुनर्गठन के बाद शेष बिहार की आधी आबादी गन्ना उत्पादक हैं, उनकी जीविका का साधन यही हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार सरकार इन 16 बंद चीनी मिलों को चलाने का निर्देश दें....*(व्यवधान)*

महोदय, शेष चीनी मिलों के लिए जो पैकेज बिहार सरकार को मिल रहा है, उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि सबसे पहले इस पैकेज से चीनी मिलों को चलाकर शेष बिहार के विकास की गति को बढ़ाया जाए। बकाया भुगतान की व्यवस्था भी पैकेज से की जाए। ....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मोहले, आपने 'शून्य काल' के दौरान इस महीने की पहली और तीसरी तारीख को मामला उठाया था। पुनः आप मामले को उठाना चाहते हैं।

....*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना)** : महोदय, किसानों की हालत खराब है।....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अभी आप बैठ जाएं, हम आपको बुलाएंगे।

....*(व्यवधान)*

**श्री राम नगीना मिश्र** : महोदय, गन्ना किसानों की समस्या है, हमारी बात को सुन लें। ....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मिश्र, आप क्या स्वयं को उनके साथ संबद्ध करना चाहते हैं क्या ऐसा नहीं है? ठीक है, आप स्वयं को उनसे संबद्ध कर सकते हैं।

*....(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : अगर ऐसे रेज करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आप अभी बैठ जाइए, हम आपको बुलाएंगे।

**श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव)** : अध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश हैं। इसके संलग्न पोल्ट्री फार्म आता है, लेकिन अभी यह न घर का है, न घाट का है। क्योंकि वित्त विभाग ने इसे न कृषि में डाला और न ही उद्योग में डाला, लेकिन इस फार्म से प्राप्ति कर ज्यादा हासिल कर रहे हैं। इसलिए यह धंधा घाटे में जा रहा है। इस धंधे पर ढाई करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों के आदिम जाति, पिछड़े और छोटे गरीब मजदूरी करते हैं। यह धंधा बिलकुल खत्म होने वाला है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि जो ज्यादा कर लगाया है, उसे कम करें और इस धंधे को बचाएं।

**श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार)** : महोदय, पृथ्वीराज चौहान इस देश के हिन्दू बादशाह रहे हैं। अफगानिस्तान के कंधार नगर में उनकी अस्थियां दफन की गईं। इस देश के लोगों की इच्छा है और जनभावना है कि कंधार से उनकी अस्थियों को हिन्दुस्तान में लाया जाए। इस संबंध में एक समिति भी बनी हुई है, जो कई बार पत्राचार और डेलीगेशन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर चुकी है। 23 जुलाई, 2000 को हिन्दुस्तान के अखबार में भी यह समाचार छपा हुआ था। यहां प्रमोद महाजन जी बैठे हुए हैं, हम उनसे निवेदन करूंगा कि इनकी जो अस्थियां कंधार में पड़ी हुई हैं, उसे हिन्दुस्तान में लाने के लिए सरकार अपने स्तर से कार्यवाही करे, यह देश के लोगों की इच्छा और मांग है।

हम यह महसूस करते हैं कि हम जो सरकार को निवेदन करते हैं, उसे सरकार गंभीरता से लेगी और इस पर अपने स्तर से कार्यवाही करेंगे। यहां मंत्री जी बैठे हुए हैं,....*(व्यवधान)* हम चाहेंगे, वह बताएं कि इसमें अपने स्तर से कार्यवाही करेंगे।....*(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : महोदय, हम इनकी भावना को संबंधित मंत्रालय तक पहुंचा कर देख लेगें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं।

*[अनुवाद]*

**डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली)** : माननीय, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं शून्य काल में एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहती हूं। पद्दापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के, सिंगारेनी क्षेत्र में 35 कोयला खाने हैं। जिनमें लगभग 30,000 खान मजदूर काम करते हैं। कोयला खान के भविष्य निधि का कार्यालय हैदराबाद में है, जो कि गोदावरीखानी, मनचरियाल, आर.के. पुरम और मंडामरी खान क्षेत्र से लगभग 250 कि.मी. दूर है, जिनके नाम हैं।

बारहवीं लोक सभा के दौरान, मैंने यह मामला कई बार सभा में उठाया। मैं माननीय खान मंत्री से उस समय मिली थी, श्री दिलीप रे ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिए थे। न्यासी बोर्ड ने इस कार्यालय को हैदराबाद से गोदावरीखानी ले जाने का अपना निर्णय सुनाया था।

इसी बीच, मध्यवर्ती चुनाव आ गये, और 13वीं लोकसभा में मंत्रियों के प्रभार में बार-बार परिवर्तन के कारण, मैंने अपना प्रतिवेदन माननीय श्री नवीन पटनायक, श्री कुमारमंगलम और अब श्री षणमुगम को भी दिया है। अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मैं माननीय खान मंत्री से निवेदन करती हूं कि वे संबंधित अधिकारियों को इस कार्यालय को हैदराबाद से गोदावरीखानी स्थानांतरण के आदेश शीघ्र दें।

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए गए यात्रियों में से जो 36 यात्री कश्मीर की घाटी में आतंकवादियों द्वारा मारे गए, जिनमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सौनोली बाजार के निवासी स्व. शंकर जायसवाल, नोतनवा बाजार के ऋतुराज वर्मा....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कल, माननीय गृह मंत्री ने इस संबंध में सभा में वक्तव्य दिया था।

*[हिन्दी]*

**कुंवर अखिलेश सिंह** : महाराजगंज निवासी श्री रमेश मदेशिया सहित 36 लोगों को अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा आज भी श्री नगर में आतंकवादियों की गोलियों से आहत श्री त्रिलोकी नाथ गुप्ता एवं चुन्नीलाल जो जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं उनके सहित उन दर्जनों लोगों के स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना करता हूं जो इस गोलीबारी से आहत हुए हैं। मान्यवर, जिस तरह से जम्मू-कश्मीर के अंदर स्वायत्ता का नया विवाद उत्पन्न हुआ और उसके बाद राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की आम जनता के जनजीवन की सुरक्षा के प्रति लापरवाही दिखाई है, उसी लापरवाही

का नतीजा है कि 105 से अधिक लोग आज कश्मीर घाटी में मारे जा चुके हैं। प्रधान मंत्री जी ने कश्मीर यात्रा के बाद सदन के पटल पर जो वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य के अंदर मृतकों और घायलों के परिवारों के एक रुपये की भी अनुग्रह राशि की घोषणा न करके निश्चित तौर पर अपनी हृदयहीनता का ही परिचय दिया है। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि कश्मीर घाटी में उग्रवादियों की गोलियों से जो लोग मारे गये हैं उनके परिवारों को 10–10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायल लोगों के परिवारों को दो–दो लाख रुपये चिकित्सा उपचार के लिए उपलब्ध कराये जाएं।

*[हिन्दी]*

**श्री ब्रजमोहन राम (पलामू)** : मान्यवर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बिहार स्थित हमारे पलामू जिला के रेहला में बिहार सरकार एवं आदित्य बिड़ला ग्रुप का कास्टिक कैमिकल्स लि. नाम का एक संयुक्त उद्यम है। इसने 30 मैगावाट का एक पावर प्लांट 150 करोड़ रुपये की लागत से बनाया है। यह बनकर तैयार है। उसे बिहार सरकार की उदासीनता एवं राजनैतिक वर्चस्व को लेकर विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। राज्य के वन विभाग द्वारा भी उसे स्वीकृति नहीं दी गयी है। वहां 30 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा, जिसमें से कंपनी की आवश्यकता मात्र 23 मेगावाट की है तथा शेष 7 मेगावाट राज्य विद्युत परिषद् को उसे देना है। साथ ही साथ बिहार राज्य विद्युत परिषद जो 5 मेगावाट विद्युत अभी कास्टिक सोडा को देती है उसका लोड भी कम होगा, जिससे विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा और लघु उद्योगों को अधिक विद्युत मिलेगी। उसमें उत्पादन न होने से 5 लाख रुपये का नुकसान प्रतिदिन कास्टिक प्लांट को हो रहा है।

मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त पावर प्लांट को चालू करने हेतु समुचित कार्रवाई की जाये एवं राज्य सरकार से अनुरोध किया जाये कि जनहित एवं फैक्ट्री हित में उसे यथाशीघ्र चालू किया जाये।

*[अनुवाद]*

**श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट)** : महोदय, मैं इस माननीय सभा के ध्यान में बहुत ही गंभीर मामला लाना चाहता हूं। केरल में स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया काफी अच्छी तरह चल रही है। चुनाव का प्रस्तावित समय सितंबर का तीसरा सप्ताह है। परंतु केरल के माननीय उच्च न्यायालय ने कल एक निर्णय दिया था। . .....* फैसला यह था कि राज्य चुनाव आयोग के पास कोई शक्ति नहीं होती....*(व्यवधान)*

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

**श्री प्रमोद महाजन** : महोदय, मैं नहीं जानता कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की आलोचना को नियमों के अंतर्गत अनुमति दी गई है या नहीं। अगर इसकी अनुमति दी गई है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपकी बात का विरोध नहीं कर रहा हूं।.... *(व्यवधान)* मैं न ही इसका समर्थन कर रहा हूं और न ही इसका विरोध कर रहा हूं। ....*(व्यवधान)*

**श्री एन. एन. कृष्णदास** : महोदय, मैं कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहता....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सामान्यतः न्यायालय के निर्णय की इस सभा में आलोचना करने की कोई परंपरा नहीं है।

....*(व्यवधान)*

**श्री एन. एन. कृष्णदास** : महोदय, मुझे इसे स्पष्ट करने दीजिए। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार, (क) अनुच्छेद 243 ट के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आबंटन से संबंधित है।....*(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : महोदय, मुझे एक बहुत गंभीर आपत्ति है। अगर उच्च न्यायालय ने कोई ऐसा निर्णय दिया है जो सही नहीं है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं।....*(व्यवधान)* इस मामले में यह सभा कुछ नहीं कर सकती।

**श्री एन. एन. कृष्णदास** : यह सभा इस देश में कानून बनाने वाला सबसे बड़ा निकाय है।

**श्री प्रमोद महाजन** : यह कानून बनाने वाला निकाय तो है परंतु यह कानून की व्याख्या करने वाला निकाय नहीं है।....*(व्यवधान)*

**श्री एन. एन. कृष्णदास** : यह नियम इस सभा द्वारा पारित किया गया था। ....*(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : आप इस सभा का प्रयोग न्यायालयों पर दबाव डालने के लिए नहीं कर सकते हैं। यह लगभग न्यायालयों पर दबाव डालने जैसा है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। .... *(व्यवधान)* इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : श्री कृष्णदास, सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए। इस विधायिका में सामान्य परंपरा यह है कि आप निचली अदालत या उच्च न्यायालय में दिये गये निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। आप उच्च न्यायालय के निर्णय की आलोचना नहीं कर सकते।

....*(व्यवधान)*

**श्री एन. एन. कृष्णदास** : केरल के महान्यायवादी ने उच्च न्यायालय के सामने इस अनुच्छेद का उल्लेख किया था परंतु माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि ....*(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है। ....*(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करना चाहिए। ....*(व्यवधान)*

**श्री एन. एन. कृष्णदास** : हां, वे कर रहे हैं।....*(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : हमारा काम कानून बनाना है। हम कानून बनाते हैं।....*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इसकी कुछ प्रक्रिया है। आप इस सभा में हर विषय पर चर्चा नहीं कर सकते।

*[हिन्दी]*

**श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण-मध्य)** : अध्यक्ष महोदय, कश्मीर में 105 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसमें हिन्दू, मुसलमान और सिख थे। इससे पहले बिल क्लिंटन हिन्दुस्तान आए थे तो सिखों की हत्या की गई। मैंने आज बिल क्लिंटन का बयान पढ़ा। उन्होंने इन हत्याओं की निन्दा की है। संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं। हम पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र क्यों घोषित नहीं करते। जब हम विश्व भर के देशों को इकट्ठा कर सकते हैं, बोल सकते हैं तो ऐसा कदम क्यों नहीं उठाते? यह सिलसिला आज शुरू नहीं हुआ है। यह सालों से चल रहा है। कांग्रेस के समय में भी बम फटते थे और लोगों की जानें जाती थीं। आज यह चिल्ला रहे हैं।. ...*(व्यवधान)* सभी को समझदारी की बात करनी चाहिए और एक दिल से बात करनी चाहिए। मुंबई शहर में दंगा होने पर जो लोग मारे गए थे, उनके परिवार वालों को दो–दो लाख रुपये दिए गए थे। वहां जो लोग मारे गए, वे बेकसूर हैं। उनमें बिहार और उत्तर प्रदेश के गरीब लोग थे। मेरा निवेदन है कि इसमें जो लोग मारे गए, उनके परिवार वालों को दो–दो लाख रुपए दिए जाएं और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।

**अपराह्न 12.49 बजे**

**(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)**

**श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली)** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली की आबादी लगभग 36 लाख है लेकिन वहां के लोगों को काम धंधे के लिए पर्याप्त बस सुविधा प्राप्त नहीं होती है। वहां बस सुविधा बहुत कम है। मैंने मांग की थी कि मंडावली–चन्द्रनगर में एक रेलवे हाल्ट बनाया जाए। इसका उद्घाटन जून 1999 में किया गया था लेकिन वहां अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। जानकारी दी गई कि 80 लाख रुपए की योजना है। पहले चरण में 16 लाख रुपये में रेलवे हाल्ट बनाने का काम शुरू होना था लेकिन अफसोस की बात है कि एक साल बीत जाने के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं रेल मंत्री से मांग करता हूं कि वहां बहुत शीघ्र काम शुरू करवाया जाए और जल्दी पूरा करवाया जाए ताकि आने–जाने वाले यात्रियों को इसका लाभ मिल सके।

*[अनुवाद]*

**श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम)** : उपाध्यक्ष महोदय आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000 से खरीफ फसल के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की है। दिशा निर्देशों के अनुसार उधार न लेने वाले किसानों को प्रीमियम का भुगतान और नामांकन की अंतिम तारीख बीज बोने और पौध लगाने के एक महीने के बाद या 31 जुलाई जो भी पहले हो, निर्धारित की गई है। चूंकि वर्षा नहीं हुई थी इसलिए किसानों के लिए यह कैसे संभव था कि 31 जुलाई से पहले बीज बोते या पौध लगा सकते? यह व्यवहार्य नहीं था। इस प्रकार इस करार से छोटे और बहुत छोटे किसानों को कठिनाई हुई थी। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने एक सी एम एफ सी की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में किसानों के लिए निर्धारित तिथि को सितंबर के अंत से हटा कर दिसंबर का दिया गया था।

उन्होंने यह निर्णय उधार लेने वालों के लिए लिया था। परंतु उधार न लेने वालों के लिए उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया था। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उधार न लेने वालों को उधार लेने वालों के बराबर समझा जाए ताकि उन्हें भी वहीं सुविधा मिल सके जो उधार लेने वालों को मिलती है। वर्षा हर क्षेत्र में नहीं होती। इसलिए उधार न लेने वाला किसान जुलाई के महीने में बीज बोने और पौधे लगाने का काम कैसे कर सकता है। वर्तमान में उधार न लेने वालों पर यह योजना लागू नहीं होती है। यह उधार न लेने वालों पर भी लागू होनी चाहिए। अगर यह अनियमितता दूर कर ली जाती है तो इससे इस देश के सभी किसानों को भी लाभ होगा। क्योंकि कल दूसरे मुख्य मंत्री भी इस संबंध में केन्द्र सरकार को अनुरोध कर सकते हैं। श्री प्रमोद महाजन, जो स्वयं कृषक समुदाय से संबंधित हैं यहां उपस्थित हैं। उन्हें इस अनियमितता को दूर करने में पहल करनी चाहिए। यह मेरा विनम्र अनुरोध है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : हां, उन्हें पहल करनी चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय (गिरिडीह)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोल इंडिया लिमिटेड की कई अनुषंगी कंपनियों के घाटे बढ़ रहे हैं। इसका कारण प्रबंधन की अकुशलता है। खर्च और गलत डाटा दिखाकर गुमराह करने की

पद्धति बनी हुई है। अनुषंगी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी इतने सक्षम होते हैं कि किसी प्रकार की जांच को अपने पक्ष में कर लेते हैं।

लोक सभा महापंचायत है, लेकिन लगता है कि इसमें भी कुछ कहने पर असर नहीं होता है। भ्रष्ट और अकुशल इस महापंचायत की बात से डरते नहीं हैं। तभी तो स्पेशल मैंशन के अधीन जनता की बात रखने या प्रश्न के माध्यम से जनहित का मामला उठाने पर विभाग की ही बात मान्य कुछ होता भी है और नहीं भी होता है। भविष्य के लिए यह संकेत काफी पीड़ादायक साबित होगा।

मेरा सरकार से आग्रह है कि सी.आई.एल. की अनुषंगी कंपनियों का सीआईएल में एकीकरण किया जाए इस से प्रशासनिक खर्च में भी कमी होगी और अधिकारियों की संख्या में भी कमी आएगी। साथ ही सदन में उठाए गए मामले की एक निष्पक्ष अभिकरण द्वारा जांच सुनिश्चित कराई जाए।

*[अनुवाद]*

**श्री समर चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम)** : महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की ओर दिलाना चाहूंगा। लगभग 3.5 करोड़ की जनसंख्या वाले इस क्षेत्र में व्यापाक विपणन क्षमता है। यद्यपि इस क्षेत्र की जनसंख्या में विभिन्न जातीय समूह और कई धार्मिक वर्ग जिनकी अलग–अलग विचारधारा है, शामिल हैं, फिर भी आर्थिक गतिविधि जैसी मुख्य धारा से संबंधित सामान्य मुद्दे लोगों के सभी वर्गों से संबंधित हैं।

महोदय, मिजोरम और मणिपुर ने पहले ही म्यांमार के साथ सीमा पर व्यापार शुरू कर दिया है। केन्द्र सरकार द्वार त्रिपुरा और बंग्लादेश ,के बीच भी सीमा व्यापार शुरू करने की पहल की जाए। त्रिपुरा को बंग्लादेश के पास होने का फायदा है। दक्षिण पूर्व एशिया पूर्वोत्तर क्षेत्र से अधिक दूर नहीं है। इस क्षेत्र में सीमा व्यापार शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार पहल कर सकती है।

महोदय केन्द्र सरकार बंग्लादेश के चिटट्गांव पत्तन तक पहुंचने की कोशिश कर सकती है जो त्रिपुरा के सबसे दक्षिणी किनारे से 75 किलोमीटर दूर है। इस व्यवस्था से पूरे पूर्वोत्तर को लाभ होगा। यात्रियों और वस्तुओं की आवाजाही, विशेषकर बंग्लादेश से होकर कलकत्ता से त्रिपुरा और उसके पश्चात् पूर्वोत्तर क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही की संभावनाओं की खोज केन्द्र सरकार को तेजी से करनी है। भूभाग से घिरे हुए त्रिपुरा, मिजोरम और पूर्वोत्तर के अधिकांश भाग के प्रति सरकार का ऐसा सक्रिय रवैया होना चाहिए।

*[हिन्दी]*

**श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान फरक्खा बैराज के कारण हो रहे बालू के जमाव, जल जमाव, नदी के कटाव के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र कटिहार में भंयकर स्थिति पैदा हो गई है। इसके कारण फसलों की क्षति हुई है। वहां लोगों का जन–जीवन अस्त–व्यस्त है और लोग भयंकर संकट में है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां के तकलीफजदा लोगों के लिए तत्काल राहत के काम किये जाएं तथा उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, फरक्खा बैराज कलकत्ता हुगली पोर्ट पर आने–जाने वाले जहाजों के लिए जल की आवश्यकता की पूर्ति करता है। लेकिन जो जल की आवश्यकता की पूर्ति वहां होती है, उसके कारण वहां बालू का जमाव हो रहा है और उस पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। बालू का जो जमाव हो रहा है, उससे नदियों का जलस्तर ऊपर उठ रहा है। जल ऊपर आकर बाढ़ के रूप में नुकसान कर रहा है, नदियों का कटाव हो रहा है। इसमें तकनीकी तौर पर भूल हुई है। इस वक्त के तत्कालीन मुख्य मंत्री बी.सी. राय के बृहत्तर व्यक्तित्व के कारण जहां यह बैराज बनना चाहिए था, उससे 20 किलोमीटर आगे जाकर बनाया गया। अपस्ट्रीम में साहेबगंज के नजदीक बनना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ और उसके कारण आज हमारा संसदीय क्षेत्र काफी कठिनाइयों से गुजर रहा है। मैं सरकार से मांग कर रही हूं कि जो परेशानी और बदहाली हमारे क्षेत्र में है, प्रमोद महाजन जी गए हुए थे, उनको मालूम है कि क्या परिस्थिति हमारे क्षेत्र में है।....*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

....*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री राम नगीना मिश्र ने जो कुछ कहा है उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)* *

*[हिन्दी]*

**श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना)** : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व एक सदस्य ने बिहार के गन्ना किसानों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उससे भी खराब हालत उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की है। केवल गोरखपुर और देवरिया जिलो में 15 चीनी मिलें हैं। पांच चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। पडरौना और कटकुइयां शुकर फैक्ट्री से पिछले चार साल से 16 करोड़ रुपया बकाया है। कप्तानगंज में 14 करोड़ रुपया बकाया है। सरकार नगर में 22

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करोड़ रुपया बकाया है। कार्पोरेशन की मिलों में पांच करोड़ रुपया बकाया है। इस तरह से 35 करोड़ रुपये केवल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बकाया है। पांच मिलें आलरेडी बंद हो चुकी हैं। चीनी निगम की 38 फैक्ट्रियों में से 10 फैक्ट्रियों को छोड़कर बी. आई. एफ. आर. ने सबको रुग्ण घोषित कर दिया और नीलाम करने जा रहा है। सारी मिलें बंद होने जा रही हैं। हाहाकार मचा हुआ है। गन्ना किसान बेहद परेशान हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपको भारत सरकार से क्या कहना है?

**श्री राम नगीना मिश्र** : भारत सरकार से आपके माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि गन्ना किसानों के प्राणों की रक्षा के लिए वहां की मिलों को चलाया जाए। गन्ना किसानों का जो दाम बकाया है, वह दिया जाए। बी आई एफ आर ने कटकुइयां पडरौना शुगर फैक्ट्री को गंगोत्री मिल को दे दिया है और वह तीन साल से बंद पड़ी है।....*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह स्पीच नहीं है, जीरो आवर है। आप भारत सरकार से अपनी मांग कीजिए।

**श्री राम नगीना मिश्र** : मैं भारत सरकार से मांग कर रहा हूं कि गन्ना किसानों का दाम दिलवाया जाए और मिलों को चलवाया जाए। माननीय मंत्री जी यहां मौजूद है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनकी हालत को सुधारा जाए। माननीय मंत्री जी सुनिये। वहां हाहाकार मचा हुआ है, गन्ना किसान मर रहा है। भारत सरकार से मैं मांग कर रहा हूं कि गन्ना किसानों को बचाइए। गन्ना किसानों का बकाया दाम दिलवाइए। मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं।....*(व्यवधान)* मान्यवर, मुझे संरक्षण दीजिए, मंत्री जी कुछ कहने जा रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)* *

*[हिन्दी]*

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने रेणु कुमारी जी को फ्लोर दिया है।

**श्री राम नगीना मिश्र** : मंत्री जी आप किसानों के संरक्षक हैं। क्या होगा गन्ना किसानों का? लाखों किसान मर रहे हैं और मंत्री जी बोलेंगे नहीं। आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे?. ...*(व्यवधान)*

* यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह शून्यकाल है। इसमें जरूरी नहीं कि हर बात पर मंत्री जी रिस्पॉन्स दें।

**अपराह्न 1.00 बजे**

**श्रीमती रेणु कुमारी (खगड़िया)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय लूंगी। ....*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप इंटरप्ट मत कीजिए।

....*(व्यवधान)*

**उपाध्यक्ष महोदय** : महिला सदस्य आधे घंटे से खड़ी हुई हैं।

....*(व्यवधान)*

**श्रीमती रेणु कुमारी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक समाचार–पत्र की तरफ दिलाना चाहती हूं।....*(व्यवधान)*

**श्री राम नगीना मिश्र** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लाखों गन्ना किसानों की बात उठा रहा हूं। ....*(व्यवधान)* लेकिन उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है।....*(व्यवधान)*

**श्री प्रमोद महाजन** : उपाध्यक्ष महोदय, यह जिस भावना से कह रहे हैं, मैं संबंधित मंत्री के पास इनकी शिकायत पहुंचा दूंगा।

**श्रीमती रेणु कुमारी** : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं मिलने के कारण बिहार के तमाम जिलों के ग्रामीण विकास योजनाओं की केन्द्रीय सहायता राशि रोक दी है। सूत्रों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र के कारण रोकी गई राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक है। मैं यह कहना चाहती हूं कि बिहार में वैसे ही विकास की गति बहुत धीमी है। अगर यह केन्द्रीय सहायता नहीं मिली तो बिहार में विकास की संभावना अवरुद्ध हो जायेगी। जहां तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र की बात है तो वहां के जिलाधिकारी और उपविकास आयुक्त को वैसे भी मालूम नहीं रहता कि कब उपयोगिता प्रमाण–पत्र दें जिससे केन्द्रीय सरकार राशि भेजे।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि वह एक समय सीमा निर्धारित कर दे और उस समय सीमा के अंदर ही जिले से उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाये। अगर समय सीमा के अंदर उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं आता है तो ऐसे जिलाधिकारी और उपविकास आयुक्त के विरुद्ध केन्द्र सरकार कार्रवाई करे। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहती हूं कि मेरी आवाज केवल पेपर में ही छपकर न रह जाये बल्कि संबंधित मंत्री जो भी कार्रवाई करें, उसकी सूचना संबंधित सदस्य को भी दें कि उन्होंने जिले में यह कार्रवाई की है। ....*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी)** : महोदय, अगर मैं 'शून्यकाल' में कोई मामला उठाता हूं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं अमरनाथ तीर्थयात्रियों की हत्या संबंधी न्यायिक जांच की मांग पर सभा से बाहर नहीं गया था। मैं विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गये न्यायिक जांच की मांग के समर्थन में सभा से बाहर चला गया था। उसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगा कि अमरनाथ यात्रियों की अत्यंत खेदजनक और निंदनीय हत्या को देखते हुए यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सूरत, अहमदाबाद और अन्य स्थानों से हिंसा की खबरें आई हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हिंसा के ये मामले सीधे राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथों हो रहे हैं। मैं शांति की अपील करता हूं और सरकार से यह अपील भी करता हूं कि वह देखे कि पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर प्रकार के सुरक्षा उपाय मौजूद हैं तथा उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए।

**अपराह्न 1.03 बजे**

*तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**अपराह्न 2.31 बजे**

*मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.31* बजे पुन समवेत हुई।*

**(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)**

## राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक—जारी

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब यह सभा मद संख्या—7 राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेगी। चूंकि श्री ए. सी. जोस उपस्थित नहीं है। इसलिए श्री अनादि साहू बोलेंगे।

**श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 के समर्थन में बोलूंगा। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 में बना था। वर्षों से इसमें कई संशोधन होते रहे हैं। इस समय बदले वित्तीय वातावरण के कारण कई संशोधन आवश्यक हो गए हैं। वित्त मंत्री ने संशोधन विधेयक पुरःस्थापित किया है। उदारीकरण के बाद के युग में काफी सुधार हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों, यह एक छोटा विधेयक है। हमें इस विधेयक पर चर्चा गैर सरकारी सदस्यों के कार्य से पहले समाप्त करनी होगी।

**श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा)** : महोदय, सभा में पीछे बैठने वालों को दो शब्द बोलने का अवसर प्रदान कर आपने बड़ी कृपा की है। अन्यथा हमें बोलने का कोई अवसर नहीं मिलता। जब हम राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक के बारे में सोचते हैं, तो हमें उन दूसरे संस्थानों का ध्यान भी आ जाता है जो राज्य वित्तीय निगम की सहायता कर रहे हैं। ये था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. डी. बी. आई.) जो संशोधन के बाद 'सिडबी' हो जाएगा। कल मेरे मित्र, श्री जोस 'सिडबी' के बारे में बता रहे थे कि विधेयक में दीर्घ अवधि क्यों नहीं दर्शाई गई है। यदि वे यहां होते तो मैं उनसे यह अनुरोध करता कि वे खंड 29 (घच) को पढ़े जिसमें यह कहा गया है कि इसे विकास बैंक कहा जाएगा। वैसे यह एक अलावा बात है। तो, जब हम राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक के बारे में सोचते हैं तो हमें विश्व व्यापार संगठन के नियमों और निगम क्षेत्र में आ रहे परिवर्तनों के बारे में भी सोचना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए, यहां उपस्थित वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1998—99 के अपने बजट भाषण में कहा था कि 'सिडबी' को 'आई. डी. बी. आई.' से अलग कर दिया जाएगा उसे पूरी तरह से निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि 'सिडबी' राज्य वित्तीय निगमों को निधियां उपलब्ध करा सके।

जैसा कि आप जानते ही हैं कि आम तौर पर 'सिडबी' लघु उद्योगों की देखरेख करता है और राज्य वित्तीय निगमों को आई. डी. बी. आई. और 'सिडबी' से सहायता मिलती है। आप यदि समय—समय पर मिलने वाली रिपोर्टों को देखें तो पता चलेगा कि 'सिडबी' तैयार उत्पादनों से जुड़े लोगों के कई उपक्रमों का वित्त पोषण कर रहा है। आप कृपया यह समझें कि राज्य वित्तीय निगमों द्वारा प्रदत्त निधियों से ही लघु उद्योगों से हमारी लगभग 40 प्रतिशत तैयार वस्तुएं और लगभग 30 प्रतिशत निर्यात होता है।

कई वर्षों में यह देखा गया है कि राज्य वित्तीय निगमों से ऋण न मिलने पर भी लघु उद्योग खाद्य उत्पादों, वस्त्र, रसायन व उससे बने उत्पादनों, कच्ची धातुओं, मशीनों, सेवाओं और कई अन्य क्षेत्रों में अपने पैर पसार रहे हैं। यह विचार सही था कि लघु उद्योगों की गतिविधियों के क्षेत्रों का विस्तार किया जाना चाहिए। इससे लघु उद्योग इकाईयों को राज्य वित्तीय निगमों से ऋण प्राप्त हो सकेगा।

---

* अपराह्न 2.00 बजे गणपूर्ति की घंटी बजाई गई। गणपूर्ति नहीं हुई। 2.04 बजे गणपूर्ति की घंटी पुनः बजाई गई लेकिन गणपूर्ति नहीं हुई। उसके बाद 2.08 बजे पुनः गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई लेकिन फिर भी गणपूर्ति नहीं हुई। तत्पश्चात् महासचिव ने उपस्थित सदस्यों को इस प्रकार बताया :

"गणपूर्ति का अभाव है। इसलिए यह सभा समवेत नहीं हो सकती। हम सभा की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते क्योंकि गणपूर्ति का अभाव है। माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि यह सभा अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत होगी।"

[श्री अनादि साहू]

यह सच है कि लघु उद्योगों में मंदी का दौर चल रहा है और यह भी सही है कि कुछ क्षेत्रों में लघु उद्योगों की भूमिका काफी सराहनीय रही है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में उत्तम गतिविधियों के कारण ही लघु उद्योगों को बढ़ावा मिला है और राज्य वित्तीय निगमों ने वहां लघु उद्योगों को लगभग 1865 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है। इनकी गतिविधियों के क्षेत्र में विस्तार से लोग अधिकाधिक संख्या में ऐसी गतिविधियों से जुड़ सकेंगे। तो, संशोधन प्रस्तुत करते समय ये सभी बातें ध्यान में रखनी होंगी। यह निर्णय काफी सही और सोच–समझकर लिया गया है कि लघु उद्योगों की सेवाओं में नई व्यापारिक गतिविधियों जैसे पुष्पकृषि, उत्तककृषि, मुर्गी पालन, व्यवसायिक केन्द्र, एस. आर. टी. ओ. और विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने संबंधी सुविधाओं इत्यादि का समावेश भी करना चाहिए।

इन संशोधन उपबंधों में यह मूल सिद्धांत ध्यान में रखा गया है कि किसी भी प्रकार के औद्योगिक विकास के लिए राज्य वित्तीय निगम अनिवार्य शर्त है। हम जब भी औद्योगिक विकास के बारे में सोचते हैं तो हमें वित्तीय पुर्नसंरचना, लोच, लघु उद्योगों और राज्य वित्तीय निगमों को कुछ सीमा तक स्वायत्ता देना और सबसे बढ़कर व्यावसायिकता के बारे में भी सोचना पड़ता है।

इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर जो पहला विचार आया, वह यह था कि अधिकृत पूंजी की सीमा बढ़ाई जाए। तो यह सीमा 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये तक कर दी गई और विशेष परिस्थितियों में तो इसे 1000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। यह बेहद जरूरी है। अब जब हम शेयर पूंजी, अधिकृत पूंजी और बाकी बातों पर विचार करते हैं तो प्रश्न यह उठता है कि वित्त आएगा कहां से? हमारे पास योग्य सांस्थानिक क्रेता है जैसे: भारतीय जीवन बीमा निगम, जी आई सी, यू. टी. आई. या ऐसे ही कई दूसरे संस्थान इत्यादि। तो, हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि एक बार निवेश की गई राशि को वे राज्य वित्तीय निगम से वापिस निकाल न सके। इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए कि वे निवेश की गई राशि आसानी से निकाल न सकें और बाकी संस्थाओं को भी शेयर खरीदने के लिए बढ़ावा देना चाहिए।

मगर यहां, मैं आपके माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां तक पृष्ठ4, खंड 4 छ (2) पर दिए प्रतिदेय तरजीही शेयरों का संबंध है, ये शेयर, राज्य वित्तीय निगमों के कर्मचारियों को दिए जा सकते हैं और कंपनी अधिनियम, भाग–2 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें भविष्य में किसी तारीख पर शेयर खरीदने की अनुमति दी जा सकती है। वे प्रतिदेय तरजीही शेयर प्राप्त कर सकेंगे। इस संशोधन अधिनियम में भी यह प्रावधान है कि कोई भी और शेयर खरीद सकता है किंतु यह राज्य वित्तीय निगमों के कर्मचारियों के हक में होना चाहिए ताकि वे भविष्य में शेयर खरीद सकें। जब भी वे रुपये कमाएं तब वे शेयर खरीद सकते हैं। इससे उन्हें बढ़ावा मिलेगा। इससे उनकी इस भावना को भी बल मिलेगा कि वे भी राज्य वित्तीय निगम की गतिविधियों में भागीदार हैं।

कुछ मित्र इस मुद्दे पर बहस कर सकते हैं कि राज्य वित्तीय निगम सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। 18 निगमों में से 5 तो काफी अच्छी तरह कार्यरत हैं किंतु बाकी कई कारणों से कार्यरत नहीं हैं। उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम का ही एक मामला लीजिए। चक्रवात ने वहां भयंकर तबाही मचाई थी। यह निगम अब अपने 500 करोड़ रुपये के ऋण और उसके ब्याज की वसूली नहीं कर पा रहा है। हम वित्त मंत्री महोदय से पहले ही उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम के ब्याज की माफी का अनुरोध कर चुके हैं।

महोदय, अब आपने जो भी कुछ दिया है, यह ध्यान में रखें कि तुलनपत्र स्पष्ट होना चाहिए जब तक राज्य वित्तीय निगमों के तुलन पत्र स्पष्ट नहीं होंगे तब तक 1000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के बावजूद भी उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में कई कठिनाइयां आएंगी। महोदय आप पहले ही कह चुके हैं कि इन्हें स्वायत्ता दी जाएगी। इस पर, माननीय वित्त मंत्री खंड 7 में यह बता चुके हैं कि इसके लिए मूल अधिनियम की धारा 5 से 10 तक में संशोधन किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण है.... वित्तीय निगम, यदि ऐसे हस्तांतरणों से उनके शेयरों का मूल्य इक्यावन प्रतिशत से भी कम हो जाता है.... यह दिया जा चुका है।

मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे समय अवधि के भीतर रहने की सख्त चेतावनी दी है। तो मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि इस संशोधन अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण उपबंध धारा 6 में दिए गए हैं जो कि शेयरों से संबंधित हैं। खैर, जहां तक शेयरों का संबंध है, पिछले अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य राज्य सरकारों की संस्थाएं ही शेयर रखती थी और अनेक प्रकार से उन पर नियंत्रण भी रखती है।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया समाप्त कीजिए।

**श्री अनादि साहू** : कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए। यदि आप मुझे समय देंगे तो मैं बोलूंगा, वरना मैं बैठ जाता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, आप जारी रखिए।

**श्री अनादि साहू** : धारा 7, शेयरों से संबंधित है। धारा 7 में जो सबसे अच्छा विचार रखा गया है कि वह यह है कि राज्य सरकारों की गारंटी के बिना ही शेयर खरीदे या हस्तांतरित किए जा सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा प्रावधान है जिससे आम जनता में यह विश्वास पैदा होगा कि वे भी शेयर खरीद सकते हैं। इससे पहले,

राज्य सरकार गारंटी देती थी, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक राज्य वित्तीय निगम को अपने पैरों पर खड़ा होना है और उनमें व्यवसायिकता की भावना भी पैदा करनी है कि उन्हें लघु उद्योगों की सहायता करनी है और इससे आने वाले कई उद्योगों को लाभ पहुंचेगा।

आप यह देखिए कि इस विधेयक में किस प्रकार के नए उद्योगों की चर्चा की गई है – विकास, रखरखाव और सड़कों का निर्माण इत्यादि, जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा ही नहीं था। इंफोटेक जैसे उद्योग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को उपलब्ध कराने के साथ–साथ स्वास्थ्य, चिकित्सा और इससे जुड़ी अन्य सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में मुख्य मंत्री श्री नायडू ने यह नया विचार प्रस्तुत किया है। कि जिला मुख्यालय अस्पतालों का प्रबंधन निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए।

मेरे विचार से इस बारे में, मैं सही हूं। जब तक ऐसे व्यक्तियों को राज्य वित्तीय निगमों से निधियां प्राप्त नहीं होंगी तो वे ये सब कार्य कैसे करेंगे। इसी विचार के लिए संशोधन का प्रावधान रखा गया है। आपने देखा होगा कि पुष्पकृषि उद्योग का क्षेत्र दिल्ली या कलकत्ता के ही आसपास रहता है। आपने देश के अंदरूनी और बाहरी उपयोग के लिए फूलों की कई क्यारियां बल्कि सैकड़ों–हजारों एकड़ में ये क्यारियां देखी होंगी। निर्यात योग्य फूलों का उत्पादन भी किया जा रहा है। जब तक राज्य वित्तीय निगम ऐसे कार्यों के लिए वित्त पोषण नहीं करता, तब तक किसी भी संस्थान के लिए विकसित होना संभव नहीं है। इन सभी चीजों का, नए क्षेत्रों और नए विश्लेषणों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

आई. टी. आई. से प्रशिक्षित लोग, युवा लड़के–लड़कियां या मैट्रिक के बाद किसी और ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त लोग बेरोजगार हैं। उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा उसके लिए एम. पी. सेवाओं की सुविधा भी रखी गई है। खंड 20 में इसका ब्यौरा दिया गया है। कई प्रकार के सेवा उद्योग जैसे आल्ट्रींग, ऑर्नामेंटिंग, पॉलिशिंग, फिनासिंग, ऑयलिंग और वाशिंग इत्यादि भी रखे गए हैं। इसलिए सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि भविष्य में किस प्रकार की गतिविधियों उत्पादन में सार्थक सिद्ध होंगी, किनसे लाभ मिलेगा और किन गतिविधियों के लिए लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए राज्य वित्तीय निगमों से ऋण प्राप्त हो सकेंगे।

अतएव मैं कहना चाह रहा था कि वित्त पोषण में कोई गारंटी नहीं है। तरजीही शेयर तो हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तरजीही शेयर, राज्य वित्तीय निगमों को भी दिए जाने चाहिए। धारा 7 में भी संशोधन किया जा रहा है। ताकि राज्य वित्तीय निगम अपनी कार्य–पूंजी में वृद्धि के लिए बांड्स और डिबेंचरों को जारी करे और उनकी बिक्री कर सकें। आप बढ़ी हुई अधिकृत पूंजी दे चुके हैं। अब, आपको कार्य–पूंजी बढ़ानी होगी। इसलिए, जब आप 1000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी दें तो आपको कार्य–पूंजी के लिए भी राशि देनी होगी। तो इसलिए, वे बांड्स को जारी कर सकते हैं व बेच भी सकते हैं। किंतु यह बताया जा चुका है कि ये बांड शेयर पूंजी की राशि के दस गुना से अधिक नहीं होने चाहिए। यह प्रतिबंध अनिवार्य हैं अन्यथा बोर्ड अव्यवस्थित हो जाएगा और इससे समस्याएं उत्पन्न होंगी।

धारा 10 में संशोधन किया जा रहा है। बोर्ड के निदेशकों के संबंध में काफी कुछ किया जा सकता था। इसे अधिक लोचदार बनाया जा सकता था। अभी भी राज्य सरकारों और सिड्बी के पास शक्तियां हैं। मैं यहां कहना चाहूंगा कि आजकल भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारियों को भी 'सिड्बी' और 'सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों' में नियुक्त किया जा रहा है, जबकि उन्हें इन क्षेत्रों का अधिक अनुभव भी नहीं है। इंडियन एयरलाइंस का ही मामला लें, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 के बैच का एक अधिकारी प्रबंध निदेशक है। उसे एयरबस, डकोटा और टू–सीटर का फर्क कैसे पता चलेगा? इसी प्रकार एक अधिकारी के ही रूप में वह राज्य वित्तीय निगम में होता इसलिए जब आप निदेशक मंडल की बात करते हैं, तो उस पर सरकार का न्यूनतम नियंत्रण होना चाहिए। प्रबंध निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। मेरे विचार से, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की शक्ति दी जानी चाहिए जिससे कि थोड़ी बहुत व्यावसायिकता आ सके।

धारा 25 में संशोधन किया जा रहा है, और यह धारा एक बहुत महत्वपूर्ण उपबंध भी है। क्या मैं धारा 25 के संबंध में कुछ कह सकता हूं? जैसा कि मैंने कहा था, खंड 2 में दर्शाए गए क्रियाकलापों के क्षेत्रों को धारा 25 में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। धारा 25 में, योजनाकरण, उद्योगों को बढ़ावा देने और उनका विकास करने में सहायता, परामर्श उपलब्ध कराना और व्यापारिक बैंकिंग सेवाओं को भी शामिल किया गया है। दूसरों ने इसके बारे में नहीं सोचा है। हम वित्त मंत्री और अपनी सरकार के प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने 10 या 15 वर्ष पहले ही इन सब बातों पर विचार किया है ताकि राज्य वित्तीय निगम ऋण दे सके, योजना तैयार कर सके और हमारे उद्योगों को उपयुक्त आधार प्रदान कर सकें, जिससे निर्यात किया जा सकता है और आंतरिक राजस्वों में वृद्धि की जा सकती है।

अंतिम ही सही पर धारा 48 बहुत महत्वपूर्ण भी है। इन वर्गों में से प्रत्येक, जिनका संशोधन किया जा रहा है, महत्वपूर्ण है। धारा 48 कार्य करने के तरीके, विकास बैंक की भूमिका और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की भूमिका को दर्शाता है।

[श्री अनादि साहू]

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने भारतीय राज्य वित्तीय निगमों को पिछले वर्ष 200 करोड़ रुपये दिए थे। इसका प्रमुख लक्ष्य भारत को एक मजबूत आर्थिक आधार और नियंत्रण क्रिया–विधि प्रदान किया जाना है जिससे कि मंदियां और अनिश्चितताए खत्म होगीं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की सही आदर्शोक्ति है और इसको ध्यान में रखते हुए, इन संशोधनों को किए जाने के बाद भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और अधिक सक्रियता से कार्य कर सकने में समर्थ होगा।

जैसा मैंने कहा है, ऐसे क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है और वहां पूंजी प्रवाह होगा। पिछले वर्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने प्रमुख रूप से लौह एवं लौह उत्पादों को लगभग 12.59 प्रतिशत और कपड़ा उद्योग को लगभग 11.35 प्रतिशत, सीमेंट संबंधित उद्योगों को 6.9 प्रतिशत ऋण दिया था – मैं यहां केवल तीन या चार महत्वपूर्ण चीजों की बात कर रहा हूं – और कागज और कागज उद्योग को 5.48 प्रतिशत ऋण दिया था।

मैं अब सुझाव दूंगा कि उपबंधों में संशोधन किए जाने पर विचार करते समय, मैं वित्त मंत्री से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की पूंजी में वृद्धि करने का अनुरोध करता हूं ताकि यह राज्य वित्तीय निगमों को और अधिक प्रभावी और बेहतर तरीके से धन दे सके और समूचे देश के 19 राज्य वित्तीय निगम, जिनमें से एक तमिलनाडु में स्थित है और जो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के क्षेत्र में नहीं आता है क्योंकि उसका अपना अधिनियम है – समृद्ध हो और देश उन्नति कर सके एवं वे उपबंध, जिनका समावेश किया जा रहा है, वे काफी अच्छे हैं और उनके दूरगामी परिणाम होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर (अकोला)** : मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक विलंब से आया है। हमने नब्बे के दशक में उदारीकरण की प्रक्रिया आरंभ की थी और राज्य वित्तीय निगमों का पुर्नसंचन करने के बारे में अब सोच रहे हैं।

यह एक अच्छा प्रयास है। मैं इसका विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं करूंगा। परंतु ये राज्य वित्तीय निगमें पत्तन की ओर उन्मुख हैं। 1995 से 1998 तक 22.9 प्रतिशत की अवनति हुई है। इस अवनति के दो कारण हैं। जिसमें से एक का संबंध धारा 29 से है। दूसरी अवनति यह है कि इन राज्य वित्तीय निगमों द्वारा उपलब्ध कराया गया धन, मैं तो यही कहूंगा कि कर्जदार के लिए बहुत महंगा है। उदारीकरण एवं शेयर बाजार में आए उछाल के कारण उधारकर्त्ता बाजार से ऋण लेने लगे हैं। हालांकि बाजार से ऋण लेना महंगा है, फिर भी वह राज्य वित्तीय निगमों के पास जाने के बजाय वही रास्ता चुनता है। वह बाजार से ऋण केवल इसलिए लेता है क्योंकि निर्णयों के संबंध में और निवेश करने और उस धन का उपयोग करने के संबंध में उसके पास पूर्ण स्वायत्ता है। जब वह राज्य वित्तीय निगम के पास जाता है तो हर समय उसे वित्तीय निगमों के समक्ष खुद को पेश करना होता है, अतएव, उसे उस समय उचित निर्णय लेना पड़ता है।

मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पहलू पर गौर करें तथा वे इसके लिए क्या कर रहे हैं कि ऋणकर्त्ता बाज़ार से ऋण न प्राप्त कर राज्य वित्तीय निगमों से प्राप्त करें। एक मुद्दा यह भी है।

दूसरी अवनति का संबंध धारा 29 से है। यह एक विकर्ण धारा है जिसमें एक व्यतिक्रम है कि राज्य वित्तीय निगमों को वहां शक्तियां प्रदान की गई हैं जहां इकाइयों को बस वे जब्त कर सकती हैं। वे इसका निपटान जैसा वे चाहें, उस तरीके से कर सकते हैं।

एक मामले, महेशचन्द्र बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम में उच्चतम न्यायालय ने सात दिशा–निर्देश नियत किए हैं। मैं उन सभी दिशा–निर्देशों का वर्णन नहीं करूंगा, परंतु मैं विहित कुछ प्रमुख दिशा–निर्देशों का वर्णन करूंगा। इसके अनुसार :

> "किसी इकाई को जीवनक्षय बनाने और इसकी नीलामी करने या इकाई को बेचे जाने का निर्णय लेने के पूर्व इसे कार्य करने की स्थिति में लाने के सभी प्रयत्न किये जाने चाहिए।"

दूसरा सुझाव यह है कि इकाइयों की बिक्री हमेशा जन नीलामी के द्वारा ही की जानी चाहिए। ऐसा राज्य वित्तीय निगमों द्वारा नहीं किया जाता है। दूसरा यह है कि यदि निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं तब सबसे अधिक बोली लगाने वाले को कार्य सौंपा जाना चाहिए। ये कुछ ऐसे दिशा–निर्देश हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने विहित किया है। विहित किए जाने के बाद भी उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि ऋण दर में 28 प्रतिशत की गिरावट हुई है। यदि आप राज्य वित्तीय निगमों का पुनर्निमाण करना चाहते हैं तब हमें इस धारा को मिलाने और उपबंध बनाने के बारे में सोचना होगा क्योंकि हमने अपने उपबंधों को बी आई एफ आर में बड़ी इकाइयों के लिए बनाया है, जिसमें एक पुनर्संरचना बोर्ड है। इसी प्रकार की प्रक्रिया उन उद्योगों के मामले में अपनाई जानी होगी, जिन्हें राज्य वित्तीय निगमों से धन मिलता है।

मैं इस मुद्दे के अंतिम पहलू पर आऊंगा। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे इन इकाइयों को प्रतियोगी बनाना चाहते हैं। अब, यदि आप इन इकाइयों को प्रतियोगी बनाना चाहते हैं तो मेरे विचार से इन दो बातों में अंतर करना होगा। एक प्रशासक और प्रबंधक के

बारे में है क्योंकि, जब तक हम प्रशासक एवं प्रबंधक में अंतर नहीं करते, मेरे विचार से, तब तक हम इन राज्य वित्तीय निगमों अथवा किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को जीवनक्षय बनाने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे। इसलिए, इन इकाइयों को जीवनक्षय इकाई बनाने के लिए मेरा एक सुझाव है कि चूंकि हमारे यहां भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर, भारतीय वन सेवा काडर है, उसी प्रकार हमारे पास एक ऐसा काडर होना चाहिए जो इन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को चला सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों का प्रबंधन इसके अभिकल्प एवं विपणन से संबंध रखता है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगों में अनिवार्यतः नहीं मिलता। चूंकि उन्हें विपणन अभिकल्पों का ज्ञान नहीं होता है, हम पाते हैं कि उन पर नौकरशाही हावी हो जाती है। इसप्रकार, इसमें हानि होती है।

दूसरा मुद्दा, जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप इन इकाइयों को जीवनक्षय बनाने वाले थे, तो हमें मंडलों को कार्यकरण और उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु और अधिक स्वायत्ता देनी है। मेरा सुझाव है कि इन वित्तीय संस्थानों को सचिवालय के प्रति उत्तरदायी बनाए जाने के बजाय मंत्री के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया जाये क्योंकि सचिवालय के प्रति उन्हें उत्तरदायी बनाए जाने से सचिवालय उनका प्रथम अधिकारी बन जाता है और उसके बाद मंत्री का स्थान आता है। अतएव, इससे इसका पूरा कार्यकरण प्रभावित होता है। मेरे विचार से इन दो परिवर्तनों को किया जाना अच्छा होगा।

अंतिम मुद्दा इन राज्य वित्तीय निगमों द्वारा दिए गए धन के बारे में है। इनका गठन मुख्यतः कारीगरों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कुछ वर्गों के लिए किया जाता है। यदि आप राज्य वित्तीय निगमों के कार्यों को देखते हैं तो पाते हैं कि इन निगमों द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को दी गयी अंतिम ऋण की राशि दो प्रतिशत के बराबर भी नहीं है। इस समुदाय में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इस समुदाय में प्रतिभा है। इस योजना के अनुसार अपेक्षित पांच प्रतिशत की आवश्यक प्राथमिक पूंजी उपलब्ध कराने में सरकार द्वारा सहायता पहुंचाने की आवश्यकता है। परंतु इस शीर्ष के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लिए कितना धन रखा गया है? मैं सिर्फ अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की बात नहीं कर रहा हूं। सामान्य वर्गों में भी प्रतिभा होती है, परंतु उन लोगों को ऋण के रूप में देने के लिए आवश्यक धन उनके पास नहीं है।

**अपराह्न 3.00 बजे**

इन वित्तीय संस्थानों द्वारा इन उम्मीदवारों को सहायता देने की अपेक्षा की जाती है। और हमने उसके लिए कितना धन रखा है! हमने इन उम्मीदवारों, जिनके पास प्रतिभा तो है परंतु जिनके पास संस्था स्थापित करने या परियोजना प्रतिवेदन के लिए भी प्राथमिक पूंजी नहीं है, के उत्थान के लिए मात्र 0.02 करोड़ रुपए रखे हैं।

यह एक महान विचार है कि उन्होंने अब इन निगमों को जीवनक्षम बनाने और उसको स्वायत्तता देने पर ध्यान दिया है। परंतु मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन पहलुओं पर भी गौर करें।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**श्री एम. वी. वी. एस. कृष्णमूर्ति (विशाखापत्तनम)** : अध्यक्ष महोदय, राज्य वित्त निगम संशोधन (विधेयक) 2000 के संख्या 123 में लाया गया संशोधन एक स्वागत योग्य कदम है और मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस विधेयक के कुछ पहलुओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे विचार में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के स्थान पर भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक के प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास शेयर हैं। अतः उसे रहने दिया जाए और भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक को भी शामिल किया जा सकता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक दोनों के बने रहने से राज्य वित्त निगमों को शेयर पूंजी का और व्यापक आधार मिल सकता है।

दूसरा विषय जिस पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह खंड 4 में संशोधन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि वित्त निगम की अधिकृत पूंजी पचास लाख रुपये से कम नहीं होगी तथा पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी। यह ठीक है। पुनः एक शर्त जोड़कर ऐसा प्रावधान किया गया है कि यह एक हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। मेरा सुझाव है कि इसे सीधे एक हजार करोड़ कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसे जनता से एकत्र किया जाना है। आजकल, कोई भी व्यक्ति अत्यधिक धन इकट्ठा कर सकता है और जब आप पब्लिक इक्विटी के लिए मांग करेंगे तो वहां से आसानी से धन प्राप्त कर लेगें क्योंकि बाजार में और राज्यों में भी यह भावना व्याप्त है कि राज्य वित्त निगम मुख्यतः आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में अच्छा कार्य कर रहे हैं। जनता के अन्दर यह भावना है कि राज्य वित्त निगम आसान ऋण देते हैं और लघु उद्योगों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए, जब वे लघु उद्योगों की सेवा कर रहे हैं तो यह शर्त बदलकर सीधे एक हजार करोड़ रुपये की जा सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय पर भी विचार करने का अनुरोध करता हूं।

[श्री एम.वी.वी.एस. कृष्णमूर्ति]

अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं यह है कि राज्य वित्त निगमों के पास पर्याप्त धन होना चाहिए ताकि वे कम ब्याज दर पर ऋण दे सकें तथा लघु उद्योगों की और अधिक सहायता कर सकें। जनता के अंदर यह भी भावना है कि वे नये प्रवेश करने वालों से शुल्क नहीं लेते हैं, जैसा कि बड़ी ऋणदाता संस्थाएं करती हैं। अतः यह भी एक स्वागत योग्य लक्षण है।

**अपराह्न 3.04 बजे**

**(डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय *पीठासीन हुए*)**

महोदय, ऋण जारी करने की सीमा एक करोड़ पचास लाख रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये की जा सकती है ताकि राज्य वित्तीय निगमों द्वारा लघु उद्योगों की वास्तव में वित्तीय सहायता की जा सके। अतः इस पर भी गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास जाने की जरूरत न पड़े। एक बार मूल्यांकन कर दिया जाता है और यथार्थता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है तो लघु उद्योगों को पांच करोड़ रुपये दिया जाना संभव होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि ज्ञात है अन्य संस्थाओं से धन प्राप्त करने की दर बहुत ऊंची होगी।

राज्य वित्तीय निगमों द्वारा कुछ साधारण शेयर उद्यमियों को देकर उनकी सहायता की जाती है। वे प्रवर्तक जिनके पास वास्तव में विशेषज्ञता हैं परंतु वे अपनी पूंजी नहीं लगा सकते हैं तो वित्तीय निगम उनको चार लाख रुपये तक का इक्विटी देता है। लेकिन आजकल चार लाख रुपये कुछ नहीं हैं। इसलिए राज्य वित्तीय निगमों द्वारा प्रर्वतकों को दिया जाने वाला इक्विटी दस लाख रुपये तक बढ़ा दिया जाना चाहिए।

इससे वास्तव में मदद मिलेगी। यह केवल उपयुक्त या ठीक होने पर दी जा रही है।

महोदय, यह कुछ ऐसी बाते हैं जिनके विषय में मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी विचार करेंगे। व्यापारिक क्रियाओं के इस विस्तार में फूलों की खेती, ऊतक संस्कृति, कुक्कुट पालन, वित्तीय कम्पलेक्स तथा सड़कों आदि का सम्मिलित किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। आप उनको व्यापक सिलसिले में आसान ऋण देने के अतिरिक्त अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं की तरह बना सकते हैं ताकि लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सके। आज भारत में कृषि के बाद यही क्षेत्र रोजगार का मुख्य साधन है। कृषि के अलावा लघु उद्योग अकेले रोजगार दे रहा है। इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अन्ततः, कोई भी सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने के बारे में सोचेगी। लघु उद्योग क्षेत्र अकेले इस देश में रोजगार उत्पन्न करने का अवसर उपलब्ध करवा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अन्य विकसित देशों की तरह से औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास नहीं किया है। अतः, स्वाभाविक रूप से, लघु उद्योग क्षेत्र में भी परेशानियां बढ़ेगी।

इन कठिनाइयों के बावजूद, पिछले 48 वर्षों में – 1951 से –ये राज्य वित्तीय निगम जरूरत के समय बड़ी अच्छी सेवा किए हैं। उनकी सेवा बहुत अच्छी रही हैं। उनका विस्तार हो रहा है। जब वे रोजगार सृजन में सहायता कर रहे हैं तो उनके साथ अन्य संस्थाओं से अलग प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए।

दुर्भाग्य से, वर्ष 1998–99 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक से मिलने वाली साधन सहायता 970 करोड़ रुपये से घटकर 939 करोड़ रुपये हो गई है। इस तरह से घटने का मतलब है कि लघु उद्योगों को धन की न तो मंजूरी दी गई और न ही संवितरण किया गया। यह नहीं होना चाहिए। इसमें सदैव बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। तब वास्तव में इस देश में केवल लघु उद्योगों का विकास होगा जिनसे रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। जो आज की जरूरत है।

मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि इन राज्य वित्त निगमों में ब्याज की कम दर का होना अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। राज्य वित्त निगमों के विषय में यह बात सदैव ध्यान में रखी जानी चाहिए कि अन्य ऋण देने वाली बड़ी संस्थाओं की तुलना में इनकी ब्याज दर सदैव 2 प्रतिशत या 3 प्रतिशत कम होनी चाहिए। मेरे विचार में इसका पालन कड़ाई से नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे देखें कि इसका पालन किया जा रहा है।

महोदय, मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं कुछ और मुद्दे रखकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

दूसरी बात यह कि राज्य वित्त निगमों में ऋण की वसूली दूसरे मामलों में बहुत अच्छी है क्योंकि राजस्व वसूली अधिनियम के तहत दिए गए ऋण की वसूली की जा सकती है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह गलत है। लेकिन कम से कम एक शर्त होनी चाहिए कि यदि कोई ऋण को चुकता नहीं करता है तो इसकी वसूली की जा सके। प्रगति और ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी के साथ भुगतान से वास्तव में भागने वालों के लिए निवारण दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। भुगतान की वसूली भी की जानी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बात है।

दूसरी बात सामाजिक परिप्रेक्ष्य की है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा। ऋण के संवितरण तथा इक्विटी देते समय इस पर विचार करना चाहिए। सामाजिक रूप से पिछड़े किसी व्यक्ति के पास कोई विचार हो सकता है। लेकिन वे शेयर पूंजी लगाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको यह तय करना चाहिए कि

शेयर पूंजी का कुछ अंश यथा चार लाख जैसा कि मैं कर रहा था, उन्हें दिया जाना चाहिए। मैंने अनुरोध किया था कि यह चार लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष कुछ प्रतिशत वृद्धि की जानी चाहिए और इसे उपर्युक्त प्रकार से दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, विगत वर्ष हमने किसी को इक्विटी का वितरण नहीं किया। इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना है। इसका बंटवारा क्रमिकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के पास नया विचार है तथा उसमें व्यावहारिकता है तो हमें उनको इक्विटी देने में सक्षम होना चाहिए।

अन्य क्षेत्रों यथा बैंकिंग या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक में वित्त निगमों का संचालन विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया जाता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक में धन सरकार द्वारा लगाया जाता है। वास्तविक वित्त प्रबंधकों को प्रबंध निदेशक के रूप में लिया जाना चाहिए क्योंकि धन भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। व्यक्तियों के चयन का कार्य पूर्ण रूप से उनको या राज्य सरकारों के गैर वित्तीय प्रबंधकों को देने की आवश्यकता नहीं है।

वित्तीय प्रबंधन अत्यंत कठोरता से और वसूली क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें शर्त का भी समावेश किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इन बातों पर गौर करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। मुझे आशा है कि सरकार इस विधेयक को अंतिम रूप से पेश करते समय इन बातों पर विचार करेगी।

*[हिन्दी]*

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली)** : सभापति महोदय, सन् 1951 में स्टेट फाईनेंशियल कार्पोरेशन बिल बना था और लिबरलाईजेशन के बाद सरकार ने दावा किया है कि प्रतियोगिता ज्यादा हो गई है इसलिए उनको ज्यादा ताकत देने की जरूरत है। राज्य सरकार को स्वायत्तता देने के बारे में ये कहते हैं कि फाईनेंशियल कार्पोरेशन को स्वायत्तता दे देंगे – दे देनी चाहिए। जितना डीसेंट्रलाईजेशन हो, नीचे जितनी ताकत बढ़ाई जाए, यह ठीक है। हम नहीं जानते कि देश में जितने स्टेट फाईनेंशल कार्पोरेशन काम कर रहे हैं, वहां उनकी क्या कठिनाइयां हैं और कैसी गतिविधि किनकी है। वहां से कुछ रिपोर्ट लेकर प्रेरणा आई है या अपने मन से लिबरलाईजेशन हुआ हैं। ये कहते हैं कि कानून में व्यापक संशोधन लाने का कष्ट किया है। कहते हैं कि लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के वित्त पोषण के लिए यह सब बनाया गया है। पहले आप लघु उद्योग और मध्यम उद्योग का वित्त पोषण करें। किसी भी उद्योग की प्राथमिकताएं हैं लेकिन उसकी मार्किटिंग की भी आवश्यकता होती है। कोई खिलौने वाला लघु उद्योग वाला अपना कष्ट बता रहा था कि बाहर से सस्ते खिलौने आ रहे हैं और यहां के खिलौने वालों का बाजार ही बंद हो रहा है, कोई खरीद ही नहीं रहा है। वित्त पोषण के अलावा इसका भी कोई उपाय होना चाहिए। इनका बैंक है और आज ही प्रश्न पूछा गया था। जवाब में 53,000 करोड़ रुपये था लेकिन हमको पहले से जानकारी थी कि 58,000 करोड़ एन. पी. ए. है। उसकी वसूली में कहीं न कहीं जरूर ढिलाई, कमजोरी या कानून में लैकूना है जिस वजह से वह इतना बढ़ गया और उस पर कार्यवाई नहीं हो रही। उसी तरह यह भी एक स्टेट फाइनेंशियल कार्पोरेशन है। इन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चार डायरेक्टर हों। किसी–किसी राज्य में देखते हैं कि अभी तक मंत्री ही उसके चेयरमैन बने हुए हैं। जब पोलीटिकल आदमी को कोई जगह नहीं मिलती तो उसे उसमें दे देते हैं। वह उसे जानने वाला है या नहीं, लेकिन उसे संतुष्ट करने के लिए दे देते हैं।

इस बिल के पेज दो उप खंड (xix) में लिखा है – ऊतक पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, प्रजनन और अंडजनन। इसमें बकरी पालन क्यों नहीं लिखा। बकरी पालन से कितने गरीब आदमियों को लाभ होगा। इसमें लिखा है, आप पढ़िये, हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे हैं। हमें लगता है कि बत्तख के बदले ऊतक लिखा गया है। ठीक है, यह गरीब आदमी का विषय जरूर है लेकिन बकरी पालन को क्यों छोड़ दिया गया। गांव में गरीब आदमी बकरी पालन करता है। बच्चियां बकरी का खूंटा खोलती हैं। यह महिलाओं की आमदनी का स्रोत है। यदि एक व्यक्ति 50 बकरी पालन करे तो दिल्ली में जो व्यक्ति 5,000 रुपये की नौकरी करेगा, जितनी आमदनी वह घर दे पाएगा, यदि वह घर में 50 बकरी पालन कर ले तो उतनी आमदनी हो जाती है। मार्किटिंग की भी जरूरत नहीं होगी, उसकी मार्किटिंग ठीक है। लेकिन इस बिल में बकरी पालन नहीं है, यह गरीब आदमी का विषय है। भैंस पालन है लेकिन और सब पालन छूट गया। यदि 'आदि' भी लिखा जाता तो उससे काम चल जाता, वहां के लोग कुछ बना लेते। हरेक राज्य में हरेक तरह का काम हो सकता है।

जैसे सुअरपालन नार्थ ईस्ट की सेवन सिस्टर्स में हो सकता है, जहां 45,000 गांव हैं...(*व्यवधान*) हम बोडोलैंड का, आपका विषय बोल रहे हैं। सूअरपालन का भी लघु उद्योग की तरह इस्तेमाल हो सकता है। उसकी ब्रीडिंग इम्प्रवूमेंट होनी चाहिए। चीन में सुअर के 18 बच्चे पैदा होते हैं। उसकी ब्रीडिंग इम्प्रवूमेंट हो जाये तो इससे गरीबों को भारी मदद मिल सकती है। सूअर गरीब आदमी खरीद ले, उसके लिए स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन से मदद मिल जाये। इसमें इन्होंने 50 लाख से 500 करोड़ रुपये तक क्षमता विस्तार

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

किया है, यह ठीक है। लेकिन लघु उद्योग बैंक की अनुशंसा पर उसको एक हजार करोड़ रुपये तक क्षमता बढ़ाने का इन्होंने प्रावधान किया है, यह अच्छी चीज है।...*(व्यवधान)*

अब डेयरी पर आएंगे। हम धीरे–धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले और फिर अनटू दि लास्ट।

**सभापति महोदय** : आप उधर मत जाइये।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : आप ठीक कह रहे हैं। डेयरी में गऊ पालन और भैंस पालन है। एक आदमी यदि दो गाय पाल ले और उसको स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन से मदद मिल जाये, उससे उसे पूंजी मिल जाये और उसकी फीडिंग का इंतजाम हो जाये, फिर कोआपरेटिव से उसके मार्केटिंग का प्रबंध हो जाये तो उसको वहीं घर बैठे रोजगार मिल सकता है। बेरोजगारी असली समस्या है और बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए लघु उद्योग और लघु उद्योग से बढ़ाकर मझोला उद्योग भी उसका सहायक हो सकता है। मझोला उद्योग भी होगा तो उसमें कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। देश की असली समस्या बेरोजगारी की है। इसको हम और आप सभी भोगते होंगे। गांव से हमारे पास गरीब आदमी आता है और कहता है कि हमको हजार, डेढ़ हजार, दो हजार रुपये की नौकरी कहीं किसी फैक्टरी वाले को कहकर दिलवा दीजिए। आपके पास भी ऐसे लोग हर महीने आते होंगे, मदद के लिए। अगर लघु उद्योग और मझोले उद्योग के विकास का काम किया जाये, गांव के लोग कहते हैं कि पूंजी से व्यापार और हल से रोजगार, लेकिन वहां आदमी लघु उद्योग कैसे शुरू करेगा, इतनी क्षमता गांव के लोगों में कहां है। आप एस. एफ. सी. ताकत बढ़ा रहे हैं, यह खुशी की बात है, आपने उसकी क्षमता का विस्तार भी किया है, यह भी खुशी की बात है। लेकिन लोगों को लोन मिलने में भारी परेशानियां हैं। लोग आजिज आकर उसे छोड़ देते हैं, वहां बड़ा करप्शन है, परसेंटेज है। इसमें हम कड़ाई करने की बात कहीं नहीं खोज पा रहे हैं, इसमें इसका प्रावधान नहीं है। एक तो लोन लोगों को सहूलियत से मिल जाये, दूसरे जाली आदमी लोन ले लेता है, असली आदमी को लोन नहीं मिलता है। इसके बाद वसूली में यदि बैंको का 58 हजार करोड़ रुपया डूब गया है तो एस. एफ. सी. की वसूली का प्रकाश अम्बेडकर कह रहे थे कि यह ड्रैकोनियन कानून है। वह कड़ा कानून रहना चाहिए, नहीं तो जाली आदमी लोन ले लेगा, वह लाभ उठा लेगा और जो असली आदमी है, गरीब आदमी है, जो छल प्रपंच वाला नहीं है। जिसका मददगार कोई पावर वाला आदमी नहीं है, वह उससे वंचित हो जाता है। इसलिए कानून में ऐसा प्रावधान करना चाहिए, जिससे एस. एफ. सी. से सही मायने में बेरोजगार को रोजगार मिले, लघु उद्योग और पूंजी उनको मिले। ऐसा नहीं हो कि वह डूबन्त खाते में चला जाये। बैंक वाला 58 हजार करोड़ रुपया तो डूबन्त खाते में गया ही हुआ है। इसकी फीगर हमारे पास नहीं है, वित्त मंत्री बताएंगे कि स्टेट फाईनेंस कारपोरेशन में कितना पैसा डूबन्त खाते हैं, कितना उचन्त खाते में है, जिसकी वसूली नहीं हो रही है। इनको सभी राज्यों की फीगर देनी चाहिए। राज्यों को क्या कठिनाई है और इंडीविजुअल स्टेट में जो स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन काम कर रहा है, उसकी क्या दिक्कतें हैं, उसके संबंध में भी उनकी क्या कठिनाई है, यह देखना चाहिए। यदि केन्द्र सरकार यहां से कानून बनाती है, यहां से हुकूमत चलाती है और वहां उपभोक्ताओं को कठिनाई आती है तो उसके लिए सभी सम्यक विचार करके व्यापक लाना चाहिए। ये व्यापक विधेयक लाये हैं, यह ठीक बात है लेकिन इसमें अभी और सुधार की जरूरत है, गरीबोन्मुखी होने की जरूरत है, प्रक्रिया सरलीकरण की जरूरत है, जिससे असली लघु उद्योग अगर कोई लगाना चाहता है, उसमें उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, उसके लिए जो आइटम इसमें छूटा हुआ है, उसको जोड़कर माननीय वित्त मंत्री जी सुधार करके इसको लाएंगे, तब हम इनको धन्यवाद देंगे। अभी तो हमें दिक्कत है, क्योंकि बहुत सी बातें इसमें छूटी हुई हैं। इसमें से सुधार करके यहां आयें। ...*(व्यवधान)* आज तो भाषण से काम नहीं हुआ है, हमने इतना समर्थन कर दिया, यह क्या खेल की बात है। हमारी तो कोशिश रहती है कि अगर गरीब की बात नहीं है, इसमें बकरीपालन की बात रहती है तो हम कहते कि ठीक बात है। इसलिए सब समाधान करके इसमें और सुधार करने की जरूरत है। 1951 के बाद यह 2000 में आ रहा है, हमें लगता है कि अब यह 2025 में होगा। इसको आप ठीक–ठाक करेंगे, तब हम इसको पास करेंगे।

**श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी)** : माननीय सभापति जी, राज्य वित्त निगम संशोधन विधेयक, 2000 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। 1951 में यह अधिनियम बना। तब से लेकर आज तक लगभग 50 वर्षों में विभिन्न राज्यों में इसके जो कार्यकलाप हुए हैं, उसकी समीक्षा के उपरांत ही सरकार यह व्यापक संशोधन विधेयक लेकर आई है, इसका मैं स्वागत करता हूं और कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने गरीबोन्मुखी मुद्दों को उठाया, जैसे भैंस पालन, बकरी पालन, सुअर पालन आदि डेयरी उद्योग से संबंधित बातें तो कहीं और इसको और व्यापक करने का सुझाव दिया। उसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दा छेड़ा है। इस संशोधन में कहा गया है कि राज्य से चार निदेशक होंगे। यह भी टिप्पणी की है कि कई जगह राज्य के मंत्री महोदय भी चेयरमैन बनाए जाते हैं, इसको स्पष्ट करना चाहिए। इस देश में 25 राज्य हैं, हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार में राज्य वित्त निगम के चैयरमैन मंत्री ही होते हैं और अभी भी हैं। वहां इस निगम की हालत बहुत खस्ता है और यह नीचे से अव्वल दर्जे पर है। अन्य राज्यों में भी इस निगम की हालत कमोबेश खस्ता ही है

और यह जो नीचे रहने की प्रतियोगिता है, यह हमारे लिए शर्म की बात है। हम बिहार से आते हैं, मंत्री जी वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं और इससे पहले वे वहां वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार रोकने के उपाय जरूर होने चाहिए।

सभापति महोदय, अभी प्रकाश अम्बेडकर जी ठीक कह रहे थे कि बोर्ड को अधिक स्वायत्ता होनी चाहिए, जिससे राजनैतिक दखल, ऋण देने और ऋण वसूली में यह बोर्ड सही ढंग से काम कर सके और कोई गड़बड़ी न हो। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है। उद्योग विभाग की कमेटी के साथ वहां घूमने का अवसर मिला और आपकी अध्यक्षता में आश्वासन समिति के तहत भी देश में कई जगह घूमने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के वित्त निगम की भी हालत बहुत खराब है। राजनैतिक दबाव के कारण बोर्ड के चेयरमैन और सदस्य आवश्यकता से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की बहाली कर देते हैं। लोगों को बिना उद्देश्य आवश्यकता से ज्यादा ऋण दे दिया जाता है, फिर उसकी वसूली में भी दबाव के चलते छूट दी जाती है। बिना जानकारी वाले लोग महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिए जाते हैं। इन सबसे यह विषम परिस्थिति बनी है। मेरा निवेदन है कि यह दूर होनी चाहिए। जब मंत्री जी जवाब दें तो इसका भी समाधान करने की कृपा करें।

बिहार राज्य वित्त निगम को स्पेशल दर्जा देकर नेशनल रिव्यूनल फंड से भी पैसा दिला कर उसकी हालत को ठीक किया जाए। वहां मंत्री और अध्यक्ष पद हथियाकर इसके उद्देश्य को जो नेस्तानाबूद कर दिया गया है, उसको ठीक किया जाए।

इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*[अनुवाद]*

**श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया)** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को राज्य वित्त निगम अधिनियम में व्यापक संशोधन लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह 1951 में संसद के अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसमें 1988 में एक बार संशोधन किया गया था।

महोदय, इस दौरान देश में और बाहर भी मुख्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में अनेक प्रकार के बदलाव आए हैं।

उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के सदर्भ में एक नई परिस्थिति का जन्म हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में संशोधन अनिवार्य हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य जैसा कि उद्देश्यों और कार्यों के विवरण में उल्लेख किया गया है, लघु और मझोले उद्यमों को आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसी के साथ, जैसा कि मेरे सहयोगियों द्वारा मांग की गई है। ग्रामीण और कृषि आधारित उद्योगों जैसे डेयरी उद्योगों को भी सम्मिलित किया जाए। यह विधेयक का उद्देश्य है।

देश में लघु और मझोले दर्जे के उद्योग कठिन वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वे मारकेटिंग और कच्चे माल की उपलब्धता की कठिनाई का सामना कर रहे हैं। आयात पर से प्रतिबंध हटा लने की वजह से उनके सामने कठिन प्रतियोगिता की एक नई समस्या आ गई है। इस स्थिति में हमें राज्य वित्तीय निगमों को और अधिक प्रभावी, प्रतियोगी और समर्थ बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने हैं। अपने राज्य वित्त निगमों के कार्यों को देखने पर हम पाते हैं कि वे प्रबंधन, संसाधन की उपलब्धता और भुगतान की कठिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बहुत से राज्य वित्त निगम उन उद्देश्यों को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। जिनके लिए वे बनाए गए हैं।

प्रत्येक वर्ष देश में हजारों लघु और मझोले दर्जे के उद्योग पंजीकृत किए जा रहे हैं। उसमें से बहुत अधिक संख्या में बंद भी हो रहे हैं। यह दूसरी प्रकार की समस्या है। लोग ऋण ले रहे हैं लेकिन उनको लौटाने की स्थिति में नहीं है। लघु और मझोले आकार का औद्योगिक क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करता है। बड़े उद्योग देश में रोजगार के उतने अवसर उपलब्ध नहीं करते हैं जितने की लघु और मझोले आकार के उद्योग। निर्यात से होने वाली आय में भी इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार की नीतियां इस क्षेत्र के अनुकूल नहीं हैं। वर्ष दर वर्ष लघु और मझोले दर्जे के उद्योग उपेक्षित किए जा रहे हैं जिसके कारण बड़े उद्योग और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुकाबले वे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। यह अत्यंत गंभीर समस्या है।

राज्य वित्त निगमों द्वारा मंजूर किए गए ऋण और यथार्थ में संवितरित किए जाने वाले धन में बहुत अंतर होता है। सबसे पहले तो सभी उद्योग जो कि ऋण के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें ऋण मिल नहीं पाता है। दूसरे वे जिन्हें कुछ ऋण मंजूर किया जाता है वे पूरी धनराशि नहीं पाते हैं। यह वह दूसरी समस्या है जिसका सामना लघु और मझोले दर्जे के औद्योगिक इकाइयां कर रही हैं।

वसूली की भी समस्या है जिसे कि सभी जानते हैं। यह एक बड़ी समस्या है जिनका सामना राज्य वित्त निगम कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति संवितरण सहयोग की सीमा 20 रुपये से 320 रुपये तक है।

**सभापति महोदय** : श्री हन्नान मोल्लाह हमें अपराह्न 3.30 बजे गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प की शुरूआत करनी है।

*[हिन्दी]*

अगर सदन की राय हो तो दस मिनट का समय ले लें ताकि आज दो वक्ता मोहले जी और बैसीमुथियारी जी रहते हैं, थोड़ा समय वे लेंगे तो यह चर्चा समाप्त कर लेंगे और उसका उत्तर माननीय मंत्री जी सोमवार को देंगे। सदन का समय हम दस मिनट बढ़ा लेते हैं।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : दस मिनट में कैसे होगा?

**सभापति महोदय** : छः बजे के बाद जितना हो, बैठ लेंगे। यह विधेयक पारित भी हो सकता है यदि सदन की राय हो।

*[अनुवाद]*

**श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी)** : अध्यक्ष महोदय, यदि शाम 6.00 बजे के बाद इस विधेयक पर विचार जारी रहता है तो आप कुछ अन्य प्रतिभागियों को भी अनुमति दे सकते हैं। .....*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : यदि यह सभा सहमत हो तो हम गैर सरकारी सदस्यों की कार्य सूची इस विधेयक के पारित होने के बाद शुरू कर सकते हैं।

**कुछ माननीय सदस्य** : जी नहीं, महोदय.....*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : छः बजे के बाद साढ़े तीन बजे कोई एनक्रोच नहीं किया जाये। बिल में यदि आपकी राय हो तो छः बजे के बाद बैठेंगे।.....*(व्यवधान)*

**सभापति महोदय** : सदन इस बात के लिए सहमत है कि छः बजे के बाद हम इस बिल को पारित करने के लिए बैठेंगे।

**श्री हन्नान मोल्लाह** : कोई नहीं रुकेगा। सोमवार को कर दीजिए।

**सभापति महोदय** : दोनों में कोई बात तो होने वाली है।

**श्री खारवेल स्वाइं (बालासोर)** : यदि दस–पन्द्रह मिनट में हो सकेगा तो पास कर दीजिए।

**सभापति महोदय** : निजी संकल्पों के संबंध में भी कई बार ऐसा हुआ है कि यदि समय उधर लिया है तो आगे समय बढ़ा दिया है।

*[अनुवाद]*

**श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार)** : महोदय, प्राइवेट मैम्बर बिल शुरू कीजिए न।

**वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा)** : माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को सोमवार को लिया जायेगा।

*[हिन्दी]*

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली)** : ठीक है, हो जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी सोमवार को कहते हैं।

**सभापति महोदय** : सोमवार को करेंगे?

*[अनुवाद]*

क्या हम इसे 6.00 बजे के बाद लें और पारित कर दें?

**श्री हन्नान मोल्लाह** : जी नहीं, महोदय, इसे सोमवार को लिया जाए.....*(व्यवधान)*... इसलिए हम मान कर चलते हैं कि इसे सोमवार को लिया जाएगा।

**सभापति महोदय** : इसलिए, अब, हम गैर सरकारी सदस्यों की कार्यवाही को लेंगे।

---

**अपराह्न 3.32 बजे**

## गरीबी उपशमन कार्यक्रमों में ग्राम सभाओं की भागीदारी के बारे में संकल्प

*[हिन्दी]*

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली)** : सभापति महोदय, भारत के संविधान की धारा 243 में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है कि वोटर लिस्ट में जितने लोगों का नाम है, सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होंगे। फिर 243 में ग्राम सभा के अधिकार के संबंध में कहा गया है और फिर अभी कहा गया है कि राज्य उसके लिए कानून बना दे कि ग्राम सभा का एमपॉवरमेंट हो। महात्मा गांधी, लोक नायक जय प्रकाश नारायण, डा. राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, स्वामी विवेकानंद जैसे देश में महान पुरुष हुए हैं। इन्होंने कहा कि देश में विकास का रास्ता शहर से होकर जाता है। गांव जब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक गांवों को शक्तियां, ताकत नहीं दी जाएगी और तब तक इस देश का कल्याण नहीं होगा। सारे लोगों ने कहा और स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी जांच कराई थी और पाया था कि पैसा दिल्ली से चलता है और गांव में जाते–जाते एक रुपये का दस बारह पैसा हो जाता है। सब बीमारी की जड़ ग्राम सभा की उपेक्षा है और पॉवर का डीसैन्ट्रेलाइजेशन नहीं होना है। ग्राम सभा को ताकत नहीं दी गई, इसलिए ग्राम सभा को पूरी ताकत दी जानी चाहिए। 1997 में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। उस समय देव गौड़ा जी प्रधान मंत्री

थे। उस समय भी सभी मुख्य मंत्रियों ने सर्वसम्मति से तय किया था कि ग्राम सभा को अधिकार दिये जाने चाहिए। ग्राम सभा के संबंध में क्या–क्या कहा गया है। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा के ही जिम्मे दिया जाए। गांवों में जितनी योजनाएं लागू हो रही हैं, उन सभी में लाभार्थी को कौन तय करे? अभी स्थिति कुछ दूसरी ही है। इंदिरा आवास योजना के लिए एमएलए से लिखा लिया या एम पी से लिखा लिया, लेकिन उनके लिखाने की भी कोई वैल्यू नहीं है। जहां एक हजार या दो हजार या तीन हजार घूस दे दी, उनका नाम इंदिरा आवास योजना में आ गया। वास्तव में जो गरीब आदमी है, उसका नाम नहीं आया। जिनका घर पहले से पक्का है और बनना नहीं है, उनका दलान इंदिरा आवास योजना में बन गया। ये सारी गड़बड़ी देखी जा सकती है। मेरे विचार से लिखा–पढ़ी में सरकार के पास कोई रिपोर्ट नहीं है और अखबारों में भी वही रिपोर्ट है। इस पर मुझे कबीर का एक दोहा याद आ रहा है– तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। जब हम गांवों में जाते हैं, तो गरीब आदमी बोलता है। हाल ही में गांव की एक महिला ने कहा कि हमारा लाल–कार्ड नहीं बना। लाल कार्ड में हमारा नाम नहीं है। लाल कार्ड उसी को दिया जाता है, जो गरीबी की रेखा से नीचे होते है। इस कार्ड के माध्यम से आधी कीमत पर 20 किलो अनाज मिलता है। उस महिला का नाम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों में नहीं है। गांव में जाने से सब बातें पता चलती हैं।

जवाहर रोजगार योजना में ठेकेदार बीच में है। वह जाकर एमएलए से लिखा लेता है, एमपी से लिखा लेता है और बीडीओ के पास पावर है, उससे जाकर मंजूरी ले लेता है। इस प्रकार गाड़ी चल रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ग्राम सभा को मालूम नहीं है कि इस योजना में कितना हिस्सा गांवों को मिलना चाहिए। ऐसा लगता है कि ठेकेदार–उन्मुखी योजना गांव में चल रही है। जहां तक इस योजना में सरकार द्वारा किए गए खर्च का सवाल है, उस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सन् 1998–99 में 7859 करोड़ रुपये खर्च किए गए, यह राशि 1999–2000 में घट गई, जब से भाजपा की सरकार आई। हम बार–बार कहते हैं कि यह सरकार गांव की दुश्मन है, गरीबों की दुश्मन है। यह कहने पर उधर से लोग नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि आप कड़ी भाषा बोलते हैं। मैं कहता हूं कि हम क्यों मुलायम भाषा बोलें, आप गांव के खर्च को घटा रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री, जसवंत सिन्हा जी, सदन से उठकर चले गए हैं। उनका बिल नहीं चल रहा है। इसलिए वे सदन से उठकर बाहर चले गए। उनको सदन में बैठना चाहिए, गांव की बात चल रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि राशि 2000–2001 में घटकर 6760 करोड़ रुपये रह गई। पहले घटकर 7800 करोड़ रुपये पर आई, फिर एक हजार करोड़ रुपया घटा दिया और 6760 करोड़ रुपए रह गई। आप पीडीएस में सब्सिडी 8000 करोड़ रुपये दे रहे थे और कहते कि यह सब्सिडी गरीबों को जा रही है। 35 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और जो सब्सिडी दी जा रही है, वह आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। दूसरी तरफ 58 हजार करोड़ रुपया आपका बड़े आदमियों को दिए गए कर्जे में डूबा हुआ और 52 हजार करोड़ रुपया आपका इनकम टैक्स का नहीं आया। इसका आपको ख्याल नहीं है, लेकिन 8000 करोड़ रुपये जो सब्सिडी में दिए जा रहे हैं वह आपको बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। इतना बड़ा अन्धेर, गरीबों के साथ इतना बड़ा जुल्म कहीं नहीं देखा गया है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 35 करोड़ से ज्यादा ही होगी। इसके संबंध में लाकड़ावाला कमेटी बैठी है। उसको देखना है कि किसको गरीबी की रेखा से नीचे माना जाए और किसको गरीबी की रेखा से ऊपर माना जाए। हम लोग तो मोटा–मोटी देख लेते हैं कि गरीब आदमी को खाने को नहीं मिलता है, देह पर कपड़ा नहीं है, उघाड़े–पगाड़े लूंगी पहने जैसे–तैसे गांव में रह रहा है। गांव में रहने के लिए उसके पास मकान नहीं है। एक झौपड़ी है और उसी झौपड़ी में बाल–बच्चे, बकरी सभी उसमें हैं। उनके लिए पढ़ाई और दवाई की जरूरत है, उसका कोई प्रबंध नहीं है। हम लोग ऐसे ही लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे मानते हैं। सरकार के लोग, इनके अर्थशास्त्री, जिस आदमी की आमदनी 12000 रुपये प्रतिवर्ष है, उसको आधार मान लेते हैं, जबकि उसके पास रहने को घर नहीं है, जमीन नहीं है। जैसे–तैसे उसने पेट काटकर झौपड़ी बना ली है। उसके लिए कहते हैं कि उसकी आमदनी होगी।

इसी प्रकार जवाहर रोजगार योजना पर भी इस साल सरकार ने 1650 करोड़ रुपया दिया था, जबकि पिछले साल 2095 करोड़ रुपये दिया गया था। वास्तविकता यह है कि सरकार ने जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल दिया है और नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना रख दिया है यानी 'रोजगार' हटाकर 'समृद्धि' लेकिन पैसा घटा दिया। इसलिए जो ग्राम सभा के संबंध में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में तय हुआ था –

*[अनुवाद]*

".....लाभार्थियों के चयन की जिम्मेदारी ग्राम सभा पर छोड़ा जाए।"

*[हिन्दी]*

यानी ग्राम सभा पर सभी बिना चयन किए गए लाभार्थियों का भार छोड़ दिया। उन्हें पावर में लिया जाए–

*[अनुवाद]*

"ग्राम पंचायत का मुखिया सिर्फ ग्राम सभा के लिए ही जवाबदेह है।"

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

यह भी कहा गया–

"यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंचायती राज संस्थान स्थानीय सरकार के साधन के रूप में कार्य करें, यह महत्वपूर्ण है कि उनकी कार्य प्रणाली और वित्तीय स्वायत्ता की गारंटी दी जाए; और पारदर्शिता और उनकी कार्य–प्रणाली को सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य को अधिकतर राज्यों में पूरा किया जाना है। ग्राम सभा की भूमिका ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थान की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अति महत्वपूर्ण है।"

यह कहा गया कि ग्राम सभा का सबसे प्रमुख रोल पंचायती राज की व्यवस्था को मजबूत करना और उसका संचालन करना है। फिर कहा गया –

"सामाजिक, लेखा परीक्षा करना तथा पंचायत कार्यकर्त्ताओं पर जिम्मेदारी सुनिश्चित करने में स्थानीय लोगों की भूमिका को ग्राम सभा को सक्रिय बनाकर और अधिक प्रभावशाली बनाया जाएगा। यह आवश्यक है कि ग्राम समुदाय ग्राम सभा की बैठकों को लाभदायक समझें। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राम सभा शक्ति संपन्न हो।"

*[हिन्दी]*

केन्द्र सरकार बताए कि जो मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें तय किया गया था कि ग्राम सभा को सभी बेनिफिशरी तय करने के लिए पूरी पावर दी जाएगी, इतना ही नहीं यह भी कहा गया कि ग्राम सभा वहां की विधान सभा की तरह होगी, ग्राम सभा को अपार क्षमता तथा ताकत दी गई। विधान सभा भंग हो सकती है, कानून में हो सकती है, लोक सभा भी भंग होती रही है लेकिन ग्राम सभा कभी भंग नहीं होगी। वह कभी खत्म नहीं होगी, भंग नहीं होगी।

भारत के संविधान के 73वें संशोधन में धारा 343 में ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है। इसलिए राज्य सरकार ने कौन–कौन से ग्राम सभा के लिए कानून बनाये और पावर दी या नहीं दी, यह भारत के संविधान में लिखा हुआ था। मुख्य मंत्रियों की सभा में भी यह डिसकस हुआ। किस राज्य सरकार ने ऐसा किया और किस ने नहीं किया, यह आपको बताना पड़ेगा। फिर 17 मार्च, 99 को चीफ मिनिस्टर्स की ग्राम सभा के विषय में कांफ्रेंस हुई। उसमें कहा गया–

*[अनुवाद]*

> "ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के मध्य संबंध उसी प्रकार हो सकते हैं जैसे विधान मंडल और सरकार के मध्य संबंध हैं।"

*[हिन्दी]*

जैसे स्टेट्स में विधान मंडल है और सरकार है, केन्द्र में पार्लियामेंट है और केबिनेट है, उसी तरह से वहां ग्राम सभा और पंचायतें हैं। मतलब यहां देश के पैमाने पर जो पार्लियामेंट का स्थान है, उसी तरह से राज्य स्तर पर विधान सभा का और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का स्थान है। वहां पंचायती राज की व्यवस्था है। इसलिए सभी मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह सर्वसम्मति से तय हुआ।

*[अनुवाद]*

"पंचायत को ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। सुस्पष्ट तौर पर पंचायत के सदस्यों को तब तक ही पद पर बने रहना चाहिए जब तक उन्हें ग्राम सभा का विश्वास प्राप्त हो।"

मतलब यह कि पूर्ण क्षमता और पूरी ताकत ग्राम सभा को दी गई। "ग्राम सभा को पूरे अधिकार मिलने चाहिए।" उसे पूरा अधिकार है।

> "...गांवों के विभिन्न कार्यक्रमों की प्राथमिकताएं तय करने के लिए और बजट की स्वीकृति के लिए।"

*[हिन्दी]*

कौन सा कार्यक्रम तय होगा, क्या काम होगा, ये ग्राम सभा को पावर दी गई है। फिर उसका एप्रूवल और उसकी मंजूरी भी ग्राम सभा से होनी है। पंचायत के अलावा मुखिया जी अलग कर रहे हैं और हम लोगों के यहां तो मुखिया जी भी नहीं हैं तो बी. डी. ओ. सारा मालिक बना हुआ है। सब लोग देख रहे हैं कि वहां कैसे काम होता है।

*[अनुवाद]*

"ग्राम सभा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। ग्राम सभा की पूर्व अनुमति को भी अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।"

इसे मैनडेट्री बनाया जाए कि ग्राम सभा के एप्रूवल के बिना कोई काम नहीं होगा।

"गांवों में किसी भी कार्यक्रम को लेने से पूर्व, खर्चों का प्रमाण पत्र और साथ ही वित्तीय लेन–देन की यथार्थता को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और ग्राम सभा इसके लिए उत्तरदायी है।"

ये सारे अधिकार ग्राम–सभा को दिये गये हैं और जितना खर्च होगा उसको भी ग्राम–सभा देखेगी।

"ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार सौंपने चाहिए। महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों की ग्राम सभा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा की बैठकों में उनकी उपस्थिति न्यूनतम

आवश्ययक संख्या को अनिवार्य करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए जाने चाहिए।

*[हिन्दी]*

इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं तथा वीकर–सैक्शन तब तक उसमें शामिल नहीं होंगे तब तक ग्राम–सभा पूरी नहीं होगी। इसलिए मुख्यमंत्री के सम्मेलन में जो यह निश्चय व्यक्त किया गया है, मैं पूछना चाहता हूं कि उसकी क्या स्थिति है?

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब यह फैसला हुआ था कि वर्ष 2000 ग्राम–सभा वर्ष होगा तो क्या यह केवल कागजों में लिखने के लिए हुआ था या ग्राम–सभा के महत्व पर जोर देने के लिए किया गया था। इस बात को प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी जानते हैं। लेकिन उसका कहीं कोई प्रचार–प्रसार नहीं हुआ। सरकार के पास प्रचार के लिए टीवी है, रेडियो है लेकिन टीवी में तो बेकार की चीजें एडवरटाइजमेंट में दिखाते रहते हैं, एक भी ग्राम–सभा का प्रोग्राम उसमें नहीं दिखाया गया है। सरकार पर यह मेरा आरोप है। अगर वर्ष दो हजार ग्राम सभा का वर्ष है तो किसी ग्राम–सभा में प्रधान मंत्री जाते, मंत्री जाते, मुख्यमंत्री जाते, जिससे देश के लोगों इस बात को जानते हैं कि यह वर्ष ग्राम–सभा वर्ष है और उसकी क्या ताकत है, क्या महत्व है। लेकिन टीवी में तो बेकार का प्रचार दिखाते रहते हैं। उल्टी–सीधी चीजें दिखाते रहते हैं, अश्लील चीजें दिखाते रहते हैं। लेकिन जो भारत की शक्ति है, जो सुप्रीम पावर है और वह जो गांव में 80 प्रतिशत लोग 6 लाख गांवों में यानि 6 लाख ग्राम सभाओं में रहते हैं उसके बारे में कुछ नहीं दिखाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं के बारे में क्या कोई प्रचार है? जाली कामों पर, विज्ञापनों पर करोड़ों रुपया खर्च होता है। वाजिब कामों के शिलान्यास हो तो हम भी उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जनता के दिखाने के लिए शिलान्यास करते हैं और फिर कहते हैं कि उसका पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए सरकार से मेरा कहना है कि जाली कामों का प्रचार बंद कीजिए और असली जो काम हैं उनका प्रचार कीजिए, ग्राम सभाओं को ताकत देने का काम कीजिए। आज क्या हो रहा है और सब पार्टी के एम. एल. ए. जो हैं उनमें उसकी मशहूरी कराने के लिए एका हो जाता है। अगर भारत सरकार से पैसा जाता है तो भारत सरकार का तो एम. पी. है। लेकिन अगर किसी योजना में, इंदिरा आवास या किसी और योजना में अगर कोई अफसर घूस खा गया तो आपका नाम भी बदनाम हो जायेगा। इसलिए उससे दूर रहना है और ग्राम–सभा की ताकत बढ़ानी है और यह आपका जिम्मा है। पहले तो एम पी और एल एल ए का एक साथ चुनाव होता था लेकिन अब वह अलग–अलग समय पर होता है, इस कारण जितने भी छोटे–मोटे जो काम होते हैं वे भी एमपी के यहां आ रहे हैं।

वे हमें लिखते हैं और कहते हैं कि सड़क नहीं बनी, नाला नहीं बना, घर नहीं बना। ऐसे सभी काम एम पी के पास रहते हैं। सभी सदस्यों के सामने यह कठिनाई होगी। हम सभी सदस्य इसे भोगते हैं। यदि ग्राम सभा ताकतवर हो जाए, वहां सभी काम होने लगे तभी पूरे काम हो सकते हैं।

जवाहर रोजगार योजना में ग्राम सभा को पूरी पावर्स हैं। आबादी के हिसाब से हर पंचायत को इसका हिस्सा मिलता है। कहीं–कहीं तो 10–15 गांव हैं। मेरा कहना है कि आबादी के हिसाब से उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए। ताकतवर गांव पैसा ले लेते हैं लेकिन कमजोर गांवों को छोड़ दिया जाता है। उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। मेरा निवेदन है कि उसके लिए यहां से एक सर्कुलर जाए और उसमें बताया जाए कि उनका यह हिस्सा है। इसकी माननीय सदस्यों को भी सूचना जानी चाहिए। हर गांव को आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए। यह तय हुआ था कि 26 जनवरी, एक मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा अनिवार्य रूप से हो। मंत्री जी बताएं कि वह कहां हुई है? क्या किसी गांव में हुई है? कागज में लिख दिया जाता है लेकिन जमीन पर काम नहीं होता है। इसका कहीं प्रचार नहीं हुआ और कोई जानकारी नहीं दी गई।

**सभापति महोदय** : आपका बहुत अच्छा संकल्प है। आपने आधा घंटा ले लिया है। दूसरे सदस्य भी आपकी बात का समर्थन करना चाहते हैं।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : मैं 80 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं। सुनिश्चित रोजगार योजना के बारे में एक सर्कुलर जाना चाहिए। गांव सभा देखे कि वहां कैसे काम हो रहा है ? वहां ठेकेदारी चलती है। गांवों में पैसे की लूट हो रही है। बिचौलिया पैसा खा रहा है। सुनिश्चित रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और इंदिरा आवास योजना में भयंकर धांधली हो रही है। ग्राम सभा के पास सही जानकारी नहीं आती। आपने इन्दिरा आवास के लिए गरीब आदमी को साढ़े चौदह हजार रुपये देने की बात कही थी। उसके दो हजार रुपये घूस में चले गए। उसका 12 हजार रुपये में घर बना। क्या इतनी राशि में घर बन सकता है? मैं जानना चाहता हूं कि देशभर में ऐसे कितने घर अपूर्ण बने पड़े हैं। उनके घरों में छत नहीं डाली गई। इससे उनका घर टूट गया। चयन करने में भी गड़बड़ी होती है। इसके लिए साफ निर्देश जाना चाहिए और उसकी जानकारी सभी माननीय सदस्यों को देनी चाहिए। करप्शन को दूर करने के लिए पारदर्शिता का होना आवश्यक है। जब सब लोग सभी बातें जान जाएंगे तब गड़बड़ी रुकेगी। इन्दिरा आवास योजना में चयन करने में भयंकर धांधली हुई। बड़े आदमी के सब काम हो जाते हैं। गरीब आदमी का कोई

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

काम नहीं होता। उसके यहां लेन–देन होता है। सुनिश्चित रोजगार योजना में कहीं काम नहीं होता। यदि एक नम्बर की ईंट लगानी है तो चार नम्बर की ईंट लगाई जाती है। यदि तीन फुट मिट्टी भरनी है तो डेढ़ फुट मिट्टी भरी जाती है। वहां लूट होती है। यदि यहां ग्राम सभा आगे आ जाए तो काम आसान होगा। यदि पारदर्शिता रहेगी, लिखा–पढ़ी सही होगी तो धांधली नहीं होगी। गांव के लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी योजना पहले बननी है और कौन सी बाद में बननी है। ऐसे में योजना सही बनेगी। यदि ठेकेदार चाहेंगे तो काम हो जाएगा। यदि हम किसी काम को करने की अनुशंसा करेंगे तो वह काम नहीं होगा। "एक साधे सब सधे, लाख दुखों की एक दवा, सबसे पहले है ग्राम सभा"

गांवों में लाल कार्ड की योजना चलती है। वहां दो तरह की कठिनाई आती है। गांव के गरीब आदमी का नाम लाल कार्ड में नहीं रहता। क्यों नहीं है? माना गया था कि आई. आर. डी. पी. में नाम पहले रजिस्टर्ड कराता। जो लोन लेना चाहता है आई. आर. डी. पी. में नाम लिखाता। चूंकि गरीब आदमी लोन लेना ही नहीं चाहता, इसलिये उसका नाम ही नहीं लिखा गया। उसी आधार पर इसके पीछे गांव का ज्यादा आदमी माना गया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 6 करोड़ लोग माने गये हैं लेकिन वास्तव में 8 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दो करोड़ परिवार गरीबी रेखा के नीचे रखे जाने से छूट गये हैं जिनका नाम दर्ज नहीं हुआ। मान लीजिये एक गांव में 50 या 100 या 150 लोग छूट गये और इस कारण से उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला लाल कार्ड नहीं मिला। यदि मिला तो जो संपन्न लोग हैं, उन्हें मिल गया। जिनके नाम हैं उनको महीनों अनाज नहीं मिलता। सरकार 8 हजार करोड़ रुपया सब्सिडी पर खर्च कर रही है लेकिन अनाज फिर भी गरीब लोगों को नहीं मिलता। कभी 6 महीने, सालभर में एक दो बार हल्ला हो जाता है। इस प्रकार गड़बड़ी होती है और उसमें भी खराब सामान मिलता है। अब आप देखिये कि लाल कार्ड किसको मिला, यह ग्राम सभा बैठ कर तय करे। उसके बाद देखे कि अनाज आया या नहीं। आफिसर ग्राम सभा की बैठक करे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि ग्राम सभा को पॉवर दीजिये और इसके लिए सर्कुलर भेज दें। यह सब करने के बाद सोशिल ऑडिट करे कि कितना खर्चा हो रहा है, कौन आफिसर आया, कितना खर्च किया और काम ठीक हुआ या नहीं? जब ग्राम–सभा कह दे कि तब उसको मंजूर करें। गरीबी उन्मूलन करने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, जितने स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, उनके लिये ग्राम–सभा को पॉवर दीजिये कि वह तय करे।

सभापति महोदय, अब मैं बिहार के विषय में कहूंगा। वहां पंचायत के चुनाव नहीं हुये हैं। अगर पंचायत का चुनाव हो जाता है तो गांव का मुखिया या सरपंच या सदस्यगण कुछ देखभाल करते हैं। देश के कई राज्यों में पंचायत चुनाव हुये हैं लेकिन वहां भी गड़बड़ी है। बिहार में 1978 में स्व. कर्पूरी ठाकुर के समय पंचायत के चुनाव हुये थे और उसके बाद से अभी तक नहीं हुये हैं। वहां कांग्रेस दस साल तक सत्ता में थी, उनसे पूछा जाये कि पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवाये गये। आज बयानबाजी हो रही है कि पंचायत का चुनाव होना चाहिये। भारत के संविधान में धारा 243 के तहत संविधान का 73वां संशोधन हुआ और इसमें प्रावधान किया गया है कि मुखिया, सरपंच, ब्लाक प्रमुख और जिला प्रमुख सभी पदों पर आरक्षण होगा। महिलाओं को एक तिहाई, फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लिये प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य में कानून बनाकर पिछड़ी जाति को आरक्षण दे सकती है। बिहार में लालू यादव की सरकार ने उस समय एक नया कानून बनाया। उस कानून में कहा गया है कि आदिवासी, हरिजन, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और महिलाओं को आरक्षण मिले। यह कानून हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुखिया का पद सिंगल पोस्ट है, इस पर आरक्षण नहीं होगा। इस वजह से मुखिया, ब्लाक प्रमुख, जिला प्रमुख एकल पद हैं, इसलिये आरक्षण नहीं हुआ। सभापति महोदय, जो संविधान में प्रावधान किया गया था, उसके खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला हो गया। राज्य सरकार के सामने संकट आ गया कि यदि वह संविधान के मुताबिक चलती है तो हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती है और यदि हाई कोर्ट के मुताबिक चलती है तो संविधान की अवहेलना होती है। यदि हाई कोर्ट के मुताबिक चुनाव कराता है तो लोग कहेंगे कि यह सरकार हरिजन विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी है और महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट का आदेश न मानने पर हथकड़ी लगवा दें। इस संकट का समाधान सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसलिये एक अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। उसमें भारत सरकार के सोलिसिटर जनरल पार्टी हैं और वे कोर्ट में हाजिर हुये हैं।

**अपराह्न 4.00 बजे**

लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने तब तक हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया। निर्णय नहीं हुआ और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, आपको इस रास्ते से आना है, आप रुक नहीं रहे हैं तो आ जाइये, हमने पुल तोड़ दिया है, अब क्या डूबना है। उसी तरह से कानून खत्म किया, इस वजह से वहां चुनाव नहीं हुआ। इस वजह से वित्त मंत्री चल गये। पंचायत राज में सवा छः सौ करोड़ रुपये दसवें वित्त आयोग ने खर्चा देने को कहा था, लेकिन फिर उसने कहा कि बिहार में चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए हम पैसा नहीं देंगे और पांच वर्ष में सवा छः सौ करोड़ रुपये गरीब प्रदेश को नहीं मिला। मैं कह रहा हूं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरिया

में पंचायत चुनाव का कानून ही नहीं है। कम से कम आप उसे दसवें वित्त आयोग का पैसा ही भिजवा देते। वहां ग्राम सभा बरकरार है, वह तो भंग नहीं है, उसका चुनाव भी नहीं होना है। उस माध्यम से वह पैसा उसकी देखरेख में खर्च होता। इस तरह से सरकार का कसूर बताकर बिहार की दस करोड़ की आबादी वाले गरीब राज्य को दसवें वित्त आयोग का सवा छः सौ करोड़ रुपये का हिस्सा नहीं दिया गया।

सभापति महोदय, रूरल डेवलपमेंट विभाग का भी एक काम है। माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो बतायें।

**सभापति महोदय** : अब आप समाप्त कीजिए।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : मैं अभी खत्म कर रहा हूं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिये, वहां पंचायत की सारी पावर बी. डी. ओ. को चली गई। पंचायत के बदले बी. डी. ओ. सारा फंक्शन करेगा। उसमें ग्राम सभा ताकतवर नहीं होगी, वहां बी. डी. ओ. की अफसरशाही चलेगी और वह मालिक बन जायेगा। वह हेरा–फेरी करेगा। एम. एल. ए. और एम. पी. कुछ नहीं कर सकेंगे। आज जवाहर रोजगार योजना में गलत काम हो रहा है, इंदिरा आवास योजना में गलत काम हो रहा है, सुनिश्चित रोजगार योजना में गलत हो रहा है, लाल कार्ड योजना में गलत हो रहा है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना में सारी गलतियां हो रही हैं, चूंकि पंचायत नहीं है, बी. डी. ओ. मालिक है, उसकी अफसरशाही है, ग्राम सभा को पावर नहीं है या जानकारी नहीं है या जितनी होनी चाहिए, सफाई से नहीं है। इसका प्रचार केन्द्र सरकार ने नहीं किया। मुख्य मंत्रियों का फैसला लागू नहीं हुआ। इन्हीं सब कारणों से 6,700 करोड़ और आठ हजार करोड़ रुपया दोनों को मिलाकर लगभग 15 हजार करोड़ रुपया बनता है। लगभग 15 हजार करोड़ रुपया गरीब देश का पैसा गांवों में जा रहा है। लेकिन जो असलियत में वंचित है, शोषित, उपेक्षित और डरे हुए ग्रामवासी लोग हैं, जो असली हिन्दुस्तान हैं, उन तक यह पैसा नहीं जा रहा है। सब लाख दुखों की एक दवा, सबकी दवाई ग्राम सभा, एक साधे सब सधे, इसीलिए ग्राम सभा को ताकतवर बनाया जाए। जिससे कि जो पैसा गांव में जा रहा है, ग्राम सभा जो असली मालिक है, उसकी देख–रेख में ये सब काम हों।

सभापति महोदय, मैं भी सांसद योजना में जो दे रहा हूं, उसमें मैंने गांव सभा को उसका मालिक बनाया है और उसका अच्छा परिणाम सामने आया है। गांव के लोग बोल रहे हैं कि एक नम्बर की ईंट लग रही है, ठेकेदारी गायब है, गड़बड़ी गायब है। इसीलिए ग्राम सभा को ताकतवर बनाना इस संकल्प का उद्देश्य है। इसलिए जब माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें तो जो कुछ हमने कहा है यदि वह सब ग्राम सभाओं में लागू हो जाए तो देश तरक्की और मजबूती की तरफ आगे बढ़ेगा, गांवों में असली ताकत आयेगी और गांधी जी और लोहिया जी का सपना साकार होगा। धन्यवाद।

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया)** : गुजरात में ग्राम सभा और ग्राम समिति कैसी अच्छी चल रही हैं।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : किसी राज्य में, किसी जिले में यदि अच्छा हो रहा हो तो यह खुशी की बात है, उनका स्वागत है। वैसा ही सब जगह हो, हम यही चाहते हैं।

**श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार)** : सभापति महोदय, मैं रघुवंश बाबू को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया, गांवों के लोगों की समस्या, गांवों को नये ढंग से शक्ति देने की सभी की इच्छा है। हमारे नेताओं द्वारा भी यह इच्छा व्यक्त की गई। खासकर गांधी जी द्वारा यह इच्छा व्यक्त की गई। गांवों में शक्ति आयेगी, गांव खुशहाल होंगे, तभी देश खुशहाल हो सकता है। हमारे देश में पांच लाख से ज्यादा गांव हैं और गांवों को शक्ति मिले इन सबकी भी यही इच्छा है। केन्द्र सरकार राज्यों को पैसा देती है, दिशा–निर्देश तय करती है और राज्य सरकारों की देखरेख में विकास का काम चलता है। राज्य सरकारें भी अपने हिसाब से दिशा निर्देश तय करती हैं। दोनों को मिलाकर विकास की रोशनी गांवों की तरफ फैलाने की बात का प्रावधान कानून में है और उसी कानून के तहत विकास का काम भी होता है। देश में बहुत जगह ग्राम पंचायतें बहुत अच्छा काम करती हैं। अभी एक साथी गुजरात की बात बोल रहे थे कि चलकर गुजरात में देख लीजिए। मुझे इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि जहां के लोगों के मन में विकास के प्रति रुचि होगी, श्रद्धा होगी, जहां के लोगों की इच्छाशक्ति होगी, वहां निश्चित तौर पर विकास का काम होगा। अभी रघुवंश बाबू जो बोल रहे थे हमें इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि 50 प्रतिशत बात इन्होंने बिल्कुल साफ–साफ और सही–सही कही है। कुछ चूंकि सही नहीं कहने में इनकी मजबूरी है, .....*(व्यवधान)*

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : हमने लिखा बिहार सरकार को कि सही जांच हो जाए तो आपके एक भी बी डी ओ और कलेक्टर नहीं बचेंगे, ग्राम सभा नहीं होती और इसका कार्यान्वयन नहीं होता। चिट्ठी लिखी और अखबारों में भी छपी। आप दिल्ली में रहते हैं, वहां के अखबार कैसे पढ़ेंगे? .....*(व्यवधान)*

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : कुछ सही नहीं बोलने में इनकी मजबूरी भी है। हालांकि ज्यादा कहेंगे तो हल्ला करेंगे, इसलिए हम ज्यादा नहीं कहेंगे, डरते हैं।.....*(व्यवधान)* ये बोलते रहे और हम सुनते रहे और हमको बोलने ही नहीं देते हैं क्या करें। मजबूरी है कि अगर सच बात कह देंगे तो ब्लैकलिस्ट में नाम पड़ जाएगा। अकेले में सब बात सही बोलते हैं। सेंट्रल हाल में जब हम बैठते हैं तो गांवों के गरीबों

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

के प्रति, गांवों के प्रति इनके मन में दर्द है, यह हम देखते हैं। अभी जो चर्चा चली, खासकर जो इन्होंने अंत में सवाल छेड़ा पंचायत का चुनाव, एक तरफ आप कहते हैं कि गांवों को शक्ति मिलनी चाहिए, ग्राम सभा को ताकत मिलनी चाहिए, बिहार में सरकार तो आपकी है। ठीक है दस वर्षों तक कांग्रेस ने चुनाव नहीं कराया। आप भी तो बिहार में 11 वर्षों से राज कर रहे हैं। 11 वर्षों से आपने चुनाव क्यों नहीं कराए? आप कहते हैं कि संविधान की बात नहीं माने तो हाई कोर्ट की अवमानना होगी, हाई कोर्ट की बात नहीं मानें तो संविधान की अवमानना होगी और 17,000 उच्च न्यायालय के आदेश और निर्देश बिहार सरकार पर लंबित हैं जिन पर आज तक आपने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के आदेश को आपने गतलखाना में फेंका है और इस बारे में आपको हाई कोर्ट के आदेश और अवमानना की बात याद आ रही है। आपको जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि एकल पद पर आरक्षण नहीं किये जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी आदेश नहीं दिया है कि चुनाव मत कराइए जब तक हम निर्णय नहीं कर देते हैं, लेकिन आप चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं। अभी विधान सभा से लेकर हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा है। दो बार सरकार के बयान आ चुके हैं कि फरवरी में हम चुनाव कराने जा रहे हैं। ऐसे बयान जब से हम विधान सभा में थे, तब से उस सरकार के सुन रहे हैं। उसी समय से कह रहे हैं कि कभी नवबंर में करा रहे हैं, जनवरी में करा रहे हैं और चौथा बयान राज्य सरकार का अखबारों में हमने पढ़ा है। रघुवंश जी को हकीकत मालूम होगी कि पहले की तरह यह बयान भी अखबारों में छप रहा है कि इस बयान में कुछ सच्चाई है, कुछ दम है। यदि आपके मन में गांवों के लिए पीड़ा है, खासकर बिहार के विषय में, आप चाहते हैं कि गांव मजबूत हों तो हम रघुवंश जी से निवेदन करेंगे कि आप राज्य सरकार से अनुरोध कीजिए कि पहले वह पंचायत का चुनाव कराए। जब तक पंचायत के चुनाव बिहार में नहीं होते हैं, तब तक अगर गांवों की मजबूती की बात हम और आप करते हैं तो वह निरर्थक है, बेकार है, इसमें कोई दम नहीं है। पैसा केन्द्र से जाता है। इसका भी निर्देश गया है कि पैसे कैसे खर्च होंगे। आपने कुछ बातें सही कहीं हैं। सच पूछिये तो जो पहले की जवाहर रोजगार योजना थी आज नाम बदल गया है, यह पैसा आज बिहार में जिस ढंग से खर्च हो रहा है, किन शब्दों में उसका वर्णन किया जाए और क्या उसका हिसाब बताया जाए यह बात अभी तक हम समझ नहीं पाये हैं।

केन्द्र से जो पैसा जाता है, उसका मालिक बी. डी. ओ. है क्योंकि वहां ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं हुआ है। हर पंचायत में बी. डी. ओ. के दो तीन एजेंट होते हैं। उन एजेंटों के माध्यम से गांव के गरीब आदमी के नाम पर इकरारनामा बन जाता है। जो कमजोर जाति के लोग हैं, उनके नाम पर एग्रीमेंट हो जाता है। पंचायत का बिचौलिया पैसा उठाता है और काम कराता है। जब कभी मामला फंसता है तो गांव का गरीब आदमी चिल्लाता है, रोता है लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। पेट का भूखा आदमी मजबूरी में समझता है कि इसमें कुछ मिल जायेगा इसलिए वह दस्तखत कर देता है। वह अशिक्षित है, अनपढ़ है इसलिए ठप्पा दे देता है।

मैं एक घटना बताना चाहता हूं। छपरा जिले के गरखा प्रखंड में एक जांच हुई थी। कलैक्टर ने इंदिरा आवास के संबंध में जांच करवाई थी। गांव के लोगों ने शिकायत की कि हमारे यहां जिन लोगों का इंदिरा आवास के तहत मकान बनना चाहिए था, उनका नहीं बनता बल्कि संपन्न लोगों का बन जाता है। इसमें मालूम हुआ कि वहां के विधायक, पता नहीं इस बार वे मंत्री हैं या नहीं लेकिन पहले मंत्री हुआ करते थे, मंत्री जी का दालान उस पैसे से बना। इसके अलावा उनके बॉडीगार्ड के जो चार भाई हैं, चारों भाइयों के नाम से एक–एक आवास बना। कलैक्टर ने उन के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने का आदेश दिया। सब के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज हो गयी लेकिन मंत्री जी और बी. डी. ओ. के खिलाफ नहीं हुई। हमने टेलीफोन पर कलैक्टर से पूछा कि आखिर आपने बी. डी. ओ. और मंत्री जी के खिलाफ एफ. आई. आर. क्यों दर्ज नहीं की तो उन्होंने कहा कि बी. डी. ओ. के खिलाफ हम बिना राज्य सरकार के आदेश के एफ. आई. आर. दर्ज नहीं कर सकते। हमने राज्य सरकार मे परमीशन के लिए लिखा है। कानून तो केन्द्र ने बनाकर भेजे हैं कि चार एजेंट बैठाकर आप पैसे का बंटवारा कर लीजिए। आप बिचौलिये के माध्यम से कर लीजिए। इसका अनुपालन करना तो राज्य सरकार का काम है। अब राज्य सरकार के पदाधिकारियों पर निर्भर करता है कि आखिर वे कैसी व्यवस्था चलाते हैं और केन्द्र में जो सरकार है, उसे देखना है कि उसके पदाधिकारी या अफसर कुकर्म में डूबे हुए और गांव के लिए जो पैसा जाता है, वह गांव के विकास के लिए खर्च होता है या नहीं। बिहार में इसकी कभी समीक्षा नहीं होती। समीक्षा करना बिहार सरकार अपराध मानती है। वह किसी स्कीम की समीक्षा नहीं करेगी। सुनिश्चित रोजगार का पैसा जो गांव के विकास के लिए आता है, उसका भी दिशानिर्देश केन्द्र सरकार ने तय किया है। केन्द्र सरकार ने दिशानिर्देश यहां तक तय किया है कि जो इससे लाभान्वित होंगे, वे सारे कार्य करेंगे। कागज में लाभान्वित काम करते होंगे लेकिन उनको उस काम के दर्शन नहीं होते। बिहार का कहीं का भी काम हो, जो काम पैसे से होना है, वह सब अधूरा पड़ा है। कहीं पूरा नहीं है।

आप आश्चर्य करेंगे कि सांसदों को गांव में खर्च करने के लिए जो मद मिलती है, बिहार के पदाधिकारी उसमें से परसेंटेज लेने में भी नहीं हिचकते। 25 परसेंट पैसा, सांसद की अनुशंसा पर जो

काम किये जाते हैं, उसमें होता है। यदि सांसद मद में 25 परसेंट लिये जाते हैं तो आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि जवाहर रोजगार योजना के मद की क्या स्थिति होगी? जवाहर रोजगार योजना का पैसा 100 परसेंट बी डी ओ और बिचौलिये की जेब में जाता है। यह नहीं कि आज पदाधिकारी है, कुछ दिनों तक मुखिया लोग भी थे। जिस समय से जवाहर रोजगार योजना का पैसा केन्द्र से जा रहा था तभी से थे। वे हर गांव में अपना एक–एक एजेंट रखे हुए थे। पहले पांच–छः लोग मिलकर उस पैसे को खाते थे लेकिन आज मुखिया का हिस्सा खत्म हो गया है। सारा पैसा बी डी ओ और उसके बिचौलिये आदि सब मिलकर खा जाते हैं। बिहार में पैसा कभी खर्च नहीं होता। हम लोगों को अफसोस है कि केन्द्र सरकार से पैसा नहीं जाता। पंचायत चुनाव न होने के कारण केन्द्र सरकार से वहां पैसा नहीं जाता है। लेकिन अगर पैसा जायेगा तो कहां खर्च किया जायेगा, किस योजना में खर्च किया जायेगा, कौन खर्च करेगा, इस पर चिन्तन करना जरूरी है। बिहार के लोगों को, बिहार के सांसदों को, बिहार की सरकार को इस बात का चिंतन करना चाहिए कि आखिर जो पैसा वहां जाता है, उसका उपयोग कैसे हो। इस पर कभी चिंतन नहीं होता। केन्द्र सरकार पर आक्षेप लगाना कि पंचायत का चुनाव नहीं हुआ तो हमारा पैसा नहीं जाता है। मगर जो पैसा जाता है, उसके खर्च का हिसाब तो दीजिए। अगर वह पैसा सही ढंग से खर्च हो जाता तो बिहार के बी.ए. पास लोगों को दिल्ली, असम, गुजरात आदि में जाकर 1000, 1500 या 2000 रुपये के लिए कटोरा लेकर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती।

लेकिन आज बिहार की जो बदतर स्थिति हुई है, बिहार में जो भी पैसे जाते हैं, उसकी लूट होती है। इसलिए हम केन्द्र सरकार से निवेदन करेंगे कि जो भी पैसे बिहार में जाते हैं, राज्यों की स्वायत्ता की बात चलती है, कोई विरोध में नहीं है, लेकिन स्वायत्ता इतनी मत दीजिए कि राज्य सरकारें निरंकुश हो जाए, अंकुश अपने हाथ में रखिए। यदि अंकुश अपने हाथ में नहीं रखेंगे तो वही हाल होगा, आज तो आपने इतनी स्वायत्ता नहीं दी है तो कभी बंगाल के मुख्य मंत्री विदेश जाते हैं कि हम अपने राज्य को अमीर करने के लिए पूंजीपति को लाने जा रहे हैं, कभी बिहार के मुख्य मंत्री जाते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ये किसी को निमंत्रण देने नहीं जाते,...* यह गांवों के लोगों की भावना है, गांवों के लोगों के मन में इस तरह की चिंता है कि.....* अगर इन लोगों पर अंकुश रखना है तो कानून मजबूती से बनाना पड़ेगा ताकि ये निरंकुश नहीं हो सके, नहीं तो उन्होंने चारागाह बनाया हुआ है, केन्द्र से जो पैसा जाता है, उस सारे पैसे का लोप हो रहा है।

रघुवंश बाबू ने लाल कार्ड की बात उठाई गई थी। उन्होंने सही कहा है। जिन लोगों का लाल कार्ड बनना चाहिए था, मैं देश की बात नहीं जानता लेकिन अपने प्रांत की बात जानता हूं, जिन लोगों को लाल कार्ड मिलना चाहिए, नहीं मिला है। जब हम क्षेत्र में जाते है तो गरीब आदमी और उसकी औरत आकर सामने खड़े हो जाते हैं, और कहते हैं कि नेता जी, हमारा लाल कार्ड नहीं बना है। वे चिल्लाते हैं, रोते हैं। अगर हम आवेदन पत्र पर लिख कर भी आते हैं तो भी बनता है या नहीं बनता, भगवान ही मालिक है। उनके सामान का वितरण – हमें लगता है कि बिहार के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, गरीब और कमजोरों का मसीहा कहने वाले लोग बिहार की सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पता नहीं गरीबों के प्रति कभी चिंतन करते हैं या नहीं। जो भी सरकारी सामान उनकी सुविधा के लिए, वितरण के लिए जाता है, वह उनका नसीब नहीं होता। वहां पर यदि सरकारी दुकानदार है तो वह और मार्किटिंग अफसर मिलकर उस सामान को हजम कर जाते हैं, बिक्री कर देते हैं, गांव के लोग चिल्लाते रह जाते हैं, एक सामान नहीं मिलता क्योंकि आपके यहां कानून में जांच की जो प्रक्रिया है, अगर कहीं से कम्पलेंट होती है तो फिर उन्हीं को जांच मिलती है जो उसमें हिस्सेदार होते हैं। फिर यह कैसी जांच होती है। उनको एक लाभ जरूर हो जाता है कि यदि शिकायत जाती है तो पहले बिकवाने में हिस्सा लिया था और बाद में शिकायत की जांच करने में लेते हैं। यह बिहार में गरीबों के प्रति दर्द और पीड़ा है।

माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। बिहार की पीड़ा को थोड़ा समझना होगा। आज भी बिहार के लोगों के नसीब में गांव की गड्ढे वाली सड़क, गुजरा हुआ छप्पर का स्कूल, चिकित्सा की कहीं व्यवस्था नहीं है, यही है। दिल्ली और गुजरात जैसी जगहों में बिहार की बहुत शिकायत होती है। वे कहते हैं कि बिहार के लोग कंगाल हैं, यहां रोजी–रोटी की तलाश में आते हैं। लेकिन केन्द्र ने बिहार के साथ शुरू से नाइंन्साफी की है, यह आज की बात नहीं है और मुझे लगता है कि आज भी इंसाफ नहीं हो रहा है। अभी जो बिहार का बंटवारा हुआ और पैकेज की स्पष्ट घोषणा नहीं हुई, मैं मानता हूं कि शेष बिहार के साथ नाइन्साफी हुई है। जब तक शेष बिहार के साथ पैकेज की घोषणा नहीं हो जाती, हमारे जैसे लोग स्पष्ट रूप से यह कहने के लिए तैयार हैं कि बिहार के साथ नाइन्साफी हुई है। हम कहना चाहेंगे कि शेष बिहार की किस्मत को लिखने में आप सहयोग कीजिए। बिहार के लोग तो हर मामले में कंगाल हैं और कंगाल केन्द्र सरकार ने बनाया है। हम कहते हैं कि आपने दिल्ली में जे.एन.यू. बनाया है अगर आप पटना में बनाकर देखते तो पढ़ने के लिए दिल्ली में कोई नहीं दौड़ता। लेकिन आपने जे एन यू का दूसरा रूप पटना और बिहार में कहां खड़ा किया, आपने दूसरे प्रांतों में खड़ा किया। आपने दिल्ली जैसे शहर और गुजरात जैसे प्रांत में उद्योग धंधे लगाए, महाराष्ट्र जैसी जगह में लगाए तो बिहार

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

के लोग रोजी रोटी की तलाश में वहां जाएंगे। इसलिए केन्द्र ने बिहार के हक और हिस्से के साथ शुरू से ही नाइन्साफी की है। आज केन्द्र बिहार के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति का रवैया अपनाए, गांवों की पीड़ा को समझे ताकि गांवों में ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो सके।

हम यह भी निवेदन करेंगे कि बिहार में आप जो पैसा देते हैं, उस पर आप निगरानी रखने का काम भी कीजिए, नहीं तो पैसा कहां जायेगा, आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए कि वहां पैसे को खाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति दोषी नहीं है। वहां नीचे से ऊपर तक एक कड़ी बनी हुई है।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : उसके लिए ग्राम सभा है।

**श्री प्रभुनाथ सिंह** : उस कड़ी के माध्यम से सारे पैसे की लूट हो जाती है। जहां तक ग्राम सभा की चर्चा ये बार-बार करते हैं तो अभी भी बिहार में अशिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है। चूंकि वहां विधि व्यवस्था बहुत ही नाजुक है, जिसके कारण गांवों में जिस व्यक्ति की इच्छाशक्ति भी होती है कि वह सही बात पर बोल सके, वहां के लुटेरे, लम्पट और चोरों की तरफ से सही बात बोलने की आदमी हिम्मत नहीं करता। अगर वह बोलता है तो परेशान होता है और परेशानी का अन्तिम रिजल्ट बिहार में हत्याओं तक होता है। इसलिए जुबान खोलने का प्रयास कोई प्रतिष्ठित, सम्मानित या गरीब व्यक्ति नहीं करता है। केन्द्र सरकार पैसा देती है तो उस पैसे पर आप निगरानी रखिये, उसकी समीक्षा कीजिए कि बिहार में वह कैसे खर्च होने जा रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हमें ट्रेन भी पकड़नी है। हमें बात तो बहुत कहनी थी, लेकिन हमारी ट्रेन छूटने में 20 मिनट रह गये हैं। हम आपके आभारी हैं कि आपने बोलने का मौका दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : सभापति महोदय, नियमावली में लिखा है कि कोई भी सदस्य भाषण देकर तुरंत नहीं जा सकता है।

**प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर)** : मान्यवर सभापति महोदय, आदरणीय डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत संकल्प का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। वास्तव में अगर हम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमारे लोकतंत्र की और स्वायत्त शासन की जो प्रथम इकाई ग्राम पंचायत की ग्राम सभा है, उसको जब तक सुदृढ़ नहीं बनाएंगे और वहां पर चर्चा नहीं होगी और चर्चा होकर जिन विषयों का निर्धारण नहीं होगा, तब तक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में उतनी सफलता हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। आपने जो रेज्योलूशन प्रस्तुत किया है, उसमें :

*[अनुवाद]*

"यह सभा सरकार से केन्द्र सरकार के अंतर्गत चलने वाली विभिन्न ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य के लिए लाभार्थियों के पहचान के लिए ग्राम सभा की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह करती है।"

*[हिन्दी]*

आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तो गिना दिया है और दूसरों को चाहे जवाहर रोजगार योजना हो अथवा ग्रामोदय योजना हो, स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना हो या अन्यान्य भूमि सुधार के कार्यक्रम हो, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हो, उन सारे कार्यक्रमों को आपने अन्यों में सम्मिलित कर लिया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विशेष उल्लेख किया है, क्योंकि उसके माध्यम से गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को जो प्रतिमाह राशन का अनाज मिलता है, उन बेचारों की अगर भागीदारी सही नहीं होगी, उसमें सही व्यक्ति का चयन नहीं होगा तो शायद उनको रात को घुटनों के बीच में अपने पेट को दबाकर सो जाना पड़ेगा और राशन की दुकान से खाली हाथ लौटना पड़ेगा, उनका राशन कार्ड भी नहीं बन सकेगा। इसलिए ग्राम सभा की भागीदारी तय करती है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में हैं, केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रवर्तित, उनका लाभ उठाने वाले जो लोग हैं, उनकी पहचान करने में ग्राम सभा की भागीदारी अधिकाधिक होनी चाहिए, यह आपका प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण है।

भारत गांवों का देश है और पूरे देश में छः लाख से अधिक लगभग गांव हैं। राष्ट्र की अधिकांश आबादी गांवों के अंदर रहती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव विकसित होंगे तो भारत विकसित होगा और अगर गांवों की उपेक्षा की गई तो भारत की उपेक्षा होगी। किसी कवि ने कहा है कि भारत माता ग्रामवासिनी, गांवों के अन्दर निवास करने वाली है। इसलिए गांवों के विकास की ओर ध्यान दिये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

वैसे तो पंचायत सिस्टम हमारे देश में नया नहीं है। अत्यंत प्राचीन काल में भी देश के अंदर पंच परमेश्वर की कल्पना की गई थी कि पांच व्यक्ति ईश्वर के तुल्य हैं, वे न्याय प्रदान करेंगे। इनका चयन भी ग्राम सभा के द्वारा होता था। आजादी के बाद पंचायत व्यवस्था में कई उतार-चढाव आए। जब लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें भी ग्राम पंचायतों को प्रमुखता प्रदान की गई। लेकिन गांवों में जो विकास के कार्यक्रम उनसे संबंधित होते थे, जैसे भूमि सुधार का कार्यक्रम था, इनको संवैधानिक अधिकार जो प्राप्त होना चाहिए था, वह नहीं था। वह संविधान में 73वां

संशोधन करके हुआ। तब सच्चे अर्थों में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्रदान हुए। लेकिन उसके बावजूद भी देश में आबादी की दृष्टि से दूसरे सबसे बड़े राज्य के अंदर अभी तक पंचायतों का चुनाव नहीं होना और ग्राम पंचायतें स्थापित न होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने कई कारण इस संबंध में बताए, उनमें कुछ वजन होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जब वास्तव में हम ग्राम स्वराज और ग्राम विकास के प्रति जागरूक हैं तो संविधान के द्वारा जो स्टेचुटरी पावर्स दे दी गई है, उसके बाद भी ग्राम पंचायतों के चुनाव न हो तो मैं वहां की ग्रामीण जनता के लिए इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। मैं वहां की सरकार में सत्तासीन लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र संविधान के प्रावधानों को लागू करें और केन्द्र सरकार को इसके लिए न कोसें। केन्द्र सरकार तो उन्मुक्त हस्त से सारे देश के गांवों का विकास करने को तत्पर है और खजाना खोल रखा है। प्रधान मंत्री जी ने ग्राम स्वरोजगार योजना और ग्रामोदय योजना लागू की है। उसके तहत कई राज्यों को अग्रिम राशि भी दे दी गई है। लेकिन ग्राम पंचायतें नहीं होगी तो फिर हम कौन सी पंचायतों की बात करते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। जिन राज्यों में पंचायतें हैं, वहां ग्राम सभा को मजबूत बनाया जाए। जिनमें नहीं है वहां इनके चुनाव होने चाहिए। उसके बाद ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा बैठ कर बुलाएगी।

सभापति जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि संविधान के आर्टिकल 243 में भी वर्णन हैं, 73वां संविधान संशोधन भी लागू हो गया, ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हो गए, त्रि–स्तरीय व्यवस्था, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद, लेकिन इनको अधिकार देने के नाम पर कुछ राज्यों को छोड़ कर बाकी राज्यों में वही तोता रटंतु की बात ही हो रही है। जिला परिषदों को, पंचायतों को और पंचायत समितियों को यह अधिकार दे दिया, लेकिन वास्तव में स्थिति इसके विपरीत है। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव हो गया, लेकिन उनका काम प्रधान का चुनाव कर लेना और पंचायत समिति की बैठक में भाग लेने के अलावा और कोई काम नहीं है। इसी तरह से जिला परिषद में सदस्यों का चुनाव हो जाता है, जिला प्रमुख को चैयरमैन चुन लिया जाता है, लेकिन अधिकार कलेक्टर के हाथ में हैं। पंचायत समिति में बीडीओ ज्यादा पावरफुल हो गया है। ग्राम सभा में ग्रुप सचिव या ग्राम सेवक की सरपंच के साथ सांठगांठ हो जाती है और सरपंच जैसा रिकार्ड चाहे बनवा सकता है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से ऐसा देखा है। जब हम कुछ ग्राम सभाओं में गए, स्वाभाविक है हमारे आने से उपस्थिति अच्छी होगी, लेकिन होता क्या है कि सरपंच अपने पक्ष के लोगों को जो वार्ड पंचायत होती है, उसका समर्थन करने वाले लोग हैं, उनको कह देता है कि अपने साथ दो–चार लोगों को ले आना। वे सारे इकट्ठे हो गए और कहा कि पाठशाला खोलनी है। उन्होंने पाठशाला का नाम राजीव गांधी पाठशाला कर दिया। राजस्थान के अंदर निरक्षरता उन्मूलन करने के लिए शत–प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने, भारतीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत करोड़ों रुपया दिया, लेकिन वहां जाकर देखा कि उन पाठशालाओं का नाम राजीव गांधी पाठशाला रख दिया, जबकि राजस्थान प्रदेश की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी। एक पार्टी विशेष का शासन होने के कारण और पूर्व प्रधान मंत्री थे इसलिए उनके नाम से राजीव गांधी पाठशाला नाम कर दिया, उचित नहीं है, स्वर्ण जयंती पाठशाला भी होता तो अच्छा था।

स्वर्ण जयंती पाठशाला है। ग्राम सभा को अधिकार दे दिया कि वहां पर यदि कोई मैट्रिक पास हो या नहीं भी हो तो उसको अध्यापक बना दें। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एस. टी. सी. और बी.एड. किये हुए बैठे हैं और वर्षों से बेरोजगार बैठे हैं, उनको अवसर नहीं दिया गया। जो सरपंच के रिश्तेदार और उनकी पार्टी के लोग हैं, उनको मौका दिया गया। गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का चयन 1993 में हुआ था और मैंने सरकार से कुछ दिन पहले आंकड़े पूछे तो बताया गया कि सर्वेक्षण हो रहा है और उसके बाद गरीबों की संख्या बता दी जाएगी। उस समय सरकार के जो लोग थे, मुझे एक कहावत याद आ रही है · "मीठी–मीठी हां और कड़वी–कड़वी थू।" अपने आदमी को वह चाहे गरीब हो या न हो, उन्हें गरीब घोषित कर दिया और जो वास्तव में गरीब थे, जिनका कोई बोलने वाला नहीं था, वे बेचारे गरीबी की रेखा से नीचे वालों की सूची में आने से वंचित रह गये। उनको रोजगार नहीं मिलता है और उनकी उपेक्षा होती है।

आदर्श रूप में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बहुत अच्छी है लेकिन व्यावहारिक रूप में जब देखते हैं तो मुझे कबीर का दोहा याद आता है :

"कथनी थोथी जगत में, करनी उत्तम सार,
कहे कबीर करनी सबल, उतरे भवजल पार।"

गांव से लेकर शहर तक मानव का सही निर्माण हो। सारे देश के अंदर जो नागरिक हैं, अगर आजादी के बाद लोगों में देशभक्ति के संस्कार पैदा किये जाते। दृढ़ता, सदाचार, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता पैदा की जाती, अगर लोगों के अंदर देश के प्रति समर्पण की भावना पैदा की जाती तो मेरा देश, मेरा विकास साकार होता। मेरे देश की सेवा, भारत की सेवा, यह मान्यता होती। मैं जो अक्सर दोहराता हूं, वही कहना चाहूंगा :

"जैसा होगा संग, वैसा चढ़ेगा रंग,

जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन,

[प्रो. रासा सिंह रावत]

जैसा पिओगे पानी, वैसी होगी वाणी,

जैसी होगी दृष्टि, वैसी होगी सृष्टि,

जैसी होगी शिक्षा, वैसी मिलेगी दीक्षा,

जैसी करनी, वैसी पार उतरनी

जैसा होगा विचार, वैसा बनेगा आचार

जैसी होगी मति, वैसी होगी जीवन की गति,

जैसी जीवन की नीति, वैसी जीवन की रीति,

जैसा श्रेष्ठ धर्म, वैसा श्रेष्ठ कर्म,

जितनी करोगे भक्ति, उतनी बढ़ेगी शक्ति,

जितना जानोगे योग, उतना दूर होगा रोग,

और कभी नहीं भोगोगे भोग।"

प्रामाणिकता और व्यक्तित्व निर्माण की बात ग्रामीण पंचायतों में की जाती तो वहां का व्यक्ति भी सोचता कि जहां ग्राम है, वहां राम है। ग्राम सेवा, ईश्वरीय सेवा है। निष्पक्षता के आधार पर सही गरीब का चयन किया जाये। यदि गांव का सरपंच सही है तो वहां का विकास हो जायेगा। वहां स्कूल भी बन जाएंगे, सड़कें नाली भी बन जाएंगी, लाइट भी वहां आ जाएगी। लेकिन जो बाकी जगह हैं, उनमें कुछ नहीं होगा अगर सरपंच वहां का सही नहीं है। फिर अगला चुनाव होता है और वे कहते हैं कि हमारा सरपंच बनाओ। फिर जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई होती है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्राम सभा को महत्व दिया जाना चाहिए।

राजस्थान में एक घोर अकाल पड़ा था। केन्द्र सरकार ने जो पैसा सूखे का सामना करने के लिए भेजा था लेकिन वहां की सरकार कहती रही कि पैसा नहीं है। गांवों के अंदर गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का सही चयन होना चाहिए ताकि वे लोग काम पर लगें। गांवों के अंदर हमने कहा कि गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग हैं। उन सबको काम पर लगाओ। केवल एक पंचायत में आबादी यदि 3000 की होती है और उसमें 600 गरीबी की रेखा से नीचे हैं तो 60 या 70 को काम मिलता है। उसमें भी कहा जाता है कि एक सप्ताह इन्हें लगाओ और एक सप्ताह इन्हें लगाओ। उसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत किसी की नहीं चलती। अपने–अपने आदमी अपने–अपने को दें, यह स्थिति होती है जो कि ठीक नहीं है। ग्राम सभा तो बुला लेते हैं, निर्णय भी कर लेते हैं लेकिन निर्णय में क्रियान्विति सरपंच पर निर्भर होती है और सरपंच पूर्वाग्रहों से युक्त हो, उसमें काम करने की शक्ति, निष्ठा यदि उसमें नहीं है, काम करने की, आगे बढ़ने की तमन्ना नहीं है, लेकिन.....* पर या और किसी कारण से बन गए, तो गांव का विकास कैसे होगा। मनुष्य सबसे बड़ा प्रमुख कारण हैं। इसलिए ग्राम सभाओं के अंदर अच्छे पंच और अच्छे लोग चुनकर जायें। अच्छे लोग बैठेंगे तो निश्चित रूप से ग्राम सभाओं को न्याय मिलेगा और वे विकास भी कर सकेंगी।

इस बिल का मैं समर्थन करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य ने जिन असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है, वे रिकार्ड में नहीं जाएंगे।

**श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद)** : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय सदस्य, डॉ. रघुवंश प्रसाद जी, द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने के लिए समय दिया। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प इस सदन में रखा है। इस संकल्प के माध्यम से उन्होंने इच्छा प्रकट की है कि ग्राम पंचायतें मजबूत हों और लाभार्थियों को पहचानने की प्रमुख भूमिका पंचायतों की हो।

भारत सरकार की विभिन्न गरीबी उन्मूलन की योजनाएं हैं और उनमें ग्राम सभाओं का अहम रोल है। उन सब पर विचार करने के लिए निश्चित रूप से यह सामयिक संकल्प है। ग्राम सभाओं को ज्यादा अधिकार देने की बात, महात्मा गांधी का चाहे ग्रामीण स्वराज कहिए या डाक्टर लोहिया का चौखंभा राज या फिर सत्ता का विकेन्द्रीकरण – इन सब चीजों के पीछे वही मकसद है कि ग्राम सभाओं या ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक शक्ति मिलनी चाहिए। यह भी सही है कि ग्राम पंचायतों को शक्तियां मिली हैं, लेकिन व्यावहारिक बात यह है कि हमारे देश में जो अफसरशाही का ताना–बाना है और इस देश में जो काम करने का जो ढर्रा है, उसमें ग्राम पंचायतों के साथ जो इंसाफ होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें हैं। गांवों में शिक्षा समिति का अध्यक्ष गांव का प्रधान होता है और प्रधानाध्यापक उस शिक्षा समिति का मंत्री होता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से देखने में आता है कि 250–300 बच्चों के लिए एक अध्यापक है। सरकार ने बच्चों के हिसाब से अनुपात सुनिश्चित कर रखा है, उस अनुपात में शिक्षकों का आबंटन प्रधान द्वारा किए जाने के बावजूद भी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाती है। कोई भी अध्यापक समय से नहीं आता है। ग्राम प्रधान द्वारा की गई शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

महोदय, 1972 में लैंड मनेजमेंट में अध्यक्ष प्रधान को बनाना निश्चित हुआ। प्रधान पंचायत की भूमि को आबंटित को सीमित करने के लिए प्रधान पट्टा देता था और वह पट्टा वैध माना जाता था। 1972 के बाद उसमें तबदीली आ गई और यह हुआ कि गांव का प्रधान सिर्फ प्रस्ताव करेगा और उसको अंतिम रूप उप जिला अधिकारी देगा। अब प्रौसेस कैसे चलता है, वह मैं आपको बताता हूं। ग्राम प्रधान के प्रस्ताव के बाद लेखपाल, फिर कानूनगो, फिर नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार और तब जाकर उप जिला अधिकारी। मुझे इस बात को कहने के लिए माफ करेंगे, जिसको लाभ मिलने वाला है, लाभार्थी है, उससे कहीं ज्यादा दाम दक्षिणा में चला जाता है और वह परेशान होकर शांत बैठ जाता है। हालत यह है कि जो इंदिरा आवास बनते हैं, उसमें पात्रता की श्रेणी है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन या दस्तकारी का काम करने वाले या सवर्ण जाति के ऐसे लोग। जो भूमिहीन है या जिनके पास मकान नहीं है, उनको प्राथमिकता मिलती है।

ग्राम प्रधान प्रस्ताव पास करता है। मैं नहीं जानता कि उसके प्रस्ताव पर कोई इंदिरा आवास बनता हो या उसके प्रस्ताव का कोई अर्थ हो। वह जब ब्लाक में जाता है तो वहां उसे सूची दे दी जाती है कि आपके गांव में ये आवास बनने वाले हैं, आप मेहरबानी करके हस्ताक्षर कर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हक उसे मिले हैं, वह उनका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, चाहे आवास या पट्टे देने की बात हो या दूसरी चीजें हों। इस अवसर पर मैं आपसे एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा, हम लोग इसलिए चाहते हैं कि ग्राम सभा को अधिक से अधिक अधिकार मिलें, क्योंकि सांसदों की बड़ी व्यावहारिक दिक्कतें हैं। आज समाज की मनोवृत्ति यह हो गई है कि वे जिसे वोट देते हैं उसी से दुनिया का हर काम लेना है, ऐसा समझते हैं।

आप जानते हैं कि जनजीवन में जुड़ा हुआ जो सवाल है, आदमी की रोजमर्रा की जिन्दगी से ताल्लुक रखने वाला जो सवाल है, उनका संबंध सूबे की सरकार से होता है। बिजली, पानी, सड़क, नहरें, अस्पताल इन सब चीजों का संबंध राज्य सरकार से होता है। अब हालत यह हो गई है कि अगर गांव का खंडजा खराब है किसी का राशन कार्ड भी नहीं बना है, जब वहां सांसद दौरे पर जाएगा तो सबसे पहले उसे शिकायत की जाएगी कि आप लोक सभा के सदस्य हो गए और हमारे गांव का खंडजा ठीक नहीं करवाया, हमारे गांव के राशन कार्ड नहीं बने। इससे हम लोगों के सामने व्यावहारिक दिक्कतें पैदा हो गई हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें जो सांसद निधि के रूप में दो करोड़ रुपया मिलता है, यह जानलेवा बीमारी है। अगर हमारे हल्के में पांच विधान सभा क्षेत्र हैं तो एक विधान सभा क्षेत्र में 40 लाख रुपया एक वर्ष में आया। इंजीनियर एस्टीमेट बना कर देता है कि एक किलोमीटर सड़क बनाने में आठ लाख रुपए का खर्चा होगा तो सांसद एक वर्ष में अपनी सांसद निधि से एक विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ पांच किलोमीटर सड़क बनवा सकता है। अगर वह गांव में दौरे पर जाता है, रास्ता सिंह जी जानते हैं कि गांव के लोग मांग करते हैं कि हमारा तीन किलोमीटर का टुकड़ा है, इसे आप ठीक करवा दें, बनवा दें। गांव में विद्युतीकरण हो जाना चाहिए, स्कूल बनवा दीजिए और कम से कम दस हैंड पंप तो गांव के लिए दे ही जाओ।

महोदय, मोटे तौर पर सही मायनों में सांसद को जो निधि मिलती है वह एक विधान सभा क्षेत्र में एक गांव की हालत को ठीक कर सकता है, ऐसी हालत हमारे देश में है। हमसे अच्छी हालत विधायकों की है। उत्तर प्रदेश में विधायक निधि बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है और हमें एक साल में एक विधान सभा क्षेत्र में 40 लाख रुपये मिलते हैं, विधान परिषद् के सदस्य को और विधायकों को 75 लाख रुपये मिलते हैं। रघुवंश जी बता रहे थे कि बिहार में डेढ़ करोड़ कर दिया गया है।....*(व्यवधान)*

महोदय, ये सब व्यावहारिक दिक्कतें हमारे सामने हैं। यहां भी हम लोग अपनी बात नहीं कर पाते हैं। हम जब सुबह शून्य काल के लिए नोटिस देते हैं तो 75 फीसदी नोटिसों पर इसलिए विचार नहीं होता क्योंकि वह राज्य सरकार का सवाल है। हमारे जो समर्थक और शुभचिन्तक हैं उनमें किसी की परेशानी है, तो वह अपेक्षा रखता है कि हम इन सवालों को लोक सभा में उठाएं लेकिन हम अपने मन की बात भी यहां नहीं कह सकते। महोदय, अगर ग्राम पंचायत मजबूत हो तो उनके मजबूत होने से हम लोगों को भी कुछ निजात मिलेगी और लाभ मिलेगा। मंत्री जी बैठे हैं, एक परम्परा रही है कि जब कोई मुख्य मंत्री बनता है तो दलगत भावना से ऊपर उठ कर प्रदेश के सभी सांसदों को बुला कर उनसे बात करता है। पिछली लोक सभा में जो उत्तर प्रदेश के सदस्य थे उन्हें 20–20 गांव विद्युतीकरण के लिए दिए गए और इस बार एक भी गांव सांसद को विद्युतीकरण के लिए नहीं दिया गया तथा न ही कोई बैठक हुई। रघुवंश जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसके हक और समर्थन में हूं।

हम लोग यह चाहते हैं कि ग्राम पंचायतें और ज्यादा बलशाली बनें। लेकिन इसके साथ–साथ खासतौर से यह भी देखने की आवश्यकता है कि ग्राम पंचायतों को प्रदत्त अधिकारों का क्या वे सही उपयोग कर पा रही हैं या नहीं। इस बात को भी आज देखने की आवश्यकता है और यही मुझे निवेदन भी करना था। धन्यवाद।

**श्री खारवेल स्वाइं (बालासोर)** : सभापति महोदय, मैं आज बहुत खुश हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत सारे विषयों पर संसद में बोल चुका हूं लेकिन मुझे इस विषय पर बोलने में जितना आनंद आता है और किसी भी विषय पर बोलने में नहीं आया था।

[श्री खारबेल स्वाइं]

जब मैं अपने क्षेत्र के किसी गांव में जाता हूं तो 40–50 लोग मेरे पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें इंदिरा आवास का एक घर दीजिए। माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी, जो इस प्रस्ताव को लाए हैं वे कहते हैं कि सांसद लिख देने से, विधायक लिख देने से उनके प्रदेश में घर मिल जाता है।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : सांसद के लिख देने से नहीं, घूस देने से मिलता है।

**श्री खारबेल स्वाइं** : लेकिन उड़ीसा में जब मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है, मैं तो हाथ खड़ा कर देता हूं और कहता हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम सरपंच के पास जाओ। आपने कहा है कि ग्रामसभा को मजबूत कीजिए। उड़ीसा में आईआरडीपी लोन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन ग्राम सभा के माध्यम से दी जाती है। लेकिन महोदय, मेरा कहना है कि उड़ीसा में ग्राम सभा ही नहीं, बल्कि सरपंच सभा होती है। अधिकांशतः आप वहां देखेंगे कि लोग आकर कहेंगे कि हम बहुत गरीब हैं और हमारा नाम इस योजना में नहीं है। आप कहेंगे कि फलां व्यक्ति का नाम कैसे आया तो कहेंगे कि ग्राम सभा में पास हुआ। आप गांव में जायेंगे तो पायेंगे कि वहां ग्राम सभा अक्सर होती ही नहीं है, वहां सरपंच सभा होती है। प्रो. रासासिंह रावत कह रहे थे कि अपनी ही पार्टी के लोगों को बुलाकर सभा होती है, लेकिन मेरा कहना है कि वह भी होता नहीं है। केवल दस्तखत करने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि अगर इस बार आप दस्तखत करोगे तो अगली बार आपको घर मिल जायेगा।

इसमें मेरे दो सुझाव हैं। एक सुझाव यह है कि पहले ब्लाक ऑफिस से हर गांव के लिए कहा जाये कि महीने में जिस दिन ग्राम सभा बैठे, उसकी तारीख निर्धारित की जाये। मान लो कि महीने की 5 तारीख को मीटिंग बैठेगी और इस स्कूल या गांव में फलानी जगह होगी। कम से कम लोगों को जानकारी तो होगी। माननीय मंत्री जी बैठे हैं इनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो गाइडलाइंस जा रही है उनमें आप इस बात को निर्दिष्ट करें कि कब सभा बैठेगी, इसकी तारीख ब्लाक आफिस निर्धारित करें।

दूसरा सुझाव यह है कि सिर्फ ग्राम सभाओं को यह क्षमता दे देने से काम नहीं चलेगा। उड़ीसा में ग्राम सभाओं में जिनको विलेज कमेटी कहते हैं इस बात का दायित्व दिया गया है लेकिन हर बैठक में खून–खराबा होता है। वहां पर इसके लिए लड़ाई हो जाती है। क्योंकि सरपंच का पक्ष कुछ होता है और विपक्ष का कुछ होता है हम आराम से सोच लेते हैं कि गांव में राम–राज्य है, सब लोग मिलकर काम करते हैं।

भारतवर्ष के गांव ऐसे नहीं हैं। इसलिए ग्राम सभा को यह दायित्व देना उचित नहीं है। मेरा सुझाव है कि ग्राम सभा से जितने प्रस्ताव आते हैं, उसे सांसद, विधायक, पंचायत समिति के चेयरमैन तीनों मिल कर देखें और उनकी एक कमेटी बनाई जाए। वे ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, आई आर डी पी इंदिरा आवास योजना को देखकर बताएं कि किन को इसका लाभ मिलेगा। ये तीन–चार लोग अलग–अलग पार्टी के होंगे। इससे मनमानी नहीं होगी। कोई न कोई इसे रोक लेगा।

गरीबी सीमा से नीचे कौन लोग रहते हैं? मेरा जिला बालेश्वर उड़ीसा के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले संपन्न इलाका है। वहां से कितने लोगों का नाम बी. पी. एल. के लिए रिकमैंड होकर आया है? 73 प्रतिशत लोगों का आया है। एक ब्लाक से 84 परसेंट आया। मैंने कलैक्टर से डी. आर. डी. ए. की एक मीटिंग में पूछा कि किन लोगों को बी. पी. एल. लिस्ट में लिया जाएगा क्योंकि हर रोज लोग आकर कहते हैं कि मेरा नाम छूट गया। इतने लोगों का नाम आने के बाद भी कहा जाता है कि हमारा नाम छूट गया, इसमें आपका क्या क्राइटीरिया है? उन्होंने बताया कि जिस के घर में फैन, रेडियो, टेलीफोन और टेलीविजन नहीं है, वह उसमें आएगा। मैंने कहा कि कुछ और भी बताइए। इस पर उन्होंने कहा कि जिस परिवार की महीने की आय 250 रुपए से कम हो उनको बी. पी. एल. लिस्ट में रखा जाएगा। उड़ीसा में एक आदमी आधा किलो चावल प्रतिदिन कम से कम खाता है। यदि एक परिवार में पांच आदमी हुए तो एक दिन में ढाई किलो चावल खाएंगे। यदि उसने कुछ भी नहीं खाया, पहना और कहीं नहीं गया फिर भी उसे हर रोज 25 रुपये खर्चा करना पड़ता है। ऐसे में उसे सिर्फ चावल के लिए महीने में साढ़े सात सौ रुपये खर्चा करना पड़ता है। जिस की ढाई सौ रुपये से कम इनकम होगी, उसे ही बी. पी. एल. लिस्ट में लिया जाएगा। हर आदमी बराबर कोशिश करता है कि उसका नाम इस लिस्ट में किसी तरह येन केन प्रकारेण आ जाए। यदि उसका बी. पी. एल. लिस्ट में नाम नहीं होगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसे इन्दिरा आवास योजना के तहत घर नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, पी डी एस से राइस नहीं मिलेगा। आप प्राइमरी टीचर को कहते हैं कि ऐसे लोगों की लिस्ट बना कर लाई जाए। वे इस काम को नहीं कर पाते। यदि वह किसी का नाम नहीं लिखता तो मार खाता है। मेरा सुझाव है कि किसी गैर सरकारी संस्था से इस काम को करवाया जाए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 33 परसेंट लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं लेकिन उड़ीसा में ऐसे लोग 73 परसेंट और 84 परसैंट तक आते हैं। इसमें से अधिकांश जाली नाम हैं। मैं स्वयं कहना चाहता हूं कि मेरे जिले से जाली नाम आए हैं। हमारे वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट भाषण में कहा था कि इनकम टैक्स पे करने वालों को पी. डी. एस. से चीनी नहीं मिलेगी। पहले उन लोगों को चीनी मिलती थी। उन लोगों को वहां से क्यों चीनी

मिलती थी? भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए सबसिडी पर खर्च करती है। वह किस के पास जाती है? किसको इसका फायदा मिलना चाहिए, क्या वह उसके पास जाती है, हिन्दुस्तान में जिस के पास पैसा है, उसे ही सबसिडी का फायदा मिलता है। उसे चीनी और कैरोसीन पी. डी. एस. में मिलता था। इसमें वैस्टिड इंटरेस्ट है। इसके लिए प्राइवेट एजेंसी कुछ करे। इससे समस्या नहीं होगी।

आप इंदिरा आवास योजना के लिए गरीब लोगों को पैसा देते हैं। जो गरीब लोग के पास पैसा नहीं है उसे बारी–बारी से किश्त में पैसा दिया जाता है। यह कहा जाता है कि पहले मकान बनाकर दो, फिर पैसा मिलेगा। उन गरीब लोगों के पास पैसा कहां से आया? पिछले साल उड़ीसा में समुद्री चक्रवात आया था। मकान बनाने के लिये हर आदमी को बीस हजार रुपया दिया गया। अब कोई बताये कि क्या घर बीस हजार रुपये में बनता है। वह बेचारा ठेकेदार को पैसा दे देता है जिसमें पांच हजार रुपया ठेकेदार ले लेता है। इसलिये माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह गरीब को 50 परसेंट रुपया एडवांस में दे ताकि वह अपना घर बना सके।

**श्री सुकदेव पासवान (अररिया)** : सभापति महोदय, डॉ. रघुवंश बाबू सही मायने में यह सकंल्प लाये हैं। गांव में रहने वाले 80 प्रतिशत लोगों के लिये बहुत ही उपयोगी है। हममें से बहुत से लोग नहीं जानते कि ग्रामसभा वर्ष 2000 मना रहे हैं। लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें आपको क्या कठिनाई थी कि इसकी जानकारी न सांसदों को और न गांव में रहने वालों को दे सके। सरकार को निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिये था। यदि ग्रामसभा का विकास हो जायेगा तो निश्चित रूप से इस देश का विकास हो सकेगा। चाहे इस सब के पीछे जो भी कारण रहा हो, यदि हम गांव का विकास नहीं कर पाये तो देश का विकास कैसे कर पायेंगे? मेरी सबसे अपील है कि राज्य सरकारों को इस ढंग से सोचना चाहिये कि गांव का समुचित विकास होना चाहिये। अभी हमारे एक मित्र बता रहे थे कि कई राज्यों में पंचायत चुनाव हुये हैं और कहीं नहीं हुये हैं। जहां चुनाव हुये भी हैं, वहां पंचायतों को मान्यता से वंचित किया जा रहा है। इसीलिये मैंने कहा कि जब तक ग्रामों का विकास नहीं होगा, हम अपने देश को समृद्धिशाली नहीं बना सकते।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार की ओर से जवाहर रोजगार योजना के लिये जो पैसा दिया जाता है, उसके लिये निश्चित रूप से गाइडलाइंस बनी हुई हैं। इस योजना के अंतर्गत जो पैसा जाता है, उसके लिये आम सभा की स्वीकृति होनी चाहिये। यदि हम यह कहें कि देश के किसी भी प्रदेश में सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार काम नहीं होता तो गलत नहीं होगा। इसलिये हम लोगों को सोचना चाहिये कि सही मायने में ग्रामसभा के क्या अधिकार हों। आज ग्रामसभा के सारे विकास कार्यों के लिये बीडीओ उत्तरदायी है। वह अपने पंचायत कर्मचारियों के कह देता है कि अपनी आम सभा करके लिस्ट बनाकर दे दो कि कौन सी योजना लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। मैं यही कहूंगा कि ऐसा काम करने से विकास के कार्य संभव नहीं। जब तक ग्रामसभा नहीं होगी तब तक सही बात निश्चित रूप से सामने नहीं आती। ग्राम सेवक मुखिया, एम. एल. ए. या नेता के कथनानुसार काम करते हैं।

सभापति महोदय, यही स्थिति इंदिरा आवास योजना की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं जिस जगह का रहने वाला हूं वहां इस योजना के तहत 20 हजार रुपया जिसको मिलता है, उससे 5–7–8 हजार रुपया पहले ही कमीशन के रूप में ले लिया जाता है।

**अपराह्न 5.00 बजे**

उसमें वहां पर नेता पैसा लेता है, बी डी ओ पैसा लेता है। बी. डी. ओ. के खिलाफ एफ. आई. आर. भी दर्ज हुई। लेकिन आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोगों की मनोवृत्ति इस तरह से नीचे गिर गई है कि लोग चाहते हैं कि जो कोई मरा हुआ व्यक्ति भी हो, उसकी लाश के कफन का पैसा भी खा जाएं। हम लोगों में इस स्तर तक गिरावट आ गई है। इस विषय में जितना भी कहा जाए, कम है।

सभापति महोदय, इंदिरा आवास योजना में यह होना चाहिए कि ग्राम सभा में हम अपने जिलों में सभी बी. डी. ओ. को सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि आप गांवों में जाओ और वहां जो सबसे गरीब और निरीह व्यक्ति हैं, वहां आम सभा करके उनका नाम लो। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन या गर्भवती महिलाओं की जो पेंशन हैं, वह सब भी आप ग्राम सभा से पास करवा कर दो। निश्चित रूप से ग्राम सभा एक भी ऐसे गलत आदमी की सूची पास नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बी डी ओ अपनी मनमानी करता है, वहां के कर्मचारी मनमानी करते हैं। इसलिए जो काम वहां होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है।

सभापति महोदय, लाल कार्ड योजना की आपके प्रदेश में क्या स्थिति है, वह मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे प्रदेश में लगभग 75 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले हैं। हमने प्रबंध समिति की बैठक की थी। युवा खेल विभाग के मंत्री, श्री शाहनवाज, जी हमारे जिले के हैं और हम जिला प्रबंध समिति में रेजोल्यूशन लाये कि अररिया संसदीय क्षेत्र और बिहार के 61 प्रतिशत व्यक्ति जिनके नाम गरीबी की रेखा से नीचे वाली सूची में होने चाहिए, वे नाम उस सूची में दर्ज नहीं है और जिले की प्रबंध समिति को हम लोगों ने लिखकर दिया कि यहां केन्द्रीय मंत्री श्री शाहनवाज जी हैं

[श्री सुकदेव पासवान]

और आप हैं। इसका पुनः पूरे बिहार तथा अररिया संसदीय क्षेत्र में सर्वेक्षण हो। जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन की गुजर–बसर कर रहे हैं उन बहुत सारे व्यक्तियों का नाम उस सूची में नही है। मैं पूरे सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि पूरे बिहार में निश्चित रूप से पुनः सर्वेक्षण हो। अगर ग्राम सभा करके सर्वेक्षण हो तो निश्चित रूप से गरीबी की रेखा के नीचे का एक भी आदमी नहीं छूटेगा। हम लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, आज गांवों में शिक्षा की क्या स्थिति है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के 70 प्रतिशत बच्चे अभी भी गांवों में स्कूल नहीं जाते हैं। कहीं पर स्कूल दूर होते हैं। छोटे–छोटे बच्चे दो तीन किलोमीटर दूर नहीं जाना चाहते हैं, कहीं उनके मां–बाप उन्हें स्कूल जाने से रोकते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ हो न जाए। कहीं स्कूल नहीं है और अगर स्कूल हैं तो शिक्षक स्कूल नहीं आते हैं। वहां के जो स्कूल इंस्पैक्टर या संबंधित अधिकारी हैं, उनका उन स्कूलों के शिक्षकों से मासिक रुपया बंधा हुआ है, आप इतना रिश्वत के रूप में रुपया दो और स्कूल मत आओ। ऐसी स्थिति में गांव का विकास कैसे संभव है। चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब तक यह सब ठीक नहीं होगा, देश मजबूत नहीं हो सकता। गांवों में आज प्राइवेट स्कूल खुल गये हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल गांव–गांव में खुल गये हैं और उन स्कूलों में आवास की भी व्यवस्था है। लोग प्राइवेट स्कूलों में पैसा देते हैं। चूंकि सरकारी स्कूलों में व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं कि जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो एम पी, एम एल ए, वार्ड कमिशनर, मुखिया और ब्लाक प्रमुख का भी काम हमें ही करना पड़ता है। महोदय आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, कई प्रदेशों में कई वर्षों से चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए हम लोगों को ही ये सारे काम करने पड़ते हैं।

जब तक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ब्लाक सुखी–संपन्न नहीं होंगे, खुशहाल नहीं होंगे, तब तक भारत देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को सभी दृष्टिकोणों से, शिक्षा के माध्यम से हास्पिटल के माध्यम से उसको और मजबूत करें ताकि हिन्दुस्तान उन्नति कर सके। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[अनुवाद]*

**डॉ. वी. सरोजा (राजीपुरम)** : माननीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह को इतना महत्वपूर्ण और अनिवार्य संकल्प लाने के लिए बधाई देती हूं। महोदय मेरे विचार से संविधान के 73वें संशोधन के पारित होने और कार्यान्वित होने के बावजूद भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के सपने चूर–चूर हो गये।

**अपराह्न 5.06 बजे**

***(श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा पीठासीन हुईं)***

महोदय, तमिलनाडु में पंचायती राज के लागू होने के बावजूद, लोगों को इसका उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना उन्हें मिलना चाहिए था। यदि मैं विश्लेषण करूं कि हमने कहां गलती की, हम कैसे इन वस्तुओं को बदल सकते हैं और कैसे हम योजनाओं को गरीबों तक ले जा सकते हैं, मुझे पता है कि पाठ्यक्रम उपलब्ध है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय में पंचायती राज जागरूकता कार्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करके सभी राज्यों में उपलब्ध कराना चाहिए। जिला प्रशासन को आम जनता के साथ–साथ पंचायत को भी विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने और ग्राम पंचायत के सदस्यों को उनके उतरदायित्व, जवाबदेही, कर्तव्यों और इन कार्यवाहियों को करने के तरीके के प्रति संवेदनशील बनाए जाने संबंधी निर्देश दिए जा सकते हैं।

महोदय, लोगों की भागीदारी के बिना, किसी भी योजना को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता है। यह एक पहलू है जिसे सरकारी मशीनरी और साथ ही साथ पंचायती राज ने भुला दिया है। मैं सरकारी सेवा में 18 वर्ष रही। मैं आसानी से यह निर्धारित कर सकती हूं कि सरकारी मशीनरी पंचायती राज के समांतर जा रही है। जिला प्रशासन और सरकारी मशीनरी के मध्य स्थानीय स्तर और साथ ही साथ जिला स्तर पर कोई आपसी समझ नहीं है और कोई चर्चा नहीं है कि स्थानीय पंचायत की समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। योजनाओं के निर्धारण से पूर्व, पंचायती राज और स्थानीय क्षेत्र की सरकारी मशीनरी पूर्णतः किसी आपसी सहमति पर नहीं पहुंचती है।

इन सबसे ऊपर जन प्रतिनिधि, विधान सभा सदस्यों और संसद सदस्यों की पूर्णतः अवहेलना की जाती है। आप कह सकते हैं कि सभी विधायकों और संसद सदस्यों को जिला प्रशासन और साथ ही राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं को लागू करने के कार्य में भाग लेने के लिए कहा गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी राज्य में, नौकरशाही चुने हुए लोक प्रतिनिधियों की राय को विचारार्थ नहीं लेते हैं। हमें केवल सूचना ही प्राप्त होती है।

**प्रो. उन्नारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली)** : सभी राज्यों में ऐसा नहीं है।

**डा. वी. सरोजा** : माफ कीजिए। मैं तमिलनाडु की बात कर रही हूं।

रोजगार आश्वासन योजना में और लाभार्थियों के चुनाव में, जिला प्रशासन से भी परामर्श नहीं किया जा रहा है और अधिकारी कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। लाभार्थियों के चुनाव से पूर्व, उनमें सहमति होनी आवश्यक है। साथ ही, अधिकारिता संबंधी समिति के स्थानीय स्वावलंबित दल को भी पंचायती राज में भूमिका निभानी चाहिए।

भारत की पचहत्तर प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। हमारे महान नेता पैरिगनार अन्ना ने कहा है, "गांवों में जाओ, ग्रामीणों के साथ रहो, योजना बनाओ और लागू करो, तभी महात्मा गांधी के सपनों का भारत बन सकेगा।"

इस संदर्भ में, मैं इस माननीय सभा का ध्यान बढ़ रही जनसंख्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। हम अब 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गये हैं, और यह समस्या चिंताजनक है। मैं केवल एक सरल सुझाव देना चाहती हूं। यदि सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया जाए, तो यह परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण के लिए अंतिम सहारा बन सकता है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि आजादी के पचास वर्ष के बाद भी किसी भी राज्य ने इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया है। हमें यह नहीं पता कि कितनी माताओं को इस परिवार–नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जा सकता है क्योंकि हम उनके जीवन वृतांत और दूसरे ब्यौरे जैसे बच्चों की संख्या, प्रसव का प्रकार, जीवित बच्चों की संख्या इत्यादि के बारे में भी नहीं जानते। इस संदर्भ में मैं महसूस करती हूं कि ग्राम पंचायत और स्थानीय अधिकारी जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में, जैसा कि श्री स्वाइं ने सही उल्लेख किया है, इसकी परिभाषा अभी भी अस्पष्ट है। कोई भी उस लाभार्थी की पहचान कर पाने में सक्षम नहीं है, जो वास्तव में गरीबी रेखा से नीचे है। इसे पूर्ण रूप से निर्धारित करना चाहिए, उचित रूप से समझना चाहिए, और सभी राज्य के लिए पैमाना समान नहीं होना चाहिए क्योंकि आर्थिक शक्ति या स्थिति प्रत्येक राज्य की अलग–अलग है। इसे अलग–अलग लिया जाना चाहिए और इसे उचित रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।

महोदया, मैं महसूस करती हूं कि उन सभी योजनाओं का समीक्षात्मक आंकलन किया जाना चाहिए जिसके माध्यम से हमने राज्य सरकारों को पैसे दिये हैं। हम संसद सदस्यों को यह नहीं पता है कि योजनाओं के साथ क्या हो रहा है। राज्य सरकारों को जो हम 85 प्रतिशत वित्तीय सहायता देते हैं, उस का उचित उपयोग नहीं हो रहा है। वस्तुतः यह अन्य योजनाओं में खर्च किया जा रहा है, विशेष तौर पर जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए दी गई धनराशि का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्रों के बारे में यह रिपोर्ट है कि ग्राम सभा का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। ग्राम सभा में, अधिकांश समय, लोगों को बैठने तक की अनुमति नहीं दी जाती है, उन्हें जिला प्रशासन के सामने खड़े होकर जवाब देना पड़ता है। यह सचमुच एक दयनीय स्थिति है। सबसे ऊपर, जब कभी भी ग्राम पंचायत में कुछ चर्चा करनी है, वह दलगत राजनीति से उपर होनी चाहिए। राजनीति रास्ते में नहीं आनी चाहिए। यदि यहां राजनीति आ जाती है तो सही लाभार्थियों का चयन करना कठिन हो जाएगा।

जहां तक भूमि सुधार और राजस्व विभाग का सवाल है जब कभी भी वे अनुसूचित जाति/जनजाति और गरीब लोगों के लिए पट्टे का वितरण करते हैं, इसे ठीक से नहीं किया जाता है। गांव के प्रशासनिक अधिकारी स्वयं को राजा या सर्वेसर्वा समझते हैं। वह न तो पंचायत के लोगों को और न ही आम जनता या संसद सदस्यों या विधायकों को राजस्व भूमि के वर्गीकरण संबंधी स्पष्टीकरण दे पाते हैं जो यह जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार की सरकारी भूमि हैं और क्या इसे पट्टे के रूप में दिया जा सकता है। जब लोग हमारे पास पट्टे के लिए आते हैं तब हम उन्हें उचित उत्तर नहीं दे पाते हैं। मेरा सुझाव यह है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता को प्रखंड विकास अधिकारी और साथ ही तालुका मुख्यालय में तैनात करना चाहिए।

जब जनता अधिकारियों से मिलती है तो वे उनकी बात सुनने के 'मूड' में नहीं होते, वे जनता की अगवानी नहीं करते और न ही वे जनता की बात धैर्य के साथ सुनते हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि सभी सरकारी कार्यालयों में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि जनता अपनी समस्याएं उन तक भलीभांति पहुंचा सके।

महोदया, इंदिरा आवास रोजगार योजना, ग्रामीण जनता के लिए आवासीय समूहों के निर्माण के लिए बनाई गई है। पंचायती राज लागू करने के बाद नगर पंचायतों की अवधारणा यह सोचकर समाप्त कर दी गई कि नगरपालिकाएं, नगर पंचायतों का कार्य भी कर लेंगी। नगर पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में अधिकतर गरीब तबके के लोग आते हैं। तमिलनाडु में लगभग 600 से अधिक नगर पंचायतें हैं। ग्रामीण जनता के लिए आवासीय समूहों का निर्माण करने जैसी योजना, नगर पंचायतों के लिए भी बनाई जा सकती है ताकि गरीब और पिछड़े हुए लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जा सके।

[डॉ. वी. सरोजा]

महोदय, मतदाता-सूची में सुधार और जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र आदि भलीभांति जांच कर समय पर लोगों को दिए जाने चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि अध्यापकों या सरकारी तंत्र की अपेक्षा इन कार्यों को ग्राम पंचायतें और सामाजिक कल्याण संगठन ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं क्योंकि वे मतदाता–सूची में सुधार उनके घरों में बैठकर ही कर देते हैं। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।

महोदया, जहां तक सामाजिक क्षेत्र का संबंध है, लाभार्थियों का चुनाव ग्राम पंचायतें नहीं करती। उनका चुनाव खंड विकास कार्यालयों में बैठने वाले मुख्य सविकास करते हैं। लोगों से मिलने पर पता चलता है कि असल लाभार्थियों को तो लाभ मिल नहीं रहा है बल्कि अमीर लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। जनजातिय लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए हमारे प्रयासों के आड़े वन संरक्षण अधिनियम, 1980 आ रहा है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं, माननीय मंत्री जी से इन मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहूंगी। पंचायती राज लागू होने के बावजूद भी सांसदों को अपने स्थानीय क्षेत्र विकास की निधियों से पीने के पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं को जुटाना पड़ रहा है। तब, पंधायतों की क्या भूमिका है? मैं इस मुददे का स्पष्टीकरण चाहती हूं। मैं इस बारे में इसलिए चिंतित हूं क्योंकि सांसदों को 'स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' के अंतर्गत निधियां इसलिए प्रदान की जाती हैं क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएं और जिला प्रशासन कार्य करने की स्थिति में नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं पीने के पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं तक प्रदान नहीं कर रही हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर इन पंचायती राज संस्थाओं को चलाने का उद्देश्य क्या है?

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' में से सांसदों को कार्य आबंटन, योजना चुनाव और ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए पांच लाख रुपये आबंटित किए जाएं। मूलभूत सुविधाएं, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए। उन्हें और शक्तियां प्रदान करने से पहले और अधिक निधियां प्रदान करने से पहले शैक्षिक और सूचनात्मक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

**श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा)** : महोदया, यदि आपकी अनुमति हो, तो क्या मैं उड़िया में बोल सकता हूं? इसके लिए मैं नोटिस भी दे चुका हूं।

**सभापति महोदय** : जी हां।

* **श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा)** : सभापति महोदया, मैं डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में ग्राम सभा की भागीदारी से संबंधित संकल्प पर कुछ कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य डॉ. सिंह ने यह संकल्प बड़े ही सही समय पर प्रस्तुत किया है। संभवतः यह संकल्प प्रस्तुत करते समय डॉ. सिंह बिहार पर बोलना चाह रहे थे। उन्होंने कुछ वित्तीय मामले भी उठाए थे किंतु मैं उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान संसद भवन के कमरा नं 53 और 62 में उद्धृत ऋग्वेद की अंतिम पद की अंतिम पंक्ति की ओर दिलाना चाहूंगा इसमें कहा गया है कि :

"समान मंत्रः समिति समानी
समाहा अकुति सहचितमेशाः।

लगता है कि डॉ. सिंह अकूति शब्द का अनुसरण करने में समर्थ है। यह शब्द इनकी मातृभाषा भोजपुरी और मेरी मातृभाषा उड़िया में समान रूप से प्रयोग होता है। अकूति का अंग्रेजी अर्थ है अनुनय विनय करना। सद्चित और मेशन का अर्थ है कि एक दिमाग से कार्य और ग्राम सभा व उसकी सहकारियों द्वारा दृढ़ निश्चय। ग्राम सभा एकात्मक होनी चाहिए और उसे सौंपे गए कार्यों को करते समय वह दृढ़ प्रतिज्ञा भी होनी चाहिए। मगर बड़े ही खेद की बात है कि ग्राम सभा की इतनी अधिक महत्ता और शक्तियां उसकी योग्यता के बिना ही गर्म हैं। ग्राम सभा इन सभी कारणों और उद्देश्यों को क्रियान्वित करने में सक्षम नहीं है। यदि आप गांवों की वर्तमान स्थिति देखें तो आपको पता चलेगा कि ग्राम सभा ग्रामीणों में कितना भेदभाव और व्यथा फैला रही है। प्रत्येक मुद्दे को लेकर ग्राम सभा में मतभेद है। हर जगह मतभेद और आलस्य फैला रहा है। हर चीज को राजनैतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 के प्रावधान और संविधान के 73वें संशोधन में किए गए प्रावधान भी सही प्रकार से लागू नहीं किए गए हैं। क्योंकि इन कार्यों को करने वाले लोग गलत कार्यों और विवादों में उलझे हुए हैं।

**सभापति महोदय** : श्री साहू, कृपया थोड़े समय के लिए बैठ जाइए। माननीय सदस्यों, इस चर्चा के लिए तय दो घंटे का समय अब समाप्त हो चुका है। कई और भी सदस्य हैं जो इस वाद–विवाद में भाग लेना चाहेंगे। यदि आप सभी चाहें तो इस चर्चा को एक घंटे तक और बढ़ाया जा सकता है।

**अनेक माननीय सदस्य** : ठीक है।

**सभापति महोदय** : तो, चर्चा का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

**श्री अनादि साहू** : सभापति महोदया, मैं आपसे कह रहा था कि ग्राम सभा अपने दायित्व का निर्वाह करने में सक्षम नहीं है। ग्राम

* मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

सभा की बैठक महीने में एक बार होनी आवश्यक है। कई योजनाओं जैसे रोजगार आश्वासन कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, विधवा व वृद्ध पेंशन, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान तथा उनका पुनर्वास, सड़क, संपर्क, बंजरभूमि विकास तथा जच्चा–बच्चा कल्याण केन्द्र इत्यादि पर ग्राम सभाओं की निगरानी आवश्यक है। ग्राम सभा को, रोजगार आश्वासन कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर विशेष रूप से क्रियान्वित करना चाहिए। कई गांवों के लोग रोजगार के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में चले गए हैं। वे अपने गांवों को क्यों छोड़ रहे हैं? ग्राम सभा को ऐसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि इन लोगों को रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत रोजगार मिल सके और वे अपने गांव छोड़कर न जाएं। मगर बड़े ही खेद की बात है कि ग्राम सभा ये सब करने में सक्षम नहीं है। कुछ शक्तिशाली लोगों का ग्राम सभा पर नियंत्रण है। ग्राम सभा का नियंत्रण मुख्य रूप से पंचायत सचिव और वी. एल. डब्ल्यू. के हाथों में रहता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये शक्तिशाली लोग, ग्राम सभा को आंतकित कर रहे हैं। जैसा ये लोग चाहते हैं, ग्राम सभा वैसे ही कार्य करती है। पंचायत सचिव और वी. एल. डब्ल्यू. की मनमानियों के कारण ग्राम सभा अपनी पहचान खो चुकी है। इस तरह ग्राम सभा अपना नुकसान स्वयं कर रही है। इस संबंध में मैं, श्रीमदभगवत् की दो पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा जिसका अर्थ है :

"यदि आप स्वयं अपनी जिह्वा काट लेगें तो

आप दूसरों से बात कैसे करेंगे ?"

और यही हाल ग्राम सभाओं का भी है।

ग्राम सभा वी. एल. डब्ल्यू. और पंचायत सचिव के इशारों पर नाच रही है। यह सूची के विषयों के अनुरूप नहीं चल रही है। यह स्थानीय प्रशासन तीन स्तरों पर कार्य करता है। सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा कार्य करती है, फिर ग्राम पंचायत फिर ब्लॉक परिषद् और अंत में जिला परिषद् कार्य करती है। इस स्थानीय प्रशासन में सांसदों और विधायकों का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। वे केवल केन्द्र द्वारा विभिन्न योजनाओं जैसे– इंदिरा विकास योजना, जवाहर रोजगार योजना और काम के बदले अनाज इत्यादि पर ही टिप्पणियां कर सकते हैं। कुछ राज्य तो केन्द्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में रुचि रखते हैं और इन्हीं राज्यों में ही इन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी हो जाता है। दूसरे राज्यों में तो सांसद अपनी छाती पीटेंगे, आंसू बहाएंगे, चिल्लाएंगे मगर उन पर कोई ध्यान नही देगा। जैसे उड़ीसा में उनके द्वारा क्रियान्वित होने वाली कई योजनाओं पर ग्राम सभाएं ध्यान नहीं दे रहीं हैं। इसके स्पष्ट दिशा–निर्देश निर्धारित हैं। जिनके आधार पर केन्द्र और राज्य इन योजनाओं के लिए निधियां प्रदान करते हैं। कुछ योजनाओं में राज्य को कुल आबंटन का 20 प्रतिशत वहन करना पड़ता है और कुछ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में इन्हें 25 प्रतिशत तक वहन करना पड़ता है। कुछ अन्य योजनाओं में केन्द्र 100 प्रतिशत तक खर्च वहन करता है। ऐसी योजनाओं में राज्यों को खर्च वहन नहीं करना पड़ता। ये सभी योजनाएं ग्राम सभा द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।

महोदया, हर स्थान पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। कहीं अधिक है तो कहीं कम। मेरे अनुसार यह न्यूनतम सामान्य कारक है किंतु ग्राम सभा में भ्रष्टाचार अधिक व्याप्त है। उदाहरण के लिए ग्राम सभा की बैठक महीने में एक बार होनी चाहिए किंतु गणपूर्ति के न होने के बहाने इसे टाल दिया जाता है और फिर अगले महीने गणपूर्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता। यदि कोई लोगों को चाकू, लाठी से डराएगा तो अगली बैठक में कोई भी भाग नहीं लेगा। तब यह कह दिया जाता है कि पिछली बैठक की ही तरह इस बार भी केवल 9 लोग ही उपस्थित थे। इस तरह अगली बैठक में भी इन्हीं लोगों से गणपूर्ति की जाती है। इंदिरा आवास योजना, के अंतर्गत आबंटित होने वाले घरों के लिए ग्राम सेवक, ग्राम सभा और ग्राम प्रधान प्रति आबंटन 1000/- रुपये लेते हैं। जब दूसरी किश्त आती है तो ये खंड विकास अधिकारी और ओवरसियर जिसे कनिष्ठ इंजिनियर पदनाम दिया जाता है, 2000 रुपये लेते हैं। तीसरी और अंतिम किस्त में लाभग्राही आवास का आबंटन करने वाले निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक के व्यक्तियों को 2000/- रुपये और देता है। इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभग्राही को 18,000 रुपये दिये जाते जिसे बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया– और उसके बाद बढ़ाकर 22,000 रुपये। लाभग्राही को आवास तब तक नहीं मिलता है जब कि तक वह 3000/– से 5000/– रुपये तक की बड़ी रकम घूस में नहीं देता है।

महोदया, मेरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल आबादी का 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं। उसमें से 70 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हैं। यह क्षेत्र नक्सलवाद से ग्रस्त है। ग्राम सभा अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही है इसलिए वहां विकास का कोई कार्य क्रमबद्ध तरीके से कार्यान्वित नहीं हो पाता है। इससे नक्सलवाद का जन्म होता है। केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के लागू न होने तथा भ्रष्टाचार के व्यापक प्रसार के कारण उस विधान सभा क्षेत्र में नक्सलवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। चाहे बिहार हो या दक्षिणी उड़ीसा स्थिति एक ही प्रकार की है। कुछ दिन पहले मैं उस विधान सभा क्षेत्र में गया था। कुछ लोगों ने मेरा घेराव किया तथा मुझसे अपने साथ किसी अज्ञात स्थान पर चलने को कहा। मैं उनके साथ जाने के लिए सहमत नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मुझे मत छोड़ो। मैं तुम लोगों के साथ

[श्री अनादि साहू]

यहां बैठने का तैयार हूं। मैं उनके साथ बैठ गया। इसके बाद उन्हें मेरे ऊपर दया आ गई और कुछ शर्तों पर उन्होंने मुझे जाने दिया। उन्होंने कहा "जब आप अगली बार यहां आते हैं तो अमुक सड़क बन जानी चाहिए तथा उस गांव में पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो जानी चाहिए। अन्यथा, उन्होंने यह कहते हुए मुझे गंभीर परिणाम की धमकी दी" यदि आप यह काम नही करेंगे और अगली बार आयेंगे तो आप वापस नहीं जा पायेंगे, वापस केवल आपका मृत शरीर जायेगा। उन्होंने इस तरह मुझे धमकी दी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिये है क्योंकि उस ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्व–प्रशासन जो कि देखरेख करने के लिए है, के द्वारा विकास का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।

महोदया, पीने के पानी का मामला देखें। अब ट्यूबवेल लगाने की जिम्मेदारी गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) को देने की परम्परा बन गई है। वे ट्यूबवेल लगाएं। पानी आना शुरू हुआ। लेकिन जल की आपूर्ति इसी तरह नहीं होती रहती। 6 माह बाद देखने में आता है कि ट्यूबवेल बेकार हो गये हैं। वे पानी नहीं उठा पाते हैं केवल हवा उठाते है। एक बार ट्यूबवेल लग जाने के बाद गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। उनके रखरखाव के लिए कोई नहीं होता है। जल आपूर्ति विभाग या सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के पास जाने पर वे कहेंगे कि ट्यूबवैल उनके द्वारा नहीं लगाए गए हैं अतः उनके रखरखाव की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। उड़ीसा राज्य में दनिदा योजना के अंतर्गत अनेक ट्यूबवैल लगाए गए। अब गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) द्वारा भी अनेक ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं। ये ट्यूबवेल अधिक से अधिक 6 या 8 या 9 माह तक कार्य करते हैं। इनका रखरखाव ग्राम सभा द्वारा सुनिश्चित किया जाना था। लेकिन जो व्यक्ति किसी को देखरेख का कार्य देता है वह पूरी ईमानदारी से कार्य नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति राजनीति से प्रेरित है। तब कार्य कैसे हो सकेगा। इसलिए ग्राम सभा द्वारा विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के बजाए इस पर विचार करने का समय आ गया है। हमें गांव की स्थिति देखनी चाहिए। ग्राम सभा का कार्य उन व्यक्तियों की पहचान करना है जो कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। इस तरह के लोगों की पहचान के लिए प्रतिमान बनाए गए हैं। लेकिन प्रतिमान की चिंता किसे है। बिना घूस के कोई भी नाम बी. पी. एल. सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता है। वे लोग जिनकी पहुंच है अपने नाम बी. पी. एल. सूची में सम्मिलित करवा लेते हैं तथा ग्राम सभा द्वारा उन्हीं के कार्य किए जाते हैं। इस सभा में भी यही परम्परा है। जो चिल्लाते हैं और ऊंची आवाज में बोलते हैं उन्हें बोलने के लिए अधिक समय मिलता है। वे व्यक्ति जो शोरशराबा करते हैं ग्राम [illegible] तैयार की जा रही बी. पी. एल. सूची में अपनी पसंद के [illegible] नाम शामिल करवा लेते हैं।

महोदया, मैं मिटटी के तेल के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह काले बाजार में बेचा जाता है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कालाबाजारी रोकने के लिए केरोसीन से नियंत्रण हटा लिया जाए। महोदया, माननीय सदस्य श्री येरन नायडू यहां उपस्थित नहीं हैं। वे आंध्र प्रदेश में मेरे समीपवर्ती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें यह अच्छी तरह ज्ञात है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से घूट की दर पर आने वाला केरोसीन का एक तिहाई भाग डीजल में मिलाने के लिए अंतरराज्यीय जांच केन्द्रों पर भेज दिया जाता है। उस क्षेत्र में डीजल में केरोसीन की मिलावट व्यापक पैमाने पर हो रही है। यह मिलावटी डीजल ट्रकों में बहुत प्रयोग किया जाता है। आजकल मोटर साइकिलों में एक इस प्रकार का इंजन लगा है जो कि केरोसीन से चलता है। सरकार गांवों में प्रकाश के लिए केरोसीन पर सबसिडी दे रही है। यह केरोसीन सीधे काले बाजार में ले जाया जा रहा है। इस प्रकार की गतिविधियों में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और थोड़े अधिकारी संलिप्त हैं। हम योजनाएं बनाते हैं और अच्छी बात करते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाए। महोदया लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने गरीबी निवारण कार्यक्रमों में ग्राम सभा की भागीदारी का प्रस्ताव पेश किया है। लेकिन उनका प्रस्ताव सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। हम योजना बना रहे हैं लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना नहीं बना रहे हैं। उचित आयोजन और कार्यान्वयन में ईमानदारी के अभाव के कारण हमारी सभी योजनाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाती हैं।

महोदया, छोटी सिंचाई योजनाओं और पीने के पानी के मामले को देखें। वाटर शेड विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं। ज़ोरशोर से पेड़ों की कटाई को रोके बिना वाटरशेड कैसे बनाए जा सकते हैं। बड़े पैमाने पर वनों का नाश हो रहा है। वाटरशेड विकास योजनाएं कैसे सफलता प्राप्त कर सकती हैं? वाटरशेड विकास योजनाओं और सामाजिक वानिकी योजनाओं के लिए बहुत अधिक राशि आबंटित की जाती है। जल संचयन योजनाओं का भी यही हाल है। सब टांय–टांय फिस हो जाता है।

जल संचयन का कार्य गुजरात में शुरू किया गया। मैं हाल ही में गुजरात हो आया हूं। विगत 10 से 15 वर्षों में हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए लेकिन पानी कहां है? पिछले 10 से 15 वर्षों में गुजरात में खर्च किए गए 2000 करोड़ रुपये से यदि जल संचयन का कार्य किया गया होता तो वह हरा–भरा क्षेत्र हो गया होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज भी गुजरात में जल की समस्या पर आंसू बहाए जाते हैं।

महोदया, हम वाटरशेड विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ग्राम सभा को धन आबंटित कर रहे हैं। यह धन ठीक प्रकार

से उपयोग में नहीं लाया जायेगा और ग्राम सभा वाटरशेड विकास कार्यक्रमों को निर्धारित तरीके से नहीं लागू कर सकेगी। मैं इंदिरा विकास योजना के बारे में बोल चुका हूं। अब मैं रोजगार गारंटी योजना पर बोलना चाहूंगा। इस कार्यक्रम के तहत कृषि मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देने का निश्चय किया गया है। खेती का कार्य पूरे वर्ष नहीं चलता है। खेतिहर मजदूर पौध लगाने के समय, निराई के समय और कटाई के समय व्यस्त रहते हैं। इसके बाद वे घर पर बेकार बैठते हैं। इसी समय उन्हें रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। एक सूची और रोस्टर रखने का प्रावधान किया गया है। इस रोस्टर के अनुसार रोजगार गारंटी कार्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। ग्राम सभा कड़ाई से रोस्टर के अनुसार कार्य नहीं करती है और कार्यक्रम क्रमबद्ध तरीके से कार्यान्वित नहीं किया जाता है।

मैं प्रवासी मजदूरों की बात कर रहा था। उन्हें जब रोजगार नहीं मिलता तो उसकी तलाश में वे बाहर चले जाते हैं। इन मजदूरों को कार्य दिया जाना चाहिए। ग्राम सभा उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाती है और सूची में उनके नाम के सामने अंगूठे का निशान लगाकर धन ले लेती है। ग्राम सभा में इस प्रकार का गलत काम चल रहा है, यदि हमें इन कार्यक्रमों को लागू करना है, लक्ष्य प्राप्त करना है तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारना है तो हमें संगठित होना होगा तथा एक साथ काम करना होगा।

मातृत्व कल्याण केन्द्र के मामले को ले। गर्भवती महिलाओं को तीन माह तक 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाना चाहिए। कितनी गर्भवती महिलाओं को यह धनराशि मिल रही है? मैं फुलबानी जिले का एक उदाहरण देता हूं जो कि मेरे चुनाव क्षेत्र के बाहर पड़ता है। यह माननीय सदस्य श्री पद्मनाव बेहरा के क्षेत्र में पड़ता है जो कि इस समय यहां उपस्थित नहीं है। कुछ दिन पहले मैं उनके चुनाव क्षेत्र के एक ऐतिहासिक स्थान लंकागढ़ में एक चिकित्सालय में गया। यह दूरदराज के क्षेत्र में स्थित है जहां अधिकाशंतः जनजाति के लोग निवास करते हैं। वहां मैंने अनेकों गर्भवती महिलाओं को देखा और उनमें से कुछ अपने बाहों में बच्चे लिए हुए खड़ी थीं। मैंने पूछा क्या उन्हें प्रतिमाह 500 रुपये मिल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ये 500 रुपये क्या होते हैं। वे रुपये को 20 की इकाई में गिनती हैं।

उन्हें केवल 20 की इकाइयां मालूम हैं। वे सैकड़ा नहीं जानती। उनकी गरीबी रेखा इस प्रकार की है। मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि 20 रुपये की इकाई के हिसाब से 500 रुपये कितने होते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन वहां एक मातृत्व कल्याण केन्द्र तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी है लेकिन सरकार द्वारा जारी किया गया धन गर्भवती महिलाओं को नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि उनको भुगतान देने के लिए कोई नहीं आया। दूसरी तरफ हम ग्राम सभा को यह कार्य करने के लिए कह रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से गर्भवती महिलाओं की देखरेख करने की आशा की जाती है। माताओं को पोषक भोजन और दवा देने की आशा की जाती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए तथा जो आवश्यक हो वह किया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मातृत्व कल्याण केंद्रों या ग्राम सभाओं द्वारा नहीं किया जा रहा है।

महोदया, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह निधियों के आबंटन पर जोर दे रहे हैं। ग्राम सभा को शक्तियां देने के बारे में ऊंची आवाज उठाई जा रही है। यहां कहा गया कि 15000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। लेकिन इतनी अधिक राशि के आबंटन का क्या उपयोग है? डी. आर. डी. ए. और जिला परिषद में क्या हो रहा है। विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए जब वे मिलते हैं तो देखने में आता है कि वे एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं तथा हाथापाई कर रहे हैं। वे हर मुद्दे पर राजनीतिक नजरिये से बात करते हैं। वे ग्राम पंचायत द्वारा की गई सिफारिश पर निर्णय नहीं लेते हैं। यहां पंचायत की प्रत्येक सिफारिश बदल दी जाती है। उनको केवल परसेंटज की चिंता रहती है। जैसा कि मैंने पहले कहा है यह वह न्यूनतम सामान्य मानक है जिसके आधार पर हिस्से का बंटवारा किया जाता है।

मुख्य मानदंड यह है कि प्रत्येक चुने हुए प्रतिनिधि को कितना परसेंटेज मिलता है। गांवों में गरीबी की मार से त्रस्त व्यक्ति को कितना लाभ मिलता है यह कोई मानदंड नहीं है।

इसलिए अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में हमें आत्मावलोकन करना है। हमें प्रत्येक कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना है। यदि धन का प्रयोग वास्तव में आबंटित किए गए कार्य के लिए किया जाए तो राष्ट्र प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह सड़क, संचार, कृषि या अन्य ग्रामीण उत्थान से संबंधित हो, समृद्ध होगा। लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। यह सब खोखली बातें हैं। अतः इस के बाद, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*[हिन्दी]*

**श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी)** : सभापति महोदय, प्रस्तुत निजी संकल्प पर चर्चा में आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने गांवों को मजबूत करने वाले संकल्प पर सदन में विचार करने का अवसर दिया।

ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए संविधान में 73वां संशोधन किया गया था। उसी के आधार पर अधिकतर राज्यों में

श्री नवल किशोर राय

चुनाव हुए और पंचायती राज कागज पर कायम हुआ। जमीन पर जो सही ढंग से कार्य होना चाहिए था, वह कार्य नहीं हो पा रहा ह। मुझ से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि ग्राम सभा में जो सरपंच होता है, प्रधान होता है, मुखिया होता है, वह सभा को अपने रूप में परिणित कर देता है। अपने लोगों को हिसाब लगाकर, प्रस्ताव बनाकर, जो योजनायें केन्द्र द्वारा भेजी होती हैं उन योजनाओं में अधिक से अधिक घाल–मेल करता है। यह संवेदनशील विषय है। 73वें संविधान संशोधन से गांवों को शक्ति प्रदान की गई और इस शक्ति का मजबूतीकरण करने के लिए रघुवंश जी ने इस संकल्प पर विचार करने के लिए अवसर प्रदान किया है। सदन में ग्रामीण विकास और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री उपस्थित हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस संकल्प पर विचार करने की सीमा को बढ़ाया जाए और स्वयं मंत्री जी सभी पक्षों से बातचीत करके, सोच–समझकर व्यावहारिक दृष्टिकोण वाला संकल्प सदन में प्रस्तुत करें।

इस देश में ग्राम सभा को जो 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत शक्ति दी है उसे अमलीजामा पहनाने का काम हो सके। वैसे तो कई राज्यों में चुनाव नहीं हुए। संकल्प पेश करने वाले डॉ. रघुवंश जी ने भी इस बारे में चर्चा की है। राज्य सरकार की ओर से बचाव पक्ष की भी वकालत उन्होंने इस सदन में बिहार के चुनाव के बारे में की है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं बिहार से आता हूं वहां चुनाव 25 वर्षों से नहीं हुए। ग्राम सभा की धज्जी उड़ाई जा रही है। इस प्रकार अन्य जगहों पर भी चुनाव नहीं हुए होंगे, लेकिन उनमें बिहार अव्वल दर्जे पर है। वहां माननीय न्यायालय का बहाना बनाया जाता है। हमारे यहां जब शादी होती है तो उस समय दान–दहेज देते वक्त दोनों संबंधियों के बीच में वार्तालाप होती है। मैं उसका एक उद्धरण देना चाहता हूं। एक समधी दूसरे समधी से कहता है कि आप मुझे भैंस दो तो वह जवाब देता है कि भैंस दूंगा मगर भैंस कीचड़ लगी हुई है, इसलिए हम नहीं देना चाहते हैं। वही कहावत हमारे राज्य बिहार की है। बचाव पक्ष से इतना अच्छा संकल्प लाने वाले, इतना अच्छा निजी विधेयक लाकर देश का ध्यान ग्राम सभाओं की ओर खींचने वाले विद्वान रघुवंश जी, जब राज्य में जानबूझकर लोकतंत्र का गला घोंटा जाता है, न्यायालय के बहाने जो पुराने कानून हैं उनके हिसाब से चुनाव हो सकता है, चुनाव न कराने वाले का जब पक्ष लेते हैं, बचाव करते हैं, बचाव पक्ष की वकालत के रूप में अपनी बात रखते हैं तो वह उन्हें शोभा नहीं देता।

हम आपके माध्यम से अपील करेंगे कि जैसे बिहार में हिम्मत करके, प्रेस वक्तव्य देकर राज्य सरकार को सलाह देते हैं कि जल्दी चुनाव कराया जाए, वैसे ही इस फोरम पर भी कहें कि केन्द्र [illegible] राज्य सरकार से बात करे। बिहार में लोकतंत्र व्यवस्था चरमरा गई है, बिलकुल बंद हो गई है। उसे खुलवा कर इसी वित्तीय वर्ष में चुनाव हो। हम चूंकि बिहार से आते हैं, इसलिए बिहार में जो 30 साल तक चुनाव नहीं हुए हैं उस ओर आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। हमारे केन्द्रीय मंत्रीगण भी इस बात को काफी मजे में लेते हैं। हम उनसे भी कहेंगे कि इस देश के लोकतंत्र में, जो गांव का लोकतंत्र है वह आज मर रहा है। बिहार में बीमार पड़ गया है। आप भारत सरकार के मंत्री हैं और बिहार से चुन कर आए हैं आपके ऊपर भी अंगुली उठती है। इसलिए आपको भी कड़ा रुख लेना चाहिए। भारत सरकार को इस कानून को और लोकतंत्र को बचाने के लिए कड़ा रुख लेकर बिहार में चुनाव कराने चाहिए, न कि उसे ठंडे बस्ते में रखना चाहिए। जहां चुनाव हो गए हैं वहां भी व्यावहारिक रूप से चुनाव के नतीजों के बाद, जो ग्राम सभा को काम करना है वह सही मयानों में नहीं होता है। ग्राम सभा, सरपंच सभा, मुखिया सभा और प्रधान सभा के रूप में व्यवहार में बन गया है। अपने लोगों को बुला कर हस्ताक्षर करवा कर, जाली दस्तखत करवा कर, न केवल एक दो अंगूठे से, बल्कि हाथों और पांवों की अंगुलियों से निशान लगवा कर अलग–अलग तरह से प्रस्ताव बना कर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। यह बड़ा संवेदनशील विषय है।

हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसे ठीक से जमीन पर उतारने वाले लोगों में से राजीव गांधी जी के विचार को सहयोग देने वाले प्रमुख लोगों में आप भी थीं। इस समय संयोग से आप चेयर पर बैठी हैं। जो ग्राम सभा है, उसमें व्यवहार में सही लोकतंत्र नहीं आ पा रहा है। सब तरफ के माननीय सदस्यों ने अपनी–अपनी राय रखी है और मैं भी उस पर अपनी सहमति व्यक्त करता हूं कि सदन को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए। संयोग से यह वर्ष ग्राम सभा वर्ष है।

मेरा निवेदन है कि इस ग्राम सभा वर्ष में राज्य सरकार एक काम यह कर दे जिससे हर गांव में एक रोस्टर बन जाये कि इस दिन इस गांव में और इस दिन इस गांव में ग्राम सभा होगी। ऐसा हो जाये कि पांच तारीख, दो तारीख या एक तारीख को ग्राम सभा होगी। साथ ही साथ सूचना एवं जनसंपर्क के माध्यम से चाहे लाउड स्पीकर द्वारा, चिट्ठी द्वारा सिनेमाघरों, अखबारों के विज्ञापनों या माइक या डुगडुगी पिटवाकर ब्लॉक के हर गांव में उस तारीख का प्रचार हो। जिससे हर व्यक्ति को पता चल जाए कि अमुक तारीख को बैठक होगी। इससे जो नहीं चाहते हैं वे भी आ जायें और जो चाहते हैं वे भी आ जायें। इस ओर हम सरकार का ध्यान आपके माध्यम से खींचना चाहते हैं।

इस वित्तीय वर्ष को ग्राम सभा वर्ष के रूप में रखा गया है और यहां पर इतने विधिवेत्ता और विद्वान बैठे हैं। अगर हम सही मायने

में ग्राम सभा को मजबूत करना चाहते हैं तो यहां बैठे सभी माननीय सदस्यों को बहुत सोचकर अपनी राय देनी चाहिए और सरकार का जमीन पर, आम आदमी तक उतारने का काम करना चाहिए। यही हम आपके माध्यम से सरकार से अर्ज करना चाहते हैं।

इस विधेयक के लिए डॉ. रघुवंश प्रसाद जी के संकल्प पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय निर्धारित है। मेरा कहना यह है कि भारत के 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं और इस चर्चा के लिए महज दो घंटे ही रखे गए हैं। मैं अर्ज करूंगा कि इस समय को बढ़ाया जाये और आने वाले शुक्रवार के दिन भी इसको चलाया जाये और इस पर गंभीर और गहन चर्चा करने के पश्चात् निर्णय लिया जाए और सबको इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया जाये। जिससे इस पर अच्छा फैसला हो सके। इसलिए हम अर्ज करेंगे कि इस पर चर्चा के लिए कुछ समय और दिया जाए।

हम लोग बिहार राज्य से आते हैं और वहां पर कोई योजना इस बारे में किसी प्रकार की नहीं है। आज वहां पर स्थिति यह है कि अगर भारत सरकार की योजनाओं का पैसा वहां पर न जाए तो ब्लॉक में, अनुमंडल में और तहसील में लिखने के लिए कागज पत्र तक नहीं मिलेंगे।

भारत सरकार की उस पैसे को खर्च करने की गाइडलांइस है कि गांव को आधार बनाना है, ग्राम सभा को इकाई बनाना है और ग्राम सभा के फैसलों पर ही मोहर लगानी है। लेकिन हमारे यहां इससे ठीक विपरीत होता है। सुनिश्चित रोजगार योजना आज गांव की योजना नहीं रह गयी है वह तो कलक्टर योजना बनकर रह गयी है। बिहार में जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है वह बीडीओ योजना बनकर रह गयी है। बीडीओ की पोस्टिंग राज्य सरकार के स्तर पर घूस लेकर की जाती है। वह एक रुपया लगाता है तो 14 रुपये ग्राम समृद्धि योजना से कमाता है और जमीन पर काम नहीं होता है। इसी तरह से वृद्धा पेंशन योजना है, सामाजिक सुरक्षा योजना है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना में 75 रुपये मासिक दिये जाते हैं। इंदिरा आवास योजना में गरीबों के लिए आवास बनाने की योजना है। लाल कार्ड से लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के तहत 20 किलो अनाज प्रतिमाह देने की योजना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आम लोगों को राशन देना है। इसके बाद जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत गेंहू और चावल देने की योजना है। पढ़ने वाले बच्चे जो बी पी एल के अंदर आते हैं उनको एक रुपया प्रतिदिन प्रोत्साहन छात्रवृत्ति देने की योजना है। गर्भवती माताओं के लिए पेंशन देने की योजना है, बाल–बालिका समृद्धि योजना है। ये सारी योजनाएं दिल्ली से, भारत सरकार से जाती हैं।

मैं समझ रहा हूं कि समय की सीमा है लेकिन विषय व्यापक है। इन सभी योजनाओं पर चर्चा चली तो भारत सरकार ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया। उस कमेटी का नाम केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की निगरानी और मानिटरिंग कमेटी था। वह कमेटी कागज में बनाई गई। हम लोगों को सूचना दी गई लेकिन कहीं कोई समिति काम नहीं कर रही है। ग्राम सभा ध्वस्त है। इस बारे में भारत की संसद में चिंता की जा सकती है। इस पर सम्यक रूप से चर्चा करके उसे ठीक करने की जरूरत है।

इन्दिरा आवास योजना में घपला है। आज सब कुछ महंगा हो गया है। इन्दिरा आवास में 20 हजार रुपए से राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये की जाए।

**सभापति महोदय** : 20 हजार रुपये भी नहीं मिल रहे हैं।

**श्री नवल किशोर राय** : राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 75 रुपये दिए जा रहे हैं। उड़ीसा के एक माननीय सदस्य हिसाब बता रहे थे कि आधा किलो चावल खाने पर कितना खर्च करना पड़ता है? आज आप जिस असहाय व्यक्ति को 75 रुपये देना चाहते हैं, उसे आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? उसे 75 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये करने का काम करिए।

यह अगस्त का महीना है। हम बिहार के सीतामढ़ी इलाके से आते हैं। वहां बागमती का बांध टूट गया है। बेलसण्ड रूनी–सैदपुर और बाजपट्टी तीन प्रखंड मुख्यालयों में पानी घुस गया है, सारी सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। हम वहां जाने वाले हैं। हम इसके प्रति चिंता प्रकट करते हैं। वहां हर वर्ष बाढ़ आती है। लोग त्राहिमाम करते हैं। वहां की ग्राम सभा ध्वस्त है। यहां से जो राशि जाती है, वह जमीन तक पहुंच नहीं पाती। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसी सदन में कहा था कि यहां से यदि एक रुपया जाता है तो उसमें से 15 पैसे ही पहुंचते हैं। यही स्थिति आज भी है। ग्राम सभा को मजबूत करना जरूरी है। 11 अगस्त 1998 को सीतामढ़ी में प्रदर्शन किया गया था। ब्लॉक को घेरने के लिए गरीबों की ओर से 40 हजार लोग जुटे थे। वहां भी लाल कार्ड और इंदिरा आवास योजना का सवाल था, गेहूं का सवाल था, वृद्धावस्था पेंशन का सवाल था। लोगों को गोली मार दी गई। स्वतंत्रता सेनानी राम चरित्र राय यादव जो चार बार एम. एल. ए. रह चुके हैं, डा. अयूब जो पंचायत समिति के अध्यक्ष थे उनको और महंप मंडल, मुनीफ नदाफ, रामपरी देवी को मौत के घाट उतार दिया गया। अब तक वह समस्या वहीं की वहीं है। 11 अगस्त आने वाला है। गांव का सवाल है। हम उन्हें स्मरण करते हैं। उनके शाहदत पर हम विनती करना चाहते हैं कि ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए कठोर कदम उठाएं जाएं और इन सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने की कृपा की जाए।

**सभापति महोदय** : आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया।

**डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर)** : सभापति महोदय, माननीय रघुवंश जी ने एक अच्छे संकल्प के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं। उनका लाभ गांवों के गरीबों तक पहुंच सके जिससे विषमता की खाई को पाटा जा सके। सरकारी दावों और आंकड़ों में कहा जाता है कि देश में गरीबी कम हुई है, क्षेत्रीय असंतुलन कम हुआ है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ विशेष क्षेत्रों को इसका लाभ पहुंचा होगा लेकिन आज भी विषमता है, निर्धनता है और गांवों की जो स्थिति है, वह दयनीय है, इस दयनीय स्थिति से उबरने के लिए इस सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के प्रश्न को लेकर हमने संविधान में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकार किया और 73वां एवं 74वां संशोधन इस आशय से लेकर आये कि हमारे प्रशासन में विकेन्द्रीयकरण की व्यवस्था हो ताकि हम गांव तक अपनी बात पहुंचा सकें। यह बात ठीक है कि जिस पंचायती राज की स्थान–स्थान पर व्यवस्था बनी, जिस प्रकार से राज्य सरकारों ने पंचायती राज को अंगीकार किया, उससे कुछ लाभ पहुंचा। लेकिन आज भी उस में कुछ खामियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उसमें इतनी विसंगतियां हैं, इतनी विकृतियां है जिनका निराकरण करना आवश्यक है। स्वयं प्रस्तावक महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि सामान्य जनता तक जो सुविधायें जानी चाहिये, वे नहीं पहुंच पाती हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा जनता को जो मिलना होता है, वह नहीं मिल पाता है। इसलिये ग्राम सभा को उसका माध्यम बनाना चाहिये, मैं इस प्रस्ताव से सहमत होते हुये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बातों का यहां उल्लेख किया गया है और गांवों की जो स्थिति है, यह सब अशिक्षा के कारण हो रहा है। जिस प्रकार से ग्राम सभा का आयोजन होता है, या तो होता नहीं और यदि होता भी है तो एक पक्षीय होता है। ऐसे में उन गांवों के व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, उनके हस्ताक्षर करवा लिये जाते हैं। उन्हें ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों में अंगीकार नहीं किया जाता है। इस तरह से सारी व्यवस्थायें जो अच्छी प्रजातंत्र की व्यवस्था बनाना चाहते हैं, उनके अंदर कई खामियां रह जाती हैं। इसलिये आवश्यक है कि हम ऐसी पारदर्शी व्यवस्था कायम करें।

सभापति महोदय, हम लोगों ने वर्ष 1999–2000 ग्राम सभा वर्ष अंगीकार किया था। प्रस्तावक महोदय जानते हैं कि हमने स्थान–स्थान पर अनेक राज्यों के अंदर उक्त वर्ष के संदर्भ में ये सभायें कराई हैं। बिहार के बारे में नहीं जानता कि वहां हुआ या नहीं? लेकिन हमारे राज्य में ग्रामों में ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। मंत्रीगण पहुंचे, लोगों से संपर्क किया और कठिनाइयां पूछीं। अब समय पर पंचायतें लगती हैं या नहीं, वहां कोई सचिव है या नहीं, ये बातें मंत्रीगण पूछकर चले गये लेकिन उसके बाद उसका निराकरण हुआ या नहीं, पता नहीं? केवल ग्राम सभा वर्ष मनाने से काम नहीं चलेगा। लोगों की कुछ शिकायतें जाकर सुन लें, केवल इससे काम चलने वाला नहीं है। जब तक उनकी समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं बनता।

सभापति महोदय, कुछ दिन पहले ग्रामीण विकास मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि पत्रकारों का एक सम्मेलन हुआ जिसकी रिपोर्टिंग भी हुई है। उसमें कहा था कि गरीबी ,उन्मूलन कार्यक्रम होने के बावजूद गरीबी बढ़ी है। यह मेरी उक्ति नहीं, अपनी सरकार की उक्ति है। फिर सरकार गरीबी हटाने की दृष्टि से काफी प्रयास कर रही है। सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं में धनराशि खर्च कर रही है। मैं कई स्थानों पर स्वयं गया हूं। एक स्थान पर मुझे यह बताया गया कि एक तालाब का निर्माण करवाया गया। जब मैं देखने गया तो पत्रकारों की पूरी टीम मेरे साथ थी। वहां एक गड्ढा बना हुआ था, कोई तालाब नहीं था। यदि ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम केवल दिखावा मात्र रह जायेगा। इसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिये। ये बातें सदन में बार–बार कही जाती हैं लेकिन इन सब के लिये मानिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिये।

सभापति महोदय, हम जवाहर रोजगार योजना के लिये पैसा देते हैं जिसे सरपंच खर्च करता है लेकिन उसका आडिटिंग करने का कोई सिस्टम नहीं है। चाहे जैसे अपनी मर्जी से खर्च कर ले। इसके लिये कोई व्यवस्था बननी चाहिये ताकि उसमें पारदर्शिता रहे। इस सबके लिये किसकी जवाबदेही है? इसी तरह से इंदिरा विकास योजना के लिये पैसा जाता है, स्व–रोजगार योजना के लिये पैसा जाता है। इसके अलावा कई ऐसी योजनाएं भी हैं जिनके अंदर निश्चित रोजगार देते हैं तो उसके लिये केन्द्र सरकार की तरफ से 70 प्रतिशत पैसा दिया जाता है। जे. आर. वाई. के लिये 75 प्रतिशत, इंदिरा आवास योजना के लिये 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार से पैसा जाता है। राज्य सरकारें उसमें कुछ अंश अपना मिलाती है। कभी–कभी तो राज्य सरकार वह अंश भी नहीं मिलाती है। इस कारण से केन्द्र सरकार से जाने वाला पैसा वहां नहीं पहुंच पाता है। फलतः, गरीब आदमी लाभान्वित नहीं हो पाता है।

**अपराह्न 6.00 बजे**

दूसरी तरफ इस बात की जानकारी मिली है कि राज्य सरकारों को जो पैसा जाता है, राज्य सरकारें वह पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाती हैं। अगर हम पिछले आंकड़ों को देखें तो केन्द्र सरकार ने जो गरीबी उन्मूलन के लिए, विभिन्न योजनाओं के लिए जो पैसा बजट में आबंटित किया था, उस बजट का लगभग 70 प्रतिशत पैसा ही खर्च हुआ, 30 प्रतिशत पैसा खर्च नहीं हो सका। चूंकि राज्य

सरकार उस प्रकार की योजना ही नहीं बना सकी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार की कोई व्यवस्था दें, इस प्रकार की कोई निश्चित रूपरेखा या कार्यक्रम तैयार करें जिससे कि विभिन्न योजनाओं में जो हमारा पैसा जाता है, वह ठीक समय पर जाए, ठीक से खर्च हो और उसकी मानिटरिंग की व्यवस्था भी ठीक से होनी चाहिए। कई बार कुछ कार्यों के लिए यहां पर कहा जाता है कि इनमें सासदों की भागीदारी होनी चाहिए, कभी कहा जाता है कि इसमें विधायकों की भागीदारी होनी चाहिए, यह ठीक है। लेकिन सांसदों और विधायकों की भागीदारी होने के बाद भी आज जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है जो वर्तमान प्रशासन व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर न तो सांसद ही मानीटरिंग के लिए समर्थ हो सकता है और न विधायक हो सकता है। कहीं न कहीं हमें उस प्रशासकीय व्यवस्था के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में अगर हम ठीक से नीति अपनायें, ठीक से कार्यक्रम बनायें तो निश्चित रूप से इसका लाभ हो सकता है। इस प्रस्ताव में ग्राम सभा को अधिक सक्षम बनाने की बात कही गई है। मैं मानता हूं कि ग्राम सभाओं को अधिक सक्षम बनाना चाहिए। इसलिए कुछ राज्यों ने यह प्रयोग किया था और ग्राम सभाओं को सक्षम बनाने की दृष्टि से नीचे स्तर पर ग्रामीण सचिवालयों की स्थापना की थी।

**सभापति महोदय** : पांडेय जी, छः बज गये हैं, आप नैक्स्ट टाइम कांटीन्यू कीजिए। अब सभा सोमवार, 7 अगस्त, 2000 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**सायं 6.01 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 7 अगस्त, 2000/16 श्रावण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

पी० एल० एस० — 48/8/4/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।

# लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

**शुक्रवार, 4 अगस्त, 2000/13 श्रावण, 1922 (शक)**

**का**

## शुद्धि पत्र

| कॉलम | पंक्ति | के स्थान पर | पढ़िए |
|---|---|---|---|
| 119 | 10 | (क्ष) | (ख) |
| 127 | 19 | डा. बोल्ला बुल्ली रमैया | डा. बी.बी. रमैया |
| 199 | — | कॉलम सं. 190 | 199 |
| 228 | 28 | श्री विष्णुदेव राय | श्री विष्णुदेव साय |
| 386 | 8 | श्री एम.वी.वी.एस. कृष्णमूर्ति | श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति |